आदिवासी विकास में मीडिया की भूमिका
(बिलासपुर जिले के संदर्भ में)

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ से जनसंचार एवं पत्रकारिता विषय में पी–एच0डी0 उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध प्रबंध

शोधार्थी

गुरु सरन लाल

नामांकन संख्या–410/09

शोध–पर्यवेक्षक

डॉ. रचना गंगवार

असिस्टेंट प्रोफेसर

जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर केन्द्रीय विश्वविद्यालय,

लखनऊ (उ0प्र0)

2015

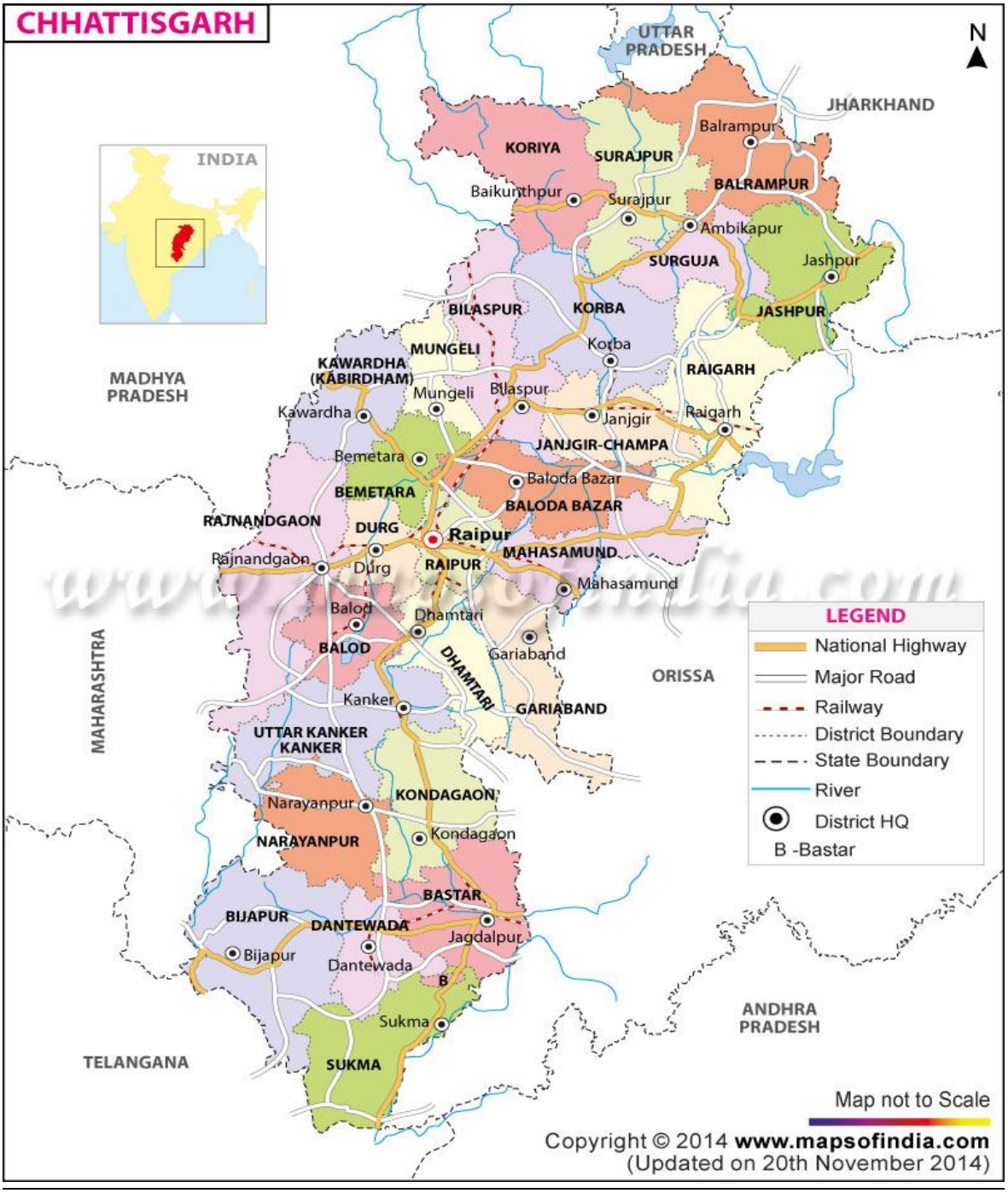

Source: www.mapofindia.com

Source: www.mapofindia.com

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि **श्री गुरु सरन लाल** ने **'आदिवासी विकास में मीडिया की भूमिका (बिलासपुर जिले के संदर्भ में)'** विषय पर शोध कार्य मेरे निर्देशन में पूर्ण किया है। प्रस्तुत शोध–प्रबन्ध, शोध छात्र के सतत् अध्ययन, अनुशीलन और मौलिक चिन्तन का परिणाम है।

मैं इस शोध–प्रबन्ध को जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग, **बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ** द्वारा **पी–एच0डी0** की उपाधि हेतु सर्वथा उपयुक्त समझती हूँ और इसे परीक्षार्थ अग्रसारित करती हूँ।

दिनांकः.....

स्थानः.....

शोध निर्देशक

डॉ0 रचना गंगवार

असिस्टेंट प्रोफेसर
जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग
बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर केन्द्रीय विश्वविद्यालय,
लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

घोषणा–पत्र

मैं, **गुरु सरन लाल** यह घोषणा करता हूँ कि मैंने **'आदिवासी विकास में मीडिया की भूमिका (बिलासपुर जिले के संदर्भ में)'** विषय पर शोध कार्य **डॉ0 रचना गंगवार, असिस्टेंट प्रोफेसर, जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग, बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ** के निर्देशन में पूर्ण किया है। प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में सभी संदर्भों को संदर्भ–सूची में ससम्मान स्थान दिया गया है। यदि भूलवश कोई संदर्भ छूट जाता है तो मैं उसके लिए क्षमाप्रार्थी हूँ।

पी–एच0डी0 की उपाधि हेतु प्रस्तुत यह शोध–प्रबन्ध, मेरा मौलिक कार्य है। यह शोध–प्रबन्ध इससे पहले इस विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय में पी–एच0डी0 उपाधि हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है।

दिनांकः..... शोधार्थी

स्थानः .....

गुरु सरन लाल

जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर केन्द्रीय विश्वविद्याालय

लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

आभार

मेरे इस शोध कार्य में गुरूजनों, परिजनों और मित्रों का साझा योग रहा है। प्रस्तुत शोध प्रबन्ध को पूर्ण करने में अनेक विद्वानों का भी सहयोग प्राप्त होता रहा है। मैं उनके प्रति कृतज्ञता वयक्त कर ऋण मुक्त नहीं होना चाहता बल्कि इस योग में उनकी महत्ता को प्रतिष्ठित करना चाहता हूँ।

इस शोध कार्य के लिए प्रेरित व निर्देशित करने वाली परम़ श्रद्धेय डॉ0 रचना गंगवार मैडम का मैं ऋणी हूँ। इनके कुशल निर्देशन में मेरी शोध यात्रा बिना किसी व्यवधान के अनवरत चलती रही। इनके विद्वतापूर्ण मार्गदर्शन और स्नेहपूर्ण व्यवहार के फलस्वरूप ही मैं यह शोध कार्य पूर्ण कर सका। इन्होंने अति व्यवस्तताओं के बावजूद मुझे समय व निर्देशन देकर उपकृत किया है।

विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ0 गोपाल सिंह, डॉ0 गोविन्द जी पाण्डेय एवं डॉ0 महेन्द्र कुमार पाढ़ी सर ने समय–समय पर अपना मार्गदर्शन दिया जो मेरे शोध के लिए काफी कारगर साबित हुआ।

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर में पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ0 अरविन्द सिंह, डॉ0 जितेन्द्र डबराल, डॉ0 तनु डंग एवं डॉ0 रश्मि गौतम का मैं ह्रदय से अभारी हूँ जिन्होंने अनुसंधान कार्य को पूर्ण करने में समय–समय पर मुझे अपेक्षित सहयोग और बहुमूल्य परामर्श दिये।

पुस्तकालयाध्यक्ष एवं अन्य कर्मचारियों सहयोग के बिना शोध कार्य पूर्ण करना असम्भव था। मैं उन सभी पुस्तकाल्याध्यक्षों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ जिनके सहयोग के बिना शोध कार्य पूर्ण नहीं हो सकता था।

मैं अपने दादा जी श्री जगधारी प्रसाद, दादी जी श्रीमती भूखला देवी, पिता श्री हरिहर प्रसाद एवं माताजी श्रीमती मनाजी देवी का आभारी हूं जिन्होंने तन, मन, धन से सहयोग मेरा विश्वास और आत्मबल बनाये रखा तथा शोध कार्य पूर्ण करने के लिए प्रेरित करते रहे। मैं विशेषतौर पर अपनी पत्नी श्रीमती माया गौतम का तहेदिल से आभारी हूं जिन्होंने गुणवत्तापूर्ण शोध के लिए मुझे सदा प्रेरित किया व उत्साह बढ़ाया। मैं अपने भइया श्री सुरेन्द्र पाल एवं भाभीजी श्रीमती रजनी, बहनें प्रीती और अमनदीप का भी आभारी हूं जिन्होंने हमेशा मुझे प्रेरित किया। साथ ही अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य का अभारी हूं। आप सभी की प्रेरणा व आशीर्वाद से मैं उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाया।

मैं अपने ससुर जी श्री राजदेव गौतम व सासू मां श्रीमती कलावती देवी को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने सदा प्रेरित किया। साली साहिबा पिंकी जी, दीदी श्रीमती सबिता गौतम, बड़े भाई साहब श्री मनोज कुमार गौतम एवं श्री नरेन्द्र गौतम का मैं आभारी हूं जिन्होंने प्रूफ रीडिंग में सहयोग किया।

मैं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) के कुलसचिव श्री एच.एन. चौबे जी का भी आभारी हूं जिन्होंने नौकरी के साथ–साथ पी–एच.डी. करने के लिए मुझे अनुमति प्रदान की। मैं गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग की

विभागाध्यक्ष डॉ. गोपी बागची मैडम तथा कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) के जनसंचार विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. शाहिद अली सर का आभारी हूं जिन्होंने पी–एच.डी. करने के लिए प्रेरित किया। मैं मित्र डॉ. प्रदोष कुमार रथ, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, पत्रकारिता एवं जनसंचार केन्द्र, उड़ीसा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, उड़ीसा का भी तहेदिल से आभारी हूं, जिन्होंने समय–समय पर मार्गदर्शन व सुझाव प्रदान करते रहे।

मैं बिलासपुर जिले में निवासरत आदिवासी लोगों का अभिनन्दन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने समय निकालकर मुझे बातचीत करने का अवसर प्रदान किया। उनसे ऑकड़ों के संकलन में सहायता मिली। मैं उनके धैर्य को सलाम करता हूं। मैं बिलासपुर एवं रायपुर से प्रकाशित विभिन्न समाचार–पत्रों के संपादकों को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय मुझे दिया ताकि मैं उनसे साक्षात्कार कर सकूं।

मैं अपने अभिन्न मित्र पुष्पेन्द्र वास्कले, डॉ. विनय भूषण, डॉ. दीपचन्द्र, कौशल किशोर त्रिपाठी, ओम प्रकाश, शिवकुमार, आशुतोष कुमार छोटे भाई धर्मवीर सिंह, पृथ्वीपाल सिंह व सर्वेश कुमार का भी तहेदिल से आभारी हूं जिन्होंने मेरा उत्साहवर्धन किया व प्रेरित किया। मैं अपने पूर्व छात्र राजेश रोशन दिवाकर एवं मो. आमिर पाशा का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जिन्होंने सर्वेक्षण कार्य में मेरी मदद की। पूर्व छात्रा पुष्पा विश्वकर्मा ने अध्ययन सामग्री को कम्पोज करने में मेरा हाथ बंटाया, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं।

इसके साथ ही मैं उन सभी सहृदयी व्यक्तियों के प्रति जो कि मेरे इस शोध कार्य में प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से सहयोगी रहे हैं, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ।

अंततः उस परमतत्व के प्रति श्रृद्धा प्रकट करते हुये जिसके असीम आशीर्वाद से मैं यह शोध यात्रा पूर्ण कर पाया, अपनी अनेक त्रुटियों के लिए गुरूजनों और विद्वतजनों से क्षमा प्रार्थी हूँ।

शोधार्थी

गुरु सरन लाल

शोध–सार

वर्तमान दौर सूचना क्रांति का दौर है। कुछ लोग इसे उत्तर आधुनिक काल की भी संज्ञा देते हैं। समय के साथ–साथ परिवर्तन की गति भी बढ़ी है। समाज के स्वरूप, प्रकृति और कार्यप्रणाली में लगातार बदलाव देखे जा रहे हैं। मीडिया भी इन बदलावों से अछूता नहीं है। समय के साथ–साथ मीडिया के स्वरूप, प्रकृति, कार्यप्रणाली, उद्देश्यों और सिद्धान्तों में परिवर्तन आए हैं। आज मीडिया केवल सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करने तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसका कार्यक्षेत्र और उत्तरदायित्व बढ़ गया है। मीडिया पर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करने के साथ–साथ समाज में जागरूकता फैलाने, लोगों को प्रेरित करने, प्रोत्साहित करने की भी जिम्मेदारी है। मीडिया का सामाजिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त में भी वर्णित है कि मीडिया को सामाजिक उत्तरदायित्व की भूमिका निभानी चाहिए।

किसी भी देश एवं समाज के विकास में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत जैसे विविधता वाले देश में समाज के प्रति मीडिया की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। भारत विभिन्न जाति, जनजाति, धर्म, सम्प्रदाय, बोलियों एवं भाषाओं का देश है, जहां एक साथ कई संस्कृतियां निवास करती हैं। इन्हीं संस्कृतियों में एक संस्कृति है जनजाति संस्कृति यानि आदिवासी संस्कृति जिनका वर्गीकरण 19 वीं सदी में अंग्रेज शासकों द्वारा प्रारम्भ किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 (25) के अनुसार जनजाति से तात्पर्य उन जनजातियों, समुदाय अथवा समुदायों के अंशों से है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति के तहत माने गये हैं।

प्रस्तुत शोध में आदिवासी विकास में मीडिया की भूमिका का अध्ययन किया गया है। चूंकि सूचना क्रांति के युग में संचार माध्यमों पर विकास की निर्भरता से इनकार नहीं किया जा सकता। अतः प्रस्तुत शोध के माध्यम से ये जानने का प्रयास किया गया है कि आदिवासियों के आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक विकास में मीडिया ने क्या योगदान किया है? आदिवासी विकास में मीडिया द्वारा किये गये कार्य कितने कारगर रहे हैं? और मीडिया किस तरह आदिवासी विकास को और अधिक प्रोत्साहित कर सकता है।

प्रस्तुत शोध में छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले के चयनित 400 आदिवासियों का अध्ययन किया गया है। अनुसूची के माध्यम से उत्तादाताओं से ऑकड़ों का संकलन किया गया है तथा साक्षात्कार अनुसूची से मीडिया प्रोफेशनल्स से साक्षात्कार के माध्यम से जानकारी प्राप्त की गयी है। इसके पश्चात् ऑकड़ों का विश्लेषण करके निष्कर्ष प्राप्त किया गया। शोध में निर्धारित क्षेत्र में मीडिया की कवरेज बढ़ाने व मीडिया की पहुंच बढ़ाने, सामुदायिक रेडियो की स्थापना, युवा पत्रकारों को इन क्षेत्रों में रिपोर्टिंग करने के लिए प्रोत्साहित–प्रशिक्षित करने, निर्धारित आदिवासी क्षेत्रों से प्रकाशित समाचार–पत्र/पत्रिकाओं की विज्ञापन दरें बढ़ाने आदि का सुझाव दिया है।

कुंजी शब्दः भारतीय जनजातियां, मीडिया, बिलासपुर, विकास, आदिवासी विकास, पत्रकारिता

सम्पर्ण

प्यारी बेटी एंजल को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ समर्पित

विषय–सूची

अध्याय		पृष्ठ संख्या
अध्याय 1 :प्रस्तावना		**1–8**
अध्याय 2: साहित्य अवलोकन		**9–129**
2:1	प्रस्तावना	9
2:2	जनजाति की अवधारणा	9
	2:2:1 भारत में जनजातियां	18
	2:2:2 भारत में जनजातियों का वर्गीकरण	28
	2:2:3 जनजातीय विकास	48
	2:2:4 मॉस मीडियाः एक परिचय	57
2:3	छत्तीसगढ़ राज्यः एक अध्ययन	60
	2:3:1 छत्तीसगढ़ का इतिहास	61
	2:3:2 छत्तीसगढ़ की वर्तमान स्थिति	77
2:4	बिलासपुर एक अध्ययन	96
2:5	छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की स्थिति	102
	2:5:1 प्रमुख जनजातियांः एक परिचय	105
2:6	छत्तीसगढ़ में मीडिया की स्थिति	113

2:7 बिलासपुर में मीडिया की स्थिति 114

2:8 विकास संचार 123

2:8:1 विकास संचार के मॉडल 123

2:8:2 विकास का आधुनिकीकरण सिद्धान्त 124

2:8:3 नवाचार प्रसरण का सिद्धान्त 125

2:8:4 सतत् विकास का सिद्धान्त 128

अध्याय 3: शोध की रूपरेखा 130–139

3:1 प्रस्तावना 130

3:2 उद्देश्य 132

3:3 विषय के चुनाव का कारण 132

3:4 उपकल्पना 133

3:5 शोध का क्षेत्र 133

3:6 शोध प्रविधि 135

3:7 निर्धारित क्षेत्र का डेमोग्राफिक डाटा 136

अध्याय 4 : ऑकड़ों का सारणीयन एवं रेखीय प्रस्तुतिकरण 140–214

4:1 प्रस्तावना 140

4:2 ऑकड़ों का सारणीयन एवं रेखीय प्रस्तुतिकरण 141

4:3 मीडिया प्रोफेशनल्स से साक्षात्कार 166

अध्याय 5: निष्कर्ष 215–230

5:1 उपकल्पना का परीक्षण 215

5:2 शोध का परिणाम 221

5:3 साक्षात्कार से प्राप्त ऑकड़ों का विश्लेषण 224

अध्याय 6 : ऑकड़ों की विवेचना 231–238

अध्याय 7: सुझाव 239–241

अध्याय 8 : शोध का क्षेत्र एवं उपयोगिता 242–244

8:1 शोध का क्षेत्र (Scope) 242

8:2 शोध की उपयोगिता 243

परिशिष्ट

संदर्भ–सूची

अनुसूची

प्रश्नावली

प्रकाशित शोध–पत्रों की सूची

अध्याय—प्रथम

प्रस्तावना

प्रस्तावना

आदिवासियों को भारत का मूल निवासी कहा जाता है। वे आदिकाल से देश में निवास कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से समाज का विकास हुआ। लोगों के जीवन स्तर, खानपान, आचार–विचार, शिक्षा, स्वास्थ्य में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। तकनीक का विकास हुआ। कार्यालयों में नये–नये उपकरणों का इस्तेमाल होने लगा है। ऑनलाइन माध्यम से कार्य सम्पन्न किये जाने लगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आदिवासी लोगों के विकास पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया। एक ओर जहां सरका 'ई–गवर्नेंस' और 'डिजिटल इंडिया' की बात करती है वहीं दूसरी और आदिवासी इलाकों में लोग 'ई–गवर्नेंस' के 'ई' से भी परिचित नहीं हैं। सरकार योजनाएं बनाती है लेकिन उन योजनाओं का हश्र क्या होता है? उन योजनाओं का लाभ आदिवासी ले पा रहे हैं या नहीं, यह जानने का समय नहीं है। आदिवासी विकास के नाम पर करोड़ों रूपये का आवंटन होता है, लेकिन उन पैसों का आदिवासी विकास में समुचित उपयोग नहीं हो पाता। यह केवल आदिवासी विकास का आर्थिक पहलू है। लेकिन ये भी सच है कि आर्थिक पहलू से ही बाकी पहलुओं का विकास संभव हो पाता है। सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्तर पर आदिवासी लोग काफी पिछड़े हुए हैं।

यह रोचक किन्तु दुखद है कि मानवशास्त्री, समाजशास्त्री, सामाजिक कार्यकर्ता, प्रशासक तथा ऐसे ही दूसरे लोग जो जनजातियों तथा उनकी समस्याओं से सैद्धांतिक स्तर अथवा व्यवहारिक आधार पर जुड़े रहे हैं, अपनी विषय वस्तु की अवधारणा एवं परिभाषा के विषय में एकमत नहीं है। आर्थर विल्के इत्यादि, (1979) समस्या को उचित परिप्रेक्ष्य में यह

कहकर प्रस्तुत करते हैं कि वर्षों तक भारत में जनजातिय लोगों के अधिकारिक आलेख व चित्रण को संदिग्धता ने जकड़ रखा था। उदाहरणार्थ सन् 1917 से 1931 की जनगणना तक जनजातियों के नामकरण संदर्भों में उत्तरोत्तर संशोधन होते रहे, जैसे आदिवासी अथवा 'दलित वर्ग'। सन् 1941 की जनगणना तक इन विशिष्ट विशेषणों को त्याग दिया गया। स्वतन्त्रता के पश्चात् 'अनुसूचित जनजातियों ' तथा 'आदिवासी' (जैसा उन्हें सामान्यतः पुकारा जाता है) का अभिप्राय ग्रहण करने की प्रथा चलती रही। इस प्रकार का प्रमाणीकरण भी संदिग्धता को पूर्णतः समाप्त नहीं कर पाया।

निःसंदेह समय बीतने के साथ 'जनजाति' की अवधारणा तथा परिभाषा संबंधी मतभेद कुछ हद तक निश्चित रूप से कम हो गये, किन्तु इस समस्या को उचित परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए सैद्धान्तिक विचार–विमर्श आवश्यक है।

वर्तमान अध्ययन में विचार विमर्श के आधार स्वरूप यहां जनजाति की कुछ परिभाषाएं दी जा रही हैं–

एक जनजाति समान नाम धारण करने वाले परिवारों का संकलन है, जो समान बोली बोलने हैं, एक ही भूखण्ड पर अधिकार करने का दावा करते हैं अथवा दखल रखते हों तथा जो साधारणतः अन्तर्विवाही न हों यद्यपि मूल रूप से चाहे वैसे रह रहे हों।

–इम्पीरियल गजेटियर ऑफ इण्डिया

एक जनजाति विकास के आदिम अथवा बर्बर आचरण में लोगों का एक समूह है जो एक मुखिया की सत्ता स्वीकारते हों तथा साधारणतयः अपना एक समान पूर्वज मानते हों।

–आक्सफोर्ड शब्दकोष

सरलतम् रूप में जनजाति ऐसी टोलियों का एक समूह है जिसका एक सानिध्य वाले भूखण्ड अथवा भूखंडों पर अधिकार हों और जिनमें एकता की भावना, संस्कृति में गहन समानता, निरंतर सम्पर्क तथा कतिपय सामुदायिक हितों में समानता से उत्पन्न हुई हो।

–रेल्फ लिंटन

एक जनजाति समान संस्कृति वाली जनसंख्या का स्वतंत्र राजनीतिक विभाजन है।

–लूसी मेयर

'जनजाति' समान नाम के तले एकत्रित एक जनसमूह है जिसमें कि समूह के सदस्य इस बात पर गर्व महसूस करते हैं कि वे समान भाषी, समान भूखण्ड स्वामी हैं तथा जो लोग उनके नाम के अंशधर नहीं है वे बाहरी ही नहीं बल्कि शत्रु हैं।

–जी. डब्ल्यू.बी. हार्ण्टिगफोर्ड

जनजाति क्षेत्रीय संबंध युक्त तथा अंतर्विवाही सामाजिक समूह है जिसके कार्यों में कोई विशेषज्ञता नहीं होती जो जनजातीय अधिकारों द्वारा शासित, वंशानुक्रम अथवा अन्य बोली से जुड़े हुए, अन्य जनजातियों अथवा जातियों से सामाजिक दूरी को मान्यता देने वाले, अपने प्रति किसी प्रकार की सामाजिक असामानताओं को नहीं जोड़ते (जैसा कि जाति संरचना में होता है), जो जनजातिय परम्पराओं में विश्वास रखते हैं तथा प्रथाओं का पालन करते हैं, विदेशी

स्रोतों के विचारों को प्राकृतिकीरण में अनुदारता तथा सबसे अधिक सजातीयता और क्षेत्रीय अखण्डता में विश्वास करते हैं।

–डी.एन. मजूमदार

भारतीय जनजातियों के अन्य बहुत से विशिष्ट लक्षण हैं। इस प्रकार उनके युवागृह, बालकों एवं बालिकाओं के संस्थागत शिक्षा की अनुपस्थिति, जन्म, विवाह तथा मृत्यु के संबंध में विशिष्ट प्रथायें, हिन्दुओं तथा मुसलमानों से भिन्न नैतिक संहिता, धार्मिक विश्वासों की विशिष्टतायें जनजातियों को निम्न जातीय हिन्दुओं से भी भिन्न करती हैं।

विकास एक सतत् प्रक्रिया है और विकास कार्यों में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, परंपरागत एवं न्यू मीडिया द्वारा लोगों को सूचना, शिक्षा, मनोरंजन, जागरूकता, सतर्कता, प्रेरणा आदि प्रदान की जाती है। मीडिया द्वारा विकास योजनाओं, कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार किया जाता है। साथ ही लोगों की प्रतिक्रिया भी सरकार तक पहुंचायी जाती है।

आदिवासी विकास में मीडिया की भूमिका का परीक्षण करने पर पता चला कि आदिवासी विकास में मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है लेकिन अफसोस कि आदिवासी मुद्दों को मीडिया गंभीरता से नहीं लेता। आदिवासी मुद्दों पर तभी ध्यान दिया जाता है जब भूमि अधिग्रहण, विस्थापन आदि बातें सामने आती हैं।

आदिवासी क्षेत्रों में अधिकतर लोग अशिक्षित हैं, इसलिए इन इलाकों में प्रिंट मीडिया कारगर सिद्ध नहीं हो पाता। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बातें करें तो आदिवासी लोग आर्थिक

रूप से इतने सम्पन्न नहीं हैं कि एक रेडियो सेट खरीद सकें। ऐसे में टेलीविजन सेट की तो बात ही नहीं आती। छत्तीसगढ़ सरकार ने आदिवासी लोगों को निःशुल्क रेडियो वितरित किया लेकिन यह प्रयास पर्याप्त नहीं था। पर्याप्त मात्रा में रेडियो सेट वितरित नहीं किये गये।

आदिवासी इलाकों में न्यू मीडिया लगभग नगण्य है। विस्थापित आदिवासी परिवार जो नगरों के किनारों पर बस गए हैं, वहां उनकी नई पीढ़ी इंटरनेट से जुड़ने लगी है। इन इलाकों में परंपरागत मीडिया सदैव ही सर्वोपरि रहा है। लोकगीत, लोकगाथा, लोककथा, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली इत्यादि के माध्यम से उन्हें जागरूक किया जा सकता है। लगभग हाशिए पर आ चुके इस माध्यम की अपनी विशेषताएं और सीमाएं हैं। सरकार द्वारा इस माध्यम का पुनर्जीवित करने और सक्रिया बनाने हेतु गंभीर प्रयास किए जाने की जरूरत है।

प्रस्तुत शोध में आदिवासी विकास और उसमें मीडिया की भूमिका का अध्ययन किया गया। निर्धारित क्षेत्र में विकास की स्थिति तथा उसमें मीडिया के योगदान का अध्ययन किया गया। आदिवासी विकास में मीडिया का योगदान कितना कारगर है, का अध्ययन किया गया और आदिवासी विकास में मीडिया की भूमिका का परीक्षण करने की कोशिक की गई है।

इस शोध ग्रंथ में कुल आठ अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में भारत में आदिवासियों की स्थिति को बताया गया है। आदिवासी लोगों से संबंधित विभिन्न परिभाषाओं एवं अवधारणाओं को प्रस्तुत किया गया है। भारत के विभिन्न राज्यों में निवासरत आदिवासियों के उद्‌भव एवं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को प्रस्तुत किया गया है। भारत के आदिवासियों को भूखण्डीय वितरण, व्यवसाय या अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक सम्पर्क तथा धार्मिक विश्वास इन चार आधारों पर

वर्गीकृत करके विस्तृत विवरण दिया गया है। आदिवासी विकास को परिभाषित करने की कोशिश की गई है। साथ ही मीडिया के कार्य और प्रकार का भी विस्तृत विवरण प्रस्तुत है।

दूसरे अध्याय में साहित्य अवलोकन को रखा गया है। इसमें पहले छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में जानकारी दी गई है। छत्तीसगढ़ के निर्माण की प्रक्रिया, छत्तीसगढ़ का इतिहास, दर्शनीय स्थल, मध्यकालीन एवं आधुनिककालीन छत्तीसगढ़ का वर्णन है। छत्तीसगढ़ के राज्य चिन्ह, कृषि, मिट्टी, जलवायु, पर्यटन, अभ्यारण्य, खनिज पदार्थ आदि का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसी अध्याय में बिलासपुर जिले के बारे में भी जानकारी दी गई है। बिलासपुर के नामकरण की प्रक्रिया, ऐतिहासिक व धार्मिक स्थल, दर्शनीय स्थल आदि की चर्चा है। दूसरे उप–अध्याय में छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की स्थिति का वर्णन है। छत्तीसगढ़ में निवास करने वाले जनजातियों की सूची दी गई है। प्रमुख जनजातियों जैसे गोंड, कोरबा, मारिया, हल्वा, कोटकू, बैगा, बिंझवार, उरांव आदि के बारे में बताया गया है। आदिवासियों के रहन–सहन, भाषा, पहनावा, पेशा, तीज–त्यौहार आदि का विवरण दिया गया है। तीसरे उप–अध्याय में छत्तीसगढ़ में मीडिया की स्थिति का वर्णन किया गया है। खासतौर पर बिलासपुर में मीडिया की स्थिति का विस्तार पूर्वक वर्णन है। बिलासपुर से प्रकाशित होने वाले समाचार–पत्र, पत्रिकाओं की सूची दी गई है। छत्तीसगढ़ में प्रसारित होने वाले रेडियो स्टेशनों की सूची दी गई है। बिलासपुर से प्रसारित होने वाले टेलीविजन चैनलों की भी सूची प्रस्तुत की गई है। छत्तीसगढ़ के परंपरागत माध्यमों का वर्णन किया गया है जिसमें लोकगीत, लोकगाथा, लोककथा, लोककला आदि की चर्चा की गई है। बिलासपुर में न्यू मीडिया और सिनेमा के बारे में भी बताया गया है।

अध्याय तीन में अध्ययन की रूपरेखा बताई गई है। अध्ययन के उद्देश्य, महत्व, शोध प्रविधि, परिकल्पना, शोध क्षेत्र का विवरण दिया गया है। निर्दशन विधि एवं शोध प्रविधि का तर्कपूर्ण वर्णन है। शोध प्रबंध के चौथे अध्याय में ऑकड़ों का सारणीयन एवं रेखीय प्रस्तुतिकरण किया गया है। ऑकड़ों को आरेखीय एवं सारणीयन रूप से प्रस्तुत किया गया है। अध्याय तीन में वर्णित शोध प्रविधि के अनुसार प्राप्त ऑकड़ों का विश्लेषण व समीक्षा की गई है। मीडिया प्रोफेशनल्स से किए गये साक्षात्कार को भी इसी अध्याय में रखा गया है। पांचवें अध्याय में ऑकड़ों के विश्लेषण व समीक्षा के बाद प्राप्त निष्कर्ष को लिखा गया है। इसी अध्याय में परिकल्पना का परीक्षण किया गया और तीनों ही परिकल्पनाएं सही पाई गईं। साक्षात्कार से प्राप्त ऑकड़ों का वर्णन किया गया है।

छठे अध्याय में प्राप्त निष्कर्षों की विवेचना की गई है। अध्याय सात में शोध के आधार पर सुझावों शामिल किया गया है। अन्त में परिशिष्ट में अनुसूची, प्रश्नावली, पेपरकटिंग की स्कैन कापी अनुसूची, प्रश्नावली, रिपोर्ट, समाचार–पत्रों की कटिंग की स्कैन कापी आदि दस्तावेजों को परिशिष्ट में संकलित किया गया है।

अध्याय–द्वितीय

साहित्य अवलोकन

साहित्य अवलोकन

2:1 प्रस्तावना

प्रस्तुत अध्याय में पुस्तकों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, शोध पत्रो, वेबसाइट इत्यादि से प्राप्त साहित्य का अवलोकन किया गया है। सभी संदर्भों को संदर्भ सूची में स्थान दिया गया है।

2:2 जनजाति की अवधारणाः

जनजाति क्या है? किसी मानव समूह को एक जनजाति मानने के लिए यथार्थ रूप से कौन–सी कसौटियां हैं? जनजातीय जीवन की क्या विलक्षणता है?

मजूमदार (1967) ठीक ही कहते हैं, कि जब कोई विभिन्न मानवशास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषाओं को देखता है तो उसका जनजाति के संघटक तत्वों संबंधी विचारों की असमानता से प्रभावित ने होना असम्भव है। नातेदारी व्यवस्था, समान भूखण्ड, समभाषा, संयुक्त स्वामित्व, एक राजनीतिक संगठन, आंतरिक संघर्ष की अनुपस्थिति आदि सभी का वर्णन एक जनजाति की मुख्य विशेषताओं के रूप में किया गया है। कुछ मानवशास्त्रियों ने न केवल कुछ उपरोक्त विशेषताओं को स्वीकार किया है अपितु उनमें से कुछ को एक जनजाति की विशेषताओं के रूप में स्वीकार करने का भी दृढ़ता से विरोध किया है। इस प्रकार रिवर्स ने एक समान भूखण्ड में निवास करने को जनजातिय संगठन के महत्वपूर्ण लक्षण के रूप में वर्णित नहीं किया है, यद्यपि पेरी जैसे अन्य विद्वानों ने यह कहकर इस पर जोर दिया है कि यहॉ तक कि यायावर (घुमक्कड़) जनजातियॉ भी एक निश्चित क्षेत्र में ही विचरण करती हैं। रैडक्लिफ ब्राउन

ने अपने आस्ट्रेलियायी ऑकड़ों से जनजाति की एक टुकड़ी के दूसरे से लड़ने का उदाहरण प्रस्तुत किया है। इस प्रकार के विद्वत् विचारों की विभिन्नता से कोई व्यक्ति केवल यह निश्कर्ष निकाल सकता है कि प्रत्येक मानवशास्त्री के जनजाति संबंधी विचार उस प्रकार के ऑकड़ों से उत्पन्न होते हैं, जिनसे वह सर्वाधिक सुपरिचित होता है। इसलिये कोई व्यक्ति सार्वभौम विशेषताओं वाली एक सूची तैयार कर सकता है, जिनमें से कुछ, किसी भी स्थान की जनजाति को परिभाषित कर सकती हैं। इस प्रकार पूर्ववर्ती पृष्ट पर दी गई अपनी परिभाषा की सार्वभौम प्रयोज्यता का दावा मजूमदार करते हैं।

जनजाति की परिभाषा करने में एक सबसे बड़ी बाधा कृषक वर्ग से जनजाति का विभेद करने की समस्ता है। आन्द्रे बेते (1973) का कहना है कि राजनीति तथा कृषक नामकरण का प्रयोग इस प्रकार के सामाजिक संगठन के लिए करना तथा कृषक नामकरण का प्रयोग इस प्रकार के सामाजिक संगठन के लिए करना तथा एक दूसरे से वैषम्य करके चरित्रांकन करना निस्सन्देह सम्भव है। किन्तु जनजातीय समाजों के अध्ययन में मानवशास्त्रियों द्वारा निवेशित समस्त प्रयासों के बावजूद एक जनजातीय समाज को परिभाषित करने का वास्तव में कोई मार्ग नहीं है। भारतीय संन्दर्भ में इसका अर्थ यह होता है कि मानवशास्त्रियों ने कुछ अस्पष्ट प्रकार से एक से अन्य के वैषम्य का प्रयास किया है जो स्वयं भी उतना ही अस्पष्ट है। प्रारम्भिक मानवशास्त्रियों ने जनजातीय समाज की परिभाषा की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया बल्कि खामोशी से मान लिया कि आस्ट्रेलिया, मेलानेशिया व अफ्रीका में जो उनके द्वारा अध्ययन किए जा रहे हैं वह ही जनजातीय समाज के विविध रूप हैं। जनजाति को कुछ अस्पष्ट रूप से समान सरकार, समान बोली व समान संस्कृति रखने वाला कमोबेश समजातीय

समाज मान लिया गया। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति आन्द्रे बेते की मान्यता से सहमत नहीं होगा क्योंकि उनका यह कथन इस समस्या का निकटता से दृढ़ अध्ययन करने वाले अनेक विचार समुदायों में से एक के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।

उपरोक्त परिचर्चा से यह प्रदर्शित होता है कि जनजाति अथवा जनजातीय समाज की निष्कर्षात्मक परिभाषा करना सहज नहीं है तथा इस संबंध में किसी प्रकार का मानकीकरण अत्यन्त कठिन है। इसलिये जनजाति की अवधारणा के क्षेत्रीय गुणार्य को दृष्टि में रखते हुये अंतर्राष्ट्रीय अथवा विश्वव्यापी स्तर से हट जाना अधिक अच्छा होगा तथा अपनी समस्याओं के समाधान हेतु भारतीय परिप्रेक्ष्य के अन्तर्गत ही मानकीकरण प्रस्तुत करने की ओर ध्यान केन्द्रित करना ठीक होगा। ऐसा करना इस परिस्थिति में कदापि उचित लगता है क्योंकि विश्वव्यापी प्रयोज्यता वाली परिभाषायें या तो बहुत विस्तृत तथा पोली हैं अथवा अत्यन्त संकीर्ण तथा सीमित है। इस सन्दर्भ में आन्द्रे बेते की टिप्पणी उचित है कि बेली सम्भवतः भारतीय क्षेत्र में कोर्य करने वाला एकमात्र मानवशास्त्री है जिसने खण्डीय सिद्धान्तों के आधार पर जनजातियों का चरित्रांकन किया है किन्तु जिस वैषम्य में वह रूचि रखता था वह जनजाति तथा कृषक वर्ग के मध्य का वैषम्य नहीं वरन् ''जनजाति'' तथा ''जाति'' के बीच का वैषम्य है। इसके आगे बेली को छोड़कर अधिकांश भारतीय मानवशास्त्रियों ने जनजातीय समाज की एक–सी परिभाषा का सृजन करने की समस्या की ओर गम्भीर चिन्तन नहीं किया जो भारतीय सन्दर्भों में उपयुक्त होता ।

अब हम इस समस्या का परीक्षण विशिष्ट रूप से भारतीय सन्दर्भों में करें। टी.बी. नायक (1960) ने जनजातीय जीवन की कसौटियों तथा सूचकांकों की बात विशिष्ट रूप से भारतीय

सन्दर्भ में करके इस समस्या को सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया है। जनजातीय जीवन की क्या कसौटियॉ तथा सूचकांक होने चाहिये? वनों में रहना? सूरत के डुबला तथा बहुत से अन्य जनजातीय लोग वनों में नहीं रहते, वे उर्वरक मैदानों में रहते हैं, तथापि वे अनुसूची में सम्मिलित किये गए हैं। आदिम धर्म? किन्तु आप नहीं जानते हैं कि भारत में आदिम धर्म क्या हैं? क्योंकि यहॉ भारत के अधिकांश उन्नत समुदायों के धर्मों में अत्यंत गूढ़ दर्शन से लेकर जनजातीय देवताओं तथा अन्धविश्वास से परिपूर्ण विश्वासों में एक निरन्तरता पाई जाती है। इस सूचना के भ्रामक तथा यथातथ्य न होने के कारण पर्याप्त नहीं हैं। भौगोलिक निस्संगता व अलगाव के साथ सैकड़ों जनजातीय समूह पृथक् जीवन नहीं जी रहे हैं अनेक कृषक समूह समान आदिम आर्थिक प्रणाली द्वारा जीवनयापन कर रहे हैं। इस प्रकार नायक जनजाति के लिये स्वयं अपनी कसौटियॉ प्रस्तुत करते हैं। ये कसौटियॉ निम्नलिखित हैं:

1. किसी जनजाति को जनजाति होने के लिए समुदाय के भीतर न्यूनतम प्रकार्यात्मक पारस्परिक निर्भरता होनी चाहिये।
2. उसे आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा होना चाहिये जिसका अर्थ है कि
    अ. उसके सदस्यों को मुद्रा व सिक्कों वाले अर्थशास्त्र के सम्पूर्ण महत्व का ज्ञान नहीं होना चाहिए,
    ब. प्राकृतिक साधनों के समउपायोजन के लिए आदिम साधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए।
    स. जनजाति की अर्थव्यवस्था अल्प विकसित चरण पर होनी चाहिए।
    द. उसको अनेक प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का अनुसरण करना चाहिए।

3. उसकी अन्य लोगों से तुलनात्मक भौगोलिक पृथकता होनी चाहिए।
4. सांस्कृतिक दृष्टि से एक जनजाति के सदस्यों की एक बोली होनी चाहिए जिसमें क्षेत्रीय विभिन्न्ता पाई जा सकती है।
5. एक जनजाति को राजनीतिक दृष्टि से संगठित होना चाहिये तथा उसकी सामुदायिक पंचायत को एक प्रभाशाली संस्था होना चाहिए।
6. जनजाति के सदस्यों में परिवर्तन की न्यूनतम अभिलाषा होनी चाहिए। उनमें एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक रूढ़िवादिता होनी चाहिए जो उन्हें उनकी प्राचीन प्रथाओं से जोड़े रखे।
7. एक जनजाति में परंपरागत नियम होने चाहिए तथा उसके सदस्यों को इन कानूनों के कारण न्यायालय में हानि उठानी पड़ सकती है।

नायक अपने दृष्टिकोण की और अधिक व्याख्या करते हुये कहते हैं कि किसी भी समुदाय के जनजाति होने के लिए इन सभी उपरोक्त गुणों का होना आवश्यक है। उसमें परसंस्कृतीकरण हो सकती है किन्तु परसंस्कृतिग्रहण के प्रभाव का निर्धारण उसकी रूढ़ियों, देवताओं, भाषा आदि के सन्दर्भ में होना चाहिए। बहुत अधिक मात्रा में उत्संस्करण स्वतः ही उसे एक जनजाति होने से वर्जित कर देगा।

एहरेनफेल्स (1952) यह कहकर कुछ पूर्वचर्चित बिन्दुओं की व्याख्या करते हैं कि :–

1) एक समुदाय, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो, एक भौगोलिक क्षेत्र में अन्य समुदायों से पृथक् रह सकता है। यह एक जाति तथा एक जनजाति दोनों पर लागू

होता है। एक ''वास्तविक'' जनजाति के सदस्य सामान्यतः पारंपरिक हिन्दू जाति के अधिक्रम में सम्मिलित नहीं किये जाते तथा बारम्बार एक समान बोली बोलते हैं, समान विश्वास रखते हैं, समान व्यावसायिक तरीकों का पालन करते हैं तथा अपने को एक छोटे किन्तु अर्द्धराष्ट्रीय एकार्द्ध का सदस्य मानते हैं।

2) मैं उपरोक्त परिभाषा से 'अधिक पिछड़ापन', 'आदिम साधन' व 'अल्प विकसित चरण' जैसे शब्दों को निकाल दूँगा तथा उनके स्थान पर 'आत्म निर्भर' शब्द रखूँगा। यद्यपि किसी जनजाति का प्रत्येक व्यक्ति अपने पारिवारिक समूह के लिए कार्य कर सकता है, और अन्य जनजातीय सदस्यों से प्रकार्यात्मक रूप से स्वतन्त्र रह सकता है, फिर भी यह देखना होगा कि किस सीमा तक प्रत्येक व्यक्ति समग्र रूप से अपनी जनजाति के साथ अपेक्षाकृत जनजातीय हिन्दुओं के जातीय वंशक्रम में सहभागोदार के रूप में एकात्मकता में रहता है।

3) मैं भौगोलिक पृथक्ता की परिभाषा से सहमत हूँ, यद्यपि प्रत्येक जनजाति लोगों की पृथक्कीकरण इकाई नहीं है। किन्तु यदि किसी जनजाति की अपनी अर्थ प्रणाली है तो इसकी एकात्मकता निस्संदेह अधिक स्थायी होगी।

4) असम तथा मध्य क्षेत्रों में समान बोलियॉ अथवा भाषायें जनजातियों के लिऐ प्रारूपिक हैं किन्तु भारत के दक्षिणी तथा पश्चिमी राज्यों में नहीं । भाषा समुदाय इस बात पर अवश्य बल देते हैं किन्तु जनजातीय चेतना का निर्माण करने के लिये यह आवश्यक नहीं है। पूर्व–परसंस्कृतिग्रहण के दिनों में अधिकांश जनजातियों की मौलिक धार्मिक

अवधारणायें उनके हिन्दू, बौद्ध, मुसलमान अथवा ईसाई पड़ोसियों से भिन्न थीं, किन्तु अब ऐसा नहीं है।

5) एक जनजाति के लिए न तो सदैव राजनीतिक दृष्टि से संगठित होना आवश्यक है न ही समुदायिक पंचायत का रखना। वह एक अकेला मुखिया रख भी सकती हैं और नहीं भी, अथवा कुछ बुजुर्गों जिनका समुदाय में कमोबेश प्रभाव व शक्ति हो, रख सकती है।

6) मैं उपरोक्त प्रासंगिक अनुच्छेद को निकाल दूँगा तथा उसके स्थान पर यह कहूँगा कि ''एक जनजाति के सदस्य एक समूह से संबंधित होने की भावना रखते हैं सिका अस्तित्व मूल्यवान है।''

7) लगभग सभी जनजातियों के पारंपरिक कानून एवं व्यहार होते हैं जो कमोवेश अपने जनजातीय पड़ोसियों से भिन्न होते हैं। प्रायः उन्हें इस कारण ही न्यायालयों तथा अंतर्जातीय लोगों के साथ सम्पर्क की स्थितियों में हानि उठानी पड़ती है।

टाटा समाज विज्ञान संस्थान ने भारतीय जनजातियों पर अपनी रिपोर्ट में उन्हें भी सम्मिलित कर लिया है जो इस समस्या के संबंध में मानवशास्त्रियों के दृष्टिकोण की आलोचना करते रहे हैं। इसका कहना है कि मानवशास्त्रीय कसौटियॉ आदर्श प्रारूपिक जनजातीय समुदायों पर लागू होती हैं जैसा कि मानवशास्त्रियों ने सैद्धान्तिक प्रयोजन के लिए इसकी कल्पना की हैं। परिणामस्वरूप हम देखते हैं कि अनुसूचित जनजाति श्रेणी में पायी जाने वाली बहुत–सी जनजातियॉ वास्तविक रूप में जनजाति नहीं कहलाई जा सकतीं। इसका तार्किक निहितार्थ यह है कि जो समुदाय उपरोक्त कसौटियों को सन्तुष्ट नहीं करते उन्हें

''जनजाति'' नहीं माना जाना चाहिये यद्यपि उन्हें अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित किया गया है। आर्थर विल्के इत्यादि (1979) का अन्य लोगों के समान मत है कि मानवशास्त्र के अध्ययन के बौद्धिक स्वरूप में यदि बहुत नही ंतो कुछ सीमा तक कठिनाई अंतर्निहित है। अयप्पन (1945) इस प्रकार के विवरणों से उत्तेजित होकर अपेक्षाकृत संशयात्मक रूप से टिप्पणी करते हैं तथा हमें विलियम टीट द्वारा दी गई जन्तुजाति की जानी–मानी परिभाषा की याद दिलाते हैं। इस परिभाषा को स्वीकार करते हुये उन्होंने कहा कि जनजाति एक ऐसा मानव समूह है जिसे एक समर्थ मानवशास्त्री ''जनजाति'' माने। यदि प्रशासक एक स्पष्ट परिभाषा चाहता है जिसका वह ऑख बन्द करके प्रयोग कर सके तथा उससे भली प्रकार काम चला सके तो हमें उसे बताना चाहिये कि वह हमारे पास नहीं है, ठीक उसी प्रकार जैसे एक जीव विज्ञानी ऐसी स्थिति में नहीं है कि वह जन्तु जातियों की सर्वप्रयोगार्थ स्पष्ट परिभाषा दे सके।

''जनजाति'' की परिभाषा की समस्या पर इस प्रकार के आलंकारिक एवं शैक्षिक अथवा शास्त्रीय वाद–विवाद के बावजूद इस कार्य में पर्याप्त मात्रा में मानकीकरण करने में सफलता प्राप्त हो चुकी है कि कौन से लोग विशिष्ट सुरक्षा व सुविधायें पाने के अधिकारी हैं अथवा कौन से लोग नहीं। यह उन्हीं मानवशास्त्रियों के ठोस शैक्षिक प्रयासों से ही सम्भव हुआ है, जो चारों ओर से प्रताड़ित किये गये थे।

मजूमदार (1967) इस नये मूड की व्याख्या निम्नलिखित तथ्यों द्वारा करते हैः

1) जनजातीय भारत में ''जनजाति'' निश्चित रूप से एक क्षेत्रीय समूह है। एक जनजाति का पारंपरिक भूखण्ड होता है तथा उत्प्रवासी सदैव उसे अपना घर मानते हैं। असम के चाय बागानों में काम करने वाले संथाल, बिहार अथवा बंगाल के विशिष्ट क्षेत्रों को अपने घर के रूप में आज भी हवाला देते हैं।

2) एक जनजाति के सभी सदस्य एक–दूसरे के नातेदार नहीं होते, किन्तु प्रत्येक भारतीय जनजाति के अन्तर्गत नातेदारी एक सुदृढ़, सहचारी, नियामक तथा एकीकरण सिद्धान्त के रूप में कार्य करती हैं। इसका परिणाम जनजातीय अन्तर्विवाह तथा एक जनजाति का गोत्रों एवं उपगोत्रों में विभाजन के रूप में सामने आया हैं। यह गोत्र नातेदारी समूह होने के कारण बहिर्विवाही होते हैं।

3) एक भारतीय जनजाति के सदस्य एक समान भाषा बोलते हैं, स्वयं उनकी अपनी अथवा अपने पड़ोसियों की। सामूहिक पैमाने पर अन्तर्जातीय संघर्ष भारतीय जनजातियों के लक्षण नहीं है। सम्पत्ति का संयुक्त स्वामित्व जहॉ भी है, उदाहरणार्थ हो लोगों में, अपवर्जित नहीं है। राजनीतिक दृष्टि से, भारतीय जनजातियॉ राज्य सरकारों के नियन्त्रण में हैं किन्तु एक जनजाति के भीतर एक ग्राम अथवा आसन्न ग्रामों की संघटक जनसंख्या की प्रजातीय तथा सांस्कृतिक विषमजातीयता के अनुरूप, अनेक पंचायतें हो सकती हैं।

इस चर्चा को समाप्त करते हुए आर्थर विल्के का सन्दर्भ नितान्त उचित लगता है जिनका मत है कि नौकरशाही के निर्णय लेने की बाध्यता तथा प्रशासन के सर्वोच्च होने के

कारण मानव समाज की रंगारंगी व विविधताओं की अनदेखा करने की प्रवृत्ति सदा मौजूद रही है। शासन की अपनी मजबूरियों जिसमें राजनीतिक कारक भी शामिल हैं तथा सम्पूर्ण जनजातीय भारत में घटने वाले सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तनों ने ''जनजाति'' के किसी आदर्श प्रतिमान के अस्तित्व को असम्भव बना दिया है।

2:2:1 भारत में जनजातियॉ

भारत को प्रजातियों एवं जनजातियों के मेल्टिंग पॉट के रूप में वर्णित किया जाता रहा है। समस्या की गम्भीरता व जटिलता को ध्यान में रखते हुए प्रागैतिहासिक विशेषज्ञ तथा मानवशास्त्री के लिये भारत के लोगों तथा संस्कृतियों को उनके इस उपमहाद्वीप पर प्रकट होने के कालानुक्रमिक अनुक्रम में सजाना वास्तव में एक अत्यधिक कठिन समस्या है। फुक्स (1973) का यह कथन उचित ही है कि आर्यों के आक्रमण तक का इतिहास भी अस्पष्टता व दुर्बोधता से आच्छादित है।

यद्यपि प्रागैतिहासिक मानव के प्रस्तर उपकरण निम्न पुरापाषाण युग तक विभिन्न सीलों पर उपलब्ध हुए हैं, किन्तु इन पूर्ववर्ती कालों के कंकाल अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं और बाद के कालों से प्राप्त मानव जीवाश्म प्रागैतिहासिक काल में भारत के प्रजातीय इतिहास के विषय में हमें किसी निश्चित निष्कर्ष निकालने योग्य बनाने के लिए अत्यन्त कम तथा अनुल्लेखनीय हैं। 'नर्मदा मानव' के कंकाल हमारे ज्ञान में थोड़ी बढोतरी अवश्य करते हैं किन्तु अब यह एक सीापित सत्य है कि भारत के आदिवासी समूह अधिकांश मामलों में उत्तर प्रागैतिहासिक समूहों

के उत्तरजीवी अवशिष्ट हैं। कुछ जनजातियों का प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण उच्चतर प्रौद्योगिक स्तर से ह्रासित होना भी संभव है।

अब यह बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय उपमहाद्वीप के आदिवासी एक ही प्रजाति के नहीं हैं। भारत में एशिया की विभिन्न दिशाओं तथा विभिन्न क्षेत्रों से प्रवेश करने वाले ये लोग विभिन्न प्रजातियों के है। अभी तक भारत की आदिम जनजातियों को निश्चित प्रजातीय समूहों में व्यवस्थित करना सम्भव नहीं हो सका है। रिज़्ले, गुहा तथा मजूमदार आदि के द्वारा भारत में प्रजाति वर्गीकरण का प्रयास किए गए थे, किन्तु अब तक वे पूर्णतः विश्वासप्रद सिद्ध नहीं हुए हैं। इसलिये भारतीय आदिवासी जनसंख्या को एक निश्चित परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किये जा सकने के लिए और अधिक मानवशास्त्रीय शोध आवश्यक है।

यद्यपि पर्याप्त पुरातात्विक तथा जीवाश्मिक ऑकड़ों के अभाव में भारत के अनेक आदिवासी समूहों के उद्‌भव तथा अनुवर्ती इतिहास के विषय में हमारा ज्ञान अस्पष्ट है, फिर भी जहॉ तक ऐतिहासिक काल का संबंध है उनके गौरव तथा ''पतन'' की कहानी को प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐतिहासिक ऑकड़े अवश्य ही इनके जीवन पर कुछ प्रकाश डालते हैं और हम समस्या की अटकली योजनाओं में लटके रहने के बजाय विश्वसनीय सूत्रों पर भरोसा कर सकते हैं। यह केवल लिपि के अन्वेषण तथा लिखित अभिलेखों के प्रारंभ होने से सम्भव हो सका है।

भारत में सबसे पहले के ज्ञात आदिवासी समूहों की भूमिका को निश्चित करने के लिए हमें सर्वप्रथम पृष्ठभूमि के रूप में सिन्धु घाटी की सभ्यता के पतन तथा भारत भूमि पर आर्यो

के आगमन का संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण करना होगा। भारतभूमि पर सिन्धु घाटी की सभ्यता सम्भवतः एक प्रामाणिक क्रमिक उद्विकास की देन है किन्तु आप्रवासी विदेशियों द्वारा भारत में स्थापित उपनिवेश का अध्ययन एक महत्वपूर्ण तथ्य हो सकता है। इस सभ्यता का ''अचानक'' उद्भव तथा लगभग विस्फोटक विकास (चढ़ाव) तथा उसकी स्वतः स्फूर्त विवृद्धि के अनेक कारण हो सकते हैं। इनमें से एक कारण सिन्धु घाटी की अनुकूल परिस्थितियॉ हो सकती हैं। भूमि की अत्यन्त उर्वरा शक्ति के कारण जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई। हो सकता है कि प्रारम्भ में, सिन्धु घाटी की सभ्यता की जनसंख्या एक ही प्रजाति की रही हो, परन्तु वह वैसी बनी नहीं रह सकी क्योंकि श्मशान स्थलों से प्राप्त कंकाल एक मिश्रित प्रजातीय विन्यास प्रस्तुत करते हैं। उसके पतन तथा विलुप्त होने के कारणों को अभी भी निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता। एक कारण सिन्धु नदी की धारा का विपत्तिकारक परिवर्तन हो सकता है जिसके फलस्वरूप घर विनाशकारी बाढ़ की चपेट में आ गये और खेतों में नदी की मिट्टी भर गई। चूँकि कालानुक्रम संशोधित किया जा चुका है तथा इस सभ्यता का अन्त लगभग 1750 ईसा पूर्व निश्चित किया गया है इसलिए उस प्राचीन परिकल्पना को पुनःजीवित किया गया है कि आक्रमणकारी आर्यों ने हड़प्पा सभ्यता के केन्द्र को नष्ट कर दिया हो तथा उसकी जनसंख्या को मार डाला अथवा खदेड़ दिया हो। मोहनजोदड़ो में एक भवन की सीढ़ियों पर बिना दफनाये गए कंकालों की प्राप्ति से इस कल्पना को समर्थन प्राप्त होता है।

जो प्रजातीय आप्रवास प्रागैतिहासिक कालों के अन्तिम चरण में हुआ तथा जो भारत की संस्कृति तथा इतिहास के स्वरूप के निर्धारण का सर्वाधिक गम्भीर कारण बना वह ईसा पूर्व द्वितीय सहस्त्राब्दी के लगभग आर्यों का था। भारत की सीमा पर आर्य सर्वप्रथम कब प्रकट हुये

यह अभी भी ज्ञात नहीं है। आर्यों के प्रारम्भिक आप्रवासन तथा विजय का प्रागैतिहासिक प्रमाण अत्यंत सूक्ष्म है तथा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के विश्वसनीय उत्तरों की अभी भी मांग है। क्या विजित लोग सिन्धु घाटी की सभ्यता के लोग थे, क्या वे द्रविड़ भाषा बोलते थे, इत्यादि प्रश्न इस सन्दर्भ में उठते हैं।

ऋग्वेद काल 2000 से 1000 वर्ष ईसा पूर्व असामान्य वन्य आर्य प्रजातियों के देश के उत्तरपश्चिमी क्षेत्र में प्रवेश का साक्षी था जिसमें वे न केवल परस्पर लड़ रहे थे अपितु अनार्य जनजातियों के विरूद्ध मृत्यूपर्यनत युद्ध छेड़ रहे थे। बज्र धारण किए हुए वज्राघात करने वाले इन्द्र का दासां के दुर्गों को नष्ट करने, दस्युओं पर शर प्रहार करने का उल्लेख मिलता है। आर्यों की शक्ति तथा गौरव की वृद्धि हेतु उनका आह्वान किया गया। वह दस्युओं व सम्युओं का वध करते हैं। सरस्वती परूष्नी नदी के किनारे बसने वाली एक शत्रुतापूर्ण जनजाति पर्वता को मार डालते हैं। विष्णु वृषहनु दस्युओं को युद्ध में पराजित करते है। तथा इन्द्र के साथ मिलकर सम्बराओं के दुर्गों को नष्ट कर देते हैं। असुरों को इन्द्र द्वारा पराजित कर दिया गया तथा वे अपने लूट के माल से वंचित कर दिये गए। कुँवर सुरेश सिंह (1964) ने टिप्पणी की है कि भारतीय जनजातियॉ सभ्यता की अनुवर्ती होकर निष्क्रिय नहीं बनी रहीं बल्कि उन्होंने इतिहास की ''स्थिरता तथा गतिशीलता के प्रति प्रतिक्रियाऍ भी व्यक्त कीं।'' उनकी भूमिका प्राचीन ग्रन्थों में आये सौरसों, किन्नरों तथा संस्कृतियों के संयोजन की प्रक्रिया, हिन्दू धर्म की विवृद्धि तथा उसकी दंतकथाओं तथा मिथकों, जादू तथा धर्म, परंपराओं तथा प्रथाओं के रवा हीन (अक्रिस्टलीय) पुंज का अंग है। भारतीय जीवन में जनजातीय अन्तर्वस्तु की तुलना समुद्र में एक बर्फ के टुकड़े से भी की जा सकती है तथा इनकी पहचान आर्यों तथा द्रविड़ों के

समान की जा सकती है। सजातीय व सांस्कृतिक दृष्टि से जनजातीय जन समूहों का प्रादुर्भाव तथा उसका प्रबल समाज में अन्तिर्लयन एक ऐसी प्रक्रिया है जो आज तक चल रही है। इस कहानी के सूत्र का प्राचीन साहित्यिक ग्रन्थों, पुरातात्विक एवं पुरालेखीय साक्ष्यों, मध्यकालीन कार्यों, ब्रिटिश अभिलेखों एवं प्रलेखों के बीच से बड़ी सावधानीपूर्वक चुनना पड़ेगा।

आर्यों तथा अनार्यों के संविलयन की प्रक्रिया चलती रहीं। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 वर्ष ईसा पूर्व हिन्दूबाद के उद्‌भव, जनजातियों के आर्यीकरण तथा आर्यो के जनजातीयकरण की दोहरी प्रक्रियाओं के चलते रहने से लक्षणान्वित हैं। दो महाकाव्यों – रामायण तथा महाभारत –जिनका ऐतिहासिक महत्व कुछ भी हो, में जनजातियों, जैसे शूद्र, अभीर, द्रविड़, पुलिन्द, शवरा अथवा सौर का सन्दर्भ आता है। इनमें से एक सर्वाधिक सुपरिचित है और सम्भ्वतः वह एकमात्र जनजाति है जो आज भी विद्यमान है तथा जिसके सबसे प्रारंभ्कि सन्दर्भ ''ऐतरेय ब्राह्मण'' में खोजे जा सकते हैं, वह है शबरी जिसने राम को फल भेंट किये थे। बेरियर एलविन के शब्दों में ''शबरी ऐसे योगदानों का प्रतीक बन चुकी है कि जनजातियॉ भारत के जीवन का निर्माण कर सकती है और करेंगी।'' उस समय ज्ञात जनजातियों में से अधिकांश के महाभारत तथा असंख्य घटनाओं में सम्मिलित होने का दावा किया गया है। एकलव्य नामक एक भील जिसने द्रोणाचार्य को अपना अॅगूठा अर्पित कर दिया था, दंत कथाओं में एक आदर्श शिष्य के रूप में वर्णित किया गया है। मुंडाओं तथा नागाओं ने कौरवों की ओर से पाण्डवों के विरूद्ध लड़ने का दावा किया है। भीम का पुत्र घटोत्कच, जिसने युद्ध में असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया था, का जन्म भीम की जनजातीय पत्नी से हुआ था। अर्जुन ने एक नागा राजकुमारी चित्रांगदा से विवाह किया था।

प्रारंभिक ऐतिहासिक काल की मुख्य भारतीय धारा में उल्लेखनीय योगदान एवं भागीदारी की दृष्टि से नागाओं का व्यापक अध्ययन महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक अथवा मिथक नागाओं का हिन्दू समाज में इतनी पूर्णता के साथ संविलयन हो गया है कि आज उनका चिह्न भी शेष नहीं रह गया है। उल्लेखनीय है कि नागालैण्ड के नागाओं को उनके प्रसिद्ध नामधारियों से कोई संबंध नहीं है। नागाओं के प्रभाव को नागपंचमी मनाये जाने, विष्णुमत पर नाग सम्प्रदाय के प्रभाव तथा शैववाद, महाबलीपुरम् तथा राजगृह की मूर्तिकला में एवं तक्षशिला, अनन्तनाग, नालन्दा, नागपुर तथा छोटानागपुर जैसे सीानों पर नागा रूपांकन से जाना जा सकता है। महाभारत एक प्रकार से एक नाग–कथा है। बुद्ध ने कुछ नागाओं का धर्मान्तरण किया था। नागपंथ कश्मीर घाटी में तथा नागशक्ति मध्य भारत में द्वितीय शताब्दी तक जीवित रही। नागदत्त, नागसेन, नागदेव आदि नाग उपासना वाले बहुत से नाम उनके प्रभाव को और भी प्रमाणित करते हैं।

ऐतिहासिक काल के प्रारम्भिक चरण में आक्रमणकारियों तथा मूल साम्राज्य शक्तियों द्वारा छोटी जनजातीय टुकड़ियों को पराधीन बनाया गया। अजातशत्रु ने वैशाली जनजातीय गणतन्त्र को नष्ट कर दिय। सिकन्दर ने उत्तर–पश्चिती सीमा पर जनजातियों का सफाया कर दिया। अर्थशास्त्र में अतविक का सन्दर्भ आता है जिसे शक्तिशाली विरोधी माना जाता है। अशोक ने उत्तरी पश्चिमी जनजातियों को धमकी दी थी कि यदि उन्होंने विद्रोह किया तो उसके घातक परिणाम होंगे, जबकि उसने अपने राज्य की वन्य जातियों को अपनी शरण देने का आश्वासन दिया।

शर्मा (1961) इस काल की सामाजिक संरचना के बारे में विस्तार से वर्णन करते है। उनका कथन है कि धम्म सूत्र (600 से 300 वर्ष ईसा पूर्व) तथा मनुस्मृति (200 इसा पूर्व से 200 इसवी वर्ष तक) संविलयन व आत्मसात करने की प्रक्रिया को चलाते रहे। मिश्रित जातियों की संकल्पना इस प्रवृत्ति की व्याख्या करने की केवल एक ब्राह्मणवादी काल्पनिक व सुविधाजनक विधि है। ये तथाकथित मिश्रित जातियॉ एक जाति के पुरूष तथा दूसरी जाति की स्त्री से उत्पन्न संतानें थीं। इनमें से कुछ सम्भवतः ब्राह्मणीकृत जनजातियॉ जिन्हें मिश्रित जातियॉ नामपत्रित किया गया, निषाद थीं जिन्होंने इस काल मिें अपनी प्रारम्भिक स्थिति खो दी। ये आखेट करके अपना जीवनयापन करन लगे। मदा, आन्ध्रा, मद्गा, चेंचू लोग वन्य प्शुओं का शिकर करते थे, कसाहलस, उर्गा, पुक्कास जो प्शुओं तथा पक्षियों को पकड़ते थे, अयोगवा वनों में काम करते थे, वेरा नगाड़ा बजाते थे तथा सरेंधा नौकरों त्था कुशल प्रसायकों के रूप में कार्य करते थे। चाण्डालों की जो एक ओर जनजाति थी उसका हिन्दू समाज में संविलयन हो गया, तथा उन्हें पशुओं एवं मनुष्यों के शवों को हटाने, अपराधियों के अंगों को काटने और उन्हें कोड़े लगाने का कार्य सौंपा गया। इस प्रकार जनजातियों को हीन बनाने की प्रक्रिया चलती रही।

जनजातियॉ पृथक् एवं एकांगी जीवन व्यतीत नहीं कर रहीं थीं, यह बात इस तथ्य से प्रकट है कि इनमें से अनेक उप–पौराणिक एवं महाकाव्य–काल की परंपराओं के मिथकों तथा लोकवार्ताओं में सम्मिलित हैं। राम, सीता, लक्ष्मण, रावण तथा भीम आदि द्वारा संचित मिथकों तथा कथाओं से प्रमाणित है। गोंड अपने को रावण की सन्तान कहते हैं। मनु एक अन्य

पौराणिक व्यक्ति हैं जिन्होंने जनजातियों को गहनता से प्रभावित किया। इसलिए मुंडा जनजाति के लोग उन्हीं के नाम पर स्वयं को ''मनोआको'' पुकारते हैं।

प्राचीन संस्कृत साहित्य उनके वर्णनों से परिपूर्ण है। पंचतंत्र तथा कथासरित्सागर में उनका रूमानी एवं मैत्रीपूर्ण परिप्रेक्ष्य में वर्णन प्रस्तुत किया गया है। विष्णु पुराण में उन्हें चपटी नासिका वाले बौनों के रूप में वर्णित किया गया है। कादम्बरी तथा हर्षचरित में बाण ने सओरा प्रमुख का विस्तृत वर्णन किया है।

सामन्त काल (400–1000 ईस्वी) में जनजातीय क्षेत्रों को अपेक्षाकृत अधिक खुलापन प्राप्त हुआ तथा जनजातीय मुखियों का हिन्दुत्वीकरण हुआ। ब्राह्मण पुजारियों ने उनके लिए उपयुक्त पौराणिक वंशावली तैयार की तथा सत्ताधारी ब्राह्मण वर्ण ने जनजातियों के संस्कृतीयकरण तथा ब्राह्मणीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। इसके पश्चात् 11वीं तथा 12वीं शताब्दियों में मुसलमान राजाओं के आक्रमण के कारण उनकी अधीनता न स्वीकर करने वाले राजपूतों का जनजातीय क्षेत्रों में प्रवेश प्रारम्भ हुआ जिसके फलस्वरूप बहुत सी जनजातीय टुकड़ियॉ नष्ट हो गई।

इस प्रकार परमार राजपूतों ने शाहाबाद से चेरों को निष्कासित कर दिया तथा बिहार के दक्षिण में मुंगेर जनपद में भूमिया जनजातियों का स्थान चन्देलों ने ले लिया।

मुस्लिम शासनकाल (12वीं से 18वीं शताब्दी) में एक नए दृष्टिकोण के दर्शन होते हैं। तुर्क, अफगानी तथा मुगल शासकों ने अधिकांश जनजातीय मुखियों अथवा मध्यभारत तथा बिहार के जनजातीय क्षेत्रों में हिन्दू शासकों की मात्र औपचारिक निष्ठा की मॉग की। सन्

1585 तथा 1616 ईस्वी में मुसलमान संनाओं ने छोटानागपुर में प्रवेश किया तथा खुकरा के राजा को अधीन कर लिया। इस प्रकार असम के जनजातीय क्षेत्रों को एक अन्य मुसलमान सेनानायक ने अपने अधीन कर लिया। सन् 1661 ई. के आसपास दाऊदखॉ ने पलामू के चेरों को अधीन कर लिया। इस काल में उत्तर–पश्चिमी सीमा क्षेत्र में कुछ जनजातियों का इस्लाम धर्म में धर्मान्तरण हुआ। पीर सैयद शाह कमाल ने नटों के मध्य तथा पीर सैयद मुहम्मद ने कोलों के बीच कार्य किया। ऐसे कुछ मुसलमान संत है जिन्होंने जनजातीय क्षेत्रों की सीमा पर कार्य किया तथा अपने धर्म का प्रचार किया।

इसके पश्चात् अब अंग्रेज़ उपनिवेशवादी अपनी आधुनिक प्रौद्योगिकी, नवीन उपागम तथा निहित स्वार्थों के साथ प्रकट हुए। अंग्रेज़ी शासन के उद्‌भव का अर्थ जनजातीय क्षेत्रों, समुद्री किनारों तथा बिहार तथा बंगाल में उनका प्रवेश था। जनजातीय समूहों के बीच से ग्राण्ड ट्रंक रोड के निर्माण ने बाहर से व्यापारियों, साहूकारों तथा भूमि पर कब्जा करने वाले परदेसियों के प्रभाव में तेजी ला दी। इसके आगे बढ़ती हुई जनसंख्या के दबाव तथा जमीदारों द्वारा क्रूर शोषण तथा दमन ने किसानों तथा कारीगरों का अनधिगम्य जनजातीय क्षेत्रों में प्रवसन को सुविधाजनक बना दिया। ईसाई मिशनरियों को भी इसमें उनका हिस्सा मिल गया।

अठारहवीं शताब्दी में जनजातीय क्षेत्रों में जनजातीय व्यवस्था के भंग हो जाने की स्थिति में जनजातियों की चिरस्मरणीय सहनशक्ति तथा धैर्य का बॉध टूट गया। अठारहवीं शताब्दी के अन्त में पहाड़िया लोगों का विद्रोह, मुंडा विद्रोह (1789–1901), संथाली विप्लव (1855–56), भील विद्रोह (1879–80), बस्तर विद्रोह (1910–11), तथा गोंड विद्रोह (1940) भारत की जनजातियों में नयी जागरूकता के कुछ उदाहरण हैं।

भारतीय जनजातियों की इस ऐतिहासिक यात्रा में एक दूसरा अत्यन्त उल्लेखनीय व ध्यान देने योग्य बिन्दु भारत के तीन बड़े धर्मों का स्थान है, जहॉ एक ओर हिन्दू तथा इस्लाम धर्म अधिकतर कगार पर ही रूक गए, अधिकांश मामलों में ईसाई सम्प्रदाय के लोग ब्रिटिश शासकों के संरक्षण में जनजातीय क्षेत्रों में बहुत अन्दर तक प्रवेश कर गए। यह आगे चलकर जनजातियों में अनेक आन्दोलनों जिनमें पुनः जीवन संचार आन्दोलन भी शामिल हैं, का कारण बना। ऐसे आन्दोलनों में खेखर आन्दोलन (1871–80) सरदारी आन्दोलन (1881–95), बिरसा आन्दोलन (1895–1901), ताना भगत आन्दोलन (1920–35) तथा इसी प्रकार के अन्य बहुत से आन्दोलन शामिल किये जा सकते हैं। कृषि एवं सांस्कृतिक मामलों से संबंधित आन्दोलनों ने अनेक उच्च स्तरीय राजनीतिक धार्मिक नेताओं को उभारा जिन्होंने आने वाले कई दशकों तक जनजातीय चिन्तन को गहनता से प्रभावित किया।

ब्रिटिश उपनिवेशवादियों की विदाई तथा स्वतंत्र भारत के उदय के साथ देश के जनजातीय नागरिकों को उचित न्याय व व्यवहार देने का वादा किया गया। इस प्रकार इनको कुछ मामलों में प्रगति में भागीदारी का विशेष अवसर भी प्राप्त हुआ। जनजातियों की उन्नति हमारे संविधान निर्माताओं के विश्वास का प्रतीक था। क्या हम इस स्वप्न को प्राप्त कर सकें? अगले अध्याय में हम इस प्रश्न के उत्तर को प्राप्त करने के लिए बहुआयामीय परिप्रेक्ष्य में जनजातीय स्थिति की समीक्षा करेंगे।

2:2:2 भारत में जनजातियों का वर्गीकरण

कारकों की बहुलता तथा समस्या की जटिलता के कारण भारतीय जनजातियों का विभिन्न समूहों में वर्गीकरण करना बहुत सरल नहीं है। फिर भी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त ने इस कार्य को प्रारंभ किया तथा वर्गीकरण की कसौटियों को स्वीकार करने की सम्भावना की जॉच की। इस उद्देश्य को दृष्टि में रखकर राज्य सरकारों से उन विशेषताओं व लक्षणों का सुझाव देने का कहा गया जो उन्हें सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती हैं जिनके आधार पर तथाकथित ''आदिम'' समूहों तथा जनसंख्या में भेद किया जा सके।

असम सरकार ने मंगोल प्रजाति समूह, तिब्बत–वर्मा भाषायी समूह तथा ग्रामीण गोत्र प्रकार के सामाजिक संगठन को विशेष महत्व दिया। पूर्ववर्ती बम्बई सरकार ने वनीय क्षेत्रीय स्थानों में निवास को आधारभूत कसौटी माना जबकि मध्य प्रदेश सरकार के लिए जनजातीय मूल, जनजातीय भाषा का बोलना तथा वनीय क्षेत्रों में निवास महत्वपूर्ण कसौटियॉ थीं। इसी प्रकार मद्रास, उड़ीसा, मैसूर तथा ट्रावनकोर आदि सरकारों ने विविध भाषागत, भौगोलिक, आर्थिक तथा सामाजिक कारकों को संकेतक के रूप में मानने का सुझाव दिया।

उपरोक्त वर्णित विशेषताओं पर विचार करते हुये भारत की जनजातियों को निम्नलिखित आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता हैः–

(अ) भूखण्डीय वितरण

(ब) व्यवसाय अथवा अर्थव्यवस्था

(स) सांस्कृतिक सम्पर्क

(द) धार्मिक विश्वास।

क. भौगोलिक वर्गीकरण :–

भारत के भौतिक मानचित्र को देखते हुए तथा जनजातीय जनसंख्या के वितरण के अनुसार हम पाते हैं कि भूगोल तथा जनजातीय जनसांख्यिकी भी क्षेत्रीय समूहीकरण तथा मण्डलीय वर्गीकरण की अनुमति देते हैं। बी. एस. गुहा ने भारतीय जनजातियों को तीन मण्डलों में वर्गीकृत किया है।

(1) उत्तर–पूर्वी तथा उत्तरी मण्डल

(2) केन्द्रीय अथवा मध्य मण्डल

(3) दक्षिणी मण्डल

(1) उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी मण्डल

इसमें हिमालय के नीचे का क्षेत्र तथा भारत की पूर्वी सीमाओं की पहाड़ी घाटियॉ सम्मिलित हैं। असम, मणिपुर तथा त्रिपुरा के जनजातीय लोगों को इस भौगौलिक मण्डल के पूर्वी भाग में सम्मिलित किया जा सकता है, जबकि उत्तरी भाग भारत में पूर्वी कश्मीर, पूर्वी पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तरांचल की जनजातियॉ को सम्मिलित किया जा सकता है।

असम तथा तिब्बत के मध्य रहने वाली कुछ महत्वपूर्ण जनजातियॉ उनका, डाफला, मिरी, मुरूंग, व अपातानी सुवनसिरी नदी के पश्चिम में बसती हैं। ''मिश्मी'' जनजाति देवांग तथा लोहित नदियों के बीच उच्च क्षेत्रों में बसती हैं। इसके पूर्व में खामती तथा सिंहको जनजातियॉ पाई जाति है। नागा पर्वतों के दक्षिण में मणिपुर, त्रिपुरा राज्य के मध्य होकर तथा चिरागम पहाड़ियों की श्रृंखला में कुकी, लुशाई, खासी तथा गारो जनजातियॉ रहती हैं। सिक्किम के हिमालय के निचले क्षेत्र में तथा दार्जिलिंग के उत्तरी भाग में अनेक जनजातियॉ हैं, उनमें लेप्चा सबसे अधिक प्रसिद्ध है। उत्तरांचल, हिमालय क्षेत्र में थारू, भोक्सा, जौनसारी, मोटिया, राजी जैसी महत्वपूर्ण जनजातियॉ पाई जाती हैं।

सम्पूर्ण भौगोलिक मण्डल में सघन जनसंख्या नहीं पाई जाती है। भौगोलिक समानता के फलस्वरूप इस मण्डल की अधिकांश जनजातियॉ सोपान कृषि करती हैं जिसे स्थानीय भाषा में झूम खेती भी कहते हैं। ये जनजातियॉ अधिकांशतया अत्यन्त निर्धन व आर्थिक दृष्टि से पिछड़ीत हुई हैं।

(2) केन्द्रीय अथवा मध्य मण्डल

इस मण्डल के उत्तर में भारत गंगा मैदान तथा मोटे तौर पर दक्षिण में कृष्णा नदी के मध्य पठारों तथा पहाड़ी पट्टी सम्मिलित है तथा यह उत्तरी–पूर्वी मण्डल से गारो पहाड़ियों तथा राजमहल पहाड़ियों के लुप्तांश द्वारा पृथक् हो जाती है। इस मण्डल में हम मध्य प्रदेश की जनजातीय जनसंख्या का एक जबरदस्त जमाव पाते हैं जिसका विस्तार उत्तर–प्रदेश, मध्य भारत, दक्षिणी राजस्थान, उत्तरी महाराष्ट्र, बिहार तथा उड़ीसा तक हैं। उत्तरी राजस्थान,

दक्षिणी महाराष्ट्र तथा बस्तर इस मण्डल की परिधि का निर्धारण करते हैं। इस मण्डल में बसने वाली महत्वपूर्ण जनजातियॉ सवारा, गदबा, गजम जनपद की वोरिडो, जवांग, खाड़िया, खोंड, भूमिजा तथा उड़ीसा की पहाड़ियों की भुइयॉ हैं। छोटानागपुर के पठार में मुंडा, संथाल, ओरॉव, हो व बिरहोर जनजातियॉ बसती हैं। इसके और पश्चिम में विन्ध्य श्रृखला के साथ कटकारी, कोल तथा भील जनजातियॉ रहती हैं। गोंड सबसे बड़े समूह की संरचना करते हैं तथा ''गोंडवान प्रदेश'' के नाम से पुकारे जाने वाले क्षेत्र में रहते हैं। सतपुड़ा के दोनों ओर तथा मैकाल पहाड़ियों के चारों ओर इसी प्रकार की जनजातियॉ पाई जाती हैं जैसे कोराकु, अगारिया, परधान तथा बैगा। बस्तर की पहाड़ियों के पहाड़ी मुड़िया तथा उन्द्रावती घाटी की गौर की सीमा वाली माड़िया जनजातियॉ। इस मण्डल की अधिकांश जनजातियॉ अस्थायी कृषि के द्वारा अपना जीवनयापन करती हैं, किन्तु ओरॉव, संथाल, मुंडा तथा गोंड जनजातियों ने पड़ोसी ग्रामीण लोगों से सांस्कृतिक सम्पर्क के फलस्वरूप हल से कृषि करना सीख लिया है।

(3) दक्षिणी मण्डल

इस मण्डल में दक्षिणी भारत का वह भाग आता है, जो कृष्णा नदी के दक्षिण में है तथा जो वाइनाड से केप केमोरिन तक फैल हुआ हैं। आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, कुर्ग, ट्रावनकोर, कोचीन, तमिलनाडु आदि इस मण्डल में सम्मिलित हैं। इस मण्डल के उत्तर–पूर्व से प्रारम्भ करके चेंचू कृष्णा के उस पार नल्लाई मल्लाई पहाड़ियों के क्षेत्र तथा पूर्ववर्ती हैदराबाद राज्य में बसे हैं। दक्षिण कनारा के लोरागा से पश्चिमी घाटों के साथ–साथ यरूवा और टोडा कूर्म पहाड़ियों के निचले ढलान पर रहते हैं। जबकि इरूला, पनियान तथा करूम्बा वाइनाड क्षेत्र में बसते हैं। भारतीय जनजातियों में सबसे आदिम जैसे–कडार, कानिक्कर, मालवादिन,

मलाकुखन आदि कोचीन तथा ट्रावनकोर के घने जंगलों में बसते हैं। वे विश्व के आर्थिक दृष्टि से सबसे अधिक पिछड़े लोगों में सम्मिलित हैं किन्तु उपरोक्त कथन के कुछ अपवाद भी हैं जैसे टोडा, बदागा तथा कोटा जो नीलगिरि पहाड़ियों में रहते हैं। इस क्षेत्र के अधिकांश जनसमूह अपने भोजन संग्रह के लिये आखेट तथा मछली पकड़ने पर निर्भर रहते हैं।

यद्यपि गुहा ने अंदमान तथा निकोबार द्वीपों के निवासियों को इन मण्डलों में भी सम्मिलित नहीं किया है तथापि इन जनजातीय लोगों को, चतुर्थ मण्डल की संरचना करने वाला कहा जाता है। इस मण्डल में रहने वाली मुख्य जनजातियॉ–जरवा, ओंगे, उत्तरी सेण्टीनलीज, अंदमानी, शॉमोन तथा निकोबारी हैं। यद्यपि ये भारतीय जनजातियों की मुख्यधारा से अलग हैं फिर भी दक्षिण भारतीय जनजातियों से सजातीय दृष्टि से अधिक निकट हैं।

ख. भाषायी वर्गीकरणः

वर्तमान समय में भारत के लोगों को चार विभिन्न भाषायी परिवारों में विभाजित किया जा सकता है। इनके नाम हैं भारतीय यूरोपीय, द्रविड़, आस्ट्रिक तथा तिब्बत चीनी। डी.एन. मजूमदार का मत है कि ''जहॉ तक जनजातीय लोगों का संबंध हैं आर्य भाषा केवल सांस्कृतिक सम्पर्क के फलस्वरूप सामने आती है क्योंकि हमारे लगभग सभी जनजातीय लोगों का संबंध पूर्व आर्य अथवा अनार्य प्रचातियों तथा उद्‌भव से है।'' अतः अधिकांश विद्वान् इस दृष्टि से सोचते हैं कि भारत के जनजातीय लाग मुख्यतः तीन भाषा परिवारों में वर्गीकृत किये जा सकते हैं– 1. द्रविड़, 2. आस्ट्रिक, 3. तिब्बती–चीनी।

द्रविड़ भाषा परिवार के अन्तर्गत आने वाली भाषाओं को बोलने वाले जनजातीय लोग मध्य तथा दक्षिणी भारत में बसते हैं। द्रविड़ परिवार की सर्वाधिक विकसित भाषायें तमिल, तेलुगू, कन्नड तथा मलयालम हैं। गोंड द्रविड़ परिवार में बोली जाने वाली जनजातीय बोलियों में प्रमुख स्थान रखती है तथा यह गोंड जनजाति द्वारा, जा मध्य प्रदेश से आन्ध्र प्रदेश तक फैली है, विस्तार के साथ बोली जाती है। इसका कोई साहित्य नहीं है, किन्तु इसके बोलने वालों की संख्या शक्ति को ध्यान में रखते हुये इसे जनजातीय भाषाओं के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। इस समूह की एक अन्य महत्वपूर्ण भाषा ''कोई'' है जो उड़ीसा के कोंध, छोटानागपुर की ओरॉव तथा राजमहल पहाड़ियों की माल्टो द्वारा बोली जाती है। टोडा, पलिया, चेंचू, इरूला तथा राजमहल पहाड़ियों की माल्टो द्वारा बोली जाती है। टोडा, पलिया, चेंचू, इरूला तथा कदार भी द्रविड़ परिवार में सम्मिलित किये जाते हैं।

आस्ट्रिक परिवार की बोलियॉ मुंडा भाषा परिवार के रूप में भी जानी जाती है। मैक्समूलर प्रथम विद्वान थे जिनहोंने इसे द्रविड़ भाषा परिवार से अलग किया तथा उन्होंने ही इस समूह को मुंडा बोली परिवार का नाम प्रदान किया। इस परिवार की बोलियॉ मुख्यतः छोटानागपुर क्षेत्र की जनजातियों द्वारा बोली जाती हैं किन्तु उनका प्रचलन, कुछ कम सीमा तक मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु तथा बिहार व झारखंड से शिमला की पहाड़ियों तक फैलकर हिमालय के तराई क्षेत्रों में भी है। बंगाल, बिहार, झारखंड तथा उड़ीसा की संथाली बोली तथा बिहार व झारखंड क्षेत्र की मुंडारी, हो, खड़िया, भूमिज व कुछ अन्य बोलियॉ भी इस परिवार में सम्मिलित हैं।

तिब्बती–चीनी बोलियॉ मंगोल प्रजाति समूह की अधिकांश जनजातियों द्वारा बोली जाती हैं। यह परिवार दो शाखाओं में विभाजित किया जाता है– 1) हिमाचल–उत्तरांचल, तिब्बत–बर्मी, 2) सियामी–चीनी। असम, मघालय तथा उत्तर–पूर्वी भारत के अन्य भागों की जनजातियॉ इस परिवार की एक न एक बोली बोलती हैं।

ग. प्रजातीय वर्गीकरण

डी.एन. मजूमदार (1955) ने प्रजातीय लक्षणों के आधार पर भारत की जनजातीय जनसंख्या का वर्गीकरण करने की समस्या को जटिल बताया है। वह कहते हैं कि भारत के जनजातीय समुदायों के प्रजातीय मूल अथवा सादृश्यों को निश्चिय करना अत्यनत जटिल प्रश्नों में से एक है, जिसका सामना भारतीय मानवशास्त्रियों को करना पड़ेगा। उन सजातीय समूहों के संबंध का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हैं जो प्रागैतिहासिक काल में भारत के विभिन्न भागों में वास करते थे। ऐतिहासिक काल में भारत के प्रजातिय संगठन के विषय में प्राप्त ज्ञान कम है। अतः भारत के प्रजातीय इतिहास के संबंध में समस्त ऐतिहासिक पुनर्रचना को काफी हद तक अटकलों पर निर्भर रहना पड़ेगा।

भारत में प्रथम प्रजातीय वर्गीकरण का प्रयास सर हरबर्ट रि़ज्ले द्वारा किया गया था। उन्होंने अपनी खोजों को ''पीपुल्स ऑफ इण्डिया'' नामक पुस्तक में 1916 में प्रकाशित कराया। वह समस्त भारतीय जनसंख्या को सात प्रजातीय प्रकारों में वर्गीकृत करते हैंः–

1) तुर्को–ईरानी

2) भारतीय–आर्य

3) स्कीथो–द्रविड़

4) आर्य–द्रविड़

5) मंगोल–द्रविड़

6) मंगोली

7) द्रविड़

इन सात प्रकारों को तीन आधारभूत प्रकारों–द्रविड़, मंगोल तथा भारतीय आर्य– में सरलीकृत किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि उन्होंने भारत के आदिवासियों के लिए कोई पृथक् वर्गीकरण योजना प्रदान नहीं की। हट्टन, गुहा तथा मजूमदार द्वारा सुझाये गए वर्गीकरण भारतीय लोगों के प्रजातीय वर्गीकरण के क्षेत्र में नवीनतम हैं। गुहा 6 प्रमुख प्रजातियों की सूची प्रस्तुत करते हैं जिसमें 9 उपप्रकार हैं :–

1) नीग्रीटो

2) आद्य–आस्ट्रेलायड

3) मंगोल

अ. पुरामंगोल

ब. लम्बे सिर वाले

स. चौड़े सिर वाले

4) भूमध्यसागरीय

अ. पुरा भूमध्यसागरीय

ब. मध्य सागरीग

स. प्राच्य प्रकार

5) पाश्चात्य चौड़े सिर वाले

अ. एल्पीनॉयड

ब. डिनारिक

ग. आरमीनॉयड

6) नार्डिक

भारत की जनजातीय जनसंख्या का वंशक्रमिका मुख्यतः प्रथम् तीन प्रकारों में ढूँढ़ी जाती हैः

कोचीन और ट्रावनकोर की पहाड़ियों की जनजातियॉ जैसे– कादर, इरूला, पलियन आदि, असम के अंगमी नागा तथा झारखंड की राजमहल पहाड़ियों की जनजातियॉ नीग्रीटो प्रजातीय प्रकार में सम्मिलित हैं, जिनका कद छोटा है, त्वचा का रंग काला, काले सख्त बाल, पतलें होंठ तथा नाक चौड़ी होती है।

आद्य–आस्ट्रेलायड प्रजातीय प्रकार के लोगों का छोटे से मध्यम कद, लम्बा तथा ऊँचा सिर, चौड़ा तथा छोटा चेहरा तथा छोटी चपटी नाक होती है। मध्य अथवा केन्द्रीय भारत की

अधिकांश जनजातियॉ इस प्रजातीय प्रकार में आती हैं, किन्तु कुछ दक्षिण भारतीय जनजातियॉ जैसे चेंचू, भील आदि भी इस प्रकार की प्रजातीय विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं।

जहॉ तक मंगोल प्रजातीय समूह का संबंध है, उत्तर–पूर्वी भारत की अधिकांश जनजातियॉ इस प्रजातीय प्रकार में सम्मिलित हैं तथा पीले रंग की त्वचा वाली होती हैं। उनके बाल सीधे तथा काले, चपटी नाक, गाल की उन्नत हड्डियॉ तथा अधिनेत्र वलि (एपिकैन्थिक) सहित बादाम के आकार जैसी ऑखें होती हैं। नागा, चकमा, लेप्चा आदि इस प्रजातीय समूह की कुछ महत्वपूर्ण जनजातियॉ हैं।

प्रजातियों का घुर्रा होने के कारण प्रजातीय वर्गीकरण की उपरोक्त योजना के बावजूद प्रजातीय दृष्टि से भारत की जनजातियॉ किसी एक विशिष्ट प्रकार अथवा क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं रखी जा सकती हैं। ऊपर सन्दर्भित सामान्यीकृत प्रकार सभी प्रकार की जनाजातियों का पूर्ण विवरण प्रस्तुत नहीं करते। इस प्रकार नीलगिरि पहाड़ियों के टोडा, एक उदाहरण के रूप में अब तक बिना किसी प्रजातीय नामपत्र के हैं। सीरम तथा भाषागत शोध किए जा रहे हैं किन्तु इनके द्वारा जनजातीय भारत की प्रजातीय संरचना के किसी नये पक्ष का प्रकट होना शेष है।

घ. आर्थिक वर्गीकरण

एडम स्मिथ का शास्त्रीय वर्गीकरण तथा थर्नवाल्ड एवं हर्सकोविट्स की अभिनव वर्गीकरण का, जनजातियों को आर्थिक तौर पर वर्गीकृत करने के लिए सारे विश्व में प्रयोग किया गया

है। थर्नवाल्ड द्वारा प्रस्तुत योजना को भारतीय संदर्भ में सर्वाधिक स्वीकार्य माना जाता है तथा यह निम्न प्रकार है:

1. पुरूषों के सजातीय शिकारी समुदाय तथा जाल डालने वाले, महिलायें, संग्रहकर्ता के रूप में। चेंचू, खड़िया तथा कोरबा जैसी कुछ भारतीय जनजातियॉ इस श्रेणी में आती हैं।
2. शिकारियों, जाल डालने वाले तथा कृषकों के सजातीय समुदाय–कामार, बैगा तथा बिरहोर भारत के कुछ उदाहरण हैं।
3. शिकारियों, जाल डालने वाले कृषकों और शिल्पियों के श्रेणीकृत समाज– अधिकांश भारतीय जनजातियॉ इस श्रेणी में आती हैं। चेरों तथा अगारिया तमाम ऐसी जनजातियॉ शिल्पी के रूप में प्रसिद्ध हैं।
4. पशुपालक– टोडा तथा भीलों की कुछ जनजातियॉ भारत में ऐसी श्रेणी का शास्त्रीय उदाहरण प्रस्तुत करती हैं।
5. सजातीय शिकारी तथा पशुपालक– इस श्रेणी का भारतीय जनजातियों में प्रतिनिधित्व नहीं है। टोडा शिकार नहीं करते और न वे मछली या चिड़िया पकड़ते हैं।
6. नृजातीय दृष्टि से स्तरीकृत पशुओं का प्रजनन एवं व्यापार करने वाले–उत्तरांचल के निचले हिमालय क्षेत्र के भोटिया याक का प्रजनन करवाते हैं तथा घुमन्तु व्यापारी हैं।
7. समाजिक दृष्टि से श्रेणीबद्ध पशुपालक– शिकारी (कृषक तथा शिल्पी जनसंख्या सहित)।

मजूमदार का मत है कि इस प्रकार का वर्गीकरण यद्यपि लाभप्रद है, तथापि अधिक सहायक नहीं है क्योंकि वर्गीकरण करने के प्रयास का प्रयोजन मुख्यतः जनजातीय समुदायों द्वारा अनुभूत आर्थिक कठिनाइयों के स्वरूप की ओर संकेत करना है। मुख्यतः औद्योगिक उपलब्धियों का अनुचिन्तन करते हुये आर्थिक जीवन दशा के आधार पर एक अधिक बेहतर तथा स्पष्ट वर्गीकरण करने का प्रयास किया जा सकता हैं।

1. वनों में शिकार करने वाली जनजातियॉ
2. पहाड़ी कृषि में संलग्न जनजातियॉ
3. समतल भूमि पर कृषि करने वाली जनजातियॉ
4. सरल कारीगर जनजातियॉ
5. पशुचारण जनजातियॉ
6. लोक कलाकारों के रूप में जीवन व्यतीत करने वाली जनजातियॉ
7. कृषि तथा अन्य प्रकार के श्रम में लगी जनजातियॉ
8. नौकरी तथा व्यापार में संलग्न जनजातियॉ

जो जनजातियॉ वनों में आखेट करके अपना जीवन व्यतीत करती हैं, वे अपनी जीविका का निर्वह कन्द–मूल तथा फलों के संग्रह, शिकार तथा मछली पकड़ने द्वारा करती हैं। जनजातियों का यह वर्ग अधिकतर दक्षिण भारत में पाया जाता है। आन्ध्र प्रदेश की चेंचू और चांडी, केरल के कादार, मालापत्रम व करूम्बा तथा तमिलनाडु के पलियान, अंदमान तथा निकोबार द्वीप समूहों के ओंगे, जरबा सेण्टनेलीज तथा निकोबारीज, दक्षिण भारत में रहने वाली कुछ महत्वपूर्ण जनजातियॉ हैं। उत्तरांचल के राजी, मेघालय के गारों, छोटानागपुर की बिरहोर,

कोरवा तथा पहाड़ी खड़िया तथा उड़ीसा की जुवांग भी इस वर्ग के कुछ उल्लेखनीय उदाहरण हैं। यद्यपि इन जनजातियों के कुछ समूह शनैः शनैः कृषि सीख रहे हैं फिर भी उनका सांस्कृतिक लोकाचार अब भी आखेट–संग्रह प्रकार का है।

भारतीय जनजातियों का एक बहुत बड़ा टकड़ा उत्तर–पूर्वी तथा मध्य अथवा केन्द्रीय भारत के पहाड़ी पथ पर झुम कृषि में आबद्ध है। कृषि का यह तरीका पारंपरिक स्थाई कृषि से भिन्न हैं। इस प्रणाली के अन्तर्गत झाड़ियॉ तथा वृक्ष काट कर जला दिये जाते हैं। इसके पश्चात् राख पर बीच छिड़क दिया जाता है तथा शेष प्रकृति पर छोड़ दिया जाता है।

असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम और त्रिपुरा की लगभग सभी जनजातियॉ इसी प्रकार की कृषि द्वारा फसल उत्पादन करती हैं। उड़ीसा की कुछ जनजातियॉ तथा मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ की गोंड व बैगा जनजातियॉ भी इसी प्रकार की कृषि में आबद्ध हैं।

सभ्य समूहों से करीबी संबंध व सम्पर्क के कारण अधिकतर भारतीय जनजातियों ने स्थायी कृषि को अपने जीवनयापन का साधन चुन लिया है। उनकी कृषि प्रविधियॉ तथा तरीके अन्य कृषक समूहों के समान हैं तथा वे बैलों, हल तथा अन्य कृषि उपकरणों का प्रयोग भी करते हैं, किन्तु उनकी अधिकांश भूमि असिंचित है, अतः वे प्रकृति की अनिश्चितता का शिकार होते हैं। वर्षा पर पूर्णरूपेण निर्भरता के अतिरिक्त कृषि के अन्य कारक जैसे– उर्वरक, उच्च पैदावार वाले अनाजों, कीटाणुनाशक आदि के अभाव में उन्हें निम्न एवं कम उपज से संतुष्ट रह जाना पड़ता है। संख्या की दृष्टि से बड़ी जनजातियों में ओरॉव, मुंडा, हो तथा संथाल सफल कृषक हैं।

कुछ भारतीय जनजातियॉ कुटीर उद्योगों द्वारा अपना जीवनयापन करती हैं। वे टोकरी तथा चटाई बनाने वाले, कपड़ा बुनने तथा लोहारी के कार्य में आबद्ध हैं तथा अपने जनजातीय तथा अजनजातीय पड़ोसी समाजों की आवश्यकताओं का अनुकरण करती हैं। कश्मीर के गुज्जर, हिमाचल प्रदेश के किन्नौरी लकड़ी का काम करते हैं, बिहार–झारखंड के असुर तथा मध्य प्रदेश–छत्तीसगढ़ के अगरिया लोहे को गलाने में दक्ष हैं, महाराष्ट्र के कोलाम पारंपरिक चटाई बुनने वाले हैं तथा तमिलनाडु के इरूला बॉस की सुन्दर चटाइयॉ तथा टोकरियॉ बनाते हैं।

जनसंख्या की दृष्टि से पूर्णरूपेण पशुचारक जनजातियॉ बहुत कम हैं, किन्तु नीलगिरि पहाड़ियों के टोडा, हिमाचल प्रदेश के गद्दे तथा बकरावल, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ की नगेशिया, गुजरात की मल्धान तथा उत्तरी व दक्षिणी भारत की कुछ अन्य जनजातियॉ इस वर्ग की जनजातियों के उल्लेखनीय उदाहरण हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि सभी पशुचारक जनजातियॉ दुग्ध व्यापार नहीं करती हैं, उनमें से कुछ भेड़ तथा बकरी जैसे पशुओं को बाजार के लिए पालते हैं।

जनजातियॉ का एक अन्य वर्ग नृत्य करके, कलाबाजी दिखाकर तथा सॉप नचाने आदि द्वारा अपनी जीविका का निर्वाह करता है, इसलिए उन्हें लोक कलाकार कहा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के नट तथा सॅपेरे इस श्रेणी के अच्छे उदाहरण हैं। उड़ीसा के मुण्डप्पटू कुशल नट हैं, तमिलनाडु के कोटा सॅपेरे हैं, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ के गोडों के कुछ समूह गोदना गोदने वाले तथा नर्तक हैं तथा पूर्वी भारत और दक्षिण भारत की कुछ अन्य जनजातियॉ भी इस श्रेणी में रखी जा सकती हैं।

कृषि मजदूरी में आबद्ध जनजातियों में वे हैं जो पारंपरिक दृष्टि से कृषक हैं, किन्तु अपनी भूमिहीनता के कारण कृषि मजदूरों के रूप में दूसरों की भूमि पर कार्य करते हैं। एक अनुदार अनुमान के अनुसार सम्पूर्ण जनजातीय जनसंख्या का पॉचवॉ भाग कृषि में श्रमजीवी के रूप में आबद्ध है। अकृषक जनजातीय श्रमबल में वे जनजातियॉ सम्मिलित हैं जो बिहार व झारखंड़, उड़ीसा तथा बंगाल के स्थानीय कारखानों तथा खानों में तथा असम व पड़ोसी क्षेत्रों के चाय बागानों में काम करते हैं।

संवैधानिक प्रावधानों के प्रयोग के फलस्वरूप अपेक्षाकृत छोटी संख्या में जनजातीय लोग सरकारी तथा अर्द्ध–सरकारी पदों पर भी कार्यरत हैं। इस प्रकार की जनजातियों में मेघालय, मिज़ोरम तथा नागालैण्ड और मुख्यतः छोटानागपुर की ईसाई जनजातियॉ सम्मिलित हैं।

च. सांस्कृतिक सम्पर्क पर आधारित वर्गीकरण

भारतीय जनजातियों को उनकी ग्रामीण व नगरीय समूहों से सांस्कृतिक दूरी के अनुसार भी वर्गीकृत किया जा सकता है। मजूमदार (1976) यह मत व्यक्त करते हैं कि यह तुलनात्मक दृष्टिकोण पुनर्वास योजना के मूल्यांकन के लिए सर्वाधिक उपयोगी है क्योंकि यह हमारा ध्यान जनजातीय भारत की उन समस्याओं की ओर केन्द्रित करता है जो ग्रामीण–नगरीय समूहों से अल्प व्यवस्थित सम्पर्क अथवा उनसे पृथक् रहने का परिणाम है।

वर्तमान शताब्दी के पॉचवें दशक में वेरियर एल्विन ने एक सुसीमांकित वर्गीकरण का प्रयास किया। उन्होंने चार प्रकार के आदिवासियों का वर्णन किया है :–

1. जो सर्वाधिक आदिम हैं तथा एक संयुक्त सामुदायिक जीवन व्यतीत करते हैं तथा कुल्हाड़े से कृषि करते हैं।
2. वे जो, यद्यपि अपने एकाकीपन तथा पुरातन परंपराओं से समान रूप से जुड़े हुये है, अपेक्षाकृत अधिक वैयक्तिक हैं, कुल्हाड़े से कम ही कृषि करते हैं, बाह्य जीवन में अधिक अभ्यस्त हैं तथा सामान्यतः प्रथम वर्णित श्रेणी की अपेक्षा कम सरल तथा ईमानदार हैं।
3. वे जो संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक हैं, जो बाह्य प्रभाव के कारण अपनी जनजातीय संस्कृति, धर्म तथा सामाजिक संगठनों की क्षति के कारण अपनी पहचान खो रहे हैं।
4. भील व नागा जैसी जनजातियॉ जो देश की प्राचीन कुलीनता की प्रतिनिधि कही जाती हैं, जो अपनी मूल जनजातीय जीवन को बचाये हुये हैं तथा जिन्होंने संस्कृति सम्पर्क की लड़ाई को जीत लिया है।

मजूमदार ने एल्विन के वर्गीकरण को ''धर्मयुद्धकर्त्ता के घोषणापत्र'' की संज्ञा उचित ही दी है। वह आगे कहते हैं कि यद्यति एल्विन का वर्गीकरण जनजातीय भारत में संस्कृति संकट के समकालीन चित्र की प्रस्तुति में सहायता करता है किन्तु पुनर्वास के कार्यक्रम के लिए एक आधार के रूप में यह स्वीकार्य नहीं है। वह वर्गीकरण की अपनी निजी योजना प्रस्तुत करते हैं। उनके अनुसार जनजातीय संस्कृतियॉ तीन समूहों में आती हैं।

1. जो ग्रामीण नगरीय समूहों से सांस्कृतिक दृष्टि से अधिक दूर हैं अर्थात् कमोबेश पृथक्कृत हैं।

2. जो ग्रामीण–नगरीय समूहों की संस्कृति के प्रभाव में हैं तथा जिन्हें परिणामस्वरूप परेशानियों तथा समस्याओं का सामना करना पड़ा है।
3. वे जो, यद्यपि ग्रामीण–नगरीय समूहों के सम्पर्क में हैं, जिन्होंने ग्रामीण–नगरीय संस्कृति में परसंस्कृति ग्रहण हो जाने के कारण किसी प्रकार का संकट नहीं उठाया, अथवा उन्होंने वस्तुस्थिति को पलट दिया और अब कोई संकट नहीं उठाते, भले ही उन्हें अतीत में ऐसा करना पड़ा हो।

मजूमदार, एल्विन की इस बात से सहमत हैं कि सभ्य संसार से प्रत्येक सम्पर्क जनजातियों के लिए कष्ट लाता है। वह यह आधार लेते हैं कि हमारा लक्ष्य जनजातीय समुदायों के इन सभी प्रकारों को आगे ले जाना होना चाहिये तथा नियोजित दशाओं के अंतर्गत ग्रामीण–नगरीय समूहों तथा उनके मध्य स्वस्थ एवं सृजनात्मक सम्पर्क स्थापित करना चाहिये।

भारतीय समाज कार्य अधिवेशन (1952) के पश्चात् एक जनजातीय कल्याण समिति गठित की गई जिसने निम्नलिखित वर्गीकरण का सुझाव दिया था :–

1) जनजातीय समुदाय

2) अर्द्ध–जनजातीय समुदाय

3) परसंस्कृतिकृत जनजातीय समुदाय

4) पूर्णरूपेण आत्मसात्कृत जनजातियॉ।

छ. धार्मिक विश्वासों पर आधारित वर्गीकरणः

भारत के मुख्य धर्मों ने विभिन्न जनजातीय धर्मों तथा देवकुलों को विविध रूपों में प्रभावित किया है तथा केवल वे जनजातीय समुदाय ही अब भी अपने मूल धार्मिक विश्वासों को षुद्धता से कायम रखे हैं जो घने बसे वनों में नितांत एकाकी सामाजिक अस्तित्व का जीवन व्यतीत कर रहें हैं। 1961 तथा 1971 की जनगणना के ऑकड़ों के आधार पर जनजातियों को निम्नलिखित धर्मों में वर्गीकृत किया जा सकता हैः–

1. हिन्दू
2. ईसाई
3. बौद्ध
4. इस्लाम
5. जैन धर्म
6. अन्य धर्म

उपरोक्त वर्णित धर्मों में से सभी जनजातियों पर हिन्दू धर्म का प्रभाव बहुत अधिक है तथा लगभग 90% जनजातियॉ किसी न किसी रूप में हिन्दू धर्म का अनुसरण करती हैं। जिन्होंने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया है उनकी संख्या भी पर्याप्त है तथा लगभग 6 प्रतिशत लोग ''क्रास की छाया'' में हैं। किन्तु जो बौद्ध धर्म, इस्लाम अथवा जैन धर्म का अनुसरण करते हैं उनकी संख्या अत्यंत कम है। इस सन्दर्भ में एक महत्वपूर्ण बिन्दु जिसे मस्तिष्क में रखना है, वह यह है कि वे जनजातियॉ जिन्होंने उपरोक्त वर्णित मुख्य धर्मों में से किसी को अंगीकार

कर लिया है, उनके लिये यह आवश्यक नहीं कि उन्होंने अपने जनजातीय विश्वास को छोड़ दिये हों, बल्कि उनमें से अनेक अपने पारंपरिक विश्वास का भी व्यवहार करती पायी जाती हैं।

जब हम भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में स्थिति को देखते हैं तो हम पाते हैं कि बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर के अन्तर्गत आने वाले द्वीपों में बसने वाली जनजातियों को छोड़कर पश्चिमी भारत तथा मध्य भारत के साथ दक्षिणी भारत की जनजातियों में अधिकतर कमोबेश हिन्दू विश्वास वाले हैं। उत्तर–पूर्वी भारत की अधिकांश जनजातियों में ईसाई धर्म ने बहुत अधिक सफलता प्राप्त की है तथा नागालैण्ड तथा मिजोरम की 90 प्रतिशत जनसंख्या ईसाई धर्म का अनुसरण करती है। मध्य भारत में छोटानागपुर की कुछ मुख्य जनजातियॉ भी ईसाई धर्म को मानती हैं और इनमें से ओरांव, मुडा तथा हो उल्लेखनीय हैं। इस्लाम का अनुसरण करने वाली जनजातियॉ अधिकतर लक्षद्वीप, हिमाचल प्रदेश, पश्चित बंगाल, महाराष्ट्र और जम्मू तथा कश्मीर में तितर–बितर फैली हैं। इस प्रकार की जनजातियों में लक्षद्वीप, मिनीकाय, व अमीनदीवी द्वीप समूहों की मूल जनसंख्या का लगभग 90 प्रतिशत इस्लाम के मानने वाले हैं। भारतीय जनजातियों में अरूणाचल प्रदेश तथा उत्तरांचल के कुछ जनजातीय समूह बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं।

2:2:3 जनजातीय विकास :

'विकास' एक जटिल एवं निरंतर प्रक्रिया है। इसे विभिन्न दृष्टिकोणों से चित्रित किया गया है। समाजवेत्ता विकास की व्याख्या सामाजिक विभेदीकरण तथा सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में करते हैं। अर्थशास्त्री विकास को आर्थिक उत्पादन एवं उच्च जीवनयापन के ढ़ंग से

सम्बद्ध करते हैं। राजनीतिशास्त्री प्रजातांत्रिक सहभागिता के संदर्भ में विकास का मार्ग ढूंढ़ते हैं। प्रशासनिक अधिकारी विकास की खोज एवं प्रसार दफ्तरशाही अनुपालन के माध्यम से करते हैं। इन सभी दृष्टिकोणों के पीछे सामान्य सी बात है–'मानव जीवन के गुणात्मक पक्ष में वृद्धि।'

भारतीय संविधान में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना के लिए आदर्श ढ़ांचे की संकल्पना है। इसी के तहत बहुआयामी कार्ययोजना को संकल्प संयोजित है। संविधान के अनुच्छेद–46 का संदर्भ लें। समाज के निर्बल वर्ग में विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियां सदियों से ही देश की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में सबसे निचले स्तर पर जीवन–यापन के लिए मजबूर रही हैं। इनकी आर्थिक प्रगति के चरण विभिन्न रहे हैं। अतएव उनकी स्थिति के अनुसार कार्यक्रम तय करना अनिवार्य समझा गया। इसे राष्ट्रीय कार्यक्रम घोषित किया गया है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त संविधान निर्माताओं ने पूर्व गठित कमेटियों के प्रतिवेदनों को ध्यान में रखते हुए जनजातीय क्षेत्रों तथा दलित हिन्दु जातियों के लिए विशेष प्रावधान निश्चित किये हैं। 26 जनवरी,1950 से संविधान लागू होने के बाद सम्पूर्ण भारतीय जनजातियां अत्यधिक रूप से प्रभावित हुई हैं लेकिन जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उत्तादायित्व केन्द्र व राज्य की सरकारों का हो गया।

संवैधानिक प्रावधानः

1. संविधान के अनुच्छेद 244 (1) में अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति पर नियंत्रण तथा उनके प्रशासन पर संरक्षण प्रदान करने की बात कही गई है।

2. अनुच्छेद 244 के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ केन्द्र सरकार को नियन्त्रण का अधिकार प्राप्त है।
3. अनुच्छेद 339 (2) में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन सम्बन्धी संरक्षण की व्यवस्था है। संविधान की पंचम और षष्टम अनुसूचियों में इन्हें विशेष तौर पर बताया गया है कि ऐसे क्षेत्र कहां हैं।
4. अनुच्छेद 275 (1) में राज्य सरकारों को भी अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए विकासकारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अनुदान उपलब्ध कराने की व्यवस्था की बात है। इसके तहत राज्य सरकारों को यह भी अधिकार प्राप्त है कि वह जनजातीय क्षेत्र में प्रशासन का स्तर, सामान्यजनों के प्रशासन के स्तर पर विकसित करें।
5. अनुच्छेद 342 में जनजातीय क्षेत्रों में विभिन्न जनजातीय समूह को 'अनुसूचित जनजाति' बताने की बात कही गयी है।
6. अनुच्छेद 330, 332, 334 के अनुसार, अनुसूचित जनजातियों के लिए 25 जनवरी, 2010 तक लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में विशेष प्रतिनिधित्व (आरक्षित सीट) की व्यवस्था है।
7. अनुच्छेद 164 तथा 338 और पंचम अनुसूची में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण तथा हितों की रक्षा के लिए राज्यों में सलाहकार परिषद् तथा पृथक विभागों की स्थापना करने तथा केन्द्र में विशेष अधिकारी की नियुक्ति की बात है।
8. संविधान के अनुच्छेद 335 में विभिन्न सरकारी सेवाओं (इसमें प्रशासनिक सेवाएं भी शामिल हैं) में अनुसूचित जनजातियों के दावों पर ध्यान देने की बात सन्निहित है।

अनुसूचित क्षेत्रः

संविधान के खण्ड के तहत अनुच्छेद 244 (1) तथा 244 (2) में अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान है। संविधान की पांचवीं अनुसूची में इसका विवरण है। भारत का राष्ट्रपति किसी भी राज्य का कोई क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। दूसरे शब्दों में, यह देश के राष्ट्रपति द्वारा घोषित किसी राज्य का वह भूखण्ड है जहां अनुसूचित जनजातियां रहती हैं। 1977 के अंत से अब तक दो राष्ट्रपतियों ने अनुसूचित क्षेत्र घोषित किये हैं। यह क्षेत्र निम्न राज्यों के हैंः आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। सम्प्रति देश में 4,17,199 वर्ग किलोमीटर अनुसूचित क्षेत्र है जहां 429.41 लाख अनुसूचित जनजातियों की आबादी है।

दृष्टव्य है कि अनुसूचित क्षेत्र के लिए उक्त राज्यों के राज्यपाल यदि चाहें तो सामान्य कानूनों को जनजातियों पर लागू करते समय परिवर्तन या परिसीमन कर सकते हैं। वे इन घोषित क्षेत्रों में शांति बनाए रखने एवं प्रशासन के भली–भांति संचालन के लिए नियम भी बना सकते हैं। ये नियम पंचम अनुसूची में वर्णित भूमि हस्तांतरण को रोकने, भूमि आवंटन करने, व्यापारियों एवं महाजनों की गतिविधियों को नियंत्रित करने आदि के बारे में हो सकते हैं। राज्यपाल राज्य के उन अनुसूचित जनजातियों की विशेष कानून के दायरे में ला सकते हैं जो वास्तव में अनुसूचित क्षेत्र में नहीं रहते हैं। इसकी सूचना वह राष्ट्रपति को दे देता है। विभिन्न राज्यों में इस संबंध में नियम बनाये जा चुके हैं। कुछ राज्यों ने अपने पूर्व अधिनियमों में जनजातियों के हितार्थ आवश्यक परिवर्तन भी किया है।

पंचम अनुसूची में इसका भी प्रावधान है कि राज्यपाल अपने राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के लिए जनजातिय सलाह परिषद की स्थापना करेगा। साथ ही उन राज्यों में भी इस प्रकार की सलाह परिषद स्थापित हो सकती है जहां अनुसूचित जनजातियां हैं किन्तु अनुसूचित क्षेत्र घोषित नहीं है।

अनुसूचित जनजातियों के लिए आयुक्तः

संविधान के अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है। संविधान के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रदत्त सुरक्षाओं से संबंधित सभी मामलों की जांच करने का दायित्व इस अधिकारी का होगा।

भारत सरकार ने 14 नवम्बर, 1950 को एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया और उन्हें अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए एक अधिकारी को आयुक्त के पद पर मनोनीत किया। आयुक्त को सुरक्षा संबंधी सभी मामलों की जांच करने का दायित्व सौंपा गया। जनजातिय लोगों और सम्बद्ध सरकारों से सम्पर्क बनाए रखना, उनके कार्यक्रमों की जांच करना तथा उनकी योजनाओं के लिए उन्हें मार्गदर्षन देना आदि प्रमुख कार्य है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का राष्ट्रीय आयोगः

संविधान (65 वां संशोधन) के अधिनियम 1990 के अन्तर्गत अनुच्छेद 338 में नियुक्त विशेष अधिकारी (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त) की जगह राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया। इसमें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और चार सदस्य हैं। यह व्यवस्था सितम्बर, 1987 से ही लागू कर दी गई थी। इन्हें अलग–अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

हाल ही में पुनर्गठन के बाद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों दोनों के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग अधिकारी व शोधकर्ता कार्यरत हैं। इनमें अध्यक्ष व सदस्य भी शामिल हैं। आयोग के निम्न कार्य निर्धारित किये गये हैं–

1. संविधान में उस समय के कानूनों में और सरकारी आदेशों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो उपाय बनाये गये हैं, वे किस तरह लागू किये जाते हैं? आयेग इस बात की जांच करेगा और मूल्यांकन भी करेगा।
2. इन अधिकारों से वंचित किये जाने की विशिष्ट शिकायतों की जांच करेगा।
3. इन जातियों के सामाजिक व आर्थिक विकास की योजनाएं तैयार करने में भाग लेगा तथा सलाह देगा और प्रगति का मूल्यांकन करेगा।
4. आयोग राष्ट्रपति को इस बात की वार्षिक रिपोर्ट देगा कि ये कितने कारगर ढ़ंग से लागू किये जा रहे हैं। यह रिपोर्ट जरूरत पडने पर कभी भी दी जा सकती है।
5. इन रिपोर्टों के बारे में सिफारिशें भी की जाएंगी कि उन्हें कारगर ढ़ंग से लागू करने के लिए तथा उनके आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए अन्य क्या कदम उठाए जाएं।

6. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संरक्षण, विकास, प्रगति के बारे में आयोग को राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गये अन्य काम पूरा करना है। यदि इस रिपोर्ट का कोई भाग किसी राज्य से सम्बद्ध होगा तो उसे उसी राज्य विधानमण्डल में प्रस्तुत किया जायेगा। वहां भी उपर्युक्त प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

पंचवर्षीय योजनाः

स्वतंत्र भारत में जनजातीय विकास कार्यक्रमों को देश की 'पंचवर्षीय योजना' नीतियों के अनुरूप समाहित किया गया है। सन् 1950 ई. में योजना आयोग का गठन किया गया था। यह एक उच्चतम केन्द्रीय संस्था है जिसके माध्यम से सम्पूर्ण देश में विकास योजनाओं का कार्यान्वयन होता है। विभिन्न राज्यों से इसका सम्पर्क राष्ट्रीय विकास परिषद (एन.डी.सी.) के द्वारा रहता है।

प्रथम चार पंचवर्षीय योजनाओं (1951–1974) तक यानि चौबीस वर्षो में कुल योजना व्यय का एक प्रतिशत से कम राशि जनजातियों के लिए थी। वास्तव में प्रथम योजना के बाद प्रतिशत और भी कम होता गया।

पांचवीं योजना के पूर्व योजना आयोग ने पिछड़े वर्गों के सभी समुदायों के कल्याणार्थ एक विशेष कमेटी गठित की। इसके सदस्यों में स्वर्गीय एल.पी. विद्यार्थी और एस.सी. दुबे सहित अन्य जाने–माने मानवशास्त्री सम्मिलित थे। उक्त समिति के सुझावों के आधार पर आदिवासी विकास हेतु एक विशेष दृष्टिकोण 'जनजातीय उपयोजना' का उद्‌भव हुआ।

जनजातीय उपयोजना (ट्राईबल सब प्लान):

पांचवी पंचवर्षीय योजना के आरंभिक वर्षों में देश की जनजातियों व अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में विकास प्रखण्डों और बहुउद्देशीय विकास प्रखण्डों के माध्यम से कल्याणकारी कार्यक्रम चलाये गये। इस तरह के कार्यक्रमों का एक सामान्य उद्देश्य जनजातियों का सामाजिक व आर्थिक विकास करना था। इसे 'सेक्टरोल' कार्यक्रम भी कहा गया है। सेक्टरोल का तात्पर्य है विभिन्न क्षेत्रों जैसे–कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई आदि के लिए पृथक कार्यक्रम।

जनजातीय उपयोजना विकास की एक संकल्पना है। इसके अन्तर्गत पंचवर्षीय योजना को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक राज्य और केन्द्रीय क्षेत्र अपने अधीन जनजाति विकास हेतु पांच वर्षीय कार्यक्रम तय करता है। इस कार्यक्रम को योजना आयोग एवं जनजातीय कार्य मंत्रालय भली–भांति जांच करता है और राज्य सरकारों को दिशा–निर्देश देते हुए कार्यक्रम अनुमोदित करता है। देश की पंचवर्षीय अवधि के समानान्तर ही इस उपयोजना की अवधि है। अर्थात् दोनों साथ–साथ चलने वाली पांच वर्षीय पृथक–पृथक योजनाएं हैं।

जनजातीय उपयोजना के अंगः

उपयोजना की इकाई एक विशिष्ट क्षेत्र माना गया। प्रत्येक इकाई के लिए योजनाबद्ध तरीके से परियोजनाएं (प्रोजेक्ट) निर्धारित की गई तथा अभी भी की जा रही है। परियोजनाओं में केन्द्र और राज्य के विभिन्न सेक्टरों द्वारा जनजातिय विकास में भागीदारी के दृष्टिकोण से जनजातिय जनसंख्या की तीन कोटियां बनाई गई–

1. जनजातीय बहुल राज्य और केन्द्र क्षेत्र
2. राज्य और केन्द्र क्षेत्र में सघन जनजातिय संकेन्द्रण वाले क्षेत्र

3. राज्य व केन्द्र क्षेत्र का वह भाग जहां बिखरी जनजातियां हों

वास्तव में ये तीन कोटियां क्षेत्रीय नीति के अनुसार निर्मित हैं। उपर्युक्त तीन कोटियों के लिए जनजातिय विकास हेतु रणनीतियां बनाई गई हैं। उदाहरण के तौर पर उपरोक्त प्रथम कोटि में आने वाली जनजातियों के लिए कोई विशेष उपयोजना की जरूरत महसूस नहीं हुई क्योंकि ऐसे राज्यों की विकास योजनाएं मुख्यतः बहुसंख्यक जनजातिय जनसंख्या के लिए ही थी।

भारतीय संविधान में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना के लिए आदर्श ढ़ांचे की संकल्पना है। इसी के तहत बहुआयामी कार्ययोजना को संकल्प संयोजित है।

संविधान के अनुच्छेद–46 का संदर्भ लें। समाज के निर्बल वर्ग में विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियां सदियों से ही देश की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में सबसे निचले स्तर पर जीवन यापन के लिए मजबूर रही हैं। इनकी आर्थिक प्रगति के चरण विभिन्न रहे हैं। अतएव उनकी स्थिति के के अनुसार कार्यक्रम तय करना अनिवार्य समझा गया। इसे राष्ट्रीय कार्यक्रम घोषित किया गया है।

2:2:4 मॉस मीडिया–एक परिचय

मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ कहा जाता है। लोकतंत्र के तीन स्तम्भों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बाद मीडिया को लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है।

मीडिया के कई रुप हैं–प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ट्रेडिशनल मीडिया और न्यू मीडिया। इसके साथ ही सामुदायिक मीडिया और सोशल मीडिया। इन सभी मीडिया की भूमिका को आदिवासी विकास के नजरिए से समझा जा सकता है–

प्रिंट मीडियाः प्रिंट मीडिया के अन्तर्गत समाचार–पत्र, पत्रिकाएं और प्रिंटेड सामग्री आती हैं। आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर कम है और प्रिंट मीडिया का उपयोग करने के लिए पढ़ा–लिखा होना एक अनिवार्य शर्त है। इस नजरिए से आदिवासी इलाकों में प्रिंट मीडिया ज्यादा सफल नहीं हो सकता। सामुदायिक समाचार पत्र और पत्रिकाओं के माध्यम से प्रिंट मीडिया गांवों तक पहुंच रहा है।

इलेक्ट्रॉनिक मीडियाःइसके अन्तर्गत रेडियो, टेलीविजन और फिल्में आती हैं। आदिवासी इलाकों में रेडिया एक सस्ता, सुलभ और प्रभावी माध्यम है। रेडियो सरकारी और गैर सरकारी दो तरह के हैं। सरकारी रेडियो यानि आकाशवाणी की पहुंच 99 प्रतिशत क्षेत्रों तक है। इसके कार्यक्रम विशिष्ट श्रोतावर्ग को ध्यान में रखकर प्रसारित किये जाते हैं–जिनमें युवाओं के लिए 'युववाणी', किसानों के लिए 'खेती–किसानी' या 'चौपाल', बच्चों के लिए 'बाल जगत' इत्यादि शामिल हैं। निजि रेडियो के प्रसारण अभी गांवों तक पूर्ण रुप से नहीं पहुंच सके हैं। आदिवासी इलाकों में टेलीविजन अभी भी दूर की कौड़ी है।

परंपरागत माध्यम–पंरपरागत माध्यमों के अन्तर्गत लोकगीत, लोक कला, लोक गाथा, लोक कथा, लोक नृत्य, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली नाच इत्यादि आते हैं। यह मीडिया भारत की परंपराओं से बना है इसलिए इसे परंपरागत माध्यम कहा जाता है। वास्तव में यही एक महत्वपूर्ण माध्यम है जो आदिवासी क्षेत्रों के विकास में पूरी तल्लीनता से अपना योगदान दे रहा है। इतना महत्वपूर्ण होने के बावजूद यह माध्यम अन्य माध्यमों की अपेक्षा पिछड़ा हुआ है।

इस माध्यम में अन्य माध्यम/मीडिया की अपेक्षा कम खर्च आता है और प्रभावशीलता सबसे अधिक रहती है, फिर भी यह माध्यम सबसे उपेक्षित है। आज भी यह माध्यम अपनी भूमिका वखूबी निभा रहा है, लेकिन सरकार की उपेक्षा से इसमें हरास होता नजर आ रहा है। इसमें आर्थिक लाभ नहीं मिलता। इस माध्यम के कलाकार अन्य रोजगार या पेशा करने को मजबूर हैं क्योंकि इससे उनके परिवार को फांके की नौबत आ गई है। यह चिन्ता का विषय है।

न्यू मीडिया– इंटरनेट के आने के बाद जब इंटरनेट का इस्तेमाल मीडिया के लिए किया गया तो उसे न्यू मीडिया कहा गया। इसमें वेबसाइट, ई–मेल, ई–समाचार पत्र, ई–मैगेजीन, ब्लाग, वेब पोर्टल, इत्यादि आते हैं। आज भी भारत में इंटरनेट के उपभोक्त कुल जनसंख्या के लगभग 6 प्रतिशत ही हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में यह प्रतिशत और भी कम है। ऐसे में आदिवासी विकास में न्यू मीडिया की भूमिका बहुत ही कम है या नगण्य है।

सामुदायिक मीडिया–प्रत्येक समुदाय की अपनी–अपनी विशेषताएं होती हैं। उनकी अपनी समस्याएं और संभावनाएं होती हैं। अलग–अलग समुदाय के विकास के लिए उपयोग में लायी

जाने वाली मीडिया को सामुदायिक मीडिया कहते हैं। इसमें सामुदायिक समाचार–पत्र, सामुदायिक पत्रिकाएं, सामुदायिक रेडियो, सामुदायिक टीवी आते हैं। आदिवासी क्षेत्रों के विकास में और जागरुकता फैलाने में सामुदायिक मीडिया बहुत कारगर है। इसमें समुदाय की जरुरतों, आवश्यकताओं, समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उन्हीं की भाषा में विभिन्न कार्यक्रम तैयार किये जाते हैं। सामुदायिक रेडियो और सामुदायिक टीवी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकारी द्वारा आदिवासी क्षेत्रों के लिए बनायी जाने वाली योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों को सामुदायिक मीडिया के माध्यम से आसानी से लोगों तक पहुंचाया जा सकता है।

सोशल मीडिया– सोशल मीडिया को मुख्य मीडिया के अन्तर्गत नहीं रखा गया है। लेकिन कभी–कभी यह मुख्य मीडिया से अधिक प्रभावशाली होता है। इसमें सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है। फेसबुक, ट्वीटर, लिंकेड, गूगल प्लस जैसी वेबसाइट इसके वाहक हैं। इसके माध्यम से किसी राष्ट्रीय महत्व के विषय को आसानी से लोगों तक पहुंचाना संभव है और लोगों की एक राय बनाना और सहमति कायम करना आसान है। इनसे जुड़ने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लेकिन आदिवासी क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच नगण्य है।

2:3:1 छत्तीसगढ़ राज्य : एक अध्ययन

राज्यपालः **श्री बलराम जी टंडन**

मुख्यमंत्रीः **डॉ. रमन सिंह**

लोकसभा सीटः**11**

विधानसभा सीटः **91**

छत्तीसगढ़ राज्य, दिनांक 01 नवंबर, 2000 को अलग होकर अस्तित्व में आया। छत्तीसगढ़ राज्य के 18 जिले निम्नानुसार हैं–

रायपुर, धमतरी, महासमुंद, दुर्ग, राजनांदगांव, कवर्धा, बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, रायगढ़, बिलासपुर, जांजगीर–चांपा, कोरबा, जशपुर, अंबिकापुर, कोरिया, नारायणपुर और बीजापुर। इनमें बस्तर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कांकेर, सरगुजा, कोरिया, कोरबा एवं जशपुर पूर्ण रूप से आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। राज्य में कुल 146 विकासखंड हैं, इनमें आदिवासी विकासखंडों की संख्या 85 है।

छत्तीसगढ़ राज्य में 11 लोकसभा (5 सामान्य, 4 अनुसूचित जनजाति, 02 अनुसूचित जाति) एवं 90 विधानसभा क्षेत्र हैं। विधानसभा क्षेत्रों में 34 क्षेत्र अनुसूचित जनजाति एवं 10 अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित हैं।

राज्य में अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु आदिवासी उपयोजना की अवधारणा जारी है। प्रमुख जनजाति गोंड तथा इसकी उपजातियां–माडिया, मुरियाख दोरला आदि हैं। इनके अतिरिक्त उरांव, कंवर, बिंझवार, बैगा, भतरा, कमार, हल्बा, संवरा, नगेशिया, मझवार, खरिया और धनवार जनजाति काफी संख्या में हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य में 5 विशेष पिछड़ी जनजातियां–बैगा, कमार, हिल कोरबा, बिरहोर और अबूझमाड़िया निवासरत हैं। इनके आर्थिक सामाजिक तथा क्षेत्रीय विकास को दृष्टिगत रखते हुए राज्य में 6 पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरण गठित हैं।

2:3:2 छत्तीसगढ़ का इतिहास

अतीत से ही हिन्दुस्तान के ह्रदय स्थल मध्यप्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से पर अवस्थित छत्तीसगढ़ का क्षेत्र का अपना एक विशिष्ट सांस्कृतिक महत्व रहा है। कालांतर में इसका ऐतिहासिक महत्व युगानुरूप स्पष्ट होता गया यद्यपि आज भी व्यापक अन्वेषण की आवश्यकता है जिससे यहां की स्वर्णिम आभा इतिहास के पृष्ठों पर परिलक्षित हो सके। आज का यह छत्तीसगढ़ अतीत काल में दक्षिण कोशल, महाकोशल, महाकान्तार, दण्कारण्य, आदि नामों से जाना जाता था और हर युग में इसका अपना एक विशेष महत्व था। प्रागैतिहासिक युग, वैदिक युग, मौर्य काल, गुप्त काल, राजपूत काल, कलचुरि काल, मराठा युग एवं आंग्ल युग में समयानुरूप यहां परिवर्तन होता रहा। वक्त के साथ यह बदलता रहा, विदेशी आक्रांताओं के पदार्पण से भारत में जो परिवर्तन हुआ उसमें यह भी सहभागी था, इसका गौरवपूर्ण प्रामाणिक पृष्ठ यत्र–तत्र बिखर गये, जिसे संग्रहित करना शोध का एक आयाम है और शोधकर्ता का परम दायित्व है। इसी श्रृंखला में छत्तीसगढ़ की माटी ने मुझे आव्हान किया कि मैं उसकी महत्ता के प्रतिपादन में अपना सहयोग देते हुए कर्तव्य का निर्वहन कर सकूं।

भौगोलिक परिचय

आधुनिक मध्यप्रदेश के छत्तीसगढ़ बेसिन क्षेत्र के मध्य में विद्यमान हैं। पश्चिम से पूर्व यह सकरा है। तलीय चित्र स्थूल दृष्टि से देखने पर पंखे के आकार का भाषित होता है। यहां पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों की बहुलता है। महानदी एवं उसके सहायक नदियों के द्वारा मैदानी क्षेत्र प्रभावित है जिसकी लम्बाई 80 मील से लेकर चौड़ाई 200 मील तक मिलती है। इसके पश्चिमार्द्ध में महानदी और शिवनाथ का दोआब आता है। इसके मुख्यतः तीन प्राकृतिक खण्ड बनते हैं–

मध्यप्रदेश राज्य का पूर्वांचल रहा है छत्तीसगढ़। यह प्रदेश 16^0 46′ 3^0 आक्षांश से 24^0 06 3^0 अक्षांश तक तथा 80^0 15′ पूर्व देशांश से 84^0 51′ पूर्व देशांश तक, 1,35,133 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है जो भारत के 4.14 प्रतिशत क्षेत्र में विस्तृत है। छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदियों में महानदी, शिवनाथ, इन्द्रावती, हसदो, अरपा है। महानदी छत्तीसगढ़ के प्रायः अधिकांश नदियों को सम्मिलित करके उसे बंगाल की खाड़ी में ले जाती है।

सम्प्रति छत्तीसगढ़ के अन्तर्गत सोलह जिले हैं– रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा, रायगढ़, राजनांदगांव, महासमुंद, धमतरी, कांकेर, दंतेवाड़ा, कवर्धा, जशपुर, कोरिया, कोरबा, चांपा–जांजगीर।

प्राचीन काल में यह क्षेत्र दक्षिण कोशल भी कहलाता था। भारत के अत्यन्त प्राचीन ग्रंथ वाल्मिकि रामायण में दो कोशल का उल्लेख है– पहला उत्तर कोशल, दूसरा दक्षिण कोशल। वायु पुराण में कोशल देश के सात खंडों का नाम – 1. मेकल कोशल, 2. क्रांति कोशल, 3. चेदि कोशल, 4. दक्षिण कोशल, 5. काशि कोशल, 6. पूर्व कोशल, 7. कलिंग कोशल दिया है। इसी प्रकार दण्कारण्य की स्थिति भी इसी क्षेत्र में मानी जाती है– ''रामायण के अनुसार दण्डकारण्य ही में श्रीराम के लोकोद्धार सम्बन्धी कार्यों की नींव पड़ी थी और यहां कितने ही स्थान उनकी स्तुतियों में अभी तक सुरक्षित रखे हुए हैं।'' कतिपय विद्वान वर्तमान अमरकंटक में लंका की स्थिति मानते हैं। पं. लोचन प्रसाद पांडेय के अनुसार दक्षिण कोशल की सीमा इस प्रकार था – उत्तर में गंगा, दक्षिण में गोदावरी पश्चिम में उज्जैन और पूर्व में पूर्वी समुद्र तटवर्ती पाली। सन् 1114 के एक शिलालेख में दक्षिण कोशल का उल्लेख मिलता है। उसकी प्रथम पंक्ति इस प्रकार है – ''लाढ़ दक्षिण कोसलान्ध्रखिमड़ी लंजिका।'' ''मध्यप्रदेश का दक्षिणी

पूर्वीय भाग जिसे छत्तीसगढ़ कहा जाता है, प्राचीन काल में दक्षिण कोशल कहा जाता था और उसमें न केवल वर्तमान रायपुर, दुर्ग, बस्तर, बिलासपुर, सरगुजा और रायगढ़ जिलों का क्षेत्र अपितु उड़ीसा के सम्बलपुर जिले का भी बहुत सा भू–भाग सम्मिलित था। यह प्रदेश मैकल, रायगढ़ और सिहावी की पहाड़ियों से घिरा हुआ तथा महानदी और उसकी सहायक शिवनाथ, मांढ, खारून, जोंक और हसदो नदियों के जल से सिंचित है। इन नदियों के तट पर विभिन्न सभ्यताओं का उदय और विकास हुआ जिनके अवशेष बिखरे होने पर भी छत्तीसगढ़ के प्राचीन गौरव की झांकी प्रस्तुत करने में समर्थ है। मुगलशाही जमाने में दक्षिण कोशल का नाम छत्तीसगढ़ हो गया था क्योंकि इस राज्य में 36 गढ़ थे।

आधुनिक युग में इस क्षेत्र का नाम 'छत्तीसगढ़' पडा। जिसके सम्बन्ध में विचार एवं तिथि निर्णय निश्चित नहीं हो पाया है। इस संबंध में विभिन्न विद्वानों का मत अधोलिखित अनुसार है– ''छत्तीसगढ़ का नाम लोकोक्ति के अनुसार वहां पर छत्तीस किले होने से पडा।'' इस नाम का कब प्रचार हुआ इसका पता नहीं चलता। हैहयवंशी राजा रतनपुर में राज करते थे। उनके हिसाब की किताबों से उसे कमिश्नरी में 48 गढ़ों का होना पाया जाता है। कदाचित पहले–पहले 36 ही किले रहे हों, पीछे बढ़कर 48 हो गए हों। अनुमान किया जाता है कि छत्तीसगढ़ कदाचित चेदीशगढ़ का अपभ्रंश हो अर्थात् चेदिवंश के राजाओं का गढ़। छत्तीसगढ़ प्राचीन चेदिशगढ़ का एक टुकड़ा था। यदि तमाम भाग चेदि देश में शामिल न भी रखा हो तो भी वह चेदि देश के राजाओं के अधिकार में सैकड़ों वर्ष तक रहा हो। चेदि देश के कलचूरि राजाओं की मुख्य राजधानी जबलपुर जिले में त्रिपुरी अर्थात् तेवर में थी। वहां से उत्तर और पूर्व के प्रांतों का शासन होता था। उस राजवंश की एक शाखा तुम्माण और उसके

पश्चात रतनपुर में राज करती थी। उसके अधिकार में वर्तमान मुख्य छत्तीसगढ़ कमिश्नरी शामिल थी। लाल प्रदुम्न सिंह ने 'महाकोशल' को ही छत्तीसगढ़ माना है। ''रतनपुर के राजा लोगों ने 36 किलों पर राज्य किया, इसलिए वह देश छत्तीसगढ़ के नाम से प्रसिद्ध हुआ।'' साहित्य में छत्तीसगढ़ का प्रयोग प्रथम बार खैरागढ़ राज्य के चारण कवि दलराम राव के रचना में पाया जाता है जो इस प्रकार है। वह अपने राजा लक्ष्मीनिधि राय से सन् 1487 में अपना एक प्रशस्ती में कहता है।

इसके अतिरिक्त रतनपुर के कवि गोपाल मिश्र ने ''खूब तमाशा'' में सन् 1689 में तथा 150 वर्ष बाद बाबू रेवाराम ने ''विक्रम विलास'' में इसका प्रयोग किया है। किसी राज्य की समर विजयिनी शांति का अनुमान लगाने तथा महत्ता की ओर इंगित करने के लिए उनके राज्य के अन्तर्गत गढ़ों की संख्या की गणना की जाती थी। जैसे बावनगढ़ मंडला, सोरागढ़ नागपुर, बाइसगढ़ उड़ियान, अठारहगढ़ रतनपुर, अठारहगढ़ रायपुर आदि। सच्चाई यह जान पड़ती है कि छत्तीसगढ़ के नामकरण में भी 36 गढ़ों का ही आधार है। इन गढ़ों में 18 गढ़ शिवनाथ नदी के उत्तर में थे और शेष 18 गढ़ उसके दक्षिण में। कालान्तर में उत्तर में स्थित गढ़ रतनपुर राज्य के अधीर रहे। और दक्षिण के गढ़ रायपुर राज्य के अधिकार में चले गए। इन गढ़ों की सूचियां विजम और हेविट द्वारा लिखी रिपार्ट में दी गई है। रतनपुर में प्राप्त रेवाराम बाबू एवं शिवदत्त शास्त्री के हस्तलिखित इतिहास में तथा रायपुर एवं बिलासपुर जिले के गजेटियर में 36 गढ़ों की सूची दी गई है। कनिघम ने ''महाकोशल'' को ही छत्तीसगढ़ माना है। ''प्राचीनकाल में मध्यप्रदेश का बहुत सा भाग दण्डकारण्य कहलाता था। वर्तमान छत्तीसगढ़ उस समय कोशल कहलाता था। कोशला यह दक्षिण कोशल अथवा छत्तीसगढ़ का

प्राचीन नाम है। इसमें रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग जिलों का अन्तर्भाव होता है। आश्चर्य इस बात पर होता है कि रतनपुर राज्य के इतिहास लेखकों ने भी छत्तीसगढ़ के नामकरण के सम्बन्ध में स्पष्ट विवेचन नहीं किया है। रेवाराम बाबू लिखित 'रतनपुर का इतिहास', 'लाफागढ़ का इतिहास' तथा शिवदत्त शास्त्री कृत 'रतनपुर समुच्चय' एवं 18वीं शताब्दी एवं 19वीं शताब्दी के रतनपुर संबंधित प्राप्त हस्तलिखित ऐतिहासिक विवरणों में इसका अभाव है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि प्राचीनकाल में इस क्षेत्र का नाम दक्षिण कोशल, महाकोशल, दण्डकारण्य, महाकांतार, रत्नपुर, मणिपुर राज आदि नाम रहे पर छत्तीसगढ़ नाम पूर्णतः आधुनिक युग की देन है। यहां तक कि 19वीं शताब्दी तक भी जन समाज में रतनपुर राज्य के नामकरण का लोज हो गया। रायपुर तो आधुनिक छत्तीसगढ़ की संस्कारधानी बनने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया पर सदियों से छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर जिला भी न बन सका। कारण चाहे जो हो पर आधुनिक छत्तीसगढ़ का केन्द्र बिन्दु रायपुर बना। सन् 1854 में अंग्रेजों द्वारा रतनपुर से रायपुर राजधानी परिवर्तन के साथ ही इस क्षेत्र का नाम पूर्णरूपेण 'छत्तीसगढ़' ही प्रचलित हो चला और धीरे–धीरे 'रतनपुर राज' या दक्षिण कोशल का नाम लुप्त होता गया। तथा छत्तीसगढ़ जिला, छत्तीसगढ़ प्रान्त और छत्तीसगढ़ डिवीजन आदि कहलाने लगा।

भौगोलिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ एक संपन्न क्षेत्र है। यहां के पर्वत, यहां की नदियां यहां का उपजाऊ मैदानी भाग, धान का कटोरा छत्तीसगढ़ के स्वरूप की सुन्दरता को बढ़ाता है। यहां की वनोपज वन्य पशु, वन, एक आकर्षण है। महुआ, तेन्दू चार, कुसुम, गोंद यहां की वनोपज है। शेर, वन भैंसा, हिरण, चीता, भालू, वनसूअर, गहबर, हाथी आदि वन्य पशु है।

अरण्य की गोद में स्थित यह क्षेत्र विभिन्न प्राकृतिक सुषमाओं से अलंकृत है। साल, सागौन, तेन्दु, साजा, महुआ, कर्रा, वट, पीपल, आम, जामुन, हर्रा, आंवला, बहेरा आदि महत्वपूर्ण वृक्ष यहां के वन की शोभा है। रतनपुर, सिरपुर, खूंटाघाट, माढमसिल्ली, रूद्री, रमणीय स्थल, है। रतनपुर, सिरपुर, आरंग, राजिम, डोंगरगढ़, शिवरीनारायण, देवबलोदा, जांजगीर, तुरतुरिया, चम्पारन, बारासूर, मल्लार, इतिहास के अमुल्य अवशेष हैं।

ब्रिटिश पूर्व छत्तीसगढ़ का इतिहास

ऐतिहासिक दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आज का यह उपेक्षित छत्तीसगढ़ किसी समय संस्कृति और सभ्यता का पुनीत केन्द्र था। स्पष्ट कहा जाए तो आदि कालीन मानस सभ्यता इस वन्य भू–भाग में पनपी थी। वर्तमान छत्तीसगढ़ अर्थात महाकोशल मनुष्य जाति की सभ्यता का जन्म स्थान है। जब हम मानव इतिहास के आदिम युग की ओर दृष्टि डालते हैं तो उस समय हमारे सामने छत्तीसगढ़ का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण रूप खिंच उठता है। प्रागैतिहासिक काल में मध्यप्रदेश का बहुत सा भाग दंडकारण्य कहलाता था। इस जंगल का पूर्वी भाग महाकोशल या दक्षिण कोशल कहलाता था। इसमें प्रायः छत्तीसगढ़ कमिश्नरी और नागपुर कमिश्नरी का कुछ भाग आ जाता है।

प्राचीनकाल

आदि मानव की संस्कृति का उद्‌भव एवं विकास का यह स्थल छत्तीसगढ़ अपने अंतः स्थल में अनेकों महत्वपूर्ण अवशेषों को अंतर्निहित किये हुए है। वैसे तो मध्यप्रदेश के पुरातत्व का आशय प्रागैतिहासिक तथा पृथ्वी पर मानवार्विभावकाल से मानना चाहिए। छत्तीसगढ़ भी

इसका एक अंग है और यही कारण है कि रायगढ़ के सिंघणपुर के चित्रित गव्हरों की खोज करते समय रायबहादुर श्री मनोरंजन घोश को भी पूर्व पाषाण कालीन कर–संचालित पांच कुल्हाड़ियां प्राप्त हुई थी।

शिला चित्र के दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ एक विश्व प्रसिद्ध क्षेत्र है। ''कबरा पहाड़'' रायगढ़ से लगभग 10 मील दूरी पर आग्नेय कोण में स्थित है। यहां की सारी चित्रकारी लाल रंग से हुई है। घड़ियाल, सांभर, तथा अन्य पशु और पंक्तिबद्ध मनुष्यों के चित्र यहां दर्शनीय वस्तु है। इनके अलावा कुछ प्रतीकात्मक चित्रण भी यहां हैं किंतु उनका संकेत क्या है यह कह सकना कठिन है। सिरपुर का गुफाचित्र रायगढ़ से 12 मील की दूरी पर है किंतु कबरा पहाड़ से विपरीत दिशा में है। वहां पहुंचने के लिये भूपदेव नामक स्टेशन पर उतरना होता है। भूपदेव से सिंघनपुर 2211 मील है जो 25–30 फीट गहरी और लगभग 15 फुट चौड़ी है। तीसरी गुफा जिसे चट्टान का बना आश्रम कहना अधिक उपयुक्त होगा, बड़े महत्व की है। क्योकि यही वह गुफा है जिसमें विश्व विख्यात चित्र चित्रत हैं। इन चित्रों की चित्रकारी गहरे लाल रंग की है। ई. सन 1910 में एक रेलवे के इंजीनियर ने सबसे पहले इसका पता पाया था। इन चित्रों मे चित्रित मनुष्य की आकृतियां कहीं तो सीधी लकीरें खीच कर मनुष्यों की आकृति बनाई गई है। एक चित्र में बहुत से पुरूष लाठी डंडा लेकर किसी एक बड़े पशु का पीछा करते दौड़े जा रहे है। लोग दूर–दूर से दौड़े चले आ रहे हैं और धावे में सम्मिलित हो रहे है। पास ही एक छोटे पशु ने एक व्यक्ति की मुड़फेरी हैं । कितना स्वाभाविक चित्रण है।

अभी हाल ही में मुझे यह जानकारी मिली है कि लोहारा से 10 मील दक्षिण पूर्व में चितवा डोंगरी नामक पहाड़ी पर शैल चित्र मिले है। जिस पर यह चित्र मिले हैं उनकी ऊंचाई

सामान्य तौर से 10 से 20 फीट की ऊंचाई पर है वहां पर मनुष्य आकृति, पशु आकृति एवं अन्य चित्रांकन विद्यमान है जो कि लाल एवं भूरे रंग से विद्यमान हैं। इस प्रकार से यह चित्र अवश्य ही छत्तीसगढ़ के इतिहास पर नया प्रकाश डालेगे उपर्युक्त प्रागैतिहासिक अपशेष एक महत्वपूर्ण देन है।

वैदिक सभ्यता के उत्तरार्द्ध में छत्तीसगढ़ में आर्यो का आगमन प्रारंभ हो चुका था जैसा कि बालचन्द जैन ने लिखा है कि उपनिषद काल तकनर्मदा के पासपड़ोस के प्रदेश और विदर्भ तक आर्यों का विस्तार हो चुका था। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में रामायण युगीन एवं महाभारत से संबंधित अनेक पौराणिक एवं जनश्रुति के अनुरूप कथाऐं विद्यमान है। दण्डकारण्य में राम का आगमन आदि। रामायण के कथानक से पता चलता है कि सतपुड़ा की घाटियों पर लंका के राजा रावण का स्वामित्व था।

जान पड़ता है कि अवध नरेश राम के समय में छत्तीसगढ़ दक्षिण कोशल कहलाता होगा। पता चलता है कि सतपुड़ा की घाटियों पर लंका के राज रावण का स्वामित्व था। राम के पश्चात उनके पुत्र उसी राज्य में कुशावती नगर स्थापित कर शासन किया था।

महाभारत युग में छत्तीसगढ़ का केन्द्र स्थल रतनपुर था। यह छत्तीसगढ़ में नगर शासन का प्रमुख केन्द्र था। इस ग्रंथ के समय में यह राज्य है हयवशियों की क्रीड़ा भूमि थी। महिश्मती, कुंडनपूर, त्रिपुरी, वस्तगुलमक, रत्नपुर, श्रीपुर, भद्रावती, ब्रम्हाण आदि पुरातन नगर शासन के प्रमुख केन्द्र थे। ऐसी भी किवदंती है कि चेदि देश का राजा बभ्रूवाहन भी था, जो पांडव वंशी अर्जुन का पुत्र था और जिसकी राजधानी चित्रांगद पुर में थी जो आजकल श्रीपुर

के नाम से प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से राजा मयूरध्वज की राजधानी रत्नपूर के संबंध में भी यहां जनजीवन में किवदंतियां प्रचलित है। यद्यपि प्रामाणिक ऐतिहासिक जानकारी का अभाव हैं। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध पुरातत्वविद पं. लोचन प्रसाद पांडेय ने लिखा है कि – ''साहित्य के द्वारा हमारे कोशल देश के नाम पर जो प्रकाश पड़ा है इससे उसका इतिहास ईशा के 700 वर्ष पूर्व माना जा सकता है।'' ईशा से 300 वर्ष पूर्व की ब्राम्हणी लिपि में लिखित दो ताम्र मुद्राऐं विलायत के ब्रिटिश संग्रहालय में सुरक्षित हैं। ईशा से 300 वर्ष के पूर्व के आसपास के दो पाली लेख सरगुजा राज्य की पहाड़ी की गुफा में मिले है। उनमें कवि तथा लूपदख पर आए है। अशोक के समय के धर्मलेख सरगुजा जिले में रामगढ़ की सीताबोंगरा और जोगीमारा नामक गुफाओं में पाए गए है। कई विद्वानों ने मेंघदूत में कालीदास द्वारा वर्णित रामगिरी इसी रामगढ़ को माना है।

छत्तीसगढ़ के चन्द्रपुर के तालुके में महाकोशल के एक शक्तिशाली शासक का 1900 वर्ष प्राचीन यज्ञ स्तम्भ मिला है। ब्राह्मी लिपि के लेख से अलंकृत यह साल या सरई लकड़ी का खंभा सन् 1931 के अप्रैल मास में किरारी नामक ग्राम के हीराबंध आख्याधारी तालाब में पाया गया था। आजकल यह रायपुर के अजायबघर में सुरक्षित है। प्राचीनता की दुष्टि से यह यज्ञ स्तंभ अद्वितीय वस्तु है। भारतवर्ष में लकड़ी पर प्रायः दो हजार वर्श प्राचीन लेख और कहीं नहीं मिला है। डॉ. हीरानन्द शास्त्री का कथन है कि यह खोज भारत के लिए अद्वितीय है।''

200 ई. के अंतिम भाग में महाकोशल में सद्वाह नामक राजा राज्य करते थे। विद्वान नागार्जुन से उनकी मित्रता थी, उनके राज्य में निवास करते थे।

प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग ने सन् 619 में दक्षिण कोशल पर की यात्रा की थी उसके अनुसार दक्षिण कोशल का विस्तार 2000 मील के वृत्त में था। इस प्रकार उपर्युक्त विवरण इस क्षेत्र के प्राचीनकाल के इतिहास की जानकारी हेतु प्रामाणिक श्रोत है। मौर्य काल में इस क्षेत्र पर उनका अधिकार रहा होगा। गुप्त काल में यहां पर गुप्त शासकों का ही अधिकार था। समुद्र गुप्त ने इस क्षेत्र पर अधिकार प्राप्त किया था। हर्ष युगीन चीनी यात्री अपने विवरणों में यहां की आंशिक झलक प्रस्तुत करता है। पर छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासकों के आगमन के पूर्व का इतिहास क्रमिक रूप में यहां लिपि बद्ध नहीं मिलता। यद्यपि यहां कलचुरि काल एवं आधुनिक काल में भी यही समस्या है पर प्राचीन काल की अपेक्षा कुछ सामग्रियां या जानकारी मिलती है। जिससे यहां का इतिहास निश्चित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में महानदी के तटवर्ती क्षेत्रों में कुछ आहत सिक्के मिले है जिससे ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी से लेकर मौर्यकाल तक के इतिहास से संबंधित कुछ जानकारी मिल सकती है आरंग के पास गुजरा गांव में खुदाई के समय में मुझे कुछ आहत सिक्के मिले थे जो उसी काल के प्रतीत होते है।

रायपुर जिले के आरंग नामक स्थान में प्राप्त एक ताम्रपत्र लेख से विदित होता है कि ई. सन् की 5वीं शताब्दि के लगभग दक्षिण कोशल में राजर्शि तुल्यकुल वंश नामक कोई राजवंश राज्य करता था। नलवंश के राजा छत्तीसगढ़ और बस्तर के भू–भाग पर काफी समय तक राज्य करते रहे। संभव है कि पांडुवंश ने उन्हें हरा कर उनका राज्य अपने अधीन कर लिया हो।

इस प्रकार उपर्युक्त जानकारी से प्रतीत होता है कि छत्तीसगढ़ में एक सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित शासन प्रणाली थी। गुप्तकाल में यहां का प्रशासनिक स्वरूप उस युग के अनुरूप

रहा होगा। हर्षयुग में निश्चित रूप से यह स्थल कुछ समय के लिये युद्धों से प्रभावित रहा होगा। गुप्त वंश के ही कुछ अन्य शासकों के द्वारा तथा सोमवंशी शासकों के द्वारा हां पर एक संगठित शासन प्रणाली स्थापित की गई थी। राजा प्रधान होता था, अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारी एवं विभाग थे। उस युग में शांति एवं सुव्यवस्था थी। यही कारण है कि इस क्षेत्र के प्रशासकों के शासननन्तर्गत हिंदू र्धम, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का प्रसार होता रहा । आज भी इसके अवशेष हमें आरंग, सिरपुर, तुरतुरिया, मल्हार, राजिम, रतनपुर आदि क्षेत्रों में देखने को मिलते है। इन्हीं सब परिस्थितियों के मध्य प्रचीन छत्तीसगढ़ प्रशासनिक इकाईयों विद्यमान थी। पश्चात् कलचुरियों का आगमन इस क्षेत्र में होता है। छत्तीसगढ़ में कलचुरियों के आगमन को हम यहां के मध्यकालीन इतिहास के रूप में रख सकते है जिनका कि प्रभाव सन् 1741 तक बना रहा । और उसके अवसान के साथी ही यहां की राजनैतिक एवं प्रशासनिक छवि से आधुनिक युग का प्रादुर्भाव हुआ ।

मध्यकालीन छत्तीसगढ़:

ईसा पश्चात् 9वीं शताब्दि के अन्त में त्रिपुरी के कलचुरियों ने दक्षिण कोशल में अपनी शाखा स्थापित करने का प्रयत्न किया था। द्वितीय शंकरगण मुग्ध तुंग –प्रसिद्ध धवल ने पालि देश पर कब्जा किया था। जिसका समय ई. सन 890–910 माना जाता है। बाद में सोमवंषियों के कारण यह शाखा दक्षिण कोशल में कुछ समय सुदृढ़ न रह सकी। अभिलेखों के वर्णानुसार प्रथम युवराज देव और उसके पुत्र द्वितीय लक्ष्मणराज ने दक्षिण कोशल पर चढ़ाई कर वहां के राजाओं को पराजित किया था जिसका उद्देश्य सोमवंशीय राजाओं को पराजित करना था। द्वितीय कोकल देव के राजकाल में कलिंग राज नामक कलचुरी राजपुत्र ने अपने बाहुबल से

दक्षिण कोशल देश को जीत कर तुम्माण नगर में जहां से उसके पूर्वजों ने राज्य चलाया था अपनी राजधानी स्थापित की। पश्चात् रतनपुर के कलचुरी राजवंश के अन्तर्गत कमलराज सन् 1020 के लगभग गद्दी पर बैठा। उसने कोमो मंडल के अधिपति वज्जूक अथवा वजू वर्मन की कन्या नानल्ला से विवाह किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि इस विवाह से छत्तीसगढ़ पर उसका अधिकार दृढ़ हो गया था क्योंकि उसके बाद के अनेकों ताम्रपत्रों में इसका उल्लेख आया है। रत्न देव ने अपने नाम से नत्नपुर नामक नगर बसाकर यहां अपनी राजधानी स्थापित की थी। यह रतनपुर बिलासपुर जिले में स्थित वर्तमान रतनपुर ही है।

चौहवीं शताब्दी के अन्त में छत्तीसगढ़ का कलचुरी साम्राज्य विभाजित हो गया। उसकी एक शाखा रतनपुर में राज्य चलाने लगी और दूसरी शाखा ने रायपुर में अपनी राजधानी थी। 18वीं शताब्दि के मध्य में छत्तीसगढ़ में मराठो का आक्रमण होने तक वहां हैहयवंशी का राज्य स्थापिज हो रहे थे। जिन पर है हयवंशी राजाओं का स्वामित्व नाम मात्र का था। फलतः मराठों को अधिक संघर्ष करना पड़ा। छोटे राजाओं ने इनका स्वामित्व स्वीकार किया और इस तरह सात शताब्दियों के उपरांत दक्षिण कोशल में कलचुरि राज्य समाप्ति पर आया।

अमरसिंह देव कलचुरियों को अंतिम राजा था जिसको भोसला ने निकाल बाहर किया यही हाल उन्होंने रतनपुर की गद्दी के राजा रघुनाथ सिंह का किया। मराठों ने 1740–41 में रतनपुर पर चढ़ाई की और रघुनाथ सिंह से राज्य छीन लिया। उसी साल रघुनाथ सिंह मर गया। तब सन् 1745 में उसी वंश के मोहन सिंह को उन्होने गद्दी पर बिठा दिया। पश्चात् सन 1758 में उसे निकाल दिया। उसके लड़के शिव राजसिंह से जागीर छीन ली परंतु जब सन 1757 में भोसले ने हैहय राज का शासन पूरा अपने हाथ में कर लिया तब पांच गांव

शिवराज सिंह ने परवरिश के लिए लगा दिया। इस प्रकार ''जड़ सूखी शाखा पुनः सूखे पत्ते अंत। डेढ़ सहद्वस्राब्दिक तरूहि विलंब न लायों झड़ंत''। इस प्रकार इतिहास प्रसिद्ध सन 1757 में प्लासी के मैदान में जहां भारत के भाग्य का फैसला हुआ उसी वर्ष छत्तीसगढ़ प्रांत के भी राजनैतिक भाग्य का फैसला हुआ जो मराठों के पक्ष में रहा।

एकाएक मराठों के आक्रमण और यहां के राजाओं की निष्क्रियता के कारण सदियों की व्यवस्था अस्त–व्यस्त हो गई। 1740 भारतीय इतिहास में आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है तथा सन 1757 का प्लासी–युद्ध एक निर्णायक घटना। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ प्रान्त में 1740–41 में मराठों के आक्रमण के साथ ही एक युग की समाप्ति हुई। सेनापति भाष्कर पंथ के चढ़ाई करने पर रतनपुर राज्य बिना युद्ध के ही सन 1741 में हस्तगत हो गया था। छत्तीसगढ़ के प्रशासनसूत्र मराठों ने अपने हाथों में ले लिया। आगे चलकर सन 1854 तक उनका प्रभुत्व विद्यमान रहा। पश्चात अंग्रेजों का प्रभुत्व इस क्षेत्र में स्थापित हुआ।

आधुनिक काल

आधुनिक छत्तीसगढ़ के इतिहास को हम दो खंडो में विभाजित कर सकते है। पहला मराठा कालीन छत्तीसगढ़, द्वितीय ब्रिटिश कालीन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासन के विभक्त होने से इनकी शक्ति क्षीण हो गई जिसका लाभ मराठो को मिला। वैसे भी औरंगजेब की मृत्यु के बाद 18वीं शताब्दी में मराठे हिन्दुस्तान में एक शक्तिशाली स्वरूप में उभर रहे थे। रतनपुर के रघुनाथ सिंह एवं रायपुर के अमरसिंह देव के समय में सारे मध्य प्रांत पर नागपुर के भोसलों का अधिकार हो गया। उस समय मराठों से टक्कर लेने में प्रायः सभी कांपते थे। जिस समय भोसलों ने रायपुर और रतनपुर में प्रवेश किया उस समय किसी ने चू तक नहीं किया। मराठों ने ई. सन 1742 में बंगाल को लूटने के लिए कूच किया। रास्ते में रतनपुर का राज्य पड़ा, भाष्कर पंत वहां के राजा रघुनाथसिंह को हरा कर और उसके जगह उसी के सबंधी मोहनसिंह को सौंप कर आगे बढ़ा। उस समय उसने रायपुर वाले शाखा को नहीं छेड़ा किंतु ई. सन 1750 में राजिम, रायपुर और पाटन के तालुके अमरसिंह को दे कर उस पर 7000 रू. वार्षिक कर बिठा दिया। वह सन 1753 में मर गया उस समय उसका पुत्र शिवराज सिंह यात्रा को गया था मौका देखकर यह परगने भी जब्त कर लिए गए। सन 1757 में शिवराज सिंह को उसके पुरखों के प्रत्येक गांव के पीछे एक रूपया परवरिश के लिए लगादिया गया और बरगांव माफी में दे दिया।

सन् 1758 से 1858 तक के समय को छत्तीसगढ़ के इतिहास के लिए अंधकार युक्त समझिये। इस युग में प्राचीन हिंदू प्रथा का विनाश हो गया और उसके स्थान पर विदेशी रंग–ढ़ंग जारी हुए है। मराठी राज्य में लोग नाहक सताए जाने लगे और उन पर मनमाना

अत्याचार होने लगा। बिम्बाजी भौसले और आनंदीबाई के पश्चात छत्तीसगढ़ का शासन रतनपुर से संचालित न हो कर नागपुर से संचालित होता रहा।

नागपुर राज्य के ब्रिटिश शासनांतर्गत सम्मिलित होने पर सन् 1854 में छत्तीसगढ़ के प्रशासन के लिए एक अलग से डिप्टी कमिश्नर की नियुक्ति की गई। जिसका कि मुख्यालय रायपुर था। छत्तीसगढ़ का प्रशासन कार्यभार, ग्रहण करने वाला पहला व्यक्ति कैप्टन इलियट था। उसके कार्य क्षेत्र में बस्तर भी सम्मिलित था। सन् 1856 में यह क्षेत्र तीन तहसील विभाग में बंटा–रायपुर, धमतरी एवं बिलासपुर। 1857 में दुर्ग में दुर्ग भी एक तहसील बना। 1861 में बिलासपुर, रायपुर से अलग कर एक जिला बना दिया गया। कालान्तर में 1906 में दुर्ग जिले का निर्माण हुआ। इसके पूर्व रायपुर, बिलासपुर, और संबलपुर जिले थे। मध्य प्रांत के निर्माण के अंतर्गत संपूर्ण प्रदेश को प्रशासनिक दृष्टिकोण से चार कमिश्नरियों में विभक्त किया गया था– नागपुर, जबलपुर, नर्मदा और छत्तीसगढ़। सर्वाधिक जनसंख्या और क्षेत्र छत्तीसगढ़ ही था। मध्य प्रांत के 14 में से 13 राज्य छत्तीसगढ़ में ही थे। यहां पर जमींदारों का शासन था। पर अंग्रेजों का नियंत्रण रहता था। ऐसे प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों द्वारा शासित रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर जिले थे। 1906 में रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग जिले रहे। इस प्रकार छत्तीसगढ़ की धरती पर विभिन्न राजवंशों का शासन रहा। सन् 1854 से 1947 तक इस क्षेत्र पर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित रहा। इसकाल खंड के अंतर्गत सन् 1906 का वर्ष अपना एक विशिष्ट महत्व रखता है। आज का जो छत्तीसगढ़ है उसका स्वरूप कुछ उसी वर्ष में निर्मित हुआ। यहां के कुछ भू–भाग दूसरे प्रांत मे सम्मिलित कर लिए गए।

2:3:3 छत्तीसगढ़ की वर्तमान स्थिति

स्रोतः www.mapsofindia.com

छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते है, क्योकि छत्तीसगढ़ का मैदान चारों तरफ से पहाड़ी और पठारी क्षेत्र से घिरा है, जिसके कारण आकार कटोरा सदृश है। यहां आदिकाल से धान की खेती की जाती है। इसे हर्बल स्टेट भी कहते है, क्योकि यहां समृद्ध जैव विविधता के कारण सभी प्रकार के आयुर्वेदिक जड़ी–बूटियां प्राप्त होती हैं। इसे उर्जा राज्य कहा जाता है

यहां परंपरागत तथा गैर–परंपरागत उर्जा के प्रचुर संसाधन विद्यमान हैं। भारत का तीसरा सर्वाधिक वनक्षेत्र वाला राज्य है। 1. मध्य प्रदेश 2. अरूणाचल प्रदेश 3. छत्तीसगढ़।

छत्तीसगढ़ भारत संघ का 26वां राज्य है। जिसका गठन 1 नवंबर, 2000 को 84वां संविधान संशोधन द्वारा, अनुच्छेद– 3 के तहत् हुआ। मातृ राज्य मध्य प्रदेश से 44 वर्ष बाद पृथक हुआ। क्षेत्रफल 135,194 वर्ग किमी. है, जो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 30.47 प्रतिशत है, भारत के क्षेत्रफल का 4.11 प्रतिशत है, क्षेत्रफल के आधार पर 9वां बड़ा राज्य है। इसका स्वरूप हिप्पोकेम्पस या सी हॉर्स।

छत्तीसगढ़ का राज्य चिन्ह 4 सितंबर, 2001 को स्वीकृत हुआ

स्रोतः www.cggovt.gov.in

- वृत्ताकार परिधि राज्य के विकास की निरंतरता का प्रतीक है।
- 36 किला, किलों का हरा रंग राज्य की समृद्धि और वन संपदा एवं नैसर्गिक सुंदरता का प्रतीक है।
- धान की बालियां कृषि प्रधान राज्य का प्रतीक है।

- विद्युत संकेत उर्जा राज्य का प्रतीक है।
- तीन लहराती रेखाऐं जल संसाधन, नदियों का प्रतीक है।
- सारनाथ के अशोक स्तंभ के चार सिंह और उसके नीचे 'सत्यमेव जयते' राष्ट्र के प्रति सत्यनिष्ठा का प्रतीक है।
- तिरंगा के तीन रंग छ.ग. का राष्ट्र के प्रति एकजुटता का प्रतीक है।

छ.ग. राज्य का निर्माण

- 1905 में जशपुर, सरगुजा, उदयपुर, चांगभखार व कोरिया का छ.ग. में मिलाया गया।
- छ.ग. का (वर्तमान) पृथक मानचित्र 1905 में बना।
- पं. सुंदरलाल शर्मा– छ.ग. के प्रथम स्वप्नद्रष्टा।
- 1924 – पहली बार रायपुर जिला परिषद् की बैठक में पृथक राज्य छ.ग. का प्रस्ताव लाया गया।
- 1939 – में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में पृथक छ.ग. का मांग रखा गया।
- 1955 – रायपुर के विधायक ठाकुर रामकृष्ण सिंह ने मध्य प्रदेश विधानसभा में अनौपचारिक प्रस्ताव रखा।
- 1956 – 'छ.ग. महासभा' का गठन – खूबचंद बघेल (राजनांदगांव)

- 1967 – 'छ.ग. भातृत्व संघ' का गठन – खूबचंद बघेल (राजनांदगांव)
- 1979 – 'छ.ग. मुक्ति मोर्चा' का गठन के पश्चात् आंदोलन में तेजी आया।
- 1993 – रवीन्द्र चौबे द्वारा मध्य प्रदेश विधानसभा में शासकीय प्रस्ताव।
- 1998 – मध्य प्रदेश विधानसभा में पृथक छ.ग. निर्माण को सहमति प्रदान।
- 2000 – राजग सरकार ने चुनावी एजेंडा के तहत् मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन एक्ट जुलाई 2000 में प्रस्तुत किया।
- 2000 – राष्ट्रपति द्वारा पारित

छ.ग. राज्य का नामकरण

- महाजनपद काल में चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था। कुछ विद्वानों के अनुसार यह साम्राज्य चेदीशगढ़ कहलाता था। छ.ग. इसी का अपभ्रंश है।
- अंग्रेज मानवशास्त्री बेलगर के अनुसार प्राचीनकाल में जरासंध के शासनकाल में दलितों का 36 परिवार इस क्षेत्र के विभिन्न अंचलों में आकर बसा। इसे 36 घर बाद में छ.ग. कहा गया।
- कल्चुरी शासक कल्याण साय ने जमाबंदी प्रथा लागू की थी।

- इतिहासकार चिस्म ने इस जमाबंदी के आधार पर 36 जिलों को खोजा और इसी पर 36 गढ़ नामकरण हुआ।

- साहित्य में छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग खैरागढ़ के लक्ष्मीराय का चारण कति दलपत राव ने किया।

- कल्चुरी शासक राजसिंह का दरबारी कवि गोपाल मिश्रा ने 'खूब तमाशा' में छ.ग. भाषा का उल्लेख किया।

- 1795 में छत्तीसगढ़ पर्यवेक्षक बने तब प्रशासनिक निकाय में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया गया।

छत्तीसगढ़ : भौतिक दशाएं

- छत्तीसगढ़ राज्य $17^0$46′ आक्षांश से $24^0$5′ उत्तरी अक्षांश तथा $80^0$15′ पूर्वी देशांतर से $84^0$24′ पूर्वी देशान्तर के बीच स्थित है।

- छत्तीसगढ़ एक भू–आवेष्ठित प्रदेश है, जिसका कोई समुद्र तट नहीं है तथा इसकी सीमा किसी दूसरे देश की सीमा से भी नहीं लगती. मध्यप्रदेश, झारखण्ड, हरियाणा भी इसी तरह के राज्य हैं।

- छत्तीसगढ़ की सीमाऐं 6 राज्यों को छूती है, ये राज्य हैं– झारखण्ड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश।

- छत्तीसगढ़ की सबसे लम्बी सीमा पूर्व में उड़ीसा के साथ है. इससे सात जिलों की सीमाऐं लगी हुई हैं. ये सात जिले हैं– जशपुर, रायगढ़, महासमुन्द, रायपुर, धमतरी, बस्तर एवं दंतेवाड़ा।
- उत्तर–पूर्व में झारखण्ड से जशपुर एवं सरगुजा जिलों की सीमाऐं लगती हैं।
- दक्षिण में आंध्र प्रदेश से बीजापुर, दंतेवाड़ा की सीमा लगती है।
- दक्षिण–पश्चिम में महाराष्ट्र से नारायणपुर, बीजापुर, कांकेर एवं राजनांदगांव की सीमाऐं लगती हैं।
- दक्षिण में मध्यप्रदेश से राजनांदगांव, कवर्धा, बिलासपुर, कोरिया एवं सरगुजा जिले की सीमाऐं लगती है।
- उत्तर प्रदेश से सरगुजा की सीमा लगती है।
- छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल अंतिम आंकड़ों के अनुसार 135361 वर्ग कि.मी. है।
- क्षेत्रफल के अनुसार छत्तीसगढ़ का देश में 10वां स्थान है. राज्य शासन की डायरी के अनुसार 9वां।

भौगोलिक/प्राकृतिक विभाजन

राज्य का भौगोलिक विभाजन निम्नानुसार है–

- बघेलखण्ड का पठार– छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित इसमें कोरिया, सरगुजा तथा कोरबा जिला कोरबा, सरगुजा जिले से कर्क रेखा निकलती है, नदी रिहन्द, सोन।

- जशपुर–सामरी पाट– पूर्वी सरगुजा से जशपुर जिले तक यह छोटा नागपुर के पाट पठार प्रदेश का हिस्सा है। यहां गौरलाटा चोटी छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है नदी– ईब, शंख, कन्हार।

- छत्तीसगढ़ का मैदान– यह महानदी अपवाह क्षेत्र में आता है. रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर जिले। यह धान का कटोरा कहलाता है, नदी– शिवनाथ, महानदी, हसदो, अरपा।

- दण्डकारण्य प्रदेश या दक्षिणी पठार– छत्तीसगढ़ के दक्षिण में स्थित विस्तार– कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, नदी– इंद्रावती, शबरी, शंकिनी, यह जनजाति तथा खनिज बाहुल्य क्षेत्र है। अबूझमाड़ तथा बैलाडीला की पहाड़ियां।

कृषि

- राज्य में निरा बोया गया क्षेत्रफल 48,23,863 हेक्टेयर अर्थात् कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 51.57 प्रतिशत भाग निरा बोया गया क्षेत्र या शुद्ध बोया गया क्षेत्र है।

- प्रदेश की कृषि भूमि का सिंचित क्षेत्र कुल बोये गए क्षेत्र का लगभग 29 प्रतिशत है।

- प्रदेश की मुख्य फसल धान है, धान होने के कारण धान का कटोरा कहलाता है।

- कृषि भूमि का उपयोग तथा उत्पादन एवं जलवायु की दृष्टि से सम्पूर्ण प्रदेश मुख्यतः तीन कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित – 1. उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, 2. छत्तीसगढ़ का मैदान, 3. बस्तर का पठार।

मिट्टियां:

छत्तीसगढ़ में मुख्यतः 5 प्रकार की मिट्टी प्राप्त होती है– लाल–पीली मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी, लाल दोमट एवं लेटराइट एवं काली मिट्टी। राष्ट्रीय विभाजन में प्रदेश की मिट्टी लाल–पीली मिट्टी के समूह में आती है, प्रदेश में मुख्यतः यही मिट्टी पायी जाती है।

- लाल–पीली मिट्टी– स्थानीय नाम 'मटासी' छत्तीसगढ़ में इसका सर्वाधिक विस्तार, इसमें बालू की अधिकता के कारण उर्वरता कम होती है, तथा जलधारण क्षमता कम होती है। यह मिट्टी धान, अलसी, तिल, ज्वार, मक्का एवं कोदो कुटकी के लिए उपयुक्त होती है।

- लाल–रेतीली मिट्टी– लाल–पीली मिट्टी के बाद प्रदेश में इस मिटटी का सर्वाधिक विस्तार है। अधिक उपजाऊ नहीं होती। मुख्य क्षेत्र – राजनांदगांव, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, मुख्य फसल– मोटे अनाज, आलू, तिलहन, कोदो कुटकी।

- लेटेराईट मिट्टी– स्थानीय नाम भाटा, कम उपजाऊ, मुख्य क्षेत्र – सरगुजा, जशपुर, दुर्ग, मुख्य फसल– आलू एवं मोटे अनाज।

- काली मिट्टी– स्थानीय नाम कन्हार, इस मिट्टी की जलधारण क्षमता अच्छी होती है, उपजाऊ मिट्टी, मुख्य क्षेत्र– दुर्ग, बिलासपुर, मुख्य उपज– गेहूं, धान, चना, कपास, गन्ना आदि के लिए उपर्युक्त।

- लाल–दोमट मिट्टी– प्रदेश में सबसे कम विस्तार, प्रमुख क्षेत्र– दंतेवाड़ा।

छत्तीसगढ़ की जलवायु

छत्तीसगढ़ भारत के मध्य में स्थित है, यह उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश है। कर्क रेखा प्रदेश के उत्तरी भाग सरगुजा, कोरिया जिले से होकर गुजरती है। कर्क रेखा में स्थित होने के कारण यह गर्म प्रदेश है। समुद्र से दूर होने के कारण छत्तीसगढ़ समुद्र के समकारी प्रभाव से वंचित है। तीन मुख्य ऋतुऐं हैं– ग्रीष्म, शीत एवं वर्षा ऋतु।

ग्रीष्म ऋतु– छत्तीसगढ़ में ग्रीष्मऋतु गर्म एवं शुष्क होती है। छत्तीसगढ़ में अप्रैल तथा मई में झुलसाने वाली गर्मी तथा जुलाई से अक्टूबर में बादलों के कारण उमस की स्थिति होती है। मई का महीना से हवा गर्म होता है। प्रायः अधिकतम तापमान जांजगीर–चांपा अथवा रायगढ़ में अंकित किया गया है। छत्तीसगढ़ के उत्तर–पूर्वी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम गर्मी पड़ती है। प्रदेश का सर्वाधिक गर्म स्थान चाम्पा है।

शीत ऋतु– यहां शीत ऋतु ठंडी एवं शुष्क होती है। दिसम्बर–जनवरी यहां के सर्वाधिक ठंडे महीने है। पहाड़ी भागों में स्थित पेण्ड्रा, मैनपाट, जशपुर न्यूनतम तापमान वाले क्षेत्र हैं ऐसा समुद्रतल से अधिक ऊंचाई एवं वनाधिक्य के कारण है।

छत्तीसगढ़ में वर्षा

छत्तीसगढ़ में वर्षा की प्रकृति मानसूनी है। छत्तीसगढ़ में वर्षा ऋतु गर्म एवं आर्द्र होती है। लगभग 90 प्रतिशत वर्षा यहां दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं के द्वारा होती है। इस क्षेत्र में मानसून 10 से 15 जून के मध्य पहुंचता है तथा जुलाई एवं अगस्त माह में सर्वाधिक वर्षा होती है। 21 जून से न्यून वायुदाब की स्थिति बनती है। परिणामस्वरूप हिन्द महासागर के दक्षिणी भाग से मानसूनी हवाऐं आकर्षित होती हैं एवं इसी से छत्तीसगढ़ में वर्षा होती है। 21 सितंबर के बाद मानसून की गति व मात्रा क्षीण होने लगती है। शीत ऋतु में पश्चिमी चक्रवातों के कारण कुछ वर्षा होती है, दिसंबर में सबसे कम वर्षा होती है। प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 120–125 सेंटीमीटर होती है। भौमिक बनावट के कारण छत्तीसगढ़ में वर्षा का वितरण असमान है। प्रदेश में अलग–अलग स्थानों पर वर्षा का वितरण 100–200 से. मी. के मध्य है, यहां उच्च भूकम्म में मैदान की तुलना में अधिकत वर्षा होजी है। जशपुर पाट, हसदो मांड मैदान, अबूझमाड़ की पहाड़ी, रायगढ़ बेसिन तुलनात्मक रूप से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। छत्तीसगढ़ में शिवनाथ मैदान के समीपवर्ती भाग और मैकल श्रेणी के निकट न्यूनतम वर्षा होती है क्योंकि मैकल श्रेणी द्वारा इन हवाओं के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने के कारण यहां मानसून हवाओं की स्थिति कमजोर होती है जिससे कवर्धा, राजनांदगांव, बिलासपुर के कुछ क्षेत्रों में वृष्टिछाया का प्रभाव उत्पन्न होता है। भानुप्रतापपुर, जशपुर तहसीलों में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है जिलेवार सर्वाधिक वर्षा जशपुर में होती है। जबकि सबसे कम वर्षा कवर्धा क्षेत्र में होती है। अबूझमाड़ प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है।

छत्तीसगढ़ की नदियां

नदी	उद्‌गम स्थल	लंबाई (कि.मी.)	सहायक नदी	प्रवाह क्षेत्र के जिले
महानदी	धमतरी तहसील के सिहावा पर्वत से	286	शिवनाथ, हसदो, मांड, ईब, जोंक, पैरी, सोढूर आदि	धमतरी, कांकेर, रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर
शिवनाथ	पनाबरस पहाड़ी, अम्बागढ़ तहसील जिला राजनांदगांव	290	खारून, अरपा, लीलागर, मनियारी आदि	राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर जांजगीर–चांपा
हसदो	मनेन्द्रगढ़ तहसील के क्षेत्र की कैमूर पहाड़ी	176	झिंक, अतेम, गज	कोरिया, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर
मांड	मैनपाट पठार, जिला सरगुजा	155	–	सरगुजा, जशपुर, रायगढ़, जांजगीर –चांपा
ईब	पण्डरापाट, की खुरजा पहाड़ी, जिला जशपुर	87	–	जशपुर
मनियारी	लेरमी क्षेत्र, बिलासपुर	134	आगर, छोटी नर्मदा, टेसुवा	बिलासपुर
टरपा	खोडरी, खोंगसरा पहाड़ी पेन्ड्रा तह.	100	–	बिलासपुर
खारून	संजरी, बालोद तह., जिला	96	–	दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर

	दुर्ग			
कन्हार	बखोना चोटी, बगीचा तह., जशपुर	115	–	जशपुर, सरगुजा
रिहन्द	मतिरिगा पहाड़ी अंबिकापुर तहसील	145	मोरन, मारन	सरगुजा
इन्द्रावती	कालाहाण्डी (उड़ीसा)	264	डंकिनी, शंखनी, कोटरी, सबरी	बस्तर, दंतेवाड़ा
सबरी	बैलाडीला पहाड़ी दंतेवाड़ा	173	कांगेर, मालोंगर	दंतेवाड़ा
जोंक	महासमुन्द जिले से			रायपुर, जांजगीर–चांपा
पैरी	रायपुर के बिन्द्रानवागढ़ के निकट भाटीगढ़ी पहाड़ी से			रायपुर, महासमुन्द
केलो	लुड़ेग पहाड़ी से		कोलेडेगा, राजर	रायगढ़

स्रोतः *छत्तीसगढ़ विस्तृत अध्ययन, वीरेन्द्र सिंह, 2008,अरिहन्त पब्लिकेशन्स (इ) प्रा.लि., मेरठ, पृष्ठ–16, आईएसबीएनः 8183480500*

वन

- छत्तीसगढ़ राज्य वनों की दृष्टि से संपन्न राज्य है। छत्तीसगढ़ के 59,772 वर्ग कि.मी. में वन हैं जो प्रदेश के कुछ क्षेत्रफल का 44.2 प्रतिशत है।

- वन क्षेत्रफल के हिसाब से छत्तीसगढ़ देश का तीसरा बड़ा राज्य।

- देश के कुल वन क्षेत्रफल का लगभग 12.2 प्रतिशत वन छत्तीसगढ़ में है।

- जिलेवार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल सरगुजा एवं सबसे कम जांजगीर–चांपा में है।

- जिलेवार कुल क्षेत्रफल में सर्वाधिक वनक्षेत्र प्रतिशत दंतेवाड़ा एवं सबसे कम जांजगीर–चांपा में है।

राष्ट्रीय उद्यानः

1. गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान– पूर्ववर्ती संजय राष्ट्रीय उद्यान जो म.प्र. के सीधी एवं छत्तीसगढ़ के सरगुजा एवं कोरिया जिलों में फैला था, उसके छत्तीसगढ़ स्थित क्षेत्रों को मिलाकर यह राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। सरगुजा, कोरिया में फेला यह प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। बाघ, तेंदुआ, नीलगाय गौर, चीतल, सांभर।

2. इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान– बीजापुर यह प्रदेश पहला राष्ट्रीय उद्यान है जहां बाद्य परियोजना लागू किया गया, अन्य पशु हैं– वन भैंसा, बारहसिंगा।

3. कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान– बस्तर, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है।

अभ्यारण्य

क्र.	अभ्यारण्य	जिला	क्षेत्रफल वर्ग कि. मी.	वन्य प्राणी
1.	तमोरपिंगला	सरगुजा	608	बाघ, तेन्दुआ, बारहसिंगा, नीजगाय क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा
2.	सीतानदी	धमतरी	559	बाघ, तेन्दुआ, गौर, सांभर सबसे पुराना अभ्यारण्य
3.	**अचानकमार**	**बिलासपुर**	**552**	**बाघ, तेन्दुआ, नील गाय, चीतल, भालू**
4.	सेमरसोत	सरगुजा	430	बाघ, तेन्दुआ, नील गाय, सांभर
5.	गोमरदा	रायगढ़	278	बाघ, तेन्दुआ, सांभर, गौर, भालू
6.	पामेड़	बीजापुर	262	वन भैंसा, बाघ, चीतल
7.	बारनवापारा	महासमुन्द	245	बाघ, नील गाय
8.	उदन्ती	रायपुर	231	वन भैंसा, बाघ, तेन्दुआ, चीतल,
9.	भोरमदेव	कवर्धा	164	बाघ, तेन्दुआ, नवीनतम अभ्यारण्य
10.	भैरमगढ़	बीजापुर	139	बाघ, तेन्दुआ, चीतल, सांभर
11.	बादलखोल	जशपुर	105	बाघ, तेन्दुआ, नीलगाय, सांभर, चीतल, क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे छोटा

स्रोत:*छत्तीसगढ़ एक परिचय, मुकेश माहेश्वरी, 2011, टाटा मैकग्रा, हिल एजुकेशन प्रा. लि. नई दिल्ली, पृष्ठ सं. 1.59, आईएसबीएन:9780070705296*

बीजापुर जिले में (पूर्व दंतेवाडा) राज्य का इकलौता गेम सेन्चुरी कुटरू में है।

छत्तीसगढ़ के खनिज भंडार

क्र.	खनिज	उत्पादक जिले
1	कोयला	कोरबा (कोरबा, गेवरा, दीपिक, कुसमुंडा, हसदो, रामपुर क्षेत्र), कोरिया (चिरमिरी, सोनहट, झिलमिली), सरगुजा (विश्रामपुर, तातापानी, रामकोला, लखनपुर क्षेत्र), रायगढ़ (रायगढ़, खरसिया, घरघोड़ा, धरमजयगढ़ क्षेत्र)
2	लौह अयस्क	दंतेवाड़ा (बैलाडीला क्षेत्र), दुर्ग (दल्लीराजहरा, डोंडीलोहारा, क्षेत्र), बस्तर (रावघाट, नारायणपुर क्षेत्र), राजनांदगांव (बोरियाटिम्मबू, खैरगाढ़, छुईखदान)
3	टिन अयस्क	बस्तर (गोविन्दपाल, चीतलनार क्षेत्र), दंतेवाड़ा (बचेली, कटेकल्याण, तोंगपाल)
4	बॉक्साइट	सरगुजा (मैनपाट, सामरीपाट क्षेत्र), जशपुर (पेण्ड्रापाट), कोरबा (फुटका पहाड़ क्षेत्र), कवर्धा (बोदई, दलदली), कांकेर (अंतागढ़ तहसील क्षेत्र)
5	डोलोमाइट	बिलासपुर (हिर्रीमाइन्स क्षेत्र), जांजगीर–चांपा (चांपा, डभरा, अकलतरा क्षेत्र), रायपुर (भाटापारा, पाटापारा क्षेत्र)
6	चूना पत्थर	रायपुर (भाटापारा, तिल्दा, भिलाईगढ़ क्षेत्र), जांजगीर (अकलतरा, चिल्हाटी क्षेत्र), दुर्ग (नदिनी–खुंदिनी, जामुल– पत्थरिया क्षेत्र), रायगढ़ (खरसिया, सांरगढ़)
7	क्वार्टजाईट	रायगढ़ जिले में उत्पादन, दानीटोला (दुर्ग), डोंगरगढ़ क्षेत्र राजनांदगांव एवं कांकेर जिले में भंडार
8	केओलिन	राजनांदगांव

9	हीरा	रायपुर (मैनपुर तहसील का बेहराडीह, पायलीखण्ड, जांगड़ा, कोदोमाली, कोसमगुड़ा, बेहराडीह टेम्पल क्षेत्र), बस्तर (तोकापाल क्षेत्र)
10	अलेक्जेन्ड्राइट	रायपुर (देवभोग तहसील का संदमुड़ा क्षेत्र)
11	गारनेट	रायपुर (देवभोग तहसील के बोहेकला, धूपकोट, लाटापारा, केंदुवन क्षेत्र)
12	स्वर्ण	रायपुर (सोनाखान क्षेत्र), कांकेर (मिचगांव, सोनादेही), जशपुर (बरजोर–तपकरा क्षेत्र), रायगढ़ (सोनझरिया) आदि
13	अभ्रक	बस्तर, सरगुजा, जशपुर
14	यूरेनियम	सरगुजा, राजनांदगांव (मोहला क्षेत्र)

स्रोतः *संचालनालय, भौतिक तथा खनिजकर्म, छत्तीसगढ़, रायपुर*

परिवहन

वायु मार्गः हवाई मार्ग– छत्तीसगढ़ में मात्र रायपुर से ही नियमित हवाई उड़ान की सुविधा है। रायपुर दिल्ली, मुम्बई, नागपुर, भुवनेश्वर से हवाई सेवाओं से भी जुड़ चुका है। निम्न स्थानों पर हवाई पट्टी उपलब्ध है– चकरभाटा, अम्बिकापुर, नंदिनी, कोरबा, जशपुर, जगदलपुर, रायगढ़ ,सारंगढ़।

जल परिवहनः शबरी नदी पर कोंटा से आंध्रप्रदेश में नियमित जल परिवहन सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा वर्षा के मौसम में महानदी व शिवनाथ नदियों में आंशिक परिवहन सुविधा उपलब्ध होती है।

रेल मार्गः छत्तीसगढ़ राज्य में रेल मार्ग की लम्बाई 1108 किलोमीटर है।

बिलासपुर रेलवे जोनः बिलासपुर में देश का 16वां रेलवे जोन स्थापित किया गया है। इसकी घोषणा 1998 में हुई थी पर यह 1 अप्रैल 2003 से अस्तित्व में आया। इसका इसका नाम **दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे** (SECR) रखा गया है। यह भारत का सर्वाधिक आय वाला रेलवे जोन है।

रेल मंडलः छत्तीसगढ़ में तीन रेल मंडल है– बिलासपुर, रायपुर एवं नागपुर मंडल।

छत्तीसगढ़ के मुख्य रेल मार्ग–

- कोलकाता–मुम्बई मुख्य मार्ग, जिससे राजनांदगांव, दुर्ग, भिलाई, रायपुर, बिलासपुर, चांपा, रायगढ़ सीधे जुड़े हुए है। भिलाई राउरकेला, जमशेदपुर आदि लौह इस्पात केन्द्र इसी लाइन पर स्थित है।
- एक मार्ग बिलासपुर से कटनी को जोड़ता है।
- एक अन्य रेल मार्ग बैलाडीला से विशाखापट्टनम के लिए बनाया गया है। यह मार्ग बैलाडीला का लौह अयस्क विशाखापट्टनम और वहां से जापान भेजने के उद्देश्य से बनाया गया।
- रायपुर से एक अन्य रेल मार्ग विशाखापट्टनम के लिए जाता है।
- चांपा से एक रेल मार्ग गेवरा के लिए जाता है।
- दुर्ग से दल्ली राजहरा के लिए जाता है।

- सड़क मार्ग की लम्बाई– सड़कों की कुल लम्बाई अगस्त 2002 तक 36324 कि.मी. है।

पशुपालनः

पशुचिकित्सा महाविद्यालय दुर्ग में और दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय रायपुर में है। छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम पशु बाजार बिलासपुर जिले के ग्राम रतनपुर में लगता है। जबकि प्रदेश का सबसे बढ़ा पशु बाजार रायपुर का भैसथान बाजार था।

मत्स्य पालनः

मत्स्य अनुसंधान प्रयोगशाला रायपुर में है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख मत्स्य पालन केन्द्रों में डेमार, कुरूद–रायपुर, खुटेल भाटा, सेलूद, धमधा– दुर्ग, पखांजुर, बलेंगा–बस्तर, खूंटाघाट–बिलासपुर, झुमका–सरगुजा आदि है।

2:4 बिलासपुर एक अध्ययन

स्रोतः www.mapsofindia.com

बिलासपुर का नाम बिलासाबाई केंवटीन के नाम पर पड़ा। 1861 में प्रथम बार जिला बना, 1998 में जिला को विभाजित करके कोरबा और जांजगीर–चांपा बनाया गया, 2012 में मुंगेली को अलग जिला बनाया गया। क्षेत्रफल 6377 वर्ग किलोमीटर है। गांव 1635 है। तहसील 11 (बिलासपुर, बिल्हा, मस्तुरी, कोटा, तखतपुर, मरवाही, पेन्ड्रा, गौरेला) सबसे बड़ा तहसील– बिलासपुर। अर्थव्यवस्था– दक्षिण–पूर्व–मध्य रेल्वे जोन, दक्षिण–पूर्वी कोयला क्षेत्र, छत्तीसगढ़ न्यायापालिका। विशेषताएं– न्यायधानी, संस्कारधानी, दूसरा सबसे बड़ा नगर, नगर बस सेवा– 2007। जनसंख्या– 19,98,355 लाख – 2001 के अनुसार (जनगणना 2011 – 26 लाख), एस.टी. – 3,97,104. एस.सी. – 3,69,088. ग्रामीण – 15,11,661 है। समुद्रतल से उंचाई 262 मीटर। ग्राम पंचायत 858 है। जनपद पंचायत 7 (मुंगेली को अलग जिला बनाने के

पूर्व में 10 जनपद पंचायत)। मल्हार – गौमुखी शिवलिंग, पातालेश्वर केदार, डिंडेश्वरी मंदिर, केन्द्र सरकार संग्रहालय।

बिलासपुर नगर छत्तीसगढ़ में 22'5 उत्तरी अक्षांश एवं 82'10 पूर्वी देशांतर पर 'अरपा नदी' के तट पर बसा है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 853 फीट है।

नामकरण : प्रचीनकाल में यह क्षेत्र रतनपुर राज्य के अन्तर्गत आता था। रतनपुर में रत्नदेव द्वितीय (1120–1135 ई.) के समय वर्तमान बिलासपुर के स्थान पर 'घना जंगल' था जहां केवट जाति के कुछ परिवार थे। किवंदती के अनुसार एक बार महाराजा रत्नदेव आखेट हेतु इस वन क्षेत्र में आये। शिकार का पीछा करते हुए उनके कुछ सैनिक आगे निकल गये तथा केवट की बस्ती में पहुंचकर चना बेचने वाली 'बिलासा' (बिलसिया) नाम की कन्या से उन्होंने दुर्व्यवहार किया, जिस पर आत्मग्लानि से भरी बिलासा ने आत्मदाह कर लिया, इस घटना की जानकारी होने पर राजा ने दोषी सैनिकों को कठोर दण्ड दिया तथा प्रायश्चित स्वरूप उस सती के नाम पर उसी स्थान पर बिलासा ग्राम बसाया। यही बिलासा ग्राम कालान्तर में बिलासपुर के नाम से एक नगर के रूप में स्थापित हुआ। किन्तु बिलासा पर हुये दुर्व्यवहार को कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। एक अन्य मतानुसार बिलासपुर का प्राचीन नाम पलासपुर माना जाता है। सी.एम.डी. महाविद्यालय बिलासपुर के प्रो. आर.जी. शर्मा के ग्रंथ 'छत्तीसगढ़ दर्पण' के अनुसार बिलासपुर नामकरण के सम्बन्ध में कैप्टप जे. फोरसिथ का शोध कार्य उल्लेखनीय है। कैप्टन फोरसिथ ने तात्कालीन ब्रिटिश शासन के निर्देश पर रायपुर से संबलपुर तक गढ़वार आंकलन किया था। कैप्टन की 1971 में प्रकाशित हुई इस रिपोर्ट के दसवें अध्याय का नाम 'एन एक्सप्लोरेशन इन दि फार ईस्ट' है। कैप्टन के अनुसार इस क्षेत्र

में भूमिया को आप शायद ही बिना टंगिया एवं चोंगा के देखेंगे। उसने आगे लिखा है – ब्यूटिया फ्रोन्डोसा इस क्षेत्र में बहुतायत में मिलते है। इस वृक्ष के पेत्ते को मोड़कर भूमिया अत्यंत दक्षता से शीघ्र की चोंगी बना लेने में अभ्यस्थ है। फोरसिथ के अनुसार बिलासपुर कानाम पलास के कारण ही पड़ा। इस क्षेत्र कानाम पलाश पर आधारित है। इसे मान्या करने के कुछ और कारण पुष्टिकारक है। उन दिनों यहां बहुत विकसित था। अंग्रेजों ने यहां लाख के दो बड़े डिपो जगमल ब्लाक एवं तारबहार क्षेत्रों में बनाये थे। इसी लाख पर आधारित चमड़े एवं चूड़ियों के कारखानों के प्रमाण मिल चुके हैं। जनमानस एवं शासकीय उद्योग पलाश से प्रभावित थे एवं छत्तीसगढ़ की परम्परा नामकरण के सम्बन्ध में इसे सार्थकता प्रदान करती है।

बिलासा का विवरण क्षेत्र के देवार गीतों में मिलता है, किन्तु इन गीतों में भी बिलासा शौर्य की प्रतिमा एवं देवी स्वरूप है इसके ऊपर अत्याचार का विवरण इनमें नहीं है। अतः अत्याचार होना एवं उस पर आधारित नामकरण एक कहानी है जिसे इतिहास में जोड़ दिया गया है। पलाशपुर को बिलासपुर सम्भवतः अंग्रेजों ने ही किया जैसा वे हिन्दी शब्द कपाट को कवाट कहते थे उसी प्रकार पलाश को बेलास कहने लगे और बिलासपुर हो गया जो आगे चलकर बिलासपुर हो गया।

रतनपुर राज्य के मराठा शासन बिम्वाजी भोंसले के काल में 1770 में बिलासपुर को नगर का रूप दिया गया, बिलासपुर को जिले का दर्जा 1861 में प्राप्त हुआ था। संभागीय मुख्यालय 1956 में बना। जिले की स्थापना के समय यह बहुत बड़ा था अतः 1906 में दुर्ग जिला बनने पर बिलासपुर का 363 वर्गमील क्षेत्र दुर्ग में तथा 706 वर्गमील क्षेत्र उड़ीसा प्रांत में मिला दिया गया। जिले का प्रथम बंदोबस्त 1868 में मि. चिसम् ने एवं दूसरा 1888 में मि. एस.

एस. केरी ने किया था। दक्षिण पूर्व रेल्वे के अन्तर्गत बिलासपुर रेलवे से 1890 में जुड़ा तथा बिलासपुर–कटनी लाइन 1891 में बनने से जंक्शन 1891 में बना। यहां नगरपालिका की स्थापना 1887 में हुई तथा नगर निगम 1981 में बना। यहां नाट्य थियेटर 1927 में बना जो आज श्याम टॉकीज है। नगर में पहला महाविद्यालय शिव भगवान रामेश्वरलाल 1944 में महाकोशल शिक्षण द्वारा स्थापित किया गया।

शहर के दर्शनीय स्थलों में कानन पेण्डारी, श्री दीनदयाल उपाध्याय स्मृति वन, श्री अरूप्पा स्वामी मंदिर, काली मंदिर आदि है।

रतनपुर (ऐतिहासिक, धार्मिक स्थल) – बिलासपुर से लगभग 25 किलोमीटर की दुरी पर बिलासपुर – कटघोरा मार्ग पर 'रतनपुर' स्थित है। रतनपुर अनेक तालाबों और मंदिरों से युक्त प्राचीन धार्मिक नगरी है। प्राचीन ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण स्थान है। पहाड़ियों के बीच स्थित रतनपुर प्राचीन छत्तीसगढ़ की राजधानी रहा है। प्राकृतिक दृष्टि से उपर्युक्त होने के कारण कल्चुरि राजाओं ने इसे अपनी राजधानी बनाया। कल्चुरि काल में यह सभी तरह की गतिविधियों का प्रमुख केन्द्र था, इसे 'रत्नदेव प्रथम' ने बसाया था जिसके कारण 'रतनपुर' पड़ा।

खूंटाघाट जलाशय (प्राकृतिक) – बिलासपुर–कोरबा मार्ग पर 25 किमी दूरी पर 'रतनपुर' से 8 किमी की दुरी पर, खूंटाघाट (खारंग जलाशय) जलाशय स्थित है। यह जलाशय खारंग नदी पर बांध बनाकर तैयार किया गया है, बांध की अधिकतम ऊंचाई 21.3 मी एवं लम्बाई 495 मी. है। इस बांध का निर्माण सन् 1931 में पूर्ण हुआ इससे दो मुख्य नहरें – बांयी तट, दांयी तट

सिंचाई हेतु निकाली गई है। जल संग्रह क्षमता 194 मिलयन घनमीटर है यह जलाशय पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र है जो चारों और पहाड़ों से घिरा हुआ नैसर्गिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। समय–समय पर जलाशय में नौकाचालन की व्यवस्था भी की जाती है।

लाफागढ़ (चैतुरगढ़) (ऐतिहासिक, पुरातात्विक) – बिलासपुर से लगभग 45 किमी की दूरी पर तथा 'बिलासपुर–कोरबा मार्ग' पर स्थिति पाली से 15 किमी की दूरी पर 'लाफागढ़' स्थित है जो कि एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक और ऐतिहासिक स्थल है। गढ़ मंडला के गोंड़ राजा 'संग्रामशाह' के बावन गढ़ों की सूची में 'लाफागढ़' सम्मिलित रहा है। 15–16वीं सदी ई. में गोड़ो के साम्राज्य में इस गढ़ का राजनैतिक एवं सामरिक दृष्टि से विशेष महत्व था। दुर्गम पर्वतमाला के समतल चोटी पर लगभग दो हजार फीट की ऊंचाई पर अवस्थित 'लाफागढ़' चैतुरगढ़ के नाम से जाना जाता है। यहां 'चैतुरगढ़' का किला स्थित है, जिसकी ऊंचाई 3240 फीट है।

धनपुर (ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं धार्मिक) – बिलासपुर से 'बिलासपुर–कटनी रेलमार्ग पर पेंड्रा रोड स्टेशन से 23 कमी की दुरी पर 'धनपुर' नामक प्राचनी ऐतिहासिक नगर है 'धनपुर' जैन धर्मावलम्बियों का अंचल का सबसे बड़ा नगर के रूप में प्रसिद्ध था।

अचानकमार (वन्य प्राणी अभ्यारण्य) – यह अभ्यारण्य बिलासपुर से 58 किमी दूर बिलासपुर–पेड्रा अमरकण्टक मार्ग पर 551 किमी वन क्षेत्र में विस्तृत है। घने साल वनों और विविध वन्य प्राणियों के बाहुल्य वाला क्षेत्र अचानकमार को सन् 1975 में अभ्यारण्य घोषित किया गया। इस अभ्यारण्य में बाघ, तेन्दुआ, गौर, चीतल आदि वन्य प्राणियोंके साथ विविध

वन्य जीव पाये जाते है। पर्यटकों के ठहरने हेतु अचानकमार एवं लमनी में विश्रामगृह उपलब्ध है। यहां बाघों की संख्या 31 तथा अभ्यारण्य में दुर्लभ माउस डीयर पाया जाता है।

अमरकंटक (ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं धार्मिक) – छत्तीसगढ़ एवं मध्यप्रदेश के मध्य की सांस्कृतिक विरासत को लेकर आधिपत्य हेतु परस्पर दावे के कारण हाल ही में विवाद का विषय बना अमरकंटक सतपुड़ा–मैंकल पर्वतमाला के मैकल पठार पर जबलपुर, बिलासपुर एवं रींवा तीन संभाग व बिलासपुर, मंडला तथा शहडोल जिलों के सीमा संगम पर मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित है। पुण्य सलिल मॉ नर्मदा, सोमभद्र एवं जेहला नदियों की उद्‌गम स्थली पवित्र धाम 'अमरकंटक' साल वनों से आच्छादित नैसर्गिक दृश्यों हेतु प्रसिद्ध है। अपने गर्भ में विपुल खनिज सम्पदा छिपाये एवं आयुर्वेदिक जड़ी–बूटियों से युक्त वनस्पति तथा स्वस्थ्यप्रद जलवायु से परिपूर्ण यह स्थल छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केन्द्र है।

दर्शनीय स्थल – दर्शनीय स्थलों के कारण अमरकंटक एक आकर्षक पर्यटन स्थल है। कबीर चबूतरा, नर्मदा कुण्ड, कपिलधारा, दुग्धधारा, सोनमुड़ा, माई की बगिया, भृगु–कमंडल माई का मण्डप, श्री ज्वालेश्वर महादेव तथा 'श्री यंत्र' महालेरू मंदिर, आदि के अलावा यहां बॉक्साइट खदान भी लोकप्रिय है।

2:5 छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की स्थिति

छत्तीसगढ़ में गोंड, बैगा, कोरबा, उरॉव, हल्वा, भतरा, कॅवर, कमार, माडिया आदि जनजातियां आदि प्रमुख रूप से निवास करती हैं। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित जनजातियां निवास करती हैं–

1. अगरिया

2. अंध

3. बैगा

4. भैंना

5. भारिया भूमिया,

6. भत्तरा

7. भील, भीलाला, बरेला, पटेलिया

8. भील मीना

9. भुंजिया

10. बैर, बियार

11. बिंझवार

12. बिरहुल, बिरहोर

13. दामोर, दमरिया

14. धनवार

15. गड़बा

16. गोंड

17. हल्बा, हल्बी

18. कमार

19. करकू

20. कॅवर

21. खैरवार

22. खडिया / खरिया

23. कोंध

24. कोल

25. कोलम

26. कोरकू

27. कोरवा

28. माझी

29. मझवार

30. मवासी

31. मुंडा

32. नागसिया

33. ओरांव

34. पाओ

35. परधान

36. परधी, बहेलिया

37. परजा

38. षहरिया

39. सउन्टा

40. सौर

41. सवारा

42. सोनर

जनगणना 2011 के अनुसार बिलासपुर जिले की कुल जनसंख्या 1961922 है। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 425688 है जो कुल जनसंख्या का 21.7 प्रतिशत है।

2:5:1 प्रमुख जनजातियां : एक परिचय

राज्य में अधिकतर आदिवासी 'प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड' प्रजाति के हैं। इनका परिचय इस प्रकार है–

1. **गोंड**–जनसंख्या की दृष्टि से गोंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है। राज्य में इनका जमाव मुख्यतः बस्तर, जांजगीर–चांपा और दुर्ग जिले में पाया जाता है। 'गोंड' शब्द की उत्पत्ति तमिल भाषा के शब्द 'कोंड' या 'खोन्द' से हुई है। कोंड शब्द कोंडा से निकला है, जिसका अर्थ 'पर्वत' होता है। गोंड एवं उसकी उपजातियां स्वयं की पहचान 'कोया' या 'कोयतोर' शब्दों से करती है, जिसका अर्थ 'मनुष्य' या 'पर्वतवासी मनुष्य' है। गोंड लोग स्वयं को गोंड नहीं बल्कि 'कोयतोर' कहना ज्यादा पसंद करते हैं। छत्तीसगढ़ के दक्षिण में स्थित अगम्य पर्वत श्रेणियों में इनकी प्रधानता देखने को मिलती है। बस्तर में गोंड आज भी अपनी मूल अवस्था में पाये जाते हैं। इसके अलावा राज्य के दुर्ग, रायगढ़, बिलासपुर एवं सरगुजा जिलों में भी इनका संकेन्द्रण है। राज्य में गोंडों की कुल मिलाकर 30 शाखाएं पायी जाती हैं। गोंड जनजाति का संबंध प्राक् द्रविड़ प्रजाति से है। शारीरिक बनावट की दृष्टि से इनकी त्वचा का रंग काला, बाल सीधे और काले होते हैं। इनके होंठ पतले, नथुने फैले हुए, सिर चौड़ा एवं मुंह चौड़ा होता है। इनका भोजन मांस व वनों से प्राप्त कन्दमूल एवं फलों पर निर्भर करता है। गोंड जनजाति के क्षेत्र में महुआ के फल पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं, जिससे ये लोग षराब बनाते हैं। ये लोग महुआ के फल को सुखा कर खाते भी हैं। गोंड जनजाति में मदिरापान का काफी ज्यादा प्रचलन है। गोंड जनजाति का मुख्य व्यवसाय कृषि है। ये लोग स्थानान्तरित कृषि भी करते हैं। कुछ गोंड टोकरी, रस्सी आदि बनाकर अपने समीपस्थ शहर में उसे

बेचकर अपनी जीविका चलाते हैं। गोंड जनजाति का प्रमुख देवता 'दूल्हा देव' है। बड़ा देव, नागदेव, नारायण देव आदि इनके अन्य देवता हैं। इस जनजाति में वधू धन देने की प्रथा है। इनमें विधवा विवाह एवं बहु विवाह का प्रचलन भी पाया जाता है। गोंड में दूध लौटावा विवाह भी देखने को मिलता है। ये लोग बहुत ईमानदार होते हैं।

2. **कोरबा**—यह जनजाति छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, सरगुजा एवं रायगढ़ जिले के पूर्वी भाग में निवास करती है। यह जनजाति कोलेरियन जनजाति से संबंध रखती है। ये मुण्डा और सन्थाल जनजाति के समान जीवन निर्वाह करती है। इनकी उपजातियों में दिहारिया एवं पहाड़ी कोरबा प्रमुख हैं। पहाड़ी कोरबा को 'बेनबरिया' भी कहा जाता है। अन्य जनजातियों की तरह कोरबा भी अपनी जाति में विवाह करना ज्यादा पसंद करते हैं। इनमें विवाह वधू—धन चुकाने पर ही होता है। इनमें विधवा—विवाह भी प्रचलित है। इनमें तलाक प्रथा भी पायी जाती है। कोरबा जनजाति की अपनी पंचायतें होती हैं जिसे 'मैयारी' कहते हैं। बड़े—बूढ़े एवं बुद्धिमान लोग कोरबा पंचायत के सदस्य होते हैं। ये लोग भगवान, सूर्य और चंडी देवी के अतिरिक्त पितर पूजा में भी विश्वास रखते हैं। कोरबा जनजाति का मुख्य त्योहार 'करमा' होता है। इनमें सर्प पूजा की भी प्रथा है। कोरबा लोग मदिरा प्रिय होते हैं। पहाड़ी कोरबा जनजाति रूढ़िवादी एवं एकान्त प्रिय होते हैं। कोरबा जनजाति में स्थानान्तरित कृषि का प्रचलन भी देखने को मिलता है।

3. **मारिया**—राज्य के बिलासपुर जिले में मारिया जनजाति की आबादी पायी जाती है। भूमियां, भुईंहार एवं पांडो इस जनजाति की प्रमुख उपजातियां हैं। मारिया जनजाति अधिकांशतया पहाड़ी भागों में निवास करती है। कुछ मारिया लोग मैदानी क्षेत्रों में भी

रहते हैं। मैदानी मारिया की बस्तियां अधिकांशतः नदी–घाटियों और समतल भूमि पर अवस्थित है। मैदानी मारिया कृषि कार्य करते हैं। मारिया जनजाति की शारीरिक रचना गोंड जनजाति के समान होती है। धार्मिक दृष्टि से मारिया हिन्दू प्रतीत होते हैं। ये हिन्दू देवी–देवताओं की पूजा करते हैं और यहां तक कि ये सर्प, बाघ आदि को भी पूजते हैं। 'भीमसेन' इन लोगों के मुख्य देवता होता है।

4. **हल्वा**–यह जनजाति छत्तीसगढ़ के रायपुर, बस्तर और दुर्ग जिले में निवास करती है। इनकी उपजातियों में बस्तरिया, भटेथिया, छत्तीसगढ़िया आदि मुख्य हैं। हल्वा जनजाति की बोलचाल की भाषा पर मराठी प्रभाव देखने को मिलता है। हल्वा जनजाति के लोग कृषक वर्ग से संबंधित हैं। इनमें से अधिकांश भूस्वामी हैं। राज्य के अनेक हल्वा लोग कबीर पंथी हैं। इनकी बोली में मराठी भाषा के शब्दों का अधिक प्रयोग होता है। ये लोग अपने शरीर पर कम–से–कम वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। इनके रीति–रिवाज हिन्दू जाति से काफी मिलते–जुलते हैं। हलवाहक होने के कारण इस जनजाति का नाम 'हल्वा' पड़ा है।

5. **कोरकू**–राज्य के रायगढ़ और जशपुर जिलों में कोरकू जनजाति का जमाव पाया जाता है। मोवासी, बवारी, रूमा, नहाला, बोडोया आदि कोरकू की प्रमुख उपजातियां हैं। यह मूलतः एक कृषक जनजाति है साथ ही साथ ये कृषक श्रमिक के रूप में अपना जीवन यापन करते हैं। इसके अतिरिक्त ये लोग वनों से वनोपज भी एकत्र करते हैं। ये वनों में मजदूरी कर भी अपना पेट पालते हैं। कोरकू जनजाति में भूस्वामी कृषकों को 'राजकोरकू' और शेष लोग को 'पोथरिया कोरकू' कहते हैं। कोरकू जनजाति के लोग

हिन्दू देवी–देवताओं की पूजा करते हैं। दीपावली, दशहरा, होली आदि उत्सवों को ये बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। इस जनजाति में विवाह संबंध में वधू–धन चुकाना पड़ता है। इनमें तालाक प्रथा एवं विधवा विवाह का भी प्रचलन पाया जाता है।

6. **बैगा–**छत्तीसगढ़ के दुर्ग और बिलासपुर जिलों में बैगा जनजाति का निवास पाया जाता है। 'बैगा' शब्द का शाब्दिक अर्थ 'पुरोहित' होता है। इस कारण बैगा लोगों को 'पंडा' भी कहा जाता है। ये 'नागा बैगा' को अपना पूर्वज मानते हैं। ग्राम के पुरोहित होने के साथ–साथ ये चिकित्सक भी होते हैं। बैगा द्रविड़ समुदाय की आदिम जनजाति है। ये लोग पहले जमीन बदल–बदल कर खेती (स्थानान्तरित खेती) करते थे, लेकिन कानूनी प्रतिबंध के कारण अब वे स्थायी कृषि करने लगे हैं। वनों की उपज पर जीवन यापन करने वाले बैगा सरल भौतिक संस्कृति में जीते हैं।

7. **बिंझवार–**विन्ध्याचल पर्वत के मूल निवासी होने के कारण इस जनजाति का यह नाम पड़ा है। राज्य में इनका निवास बिलासपुर एवं रायपुर जिलों में है। इनका प्रमुख कार्य कृषि है। विन्ध्याचल वासिनी देवी की पूजा करते हैं। इनकी मातृभाषा छत्तीसगढ़ी है। ये अपने को विन्ध्यवासिनी पुत्र 'बारह भाई बेटकर' को अपना पूर्वज मानते हैं। छत्तीसगढ़ के महान क्रांतिकारी वीर नारायण सिंह इसी समुदाय के थे।

8. **कमार–**यह एक छोटी जनजाति है जो रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, राजनांदगांव, जांजगीर–चांपा, जशपुर, कोरिया एवं सरगुजा के वन क्षेत्रों में रहते हैं। ये अपने को गोड़ों का वंशज मानते हैं।

9. **कंवरः** इसे कनवार के नाम से भी जाना जाता है। यह जनजाति छत्तीसगढ़ में मुख्यतः बिलासपुर, रायपुर एवं सरगुजा जिलों में पायी जाती है। ये लोग अपनी उत्पत्ति महाभारत के कौरव से बताते हैं। ये अपेक्षाकृत अन्य जनजातियों से कुछ विकसित या उससे अधिक शिक्षित होते हैं। छत्तीसगढ़ी इनकी मातृभाषा है। इस जनजाति में मुर्गा का मांस एवं शराब पीना मना है। संगोत्री विवाह और विधवा विवाह वर्जित है। सगराखंड इनका प्रमुख देवता है। ये कृषक और कृषक मजदूर हैं। इनमें आपसी झगड़ों का निपटारा पंचायत द्वारा होता है। पंचायत को दंड देने का अधिकार है। ये स्वच्छता प्रिय होते हैं। ये स्वयं साफ रहते हैं तथा अपने घरों को भी साफ–सुथरा रखते हैं।

10. **खैरवारः** इन्हें 'कथवार' भी कहा जाता है। ये सरगुजा तथा बिलासपुर जिले में निवास करते हैं। कत्था का व्यवसाय करने के कारण इस जनजाति का यह नाम पड़ा है। ये छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रयोग करते हैं। इनमें साक्षरता बहुत ही कम है।

11. **खड़ियाः** यह जनजाति छत्तीसगढ़ में रायगढ़ तथा जशपुर जिलों तक सीमित है। खड़खड़िया (पालकी) ढ़ोने के कारण इस जनजाति का यह नाम पड़ा है। मुंडा परिवार की खड़िया इनकी मातृभाषा है तथा सदरी का भी व्यवहार करते हैं। ये पूस–पुन्नी तथा करमा जैसे स्थानीय उत्सव मनाते हैं। इस जनजाति में भी साक्षरता बहुत कम है।

12. **भैना:** यह एक आदिम जनजाति है। किंवदन्ती के अनुसार बैगा तथा कंवर की वर्णसंकर सन्तानें हैं। ये रायगढ़ तथा बिलासपुर के उपजाऊ क्षेत्र में व्याप्त हैं। ये छत्तीसगढ़ी का व्यवहार करते हैं।

13. **अगरिया:** अगरिया जातीय नाम 'अग्नि' से व्युत्पन्न यह समुदाय आज भी लौह–अयस्क के पिघलाने के कार्य में लगा हुआ है। ये अपने को लाहौर भी कहते हैं। इन्हें राज्य के केल्हा अगरिया, बिलासपुर में खंटिया चोक तथा महाली असुर अगरिया तथा रायपुर में गोड्डुक अगरिया कहा जाता है। यह समुदाय मैकल–पर्वत–श्रृंखला के बिलासपुर में अधिक मिलता है तथा छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रयोग करता है।

14. **असुर:** असुर मूलतः बिहारी समूह है तथा अपने जातीय नाम को संस्कृत–व्युत्पत्ति से जोड़ता है। घरों में ये मुण्डा–परिवार की असुरी भाषा का प्रयोग करते हैं। असुर रायगढ़ तथा जशपुर क्षेत्र तक ही सीमित हैं। असुरों के अनेक गांव पहाड़ों पर ही बसे हुए हैं।

15. **भतरा:** भतरा का अर्थ है सेवक। ये मानते हैं कि अन्नदेव के साथ 14वीं शताब्दी में वारंगल से बस्तर आए। ये उड़ीसा की एक बोली भतरी का व्यवहार करते हैं। भारत जनजाति पर नेगी (1962) का उल्लेख महत्वपूर्ण है।

16. **भुंजिया:** 'भूम' जिया के कारण भुंजिया नाम पड़ा। यह समुदाय रायपुर जिले तक सीमित है। इनकी मातृभाषा भुंजिया बस्तर की हल्बी के बहुत निकट है।

17. **बिरहोड़ः** बिरहोड़ का अर्थ है (वने) (बिर) चिर (होड़) वन जाति। बिरहोड़ रायगढ़ जिले में व्याप्त हैं। ये छत्तीसगढ़ी को मातृभाषा के रूप में प्रयुक्त करते हैं तथा अब अपने पूर्वजों की मुण्डा भाषा को भूल गए हैं।

18. **बिरजियाः** 'बिरजिया' का अर्थ है 'जंगल की मछली'। ये सरगुजा जिले में निवास करते हैं। ये मुण्डा परिवार की 'बिरजिया' भाषा के साथ 'सदरी' का भी व्यवहार करते हैं। ये सरहुल, कर्मा, फगुआ तथा रामनवमी जैसे उत्सव मानते हैं।

19. **धनवारः** इनके 'धनुवर' लोधा तथा 'बैगा' जैसे पर्याय भी मिलते हैं। 'धनवार' शब्द की व्युत्पत्ति 'धनुष' से हुई है, जिसका अर्थ है 'धनुर्धारी'। रसेल तथा हीरालाल के अनुसार धनवार समुदाय गोंड या कंवर की ही एक शाखा है। ये बिलासपुर, रायगढ़ तथा सरगुजा जिलों में पाये जाते हैं। ये छत्तीसगढ़ी बोलते हैं।

20. **घुरवाः** ये बस्तर जिले के बस्तर तथा सुकमा विकासखण्डों तक सीमित हैं। घुरवा पहले अपने आपको परजा कहते थे। इनकी मातृभाषा 'परजी' द्रविड़ भाषा परिवार से सम्बद्ध हैं। ये हल्बी प्रयोग द्वितीय भाषा के रूप में करते हैं।

21. **गदबाः** गोदावरी से संलग्नता इनके नाम की आख्यापक ई–गोदावरी के निवासी। ये बस्तर जिले में निवास करते हैं। ये पहले मुण्डा परिवार की गदबा का व्यवहार करते थे। किन्तु अब हल्बी भाषा इनकी मातृभाषा है।

22. **कोड़कु:** ये सरगुजा तथा रायगढ़ जिलों में फैले हुए हैं। कोड़कु का अर्थ है भूमि को खोदने वाला। इनकी मातृभाषा कोरबा मुण्डा–भाषा परिवार से सम्बद्ध है। ये घर से बाहर छत्तीसगढ़ी का ही प्रयोग करते हैं।

23. **कोलः** 'कोल' एक जातीय नाम है, जो संस्कृति साहित्य में भील तथा किरात के साथ बहुषः प्रयुक्त हुआ है। तुलसीदास के 'रामचरितमानस' में भी कोलों की चर्चा है। 'कोल' मूलरूप में मुण्डारी प्रजाति से जुड़े रहे होंगे। मुण्डारी में 'को' का अर्थ है 'पुरूष'। कोल सरगुजा अंचल में व्याप्त हैं। ये हिन्दी की ही स्थानीय बोलियों का व्यवहार करते हैं।

2:6 छत्तीसगढ़ में मीडिया की स्थितिः

छत्तीसगढ़ में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, परंपरागत माध्यम और न्यू मीडिया का संजाल बिछा हुआ है। विकास के विभिन्न विषयों और मुद्दों को मीडिया द्वारा समय–समय पर उठाया जाता है। सरकार की नीतियों, योजनाओं, विकास कार्यक्रमों इत्यादि का प्रचार–प्रसार मीडिया द्वारा किया जाता है। लोगों को सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करने के साथ–साथ जनजागरूकता फैलाने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन दूरदराज के क्षेत्रों में जहां मीडिया की पहुंच नहीं है या कम है वहां विकास में दिक्कतें आ रही हैं।

विकास पत्रकारिता का उद्देश्य केवल विकास योजनाओं और नीतियों का प्रचार–प्रसार करना ही नहीं होता बल्कि उनके कियान्वयन और लक्षित समूह तक इसकी पहुंच को भी सुनिश्चित करना होता है। छत्तीसगढ़ की सामाजिक और राजनीतिक बनावट में

खामियों के कारण विकास योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों के प्रचार–प्रसार व क्रियान्वयन में दिक्कतें आ रही हैं। साथ ही विभिन्न चुनौतियों जैसे–नक्सलवाद, भ्रष्टाचार आदि के कारण भी इन योजनाओं के क्रियान्वयन में रूकावटें आ रही हैं। मीडिया जनता और सरकार के बीच सेतू का कार्य करती है। मीडिया विभिन्न असंतुष्ट समूहों और सरकार के बीच संपर्क का माध्यम बन सकता है लेकिन अफसोस कि अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। कुछ प्रयास अवश्य जारी हैं, लेकिन ये नाकाफी हैं। मीडिया को एक सुनिश्चित रणनीति बनानी होगी। समाज के कमजोर, बंचित वर्ग व समूहों को साथ में मिलाकर विकास की बात की जानी चाहिए।

2:7 बिलासपुर में मीडिया की स्थितिः

प्रिंट मीडियाः

बिलासपुर में हिन्दी भाषा के दैनिक भास्कर, नई दुनिया, नवभारत, हरिभूमि, देशबंधु, हाइवे चैनल, तरुण पथ, स्वदेश, इवनिंग टाइम्स, प्रखर संदेश, लोक स्वर समाचार पत्रों का प्रकाशन होता है। अंग्रेजी माध्यम के समाचार पत्रों में हितवादा का स्थानीय संस्करण एवं टाइम्स ऑफ इंडिया, हिन्दुस्तान टाइम्स और द हिन्दू समाचार पत्रों के राष्ट्रीय संस्करण उपलब्ध होते हैं।

उप–संचालक जनसंपर्क, बिलासपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार बिलासपुर जिले में कुल 89 पंजीकृत समाचार–पत्र/पत्रिकाएं हैं। विस्तृत विवरण निम्नानुसार है–

क्र.	समाचार पत्र/पत्रिका का नाम	भाषा	समयावधि	नियमित/अनियमित

1	नवभारत	हिन्दी	दैनिक	नियमित
2	भास्कर	हिन्दी	दैनिक	नियमित
3	हरिभूमि	हिन्दी	दैनिक	नियमित
4	नईदुनिया	हिन्दी	दैनिक	नियमित
5	हाईवे चैनल	हिन्दी	दैनिक	नियमित
6	इवनिंग टाइम्स	हिन्दी	दैनिक	नियमित
7	प्रतिदिन राजधानी	हिन्दी	दैनिक	नियमित
8	देशबंधु	हिन्दी	दैनिक	नियमित
9	लोकस्वर	हिन्दी	दैनिक	नियमित
10	प्रजाशक्ति	हिन्दी	दैनिक	नियमित
11	एक्सेस न्यूज	हिन्दी	दैनिक	नियमित
12	तरूण पथ	हिन्दी	दैनिक	नियमित
13	अग्रदुथ	हिन्दी	दैनिक	नियमित
14	स्वदेश	हिन्दी	दैनिक	नियमित
15	समवेत शिखर	हिन्दी	दैनिक	नियमित
16	छत्तीसगढ़	हिन्दी	साप्ताहिक	अनियमित
17	बिलासपुर जनसंदेश	हिन्दी	साप्ताहिक	नियमित
18	कर्णप्रिय	हिन्दी	साप्ताहिक	अनियमित
19	लोकमित्र	हिन्दी	साप्ताहिक	नियमित
20	बिलासपुर अंचल	हिन्दी	साप्ताहिक	नियमित
21	हरेली टाइम्स	हिन्दी	साप्ताहिक	नियमित

22	बिलासपुर रिपोर्टर	हिन्दी	साप्ताहिक	नियमित
23	धधकती ज्वाला	हिन्दी	साप्ताहिक	नियमित
24	विनय मित्र	हिन्दी	साप्ताहिक	नियमित
25	हसदेव टाइम्स	हिन्दी	साप्ताहिक	नियमित
26	बुंद और मोती	हिन्दी	साप्ताहिक	नियमित
27	नर्मदा अंचल	हिन्दी	साप्ताहिक	नियमित
28	बिल्हा टाइम्स	हिन्दी	साप्ताहिक	अनियमित
29	खामोश तूफान	हिन्दी	साप्ताहिक	अनियमित
30	बिलासपुर का पैगाम	हिन्दी	साप्ताहिक	नियमित
31	छत्तीसगढ़ एलान	हिन्दी	साप्ताहिक	नियमित
32	पाठक मंच	हिन्दी	साप्ताहिक	नियमित
33	न्यायाधानी टाइम्स	हिन्दी	साप्ताहिक	नियमित
34	सत्यमामा टाइम्स	हिन्दी	साप्ताहिक	नियमित
35	छत्तीसगढ़ सत्य एक्शन	हिन्दी	साप्ताहिक	नियमित
36	छत्तीसगढ़ मुस्कान	हिन्दी	साप्ताहिक	नियमित
37	गांव की गुडी	हिन्दी	साप्ताहिक	नियमित
38	हमदर्द हो तो ऐसा	हिन्दी	साप्ताहिक	नियमित
39	मस्तूरी टाइम्स	हिन्दी	साप्ताहिक	नियमित
40	बिलासपुर मित्र	हिन्दी	साप्ताहिक	नियमित
41	फास्ट एक्शन	हिन्दी	साप्ताहिक	नियमित
42	राष्ट्रीय विकलांग संदेश	हिन्दी	साप्ताहिक	नियमित

43	सांई एक्शन	हिन्दी	साप्ताहिक	नियमित
44	देश का एक्शन	हिन्दी	साप्ताहिक	नियमित
45	शांति क्रांति	हिन्दी	पाक्षिक समाचार पत्र	अनियमित
46	रेड आई	हिन्दी	मासिक समाचार पत्र	नियमित
47	स्वरोजगार मार्गदर्शिका	हिन्दी	मासिक समाचार पत्र	अनियमित
48	बिलासपुर दर्शन	हिन्दी	मासिक समाचार पत्र	नियमित
49	छत्तीसगढ़ और पाठक	हिन्दी	मासिक समाचार पत्र	नियमित
50	छत्तीसगढ़ हमदर्द	हिन्दी	मासिक समाचार पत्र	नियमित
51	सिटी संवाद	हिन्दी	मासिक समाचार पत्र	नियमित
52	गौरेला की लहरें	हिन्दी	मासिक समाचार पत्र	नियमित
53	दहकते एलान	हिन्दी	मासिक समाचार पत्र	नियमित
54	छत्तीसगढ़ सुबह	हिन्दी	मासिक समाचार पत्र	नियमित
55	पूरीरात रिपोर्टर	हिन्दी	मासिक समाचार पत्र	नियमित
56	संबलपुर अंचल	हिन्दी	मासिक समाचार पत्र	नियमित
57	छत्तीसगढ़ मीडिया	हिन्दी	मासिक समाचार पत्र	नियमित
58	छत्तीसगढ़ लोक	हिन्दी	मासिक समाचार पत्र	नियमित
59	गेवरा ऐक्सप्रेस	हिन्दी	मासिक समाचार पत्र	नियमित
60	बिलसिया महिमा	हिन्दी	मासिक समाचार पत्र	नियमित
61	अरपा प्रवक्ता	हिन्दी	मासिक समाचार पत्र	नियमित
62	खबरों का तूफान	हिन्दी	मासिक समाचार पत्र	नियमित
63	अस्मिता और स्वाभिमान	हिन्दी	मासिक समाचार पत्र	नियमित

64	अस्मिता और स्वाभिमान	हिन्दी	मासिक पत्रिका	नियमित
65	आधीरात का रिपोर्टर	हिन्दी	मासिक पत्रिका	नियमित
66	कर्मचारी संदेश	हिन्दी	मासिक पत्रिका	नियमित
67	प्रज्ञातंत्र	हिन्दी	मासिक पत्रिका	नियमित
68	छत्तीसगढ़ टुडे	हिन्दी	मासिक पत्रिका	नियमित
69	ब्राइट टाइगर	हिन्दी	मासिक पत्रिका	नियमित
70	एजुकेशनल वेब्स	हिन्दी	मासिक पत्रिका	नियमित
71	सुंदर शुभेष	हिन्दी	मासिक पत्रिका	नियमित
72	हरित संसार	हिन्दी	मासिक पत्रिका	अनियमित
73	सार्वता फलक	हिन्दी	मासिक पत्रिका	नियमित
74	जहरीली आग	हिन्दी	मासिक पत्रिका	नियमित
75	जंगल बुक	हिन्दी	मासिक पत्रिका	नियमित
76	सेन्ट्रल सर्कुलर	हिन्दी	मासिक पत्रिका	नियमित
77	निडर प्रहरी	हिन्दी	मासिक पत्रिका	नियमित
78	शोध प्रभांजलि	हिन्दी	द्विमासिक पत्रिका	नियमित
79	हर्बल हेल्थ	हिन्दी	द्विमासिक पत्रिका	नियमित
80	समन्वय छत्तीसगढ़	हिन्दी	त्रैमासिक पत्रिका	नियमित
81	विकास संस्कृति	हिन्दी	त्रैमासिक पत्रिका	नियमित
82	खबर नगरों की	हिन्दी	त्रैमासिक पत्रिका	नियमित
83	जनलोक का संग्रह	हिन्दी	त्रैमासिक पत्रिका	नियमित
84	हराशहर	हिन्दी	त्रैमासिक पत्रिका	नियमित

85	नये पाठक	हिन्दी	त्रैमासिक पत्रिका	नियमित
86	लोकाक्षर	हिन्दी	त्रैमासिक पत्रिका	नियमित
87	गांव की बातें	हिन्दी	त्रैमासिक पत्रिका	नियमित
88	20 सूत्री कार्यकम मानीटरिंग न्यूज	हिन्दी	त्रैमासिक पत्रिका	नियमित
89	बिलासपुर मेल	हिन्दी	त्रैमासिक पत्रिका	नियमित

स्रोतः उप–संचालक जनसंपर्क, बिलासपुर

इलेक्टॉनिक मीडिया–

बिलासपुर में आकाशवाणी के प्रसारण सुनवाये जाते हैं और दूरदर्शन के कार्यक्रमों को रायपुर से रिले करके दिखाये जाते हैं। साथ ही निजी क्षेत्र के जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, ईटीवी, बीटीवी, सिटी चैनल, ग्रांड चैनल और साधना चैनल का प्रसारण किया जाता है। बिलासपुर में एक मात्र निजि रेडियो चैनल **माई एफ.एम.** है, जो यहां के युवाओं के आकर्षण का केन्द्र है।

छत्तीसगढ़ के रेडियो स्टेशनः

क्र.	आवृत्ति	स्टेशन का नाम
	अंबिकापुर	
01	1260 किलो हर्ट्ज	आकाशवाणी, अंबिकापुर
02	90.4 मेगा हर्ट्ज	रेडियो नियोटेक, अंबिकापुर
	बिलासपुर	
03	103.2 मेगा हर्ट्ज	आकाशवाणी, बिलासपुर

04	90.4 मेगा हर्ट्ज	रमन रेडियो
05	94.3 मेगा हर्ट्ज	माई एफएम, बिलासपुर (भास्कर समूह)
	डोंगरगढ़	
06	100.1 मेगा हर्ट्ज	आकाशवाणी, डोंगरगढ़
	जगदलपुर	
07	756 किलो हर्ट्ज 100.1 मेगा हर्ट्ज	आकाशवाणी, जगदलपुर
	कांकेर	
08	100.1 मेगा हर्ट्ज	आकाशवाणी, कांकेर
	खरोद	
09	100.1 मेगा हर्ट्ज	आकाशवाणी, खरोद
	कोन्टा	
10	100.1 मेगा हर्ट्ज	आकाशवाणी, कोन्टा
	कोरबा	
11	100.1 मेगा हर्ट्ज	आकाशवाणी, कोरबा
	महेन्द्रगढ़	
12	100.1 मेगा हर्ट्ज	आकाशवाणी, महेन्द्रगढ़
	पंडरिया	
13	100.1 मेगा हर्ट्ज	आकाशवाणी, पंडरिया

	रायगढ़	
14	100.7 मेगा हर्ट्ज	आकाशवाणी, रायगढ़
	रायपुर	
15	981 किलो हर्ट्ज 101.6 मेगा हर्ट्ज	आकाशवाणी, रायपुर
16	90.4 मेगा हर्ट्ज	रेडिया आईजीकेवी (इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय)
17	94.3 मेगा हर्ट्ज	माई एफएम, रायपुर
18	95.0 मेगा हर्ट्ज	रेडियो तड़का
19	98.3 मेगा हर्ट्ज	रेडियो मिर्ची
20	104.8 मेगा हर्ट्ज	रेडियो रंगीला एफएम
21	105.6 मेगा हर्ट्ज	ज्ञानवाणी, रायपुर
	सरायपाली	
22	102.8 मेगा हर्ट्ज	आकाशवाणी, सरायपाली

स्रोतः www.asiawaves.net/india/chhattisgarh-radio.html

बिलासपुर से प्रसारित होने वाले टेलीविजन चैनलः

बिलासपुर से मुख्यरूप से तीन स्थानीय टेलीविजन न्यूज चैनलों का प्रसारण होता है–सीसीएन–अभी तक, सीटी न्यूज और ग्रांड न्यूज। इन तीनों चैनलों के कार्यक्रम बिलासपुर में ही तैयार किये जाते हैं और यहीं से प्रसारित होते हैं। राजधारी रायपुर से प्रसारित होने वाले जी 24 घंटे सीजी, आईबीसी 24, ईटीवी, इंडिया न्यूज और बंसल न्यूज का भी प्रसारण होता है।

परंपरागत माध्यमः पंरपरागत माध्यमों के अन्तर्गत लोकगीत, लोक कला, लोक गाथा, लोक कथा, लोक नृत्य, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली नाच इत्यादि आते हैं। यह मीडिया भारत की परंपराओं से बना है इसलिए इसे परंपरागत माध्यम कहा जाता है। वास्तव में यही एक महत्वपूर्ण माध्यम है जो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में वास्तव में और पूरी तल्लीनता से अपना योगदान दे रहा है।

छत्तीसगढ़ में 'नाचा' प्रमुख लोकनाट्य है। इसे गम्मत नाम से भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़ के कई लोकगीत हैं जो कई अवसरों पर गाये जाते हैं जिनमें संस्कार गीत, जॉवरा, गौरा, भोजली (कजली), करमा गीत, पंडवानी गीत, कार्तिक स्नान, ढ़ोलकी, नगमत गीत आदि। छत्तीसगढ़ में कई लोकनृत्य प्रचलित हैं जैसे गौर नृत्य, ददरिया या दहरिया, मांडरी नृत्य, पंथी नृत्य, हुलकीपाटा नृत्य, ककसार, परधौनी, सरहुल, घसिया बाजा, कनाडा नृत्य आदि। छत्तीसगढ़ में चुटकी–मुटकी, कौआ और गौरेया, बावत के माया, बाघिन और छेरिया, चिरई और झर, हाथी और गीदड़, बकरी और शेर, राजा के लाल, सीता–बसंत आदि विभिन्न सामाजिक, मनोरंजनात्मक लोककथाएं प्रचलित हैं।

छत्तीसगढ़ में पंडवानी, भरथरी, ढ़ोलामारु, चन्दनी, राजा वीरसिंह की गाथा, सरवन कुमार की गाथा, सीता बसंत, घनकुल, जुगार, जसमा, दसमत जैसी अनेक लोकगाथाएं प्रचलित हैं। छत्तीसगढ़ के सबसे प्राचीन लोककला चिन्ह प्रागैतिहासिक काल की गुफाओं में मिले हैं और ये चित्र आज की समग्र चित्र परंपरा से काफी मिलते–जुलते हैं। हरियाली अमवस्या को दीवारों पर गोबर से सवनाही का अंकन किया जाता है। इसमें मानव और पशुओं की आकृति उकेरी जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी पर मिट्टी के रंगों से दीवार पर आठे कन्हैया नामक कथात्मक चित्र उकेरा जाता है। हरतालिका के दिन हरतालिका का चित्र बनाया जाता है जो शिव–पार्वती की चित्रात्मक पूजा है। छत्तीसगढ़ की महिलाओं को गुदना प्रिय है। जनजातियों में गुदना प्रथा आज भी विशेष महत्व रखती है। नया घर बनाते समय नोहडोरा डालना के अन्तर्गत दीवारों पर गहरे अलंकरण उकेरे जाते हैं। विवाह आदि अवसरों पर यहां के लोग विभिन्न चित्र बनाते हैं।

न्यू मीडिया–बिलासपुर में www.raviwar.com का क्षेत्रीय कार्यालय है। इस वेबसाइट पर समसामयिक घटनाओं और परिदृश्य पर समाचार, लेख और फीचर होते हैं। साथ ही साहित्यिक समाचार, साहित्यिक रचनाएं और साहित्यिक पुस्तकों की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है।

सिनेमा– बिलासपुर में वर्तमान में 4 सिनेमाघर है। बिलासपुर में दो बड़े शॉपिंग मॉल हैं–'रामा मैग्नेटो मॉल' और '36 मॉल'। इनमें क्रमशः 'पीवीआर' और 'ग्लिट्ज' सिनेमा हैं जिनमें फिल्में प्रदर्शित की जाती हैं।

2:8 विकास संचारः

विकास संचार, वह संचार है जो विकास कार्यक्रमों, योजनाओं का प्रचार–प्रसार करे। इन योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में लोगों को जागरूक करे। प्रेरित करे। समाज में सकारात्मक माहौल बनाए। लोगों को विकास के लिए अग्रसर करे। साथ ही साथ योजनाओं की कमियों को सरकार तक पहुंचाने का कार्य भी इसे करना होता है।

समाज में हो रहे बदलावों और परिवर्तनों को विकास संचार रेखांकित करता है। प्रगति और विकास से संबंधित खबरों का प्रकाशन–प्रसारण किया जाता है। वैयक्तिक अध्ययन (केस स्टडी) करके खबरों, लेखों, विश्लेषणों के माध्यम से लोगों को जागरूक और प्रेरित करने का कार्य करता है।

नोरा सी क्वेरल के अनुसार–विकास संचार, मानवीय संचार का कला और विज्ञान है जो किसी देश और उसके नागरिकों को गरीबी से आर्थिक समपन्नता की ओर तीव्र स्थानान्तरण को संभव बनाता है और सामाजिक समानता लाता है।

ई चाइल्डर्स के अनुसार–विकास संचार, विकास की योजनाओं और उनके लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विकास परियोजनाओं और उनके उद्देश्यों को तैयार करते समय मानवीय व्यवहारिक पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है।

2:8:1 विकास संचार के मॉडलः

विकास के सन्दर्भ में दिये गये विभिन्न प्रकार के सिद्धान्त एवं माडल में से कई सिद्धान्तों को तो व्यवहारिक स्तर पर लागू भी किया गया । इनमें कुछ को सफल तो कुछ

सिद्धान्तों को असफल सिद्धान्त के रूप में भी देखा गया। समय के साथ नये नये विकास सिद्धान्त भी लगातार आते रहे हैं। इसमे से कई पिछले सिद्धान्तों की कमियों को दूर करने के प्रयास में भी विकसित किये गये । विकास सिद्धान्तों के विकसित होने की प्रक्रिया अभी भी लगातार जारी है। पूर्व में दिये गये कुछ सिद्धान्तों को नये ढंग से भी प्रस्तुत किया जाने लगा है। विकास प्रक्रिया में हमेशा से जनसंचार माध्यमों की भूमिका को स्वीकार किया गया है।

विकास संचार में प्रतिरूपों का बहुत महत्व है। विभिन्न संचारशास्त्रियों ने विभिन्न प्रतिरूपों का प्रतिपादन किया है। यहां हम दो प्रतिरूपों की चर्चा करेंगे–विकास का आधुनिकीकरण और नवाचार प्रसरण का सिद्धान्त। ये दोनों ही मॉडल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।

2:8:2 विकास का आधुनिकीकरण सिद्धान्तः

उन्नीसवीं सदी में विकास के लिए पश्चिमी देशों द्वारा विकसित किया गया सिद्धान्त एवं माडल काफी प्रचारित किया गया है। इसमें आधुनिकीकरण एवं शहरीकरण, आर्थिक विकास, औद्योगिकरण की बातें मुख्यतः कही गयी हैं। इस प्रकार के विचार के प्रतिपादक डेनियल लर्नर, विल्बर श्रैम एवं लुसियन पाई, इ.एम. रोजर्स आदि के नाम शामिल हैं।

इस सिद्धान्त के अनुसार सैकड़ों साल पहले पूरी दुनिया में पिछड़ापन रहा। यद्यपि वैज्ञानिक खोज सभी जगहों पर थी, किन्तु विभिन्न कारणों से पश्चिम देशों में इसका विशेषतौर पर विकास हुआ और वहॉ पर आर्थिक एवं तकनीकी बृद्धि हुई, जिस कारण से समाज का विकास हुआ। किन्तु तीसरी दुनिया में इस प्रकार के बदलाव नही हुए और वे काफी पिछड़ गये।

इस सिद्धान्त में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने और वैज्ञानिक सोच पर आधारित एक समाज बनाने पर जोर दिया गया। संक्षेप में कहा जाये तो आधुनिकीकरण के सिद्धान्त ने विकासशील देशों के उन खामियों को गिना करके उसे उनके पिछड़ेपन का कारण बताया और उन्हे दूर करके एक नये तौर तरीके वाले आधुनिक समाज के स्थापना पर बल दिया। इसके लिए इसने तमाम प्रकार के उपायों को सुझाया।

आधुनिक सिद्धान्त की असफलताः

एक समय बाद आधुनिकता के सिद्धान्त की सफलता पर आशंका व्यक्त की जाने लगी। यह पाया गया कि जिन देशों ने इसका पालन किया, वहॉ पर अपनाये गये विकास का परिणाम उम्मीदों के अनुरूप नही रहा। इसमें कुछ लोगों को ही फायदा मिला। शेष लोग इसके लाभ से वंचित रहे। इसी प्रकार, सरकार के लिए माध्यम एक बहुत बड़े प्रचार के साधनमात्र बन गये। इसके कई अन्य प्रकार के नकारात्मक प्रभाव भी सामने आये। इस माडल में विकसित देशों के सांस्कृतिक तौर तरीके को विकास का सबसे बड़ा कारण माना गया था किन्तु यह एक गलत अवधारणा पर आधारित थी।

2:8:3 नवाचार प्रसरण का सिद्धान्तः

नवाचार प्रसरण का सिद्धान्त, विकास का एक सिद्धान्त है जो कि यह बताने का प्रयास करता है कि किसी प्रकार के नये आइडिया किस दर से कैसे एवं क्यो किसी सभ्यता संस्कृति में फैलता है। संचार के प्रोफेसर ई.एम. रोजर इस सिद्धान्त के प्रणेता रहे हैं। उनकी लिखी पुस्तक डिफ्यूजन आफ इन्नोवेशन पहली बार 1962 में प्रकाशित हुई। डिफ्यूजन वह

प्रक्रिया है, जिसके अन्तर्गत नये आइडिया को एक निश्चित अवधि तक निश्चित माध्यम चैनल से किसी सामाजिक सिस्टम के लोगों के बीच प्रसारित किया जाता है।

डिफ्यूजन आफ इन्नोवेशन सिद्धान्त समय के साथ विस्तृत भी हुआ। रोजर ने नये प्रकार के आइडिया के प्रसार के सम्बन्ध में चार तत्वों की कल्पना की थी। ये थे इन्नोवेशन, कम्युनिकेशन चैनल ,समय एवं सोशल सिस्टम । इस सिद्धान्त की सफलता का दारोमदार काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि किस प्रकार के नये आइडिया को विस्तृत रूप में ग्रहण किया जाना चाहिए। नये आइडिया की स्वीकार्यता की दर में एक स्थित वह आती है जिसमें कि यह उचित संख्या में लोगों तक पहुॅच जाती है। डिफ्यूजन की प्रक्रिया भिन्न भिन्न समाज, संस्कृति, वर्ग एवं क्षेत्र में भिन्न भिन्न प्रकार से होती है। यह काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि इसे कौन ग्रहण कर रहा है और उनका इन्नोवेशन डिसीजन प्रोसेस क्या है। इसे ग्रहण करने वालों एडाप्टर को भी कई वर्गो में विज्ञाजित किया गया है।

डेनियल लर्नर ने मोबिलिटी मल्टीप्लायर के रूप में मीडिया को देखा। इसका आशय यही है कि मीडिया किसी प्रकार के नये विचार को ग्रहण करने वाले लोगों में गुणात्मक ढंग से बढ़ोत्तरी करता है। इसी प्रकार से विल्बर श्रैम ने जनमाध्यमों मैजिक मल्टीप्लायर के रूप में देखा। इसके अनुसार मीडिया बहुत ही तेजी के साथ काफी अधिक लोगों में नये प्रकार के विचार का प्रसार करता है।

डेनियल लर्नर द्वारा विकसित की गयी अवधारणा के अनुसार बेहतर जीवन प्रदान करने में मीडिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह उत्पादकता, साक्षरता, शहरीकरण एवं समझ बढ़ाने में योगदान करता है, जिससे कि लोगों के जीवन स्तर में बदलाव

आता है। अपनी पुस्तक–द पासिंग आफ ट्रेडिशनल सोशायटी, में उन्होने कहा है कि उत्पादकता, साक्षरता, शहरीकरण में बृद्धि मात्र से तब तक बदलाव संभव नही है जब तक कि मीडिया लोगों में बदलाव के लिए चाह नही उत्पन्न करती है। इस प्रकार उन्होंने विकास में मीडिया की एक सक्रिय भूमिका की पहचान की, जिसके माध्यम से लोगों में बेहतर जीवनशैली अपनाने की चाह पैदा होती है।

डेनियल लर्नर की भॉति विल्बर श्रैम ने तीसरी दुनिया के विकास कार्य की प्रक्रिया में काफी महत्वपूण कार्य किया है। उनकी *"मास मीडिया एवं नेषनल डेवलपमेन्ट"* नाम की पुस्तक में विकास एवं मीडिया की भूमिका के बारे में काफी विस्तार के साथ चर्चा की गयी है। डेनियल लर्नर ने जनमाध्यमों के उपयोग एवं आधुनिकीकरण की महत्वपूर्ण विचार सामने प्रस्तुत किया। आधुनिकीकरण को उसने पश्चिमीकरण से जोड़ करके देखा। किन्तु कई देशों ने राजनीतिक कारणों से पश्चिम देशों से स्वयं को दूर रखते रहे हैं। इसलिए आधुनिकीकरण शब्द कहीं ज्यादा उपयोग में लाये जाने लगा। इस प्रकार उसने पारम्परिक सामन्ती शासन से हट करके आधुनिक औद्योगिक समाज की कल्पना किया। अपने विकास माडल में उसने निम्न परिकल्पना की।

2:8:4 सतत् विकास का सिद्धान्तः

यह विकास का वह सिद्धान्त है जिसमें कि वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति की इस प्रकार से करती है, जिससे कि भविष्य की पीढ़ी की उनकी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से किसी प्रकार के समझौता नही किया जाता है। इस विकास सिद्धान्त की कई और प्रकार से भी परिभाषाएं दी गयी है। किन्तु वे सब इस मामले में एक ही प्रकार के है

कि वे पृथ्वी की क्षमता, प्राकृतिक साधनों के इस्तेमाल एवं मानव द्वारा सामना किये जा रहे चुनौतियों से सम्बन्धित है।

सस्टेनेबुल डेवलपमेन्ट कई वर्गो में विभाजित किया जा सकता है। ग्लोबल वार्मिंग सहित कई ऐसे ऐसे मुद्दे रहे हैं, जिसे कि सस्टेनबुल डेवलपमेन्ट आन्दोलनकर्त्ता लगातार उठाते रहे हैं। विकास के इस सिद्धान्त का विरोध करने वालों का मानना है किसी भी प्रकार के आर्थिक विकास में पर्यावरण पर प्रभाव पड़ना अनिवार्य है और प्रदूषण वाले उत्पाद लगातार बढ़ते रहते है। इससे बचा नही रहा जा सकता है। किन्तु इस प्रकार के प्रदूषण एक निश्चित मात्रा तक ही बढ़ती है, और उसके बाद इसमें एक स्थिरता आ जाती है। इसलिए विकास बृद्धिपरक आर्थिक नीति की आवष्यकता होती है। इसका अर्थ यही है कि उत्पाद विरोधी के बजाय उत्पादोन्मुखी नीति की आवश्यकता है जिससे कि पर्यावरण की रक्षा की जा सके। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि तकनीक में और अधिक विकास से विविध प्रकार की समस्याएं हल हो सकती है।

लेकिन अंत में हमें सतत् विकास का मॉडल ही ज्यादा अच्छा और तर्कपूर्ण लगता है। क्योंकि हर जगह की अपनी जरूरतें, सुविधाएं, असुविधाएं, वातावरण, पर्यावरण होता है। इन सब बिन्दुओं को ध्यान में रखकर विकास के मॉडल तैयार किये जाने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक ही मॉडल सभी जगहों पर लागू कर दिया जाए।

प्रस्तुत शोध में हम विकास संचार के 'सतत् विकास का मॉडल' का अनुसरण कर रहे हैं। यह छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण और जरूरी मॉडल है।

छत्तीसगढ़ अन्य राज्यों से भिन्न है। यहां की जलवायु, वातावरण, लोग, नदियां, पहाड़, झरने इत्यादि इसे अन्य राज्यों से अलग करते हैं। यहां गरीबी, अशिक्षा, असमानता, भाषा इत्यादि विकास की बाधाएं हैं। इन सभी बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए सतत् विकास का मॉडल ज्यादा अच्छा है।

अध्याय–तृतीय

शोध की रूपरेखा

शोध की रुपरेखा

3:1 प्रस्तावनाः–

भारतवर्ष अनेकता में एकता का देश है। यहां अनेक जाति, धर्म और सम्प्रदाय के लोग निवास करते हैं। इन विभिन्न जाति, धर्म और सम्प्रदाय के बीच जंगलों और पहाड़ों में रहने वाले समुदाय भी हैं जो शहरों की चकाचौंध से मीलों दूर व विकास की मुख्य धारा से कटे हुए हैं, जिनके लिए यह तय कर पाना मुश्किल है कि आने वाले कल की भोजन सामग्री कहां से और कैसे प्राप्त की जाए? ये वे अनुसूचित जनजाति के अशिक्षित लोग हैं जिन्हें आदिवासी कहा जाता है।

भारत में अनेक प्रकार की अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं जिनमें प्रमुख हैं–संथाल,गोंड,भील,बेगा, शहरिया आदि। भारत के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश आदि प्रदशों में आदिवासी बहुतायत में निवास करते हैं। इन सभी जनजातियों के समूल विकास के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकारें अनेकानेक योजनाएं संचालित करती रही हैं और कर रही हैं। इसके बावजूद भी वास्तविक स्थिति यह है कि आदिवासी आज भी विकास की मुख्य धारा से कटे हुए हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य, मध्य प्रदेश के दक्षिण–पूर्व दिशा में अवस्थित है। मध्य प्रदेश से ऐसी स्थिति के कारण ही छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश के पूर्वांचल की संज्ञा दी गई है। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाएं देश के छह राज्यों से घिरी हुई हैं। ये राज्य हैं–उत्तर प्रदेश, झारखण्ड, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश। इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तर–पश्चिम में

मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र, दक्षिण–पश्चिम में आन्ध्र प्रदेश, पूर्व में उड़ीसा तथा उत्तर–पूर्व में झारखण्ड स्थित है।छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश के दक्षिण में $17^{0}48'$ उत्तरी अक्षांश से 24^{0} उत्तरी अक्षांश तथा $80^{0}4'$ पूर्वी देशान्तर तक विस्तृत है। इसकी आकृति समुद्री घोड़े (Sea Horse) के समान है। राज्य का कुल क्षेत्रफल 1,35,194 वर्ग कि.मी. है जो भारत के सम्पूर्ण क्षेत्रफल का 4.11 प्रतिशत है एवं मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 30.48 प्रतिशत है। प्रदेश की भौगोलिक सीमा से कहीं भी समुद्र स्पर्श नहीं करता तथा समुद्र से इसकी सीमाएं लगभग 400 कि.मी. दूर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है जो महाराष्ट्र राज्य की सीमा के समीप स्थित प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक नगर है। रायपुर स्थित दुधारी मंदिर तथा कनकली मंदिर 17 वीं शताब्दी के प्रसिद्ध मंदिर हैं। छत्तीसगढ़ को 'धान का कटोरा' भी कहा जाता है क्योंकि यहां धान की अत्यधिक पैदावार होती है।

इस राज्य का गठन एक लम्बी प्रक्रिया के उपरांत हुआ है। राज्य का गठन मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 द्वारा 01 नवंबर, 2000 को हुआ तथा यह देश का 26 वां राज्य बना। राज्य की राजधानी रायपुर समस्त प्रशासनिक वं राजनीतिक गतिविधियों का केन्द्र है। इसके अतिरिक्त प्रशासन की सुविधा के लिए राज्य को 4 संभागों एवं 16 जिलों में विभक्त किया गया है। फिर इन जिलों को 96 तहसीलों एवं 146 विकास खण्डों में बांटा गया है।

छत्तीसगढ़ में गोंड, बैगा, कोरबा, उरॉव, हल्वा, भतरा, कॅवर, कमार, माडिया आदि जनजातियां निवास करती हैं।

3:2 उद्देश्यः

1. निर्धारित क्षेत्र में विकास की स्थिति तथा उसमें मीडिया के योगदान का अध्ययन करना।
2. आदिवासी विकास में मीडिया का योगदान कितना कारगर है, का अध्ययन करना।
3. आदिवासी विकास में मीडिया की संभावित भूमिका का अध्ययन करना।

3:3 विषय के चुनाव का कारणः

नवगठित राज्य छत्तीसगढ़ में आदिवासी बहुतायत में निवास करते हैं। कुल जनसंख्या की 32.5 प्रतिशत जनसंख्या आदिवासियों की है। आदिवासी समाज की अपनी समृद्ध परंपराएं हैं। उनका रहन–सहन, खान–पान आज भी मुख्य समाज से भिन्न है। किन्तु वर्तमान में विकास के निर्धारित मानकों को प्राप्त करने में मीडिया की अहम भूमिका होती है। आदिवासी समाज के संदर्भ में देखा जाए तो एक तरफ जहां आदिवासी समाज की अपनी समृद्ध परंपराएं हैं वहीं आदिवासी समाज में अशिक्षा, असमानता, अंधविश्वास, बेरोजगारी जैसी तमाम विसंगतियां भी हैं।

जब विकास की बात आती है तो मीडिया से विशेष रुप से आशाएं की जाती हैं कि वह विकास में वांछित सहयोग करे। इस शोध में आदिवासी विकास में मीडिया की भूमिका का परीक्षण करने की कोशिश की गई है।

3:4 उपकल्पनाः

साहित्य अवलोकन के उपरान्त निम्न उपकल्पनायें निकलकर आती हैं–

1. निर्धारित क्षेत्र में विकास की स्थिति अच्छी नहीं है। न सिर्फ आर्थिक विकास बल्कि सामाजिक व सांस्कृतिक विकास की भी कमी है।

2. इन क्षेत्रों में मीडिया की कवरेज बहुत कम है। मीडिया में आदिवासी क्षेत्रों का कम कवरेज होने के कारण मीडिया आदिवासी क्षेत्रों के विकास में पर्याप्त भूमिका नहीं निभा पा रहा है।

3. आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए मीडिया द्वारा कोई अभियान या एजेंडा बनाकर रिपोर्टिंग करने का अभाव दिखता है, क्योंकि रूटीन रिपोर्टिंग से हटकर मीडिया को कुछ निर्धारित दिशा में प्रयास करने होंगे जिससे आदिवासी क्षेत्रों का विकास हो।

3:5 शोध क्षेत्र

शोध के लिए छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले का चयन किया गया है। बिलासपुर जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 8270 वर्ग कि.मी. है। यहां की कुल जनसंख्या 19,98,355 है जिसमें 10,13,875 पुरुष एवं 9,84,480 महिलाएं हैं। जिले की कुल साक्षरता दर 63.68 प्रतिशत है जिसमें पुरुष साक्षरता दर 78.98 प्रतिशत एवं महिला साक्षरता दर 48.08 प्रतिशत है। प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 975 है। जिले में कुल **8** तहसीलें है। जिनके नाम हैं–बिलासपुर, पेंड्रारोड, मस्तूरी, तखतपुर, कोटा, मरवाही ,मुंगेली एवं लोरमी। विकास खण्डों की संख्या 10 है। ये विकास खण्ड हैं–बिलासपुर, पथरिया,गोरेला–1,गोरेला–2, मस्तूरी, तखतपुर, कोटा, मरवाही, मुंगेली एवं लोरमी। इन विकास खण्डों में गोरेला–1, गोरेला–2 एवं मरवाही आदिवासी विकास खण्ड हैं। जिले में लोकसभा की सीट बिलासपुर है तथा 10

विधानसभा क्षेत्र हैं। जिले में कुल नगरों की संख्या 12 एवं गांवों की संख्या 1623 है। जिले में 1 नगर निगम, 1 नगर पालिका एवं 08 नगर पंचायतें हैं। जिले में विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या 1539 है। जिले में 10 जनपद पंचायतें एवं 825 ग्राम पंचायतें हैं। वन क्षेत्र 3476 वर्ग कि.मी. है।

बिलासपुर जिले में कुल अनुसूचित जनजातियों की संख्या 3,97,104 है, जिनमें से 1,97,984 पुरुष एवं 1,99,120 महिलाएं हैं। ग्रामीण क्षेत्र में कुल 3,66,097 अनुसूचित जनजातियों के लोग निवास करते हैं जिनमें से 1,81,991 पुरुष एवं 1,84,106 महिलाएं हैं। शहरी क्षेत्रों में कुल 31,007 अनुसूचित जनजातियों के लोग निवास करते हैं जिनमें से 15,993 पुरुष एवं 15,014 महिलाएं हैं।

बिलासपुर में मीडिया–

प्रिंट मीडिया– बिलासपुर में हिन्दी भाषा के दैनिक भास्कर, नई दुनिया, नवभारत, हरिभूमि, देशबंधु, हाइवे चैनल, तरुण पथ, स्वदेश, इवनिंग टाइम्स, प्रखर संदेश, लोक स्वर आदि समाचार पत्रों का प्रकाशन होता है। अंग्रेजी माध्यम के समाचार पत्रों में 'द हितवादा' का स्थानीय संस्करण एवं टाइम्स ऑफ इंडिया, हिन्दुस्तान टाइम्स और द हिन्दू समाचार पत्रों के राष्ट्रीय संस्करण उपलब्ध होते हैं।

इलेक्टॉनिक मीडिया–

बिलासपुर में आकाशवाणी के प्रसारण सुनवाये जाते हैं और दूरदर्शन के कार्यक्रमों को रायपुर से रिले करके दिखाया जाता है। साथ ही निजी क्षेत्र के सीसीएन–अभी तक, सिटी चैनल और ग्रांड चैनल का प्रसारण किया जाता है। बिलासपुर में एक मात्र निजि रेडियो चैनल **माई एफ.**

एम. है, जो यहां के युवाओं के आकर्षण का केन्द्र है। बिलासपुर के डॉ. सीवी रमन विश्वविद्यालय में 'रमन रेडियो' सामुदायिक रेडियो संचालित है।

न्यू मीडिया–बिलासपुर में www.raviwar.com का क्षेत्रीय कार्यालय है। इस वेबसाइट पर समसामयिक घटनाओं और परिदृश्य पर समाचार, लेख और फीचर होते हैं। साथ ही साहित्यिक समाचार, साहित्यिक रचनाएं और साहित्यिक पुस्तकों की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है।

सिनेमा–बिलासपुर में वर्तमान में 4 सिनेमाघर है। बिलासपुर में दो बड़े शॉपिंग मॉल हैं–'रामा मैग्नेटो मॉल' और '36 मॉल'। इनमें क्रमशः 'पीवीआर' और 'ग्लिट्ज सिनेमा' हैं, जिनमें फिल्में प्रदर्शित की जाती हैं।

3:6 शोध प्रविधिः

प्रस्तुत शोध में मिश्रित निदर्शन विधियों का उपयोग किया गया है। प्राथमिक स्रोत के लिए सविचार और सुविधापूर्ण निदर्शन के आधार पर बिलासपुर जिले की 8 तहसीलों में से 4 का चयन किया गया तथा चयनित चार तहसीलों में से 20 गावों का चयन किया गया। कुल 400 वयस्क उत्तरदाताओं का चयन किया गया है। शोध क्षेत्र बहुत बड़ा होने के कारण वर्गीकृत निदर्शन विधि का उपयोग किया गया है तथा प्रत्येक गांव से 20 उत्तरदाताओं (10 पुरूषों और 10 महिलाओं) का चयन किया गया है। शोध की ईकाई का चयन स्नोवाल निदर्शन के आधार पर किया गया है। साथ ही 15 मीडिया प्रोफेशनल्स से साक्षात्कार लिया गया।

द्वितीयक ऑकड़ों के लिए समाचार–पत्र, पत्रिकायें, वेबसाइट्स, वार्षिक प्रतिवेदन, सरकारी विभाग से प्राप्त रिर्पोट्स आदि का उपयोग किया गया है। ऑकड़ों का संकलन अप्रैल 2014 से सितम्बर, 2014 तक किया गया है।

3:7 चयनित क्षेत्र का डेमोग्राफिक डाटाः

क्र. सं.	गांव का नाम	घरों की संख्या	कुल जनसंख्या	कुल जनसंख्या (पुरूष)	कुल जनसंख्या (महिला)	कुल आदिवासियों की संख्या	आदिवासी (पुरूष)	आदिवासी (महिलाएं)
तहसीलः कोटा (कुल जनसंख्याः 228358, भौगोलिक क्षेत्रफल (वर्ग किमी में): 1165.98, ग्रामों की कुल संख्याः162)								
01	बानावेल	257	1025	497	528	886	426	460
02	बंसाझाल	167	748	369	379	429	208	221
03	बरपाली	260	1114	567	547	464	234	230
04	बेलगहना	841	3422	1726	1696	358	166	192
05	चपोरा	345	1500	707	793	440	184	256
06	केंदा	620	2509	1286	1223	717	382	335
07	खैरा	366	1439	711	728	512	243	269
08	लमरी डबरी	75	369	190	179	183	103	80
09	पचरा	152	633	316	317	231	112	119
तहसीलः तखतपुर (कुल जनसंख्याः 297724, भौगोलिक क्षेत्रफल (वर्ग किमी में): 724.40, ग्रामों की कुल संख्याः176)								
10	अमोली कापा	53	270	128	142	131	63	68
11	बरगनरैत	198	935	458	477	537	264	273
12	घुटकू	1774	8835	4545	4290	180	82	98
तहसीलः मरवाही (कुल जनसंख्याः116804 , भौगोलिक क्षेत्रफल (वर्ग किमी में): 1009.72, ग्रामों की कुल संख्याः100)								
13	बेलझरिया	659	2446	1220	1226	2323	1160	1163
14	दांदिया	171	690	337	353	413	211	202
15	गुदुमदेवरी	260	940	434	506	828	379	449

16	कटरा	694	2979	1479	1503	2678	1335	1343
17	लरकेनी	403	1380	684	696	1054	507	547
18	नाका	368	1581	771	810	1338	650	688
तहसील–बिलासपुर (कुल जनसंख्याः 644928, भौगोलिक क्षेत्रफल (वर्ग किमी में): 492.94, ग्रामों की कुल संख्याः84)								
19	नागपुरा	712	3109	1571	1538	450	229	221
20	पोंडी	474	2499	1293	1206	655	344	311

स्रोतः कलेक्ट्रेट कार्यालय, बिलासपुर

डेमोग्राफिक डाटाः सामाजिक स्थिति

क्र.सं.	गांव का नाम	व्यवसाय	आय के स्रोत	साक्षरता प्रतिशत	रेलवे स्टेशन से दूरी (किमी में)	मुख्य सड़क से दूरी* (किमी में)	आवागमन के साधन	राजनीतिक व्यवहार	क्या ये लोग वोटर हैं?
तहसीलः कोटा									
01	बनावेल	कृषक मजदूर	मजदूरी	60	12	02	बस / छोटा हाथी / व्यक्तिगत वाहन	वोट डालने तक सीमित। कभी–कभी राजनीतिक रैलियों में शामिल होते हैं।	हां
02	बंसाझाल	कृषक मजदूर	मजदूरी	50.80	15	03	बस / छोटा हाथी / व्यक्तिगत वाहन		हां
03	बरपाली	कृषक मजदूर	मजदूरी	47.03	14	07	बस / छोटा हाथी / व्यक्तिगत वाहन		हां
04	बेलगहना	कृषक मजदूर	मजदूरी	71.74	0.5	06	बस / छोटा हाथी / व्यक्तिगत वाहन		हां
05	चपोरा	कृषक मजदूर	मजदूरी	67.73	20	03	बस / छोटा हाथी / व्यक्तिगत वाहन		हां
06	केंदा	कृषक मजदूर	मजदूरी	52.13	10	02	बस / छोटा हाथी / व्यक्तिगत वाहन		हां
07	खैरा	कृषक मजदूर	मजदूरी	68.58	25	02	बस / छोटा हाथी / व्यक्तिगत वाहन		हां

08	लमरी डबरी	कृषक मजदूर	मजदूरी	57.99	05	15	बस / छोटा हाथी / व्यक्तिगत वाहन		हां
09	पचरा	कृषक मजदूर	मजदूरी	61.45	30	06	बस / छोटा हाथी / व्यक्तिगत वाहन		हां
तहसीलः तखतपुर									
10	अमोली कापा	कृषक मजदूर	मजदूरी	58.14	30	07	बस / छोटा हाथी / व्यक्तिगत वाहन	वोट डालने तक सीमित। कभी–कभी राजनीतिक रैलियों में शामिल होते हैं।	हां
11	बरगनरैत	कृषक मजदूर	मजदूरी	46.31	33	04	बस / छोटा हाथी / व्यक्तिगत वाहन		हां
12	घुटकू	कृषक मजदूर	मजदूरी	58.90	1.5	08	बस / छोटा हाथी / व्यक्तिगत वाहन		हां
तहसीलः मरवाही									
13	बेलझरिया	कृषक मजदूर	मजदूरी	47.42	40	01	बस / छोटा हाथी / व्यक्तिगत वाहन	वोट डालने तक सीमित। कभी–कभी राजनीतिक रैलियों में शामिल होते हैं।	हां
14	दांदिया	कृषक मजदूर	मजदूरी	52.31	40	20	बस / छोटा हाथी / व्यक्तिगत वाहन		हां
15	गुदुमदेवरी	कृषक मजदूर	मजदूरी	61.91	30	01	बस / छोटा हाथी / व्यक्तिगत वाहन		हां
16	कटरा	कृषक मजदूर	मजदूरी	41.65	46	2.5	बस / छोटा हाथी / व्यक्तिगत वाहन		हां
17	लरकेनी	कृषक मजदूर	मजदूरी	57.17	40	2.5	बस / छोटा हाथी / व्यक्तिगत वाहन		हां
18	नाका	कृषक मजदूर	मजदूरी	39.15	55	20	बस / छोटा हाथी / व्यक्तिगत वाहन		हां

तहसील–बिलासपुर									
19	नगपुरा	कृषक मजदूर	मजदूरी	63.20	18	03	बस / छोटा हाथी / व्यक्तिगत वाहन	वोट डालने तक सीमित।	हां
20	पोंडी	कृषक मजदूर	मजदूरी	44.13	05	02	बस / छोटा हाथी / व्यक्तिगत वाहन	कभी–कभी राजनीतिक रैलियों में शामिल होते हैं।	हां

स्रोतः कलेक्ट्रेट कार्यालय, बिलासपुर

*इनमें उन सड़कों को शामिल किया गया है जो गांव को हाई–वे या बड़े मार्गों को जोड़ती हैं। इनमें कच्ची और पक्की दोनों तरह की सड़कें शामिल हैं।

अध्याय—चतुर्थ

आँकड़ों का सारणीयन एवं रेखीय प्रस्तुतिकरण

ऑकड़ों का सारणीयन एवं रेखीय प्रस्तुतिकरण

4:1 प्रस्तावनाः

इस अध्याय में ऑकड़ों का सारणीयन एवं रेखीय प्रस्तुतिकरण किया गया है। अध्याय तीन में वर्णित शोध प्रविधि के अनुसार प्राप्त ऑकड़ों को सारणी के रूप में एवं पाई चार्ट के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। इस अध्याय में 25 सारणी एवं 25 पाई चार्ट हैं। मीडिया प्रोफेशनल्स से किए गये साक्षात्कार को भी इसी अध्याय में रखा गया है।

प्रस्तुत अध्याय में 400 आदिवासी उत्तरदाताओं द्वारा दिये गये आंकड़ों का सारणीयन एवं रेखीय प्रस्तुतिकरण दिया गया है।

4:2 ऑकड़ों का सारणीयन एवं रेखीय प्रस्तुतिकरण

1. आपको सूचनाएं कैसे प्राप्त होती हैं?

विकल्प	लोगों की प्रतिक्रिया	प्रतिशत
समाचार–पत्रों व पत्रिकाओं के माध्यम से	75	18.75
रेडियो के माध्यम से	63	15.75
टेलीविजन के माध्यम से	49	12.25
अन्य माध्यमों से	213	53.25

सारणी संख्याः1

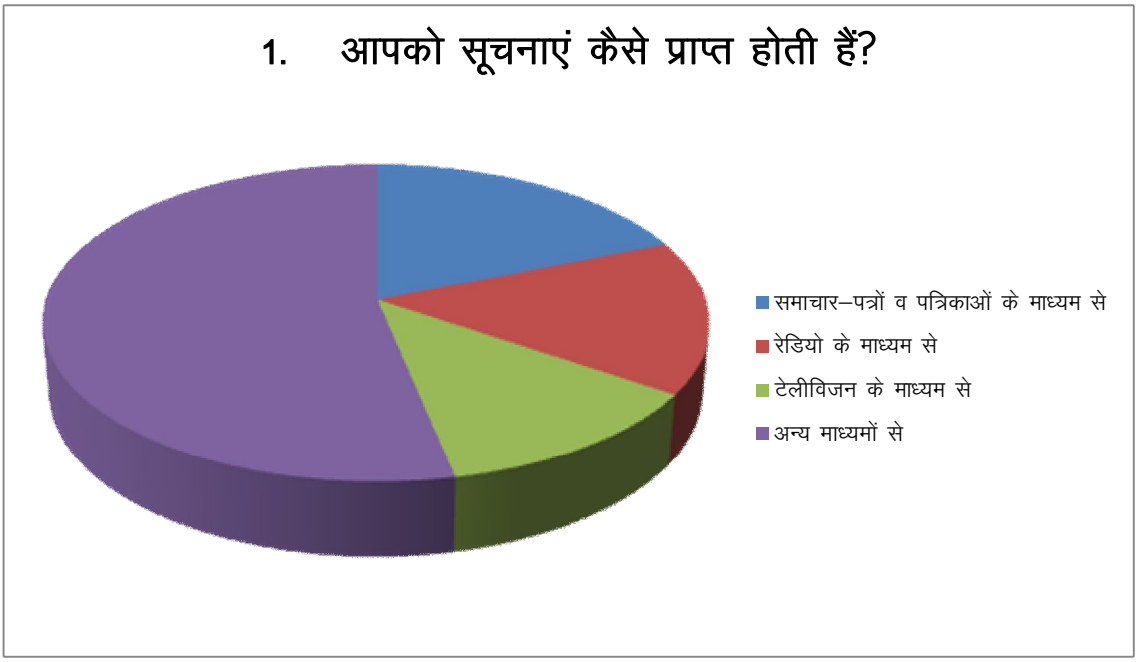

पाई–चार्ट संख्याः 1

18.75 % आदिवासी समाचार–पत्रों व पत्रिकाओं के माध्यम से, 15.75 % को रेडियो के माध्यम से, 12.25 % टेलीविजन के माध्यम से और 53.25 % आदिवासी अन्य माध्यमों से सूचनाएं प्राप्त करते हैं। यानी समाचार–पत्रों व पत्रिकाओं, रेडियो एवं टेलीविजन के माध्यम से मात्र 46.74 % आदिवासियों को ही सूचनाएं प्राप्त होती हैं।

नोटः *अन्य माध्यमों में लोकगीत, लोकगाथा, लोककथा, नुक्कड़ नाटक, चर्चा, कठपुतली, सरपंच, ओपिनियन लीडर आदि शामिल हैं।*

2. सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं की जानकारी आपको कैसे प्राप्त होती है?

विकल्प	लोगों की प्रतिक्रिया	प्रतिशत
सरकारी अधिकारी द्वारा	08	02.00
मीडिया द्वारा	128	32.00
एन.जी.ओ. द्वारा	21	05.25
किसी अन्य माध्यम से	243	60.75

सारणी संख्याः 2

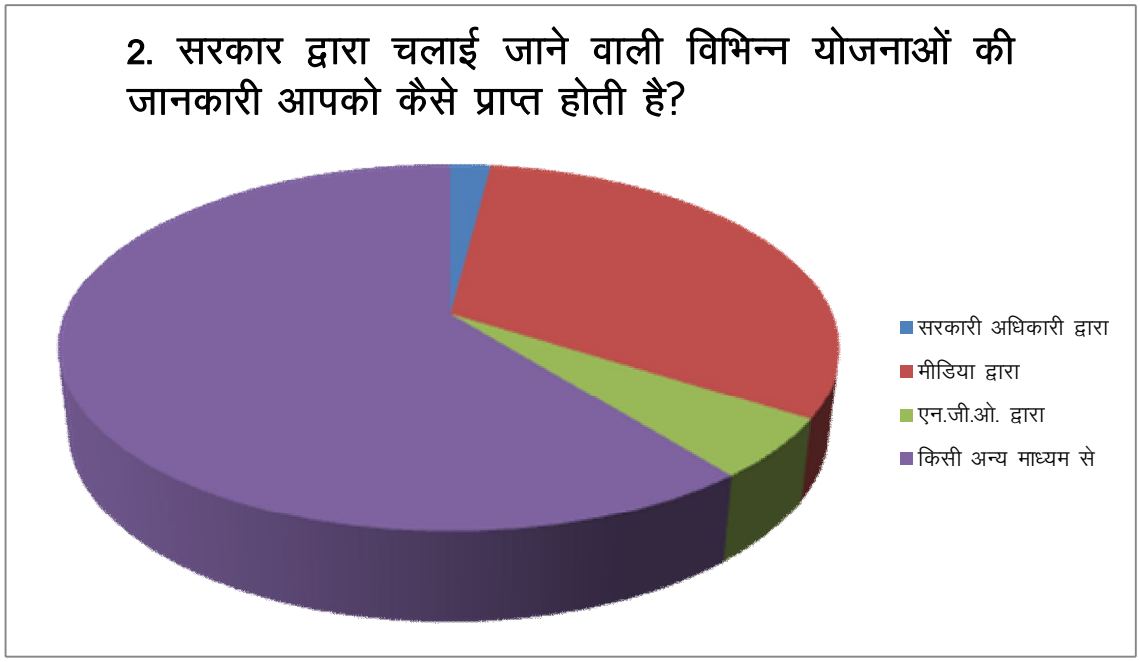

पाई–चार्ट संख्याः 2

सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं की जानकारी 2 % आदिवासियों को सरकारी अधिकारी द्वारा, 32 %प्रतिशत को मीडिया द्वारा, 5.25 % को एन.जी.ओ. द्वारा और 60.75 % को अन्य माध्यमों से जानकारी प्राप्त होती है।

नोटः *अन्य माध्यमों में लोकगीत, लोकगाथा, लोककथा, नुक्कड़ नाटक, चर्चा, कठपुतली, सरपंच, ओपिनियन लीडर आदि शामिल हैं।*

3. क्या आपने कभी शासन–प्रशासन की किसी तरह की शिकायत मीडिया के समक्ष प्रस्तुत किया है?

विकल्प	लोगों की प्रतिक्रिया	प्रतिशत
हां	20	05.00
नहीं	380	95.00

सारणी संख्याः3

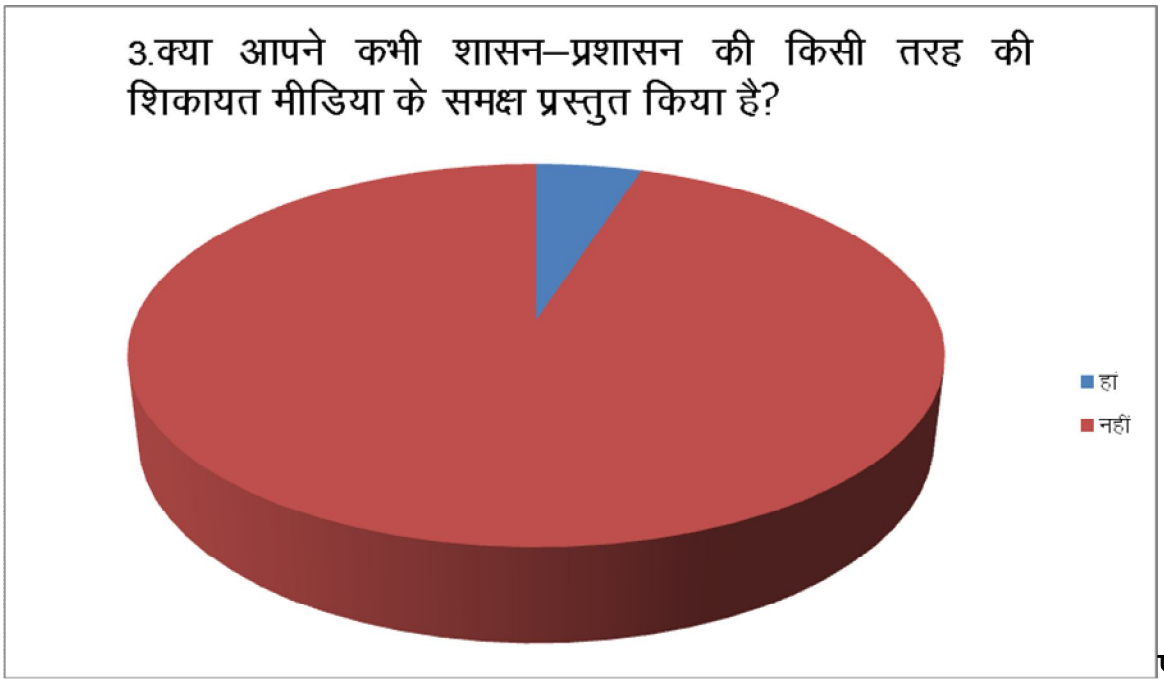

पाई–

चार्ट संख्याः 3

इस प्रश्न पर कि क्या आपने कभी शासन–प्रशासन की किसी तरह की शिकायत मीडिया के समक्ष प्रस्तुत किया है? 5 प्रतिशत आदिवासियों ने कहा हां जबकि 95 प्रतिशत ने कहा नहीं।

4. क्या कभी आपको मीडिया द्वारा किसी तरह की मदद मिली है, जो आपके विकास के लिए सहायक हो?

विकल्प	लोगों की प्रतिक्रिया	प्रतिशत
हां	13	03.25
नहीं	387	96.75

सारणी संख्या:4

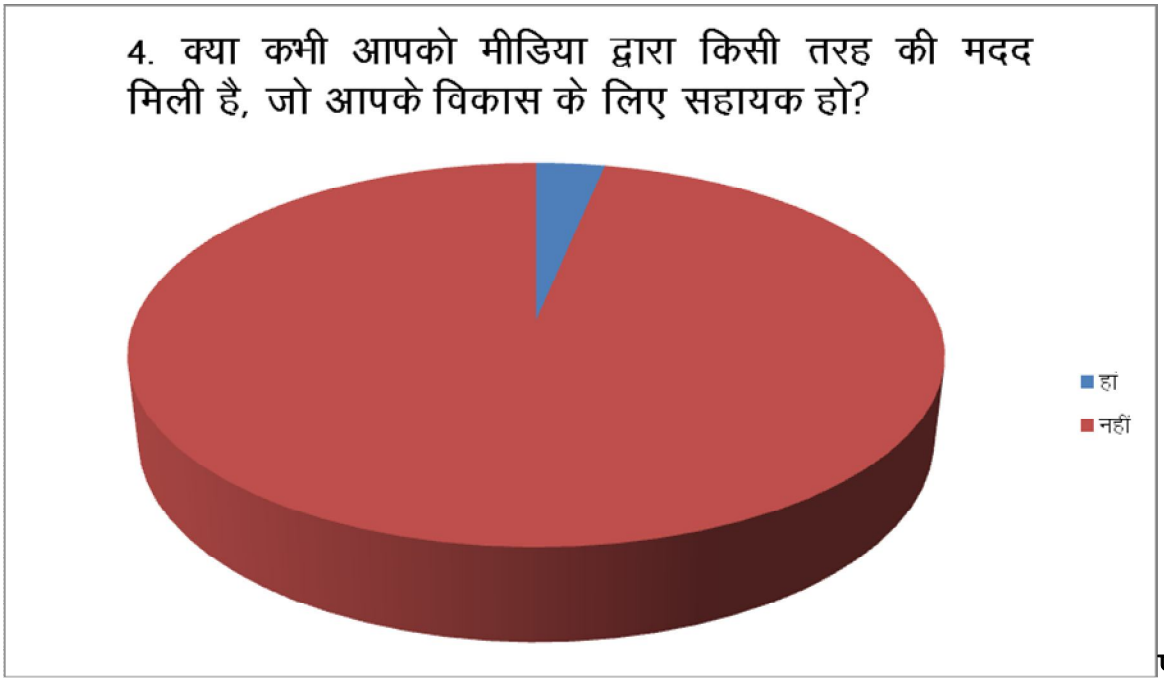

पाई–चार्ट संख्या: 4

इस प्रश्न पर कि क्या कभी आपने मीडिया द्वारा किसी तरह की मदद मिली है, जो आपके विकास के लिए सहायक हो? 3.25 प्रतिशत आदिवासियों ने कहा हां जबकि 96. 75 प्रतिशत ने कहा नहीं।

5. क्या आपको लगता है कि आपकी समस्याओं को सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने में मीडिया सहायक है?

विकल्प	लोगों की प्रतिक्रिया	प्रतिशत
हां	106	26.50
नहीं	294	73.50

सारणी संख्या:5

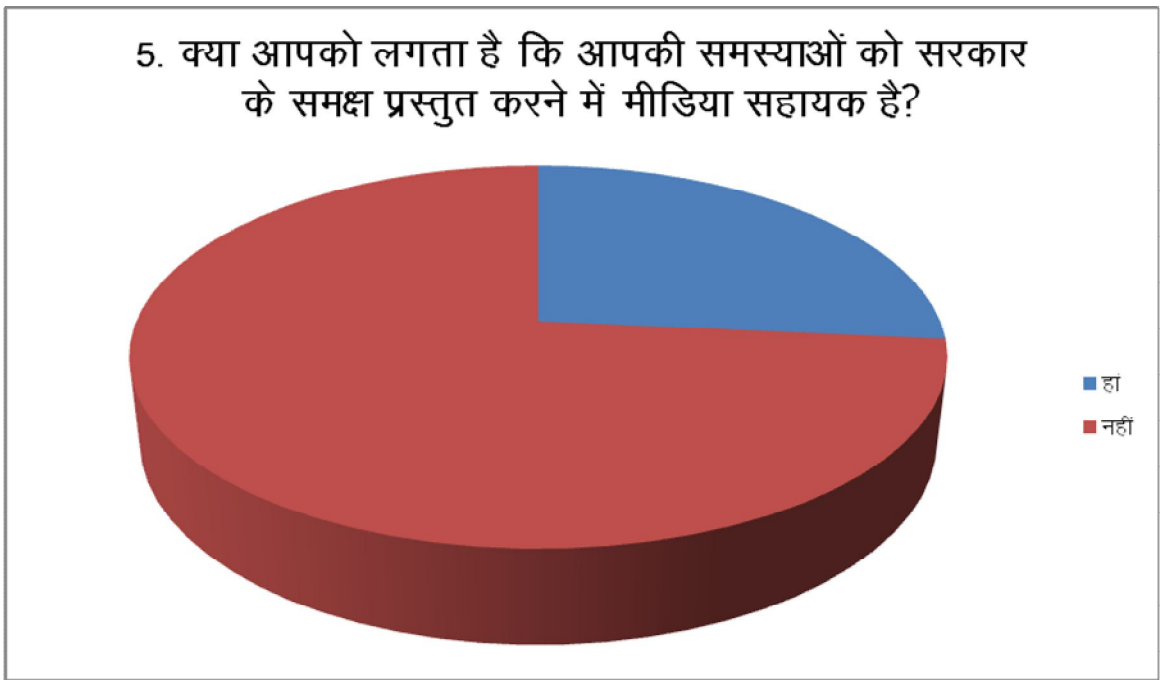

पाई–चार्ट संख्या: 5

इस प्रश्न पर कि क्या आपको लगता है कि आपकी समस्याओं को सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने में मीडिया सहायक है? 26.50 प्रतिशत आदिवासियों ने कहा हां जबकि 73.50 प्रतिशत ने कहा नहीं।

6. क्या आपने कभी मीडिया में सहभागिता की है?

विकल्प	लोगों की प्रतिक्रिया	प्रतिशत
हां	09	02.25
नहीं	391	97.75

सारणी संख्या:6

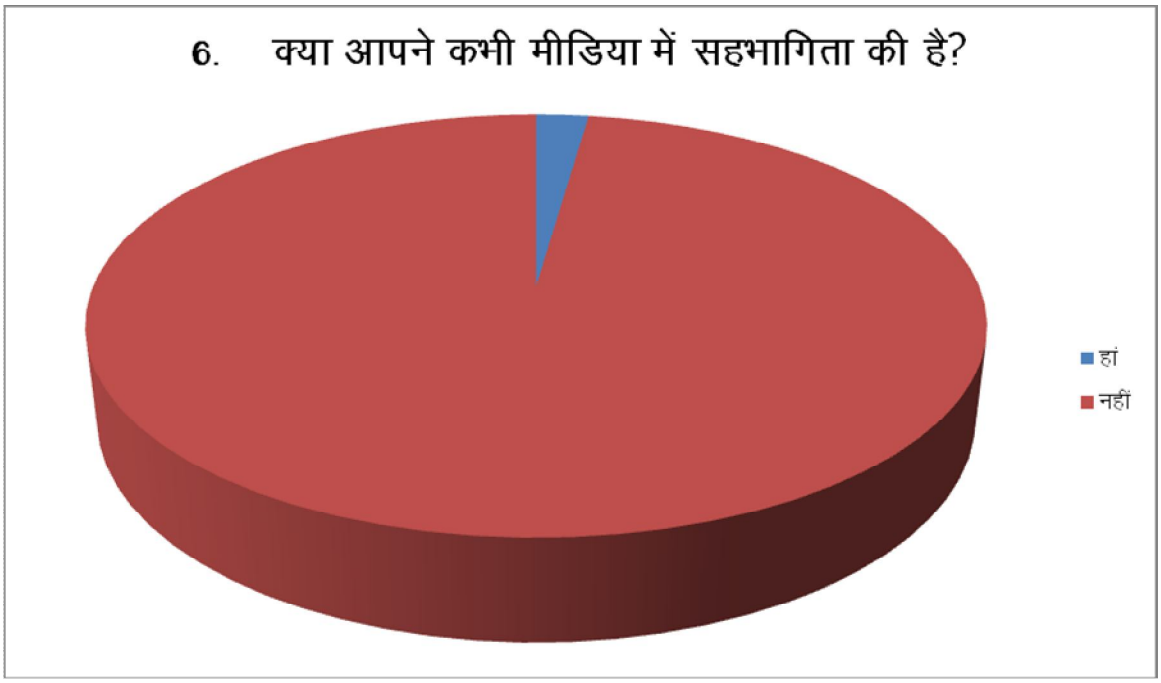

पाई–चार्ट संख्याः 6

2.25 प्रतिशत आदिवासियों ने कहा कि उन्होंने कभी मीडिया में सहभागिता की है। जबकि 97.75 प्रतिशत ने कहा कि नहीं।

7. यदि हां तो किस प्रकार?

विकल्प	लोगों की प्रतिक्रिया	प्रतिशत
संपादक के नाम पत्र	00	00
रेडियो के किसी कार्यक्रम में सहभागिता	00	00
टीवी के कार्यक्रम में सहभागिता	03	33.33
अन्य	06	66.66

सारणी संख्याः7

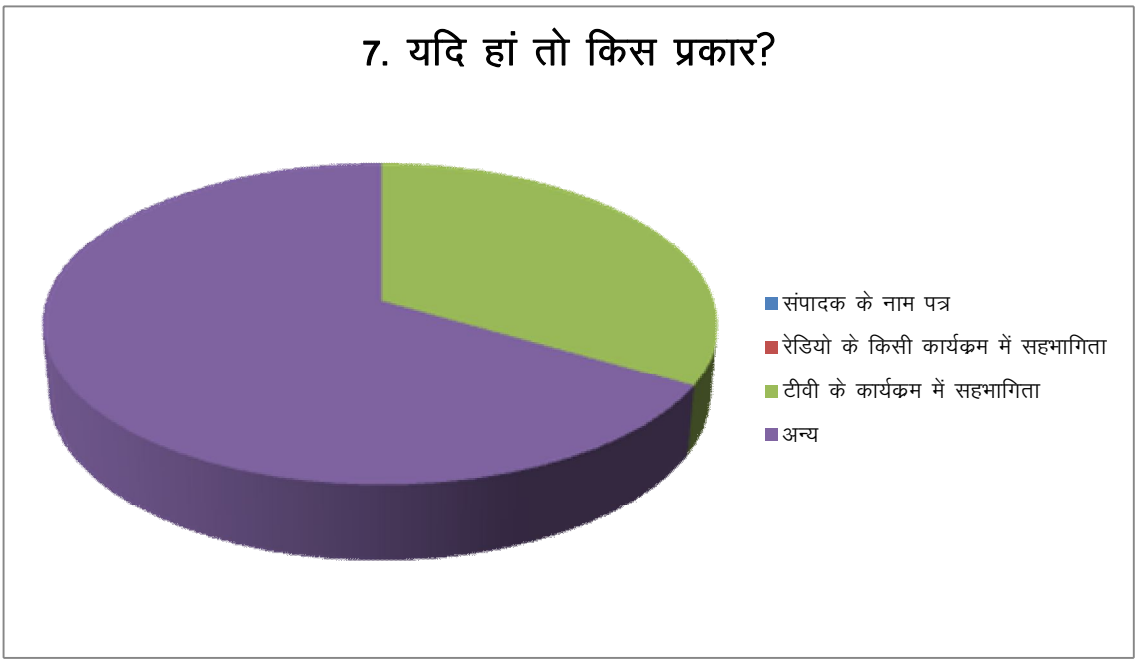

पाई–चार्ट संख्याः 7

जिन 2.25 प्रतिशत लोगों ने कहा कि उन्होंने मीडिया में सहभागिता की है, उनमें से 33.33 प्रतिशत ने टीवी के कार्यक्रम में जबकि 66.66 प्रतिशत ने अन्य माध्यमों से सहभागिता की है। किसी ने भी संपादक के नाम पत्र एवं रेडियो के कार्यक्रमों में सहभागिता नहीं की है।

नोटः *अन्य माध्यमों में लोकगीत, लोकगाथा, लोककथा, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली, सरपंच, ओपिनियन लीडर आदि षामिल हैं।*

8. आपके गांव में पत्रकार आते हैं?

विकल्प	लोगों की प्रतिक्रिया	प्रतिशत
महीने में एक बार	102	25.5
15 दिन में एक बार	00	00
कभी–कभी	40	10.00
कभी नहीं	258	64.50

सारणी संख्याः8

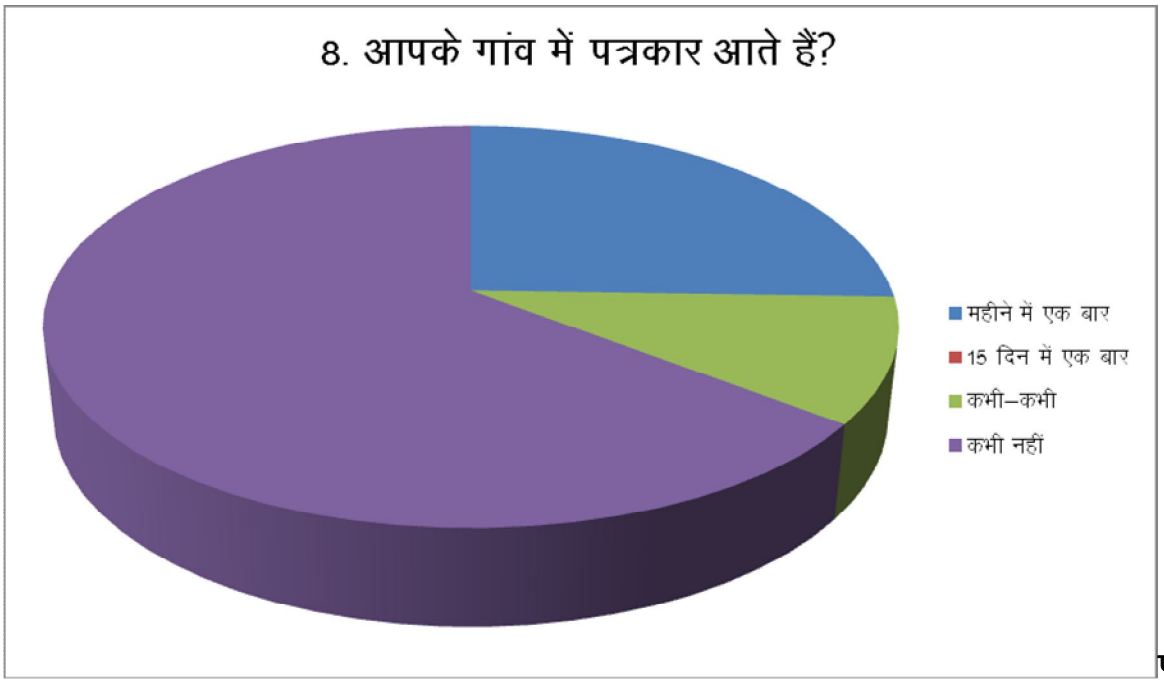

पाई–चार्ट संख्याः 8

25.50 प्रतिशत आदिवासियों ने बताया कि उनके गांव में पत्रकार आते हैं महीने में एक बार आते हैं, 10 प्रतिशत ने बताया कि कभी–कभी, जबकि 64.50 प्रतिशत ने बताया कि कभी नहीं। किसी ने भी नहीं बताया कि उनके गांव में पत्रकार 15 दिन में एक बार आते हैं।

9. आपके गांव में सरकारी अधिकारी (जैसेः कलेक्टर, एस.डी.एम., डी.पी.ओ, खण्ड विकास अधिकारी इत्यादि) आते हैं–

विकल्प	**लोगों की प्रतिक्रिया**	**प्रतिशत**
महीने में एक बार	21	05.25
15 दिन में एक बार	00	00
कभी–कभी	84	21.00
कभी नहीं	295	73.75

सारणी संख्याः9

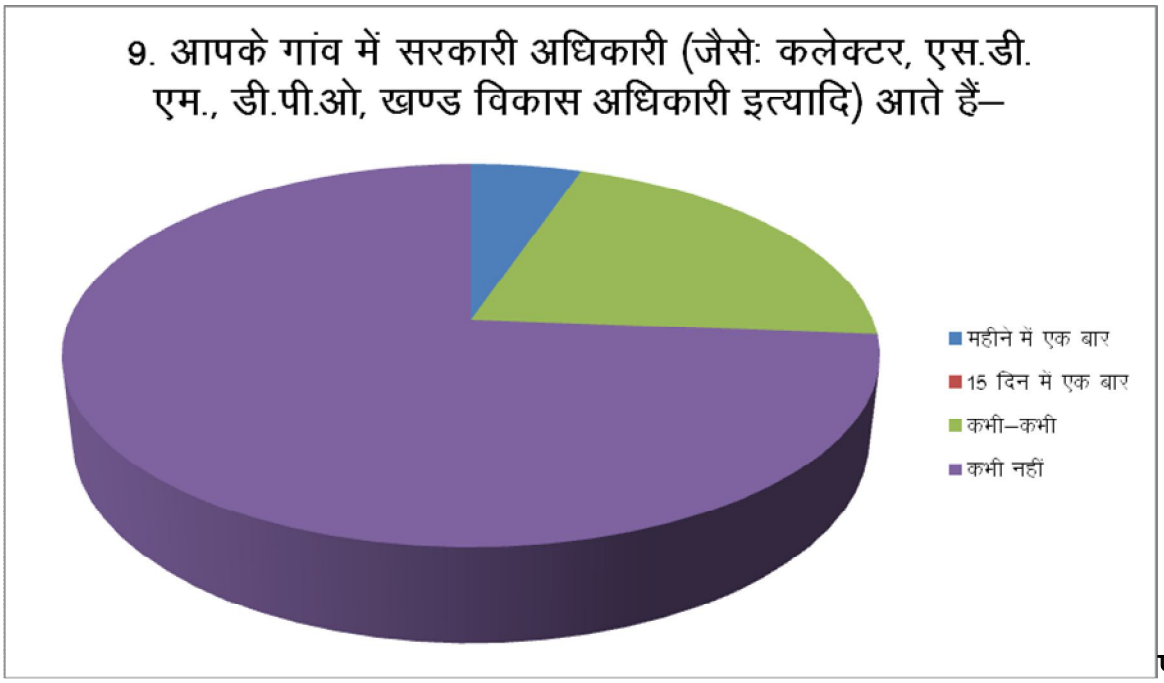

पाई–

चार्ट संख्याः 9

5.25 % आदिवासियों ने बताया कि उनके गांव में सरकारी अधिकारी (जैसे कलेक्टर, एसडीएम, डीपीओ, खण्ड विकास अधिकारी इत्यादि) महीने में एक बार आते हैं, 21 % ने कहा कभी–कभी, 73.75 प्रतिशत ने कहा कि कभी नहीं जबकि किसी ने भी नहीं कहा कि 15 दिन में एक बार भी आते हैं।

10. क्या आप सरकार द्वारा आयोजित लोकगीत, लोकगाथा, लोककथा, लोकनृत्य इत्यादि सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सहभागिता करते हैं?

विकल्प	**लोगों की प्रतिक्रिया**	**प्रतिशत**
हां	36	09.00
नहीं	364	91.00

सारणी संख्याः10

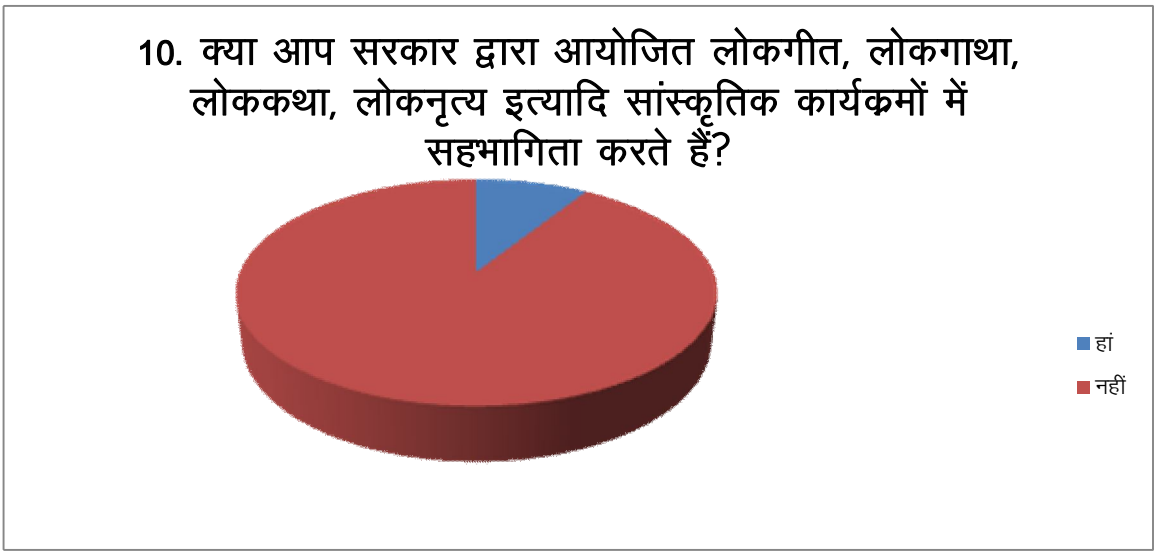

पाई–चार्ट संख्याः 10

9 प्रतिशत आदिवासियों ने बताया कि वे लोकगीत, लोकगाथा, लोककथा, लोकनृत्य इत्यादि किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में सहभागिता करते हैं, जबकि 91 प्रतिशत ने कहा कि वे सहभागिता नहीं करते।

11. क्या आप गांव में व्यक्तिगत रुप से आयोजित लोकगीत, लोकगाथा, लोककथा, लोकनृत्य इत्यादि कार्यक्रमों में भागीदारी करते हैं?

विकल्प	लोगों की प्रतिक्रिया	प्रतिशत
हां	272	68.00
नहीं	128	32.00

सारणी संख्या:11

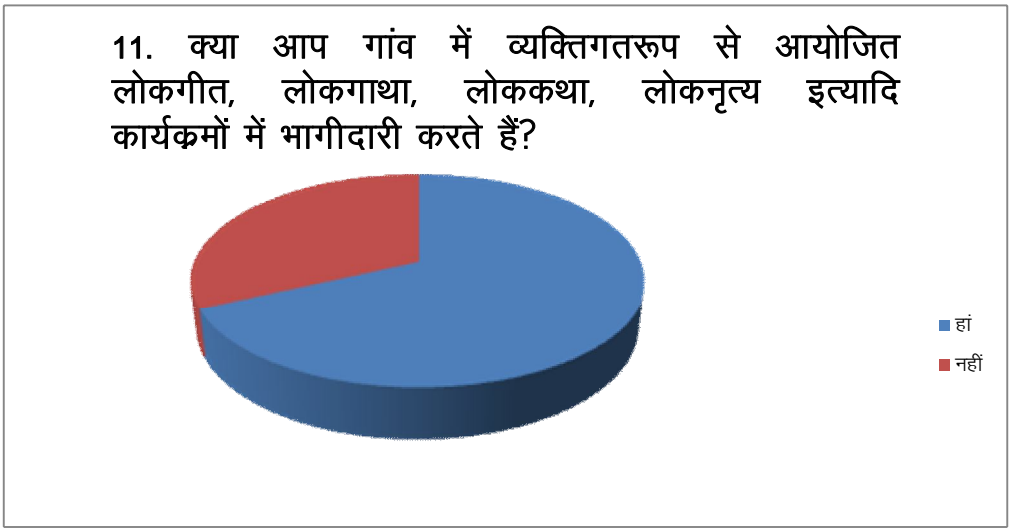

पाई–चार्ट संख्या: 11

इस प्रश्न पर कि आपके गांव का कोई व्यक्ति लोकगीत, लोकगाथा, लोककथा, लोकनृत्य इत्यादि में भागीदारी करता है, 68 प्रतिशत ने कहा हां जबकि 32 प्रतिशत ने कहा नहीं।

12. आपको कभी किसी सरकारी योजना जैसे मनरेगा, इंदिरा आवास योजना, वृद्धा पेंशन योजना इत्यादि का लाभ मिला है?

विकल्प	लोगों की प्रतिक्रिया	प्रतिशत
हां	385	96.25
नहीं	15	03.75

सारणी संख्या:12

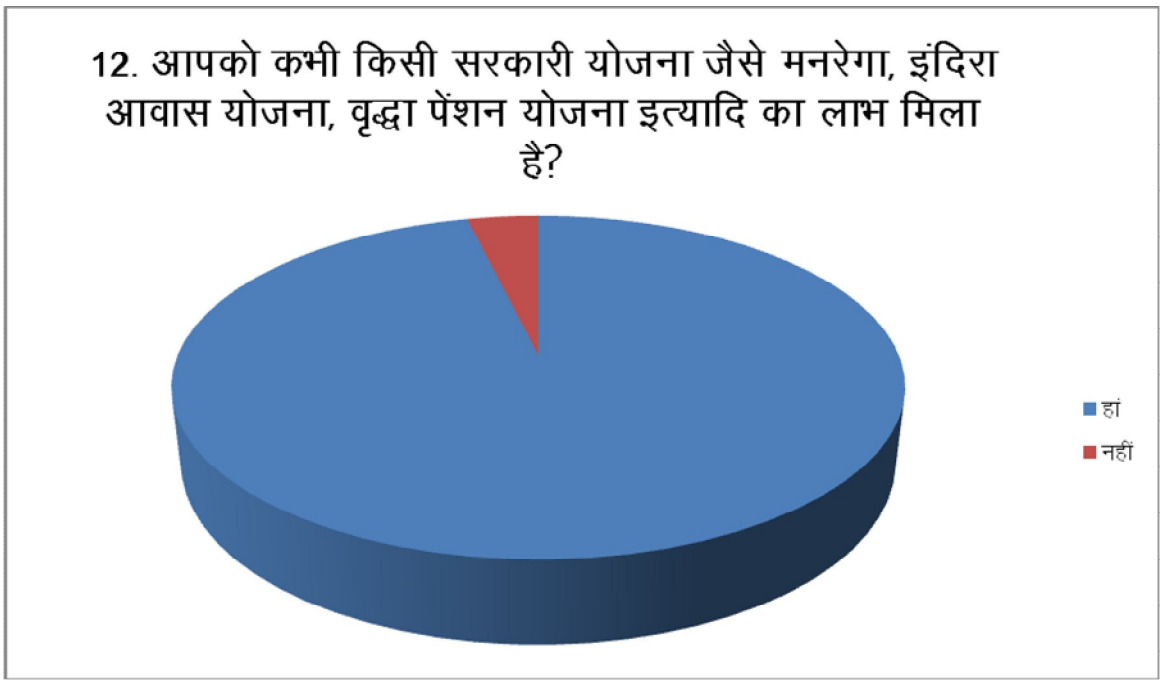

पाई–चार्ट संख्या: 12

96.25 प्रतिशत लोगों ने बताया कि उन्हें किसी सरकारी योजना जैसे मनरेगा, इंदिरा आवास योजना, वृद्धा पेंशन योजना इत्यादि का लाभ मिला है, जबकि 3.75 प्रतिशत ने बताया कि नहीं मिला है।

13. आप अपने उत्पाद जैसे सब्जी, फल, अनाज इत्यादि कहां बेचते हैं?

विकल्प	लोगों की प्रतिक्रिया	प्रतिशत

मंडी में	00	00
स्थानीय बाजार में	269	67.25
बिचौलिए (मध्यस्थ) को	51	12.75
अन्य	80	20.00

सारणी संख्या:13

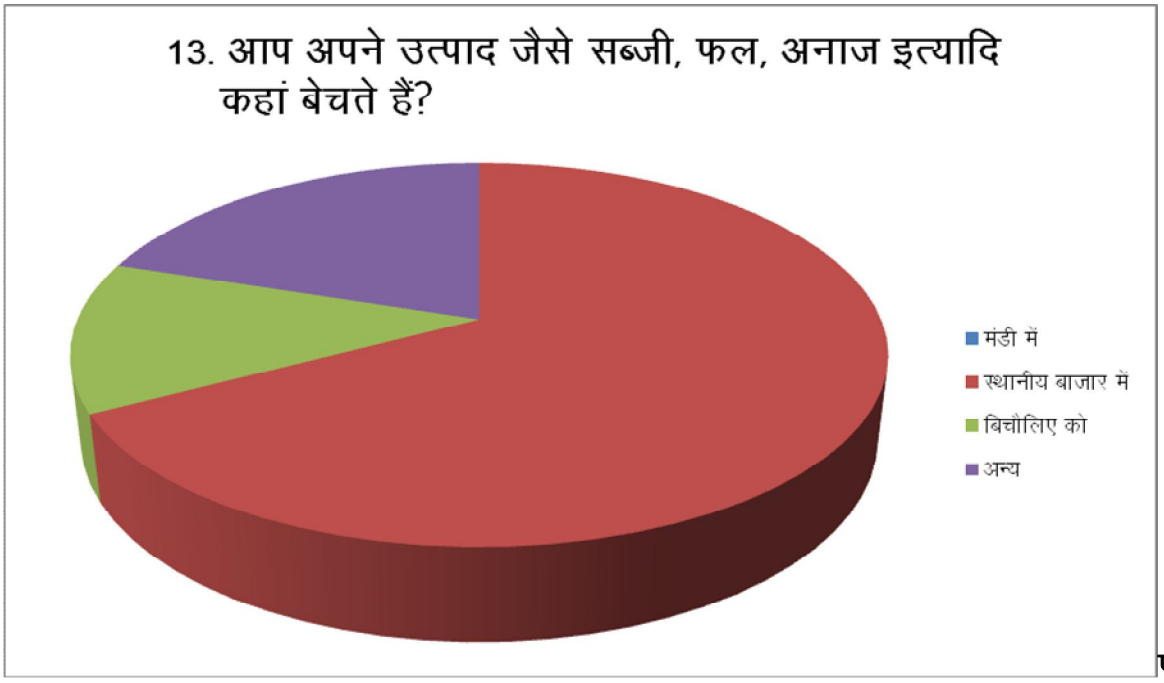

पाई–

चार्ट संख्या: 13

प्राप्त ऑकड़ों के अनुसार एक भी आदिवासी अपने उत्पाद जैसे सब्जी, फल, अनाज इत्यादि मंडी में नहीं बेचता। सर्वाधिक 67.25 प्रतिशत स्थानीय बाजार में, 12.75 प्रतिशत लोग बिचौलिए को और 20 प्रतिशत अन्य तरीकों से बेचते हैं।

नोटः *अन्य में सरपंच, ओपिनियन लीडर द्वारा सुझाए गए व्यक्ति शामिल हैं।*

14. आपको आपके उत्पाद का बाजार मूल्य कैसे पता चलता है ?

विकल्प	लोगों की प्रतिक्रिया	प्रतिशत
मंडी सें	00	00
स्थानीय बाजार से	112	28.00
बिचौलिए से	168	42.00
गांव के किसी व्यक्ति से	120	30.00

सारणी संख्या:14

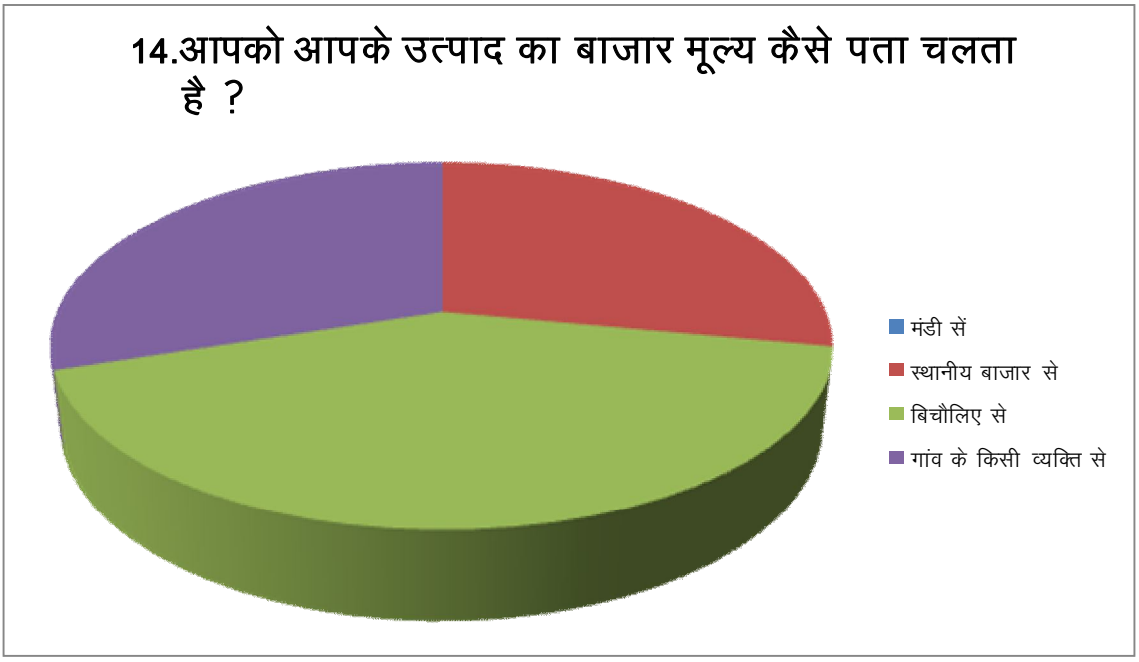

पाई–चार्ट संख्या: 14

प्राप्त ऑकड़ों के अनुसार एक भी आदिवासी को अपने उत्पाद का बाजार मूल्य मंडी से नहीं पता चलता। सर्वाधिक 42 प्रतिशत को बिचौलिए से, 30 प्रतिशत लोगों को गांव के किसी व्यक्ति से जबकि 28 प्रतिशत को स्थानीय बाजार से प्राप्त चलता है।

15. मनरेगा क्या है? इसका लाभ आपको मिल रहा है कि नहीं?

इस प्रश्न के उत्तर में अधिकतर लोग को मनरेगा के बारे में न सिर्फ जानते हैं बल्कि उससे जुड़कर कार्य भी करते हैं। लोगों ने ये भी बताया कि उन्हें कई महीनों से मनरेगा के अन्तर्गत किये गये कार्यों के लिए पैसे नहीं मिला है। लोगों ने सरपंच, सचिव और मीडियाकर्मियों की मिलीभगत का भी जिक्र किया।

16. आपके गांव में कोई गैर सरकारी संगठन या स्वयं सहायता समूह विकास के लिए कार्य कर रहा है?

विकल्प	लोगों की प्रतिक्रिया	प्रतिशत
हां	103	25.75
नहीं	297	74.25

सारणी संख्या:15

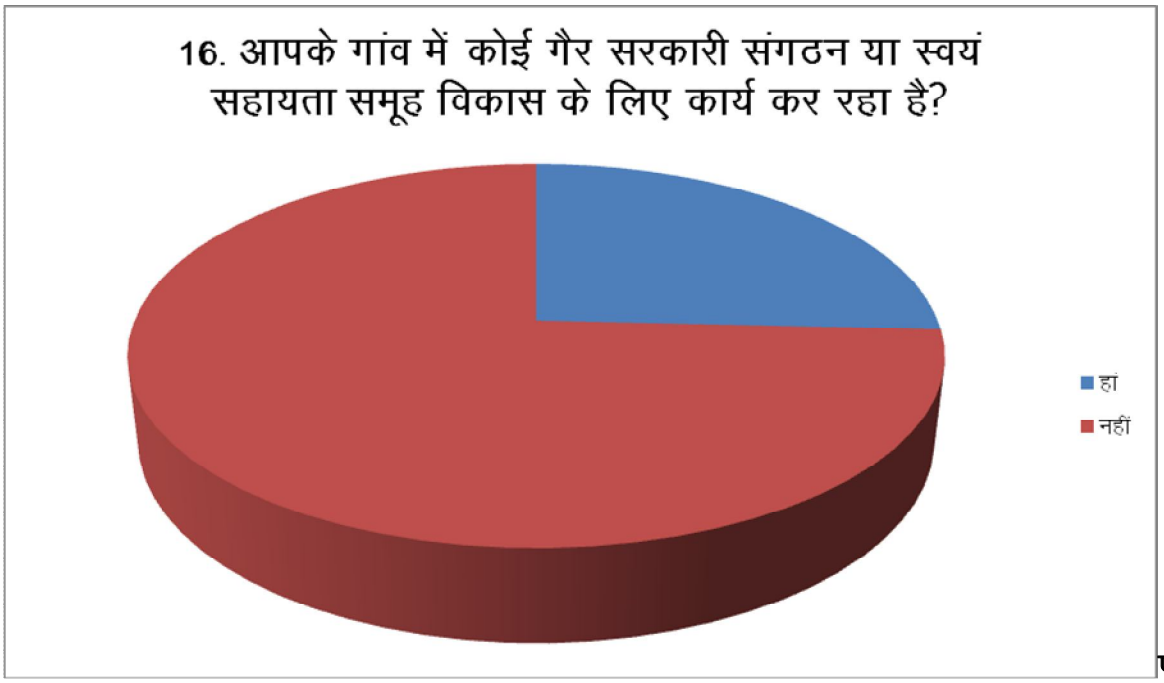

पाई–चार्ट संख्या: 15

25.75 प्रतिशत लोगों ने बताया कि उनके गांव में कोई गैर–सरकारी संगठन या स्वयं सहायता समूह विकास के लिए कार्य कर रहा है, जबकि 74.25 प्रतिशत ने बताया कि संचालित नहीं है।

17. आपके सामाजिक मुद्दे जैसे भूमि अधिग्रहण, जंगल, जमीन, पानी इत्यादि को मीडिया में पर्याप्त कवरेज मिल पाता है?

विकल्प	लोगों की प्रतिक्रिया	प्रतिशत
हां	33	08.25
नहीं	367	91.75

सारणी संख्याः16

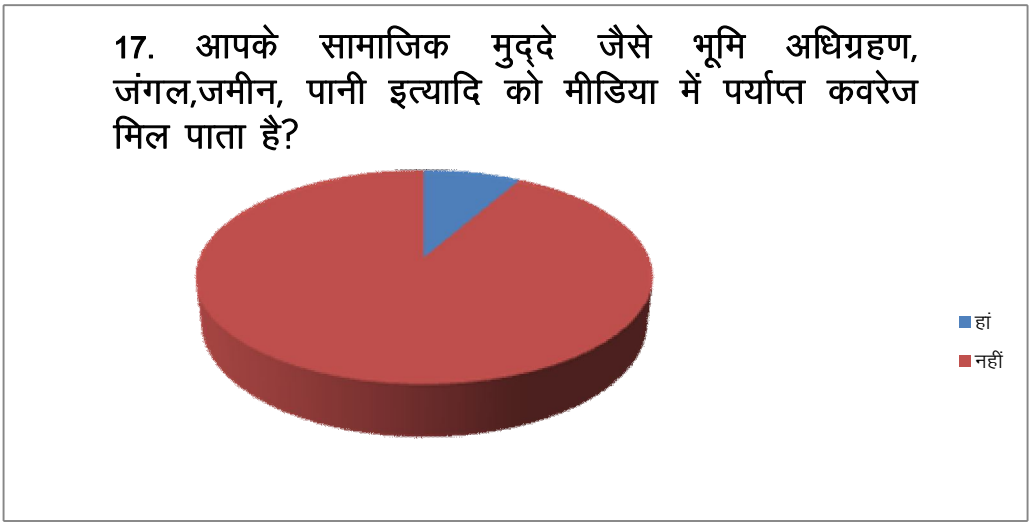

पाई–चार्ट संख्याः 16

इस प्रश्न पर कि आपके सामाजिक मुद्दे जैसे भूमि अधिग्रहण, जंगल, जमीन, पानी इत्यादि को मीडिया में पर्याप्त कवरेज मिल पाता है?, 8.25 प्रतिशत ने कहा हां जबकि 91.75 प्रतिशत ने कहा कि नहीं।

18. क्या आप सामुदायिक रेडियो के बारे में जानते हैं?

विकल्प	लोगों की प्रतिक्रिया	प्रतिशत
हां	04	01.00
नहीं	396	99.00

सारणी संख्या:17

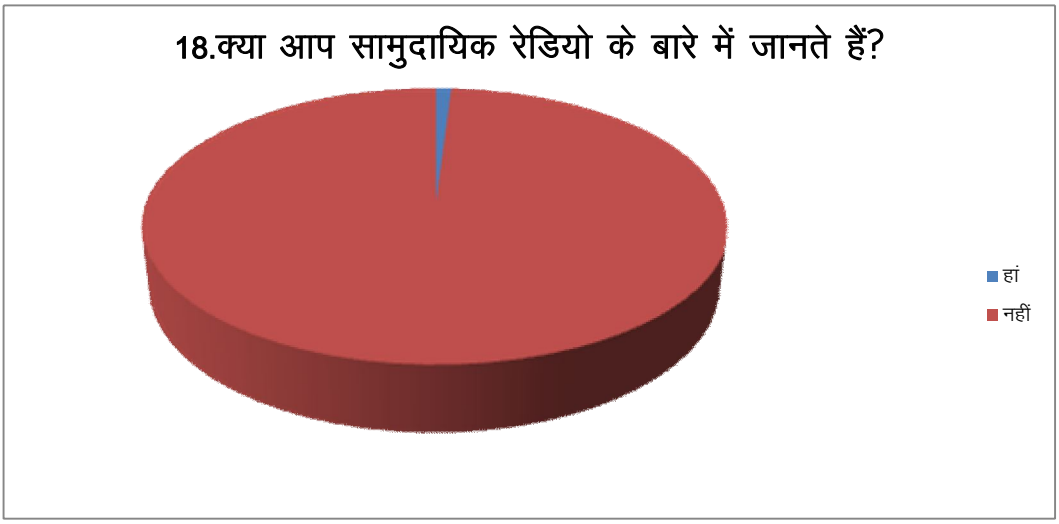

पाई–चार्ट संख्या: 17

मात्र 01 प्रतिशत ने बताया कि वे सामुदायिक रेडियो के बारे में जानते हैं। जबकि 99 प्रतिशत ने कहा कि वे सामुदायिक रेडियो के बारे में नहीं जानते।

19. यदि हां तो क्या आप सामुदायिक रेडियो से जुड़ कर कार्य करना चाहेंगे?

विकल्प	लोगों की प्रतिक्रिया	प्रतिशत
हां	01	25.00
नहीं	03	75.00

सारणी संख्या:18

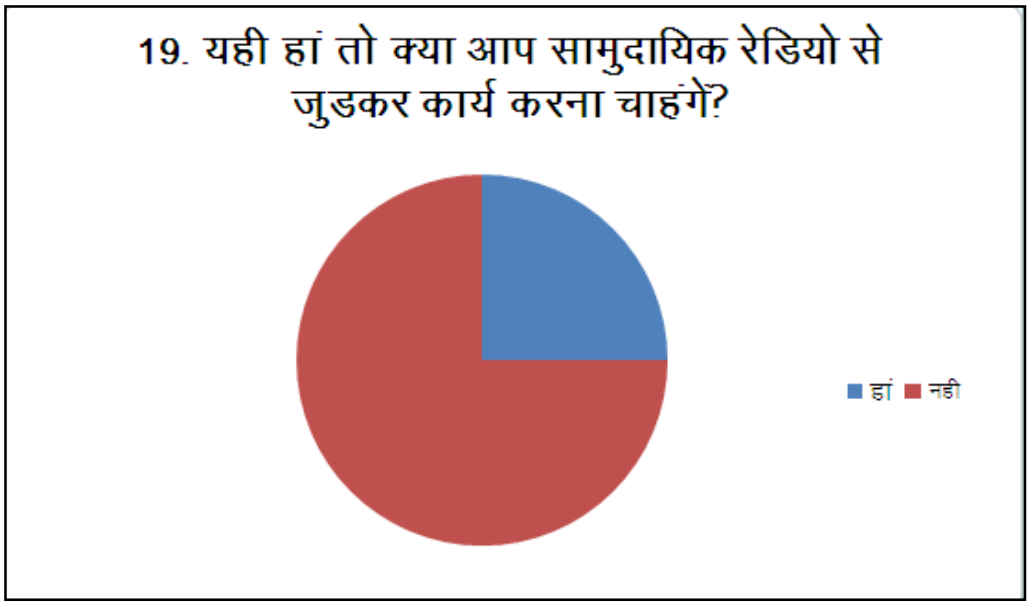

पाई–चार्ट संख्या: 18

जिन 01 प्रतिशत लोगों ने कहा था कि वे सामुदायिक रेडियो के बारे में जानते हैं, उनमें से 25 प्रतिशत सामुदायिक रेडियो से जुड़कर कार्य करना चाहते हैं। जबकि 75 प्रतिशत नहीं जुड़ना चाहते।

20. क्या आप समाचार–पत्र, रेडियो, टेलीविजन जैसे जनसंचार के माध्यमों की अन्तर्वस्तु से परिचित हैं?

विकल्प	लोगों की प्रतिक्रिया	प्रतिशत
हां	09	02.25
नहीं	391	97.75

सारणी संख्याः19

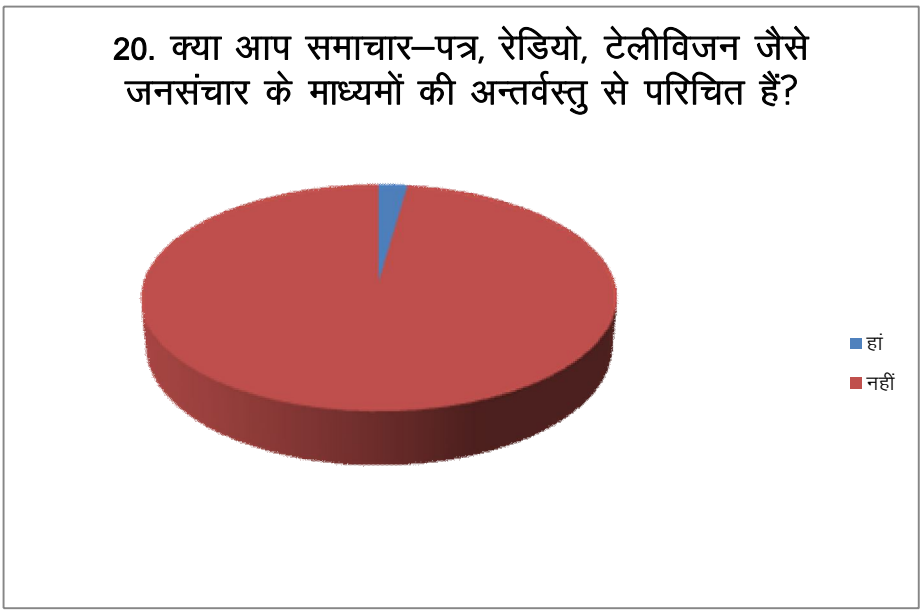

पाई–चार्ट संख्याः 19

इस प्रश्न पर कि क्या आप समाचार–पत्र, रेडियो, टेलीविजन जैसे जनसंचार के माध्यमों की अन्तर्वस्तु से परिचित हैं? 2.25 प्रतिशत ने कहा हां जबकि 97.75 प्रतिशत ने कहा नहीं।

21. सामाजिक समस्याएं जैसे टोनही प्रथा, बाल विवाह इत्यादि के निराकरण में मीडिया अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है?

विकल्प	लोगों की प्रतिक्रिया	प्रतिशत
हां	40	10.00
नहीं	360	90.00

सारणी संख्या:20

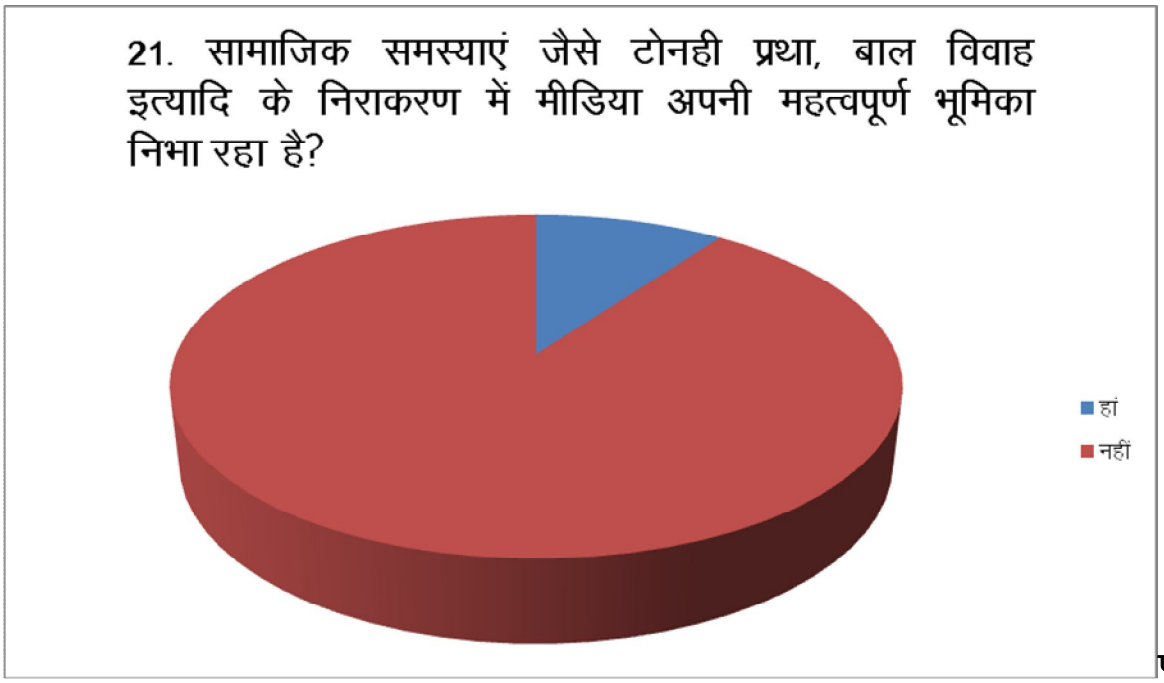

पाई–चार्ट संख्या: 20

यह पूछने पर कि सामाजिक समस्याएं जैसे टोनही प्रथा, बाल विवाह इत्यादि के निराकरण में मीडिया अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, 10 प्रतिशत लोगों ने कहा हां जबकि 90 प्रतिशत लोगों ने कहा नहीं।

22.आपको सरकार से किस तरह के विकास की आस है?

आदिवासी सरकार से समग्र विकास की आस रखते हैं। ऐसा विकास जिसमें उन्हें मूलभूत सुविधाओं के साथ शिक्षा, रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जाएं। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाए जाने के लिए विशेष योजनाओं के संचालन की मांग करते हैं।

23. क्या मीडिया आपके विकास सम्बन्धी मुद्दों को सरकार तथा आम जनता तक पहुंचाने में सहयोग कर रहा है?

विकल्प	लोगों की प्रतिक्रिया	प्रतिशत
हां	104	26.00
नहीं	296	74.00

सारणी संख्या:21

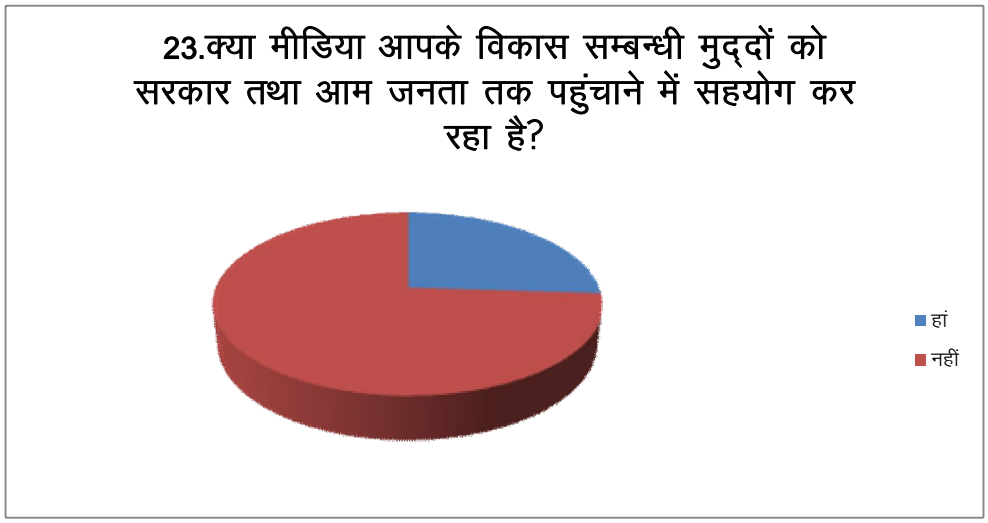

पाई–चार्ट संख्याः 21

इस प्रश्न पर कि क्या मीडिया आपके विकास संबंधी मुद्दों को सरकार तथा आम जनता तक पहुंचाने में सहयोग कर रहा है? 26 प्रतिशत लोगों ने कहा हां जबकि 74 प्रतिशत ने कहा नहीं।

24. क्या आपकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के बदलाव में मीडिया की कोई भूमिका है?

विकल्प	लोगों की प्रतिक्रिया	प्रतिशत
हां	84	21.00
नहीं	316	79.00

सारणी संख्या:22

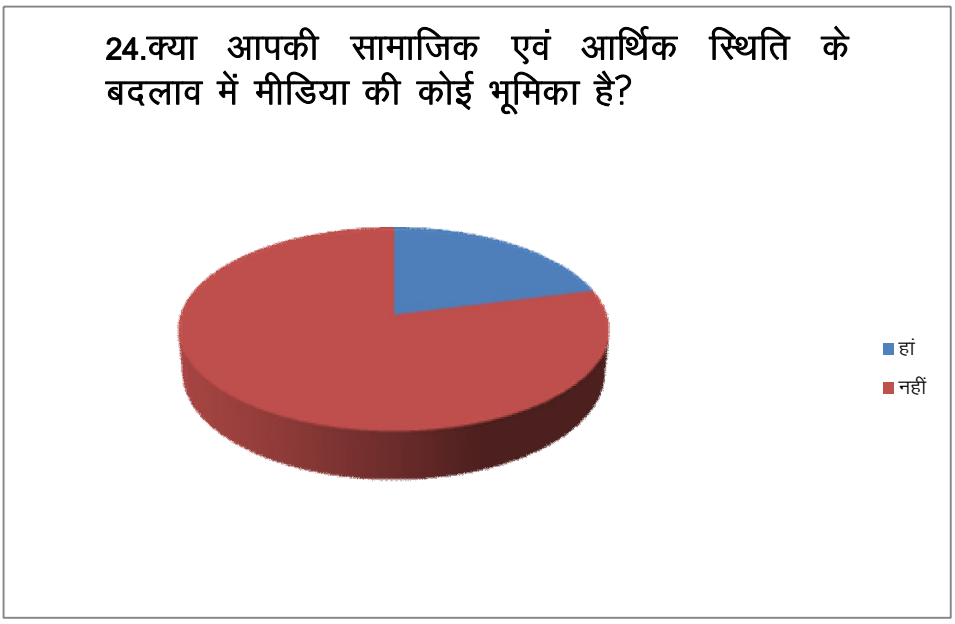

पाई–चार्ट संख्याः 22

इस प्रश्न पर कि क्या आपकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के बदलाव में मीडिया की कोई भूमिका है? 21 प्रतिशत लोगों ने कहा हां जबकि 79 प्रतिशत लोगों ने कहा नहीं।

25. क्या आपके क्षेत्र में सरकार, किसी स्वयंसेवी संस्था या मीडिया संगठन द्वारा लोक माध्यमों का उपयोग करके जागरूकता अभियान चलाया गया है?

विकल्प	लोगों की प्रतिक्रिया	प्रतिशत
हां	06	01.50
नहीं	394	98.50

सारणी संख्या:23

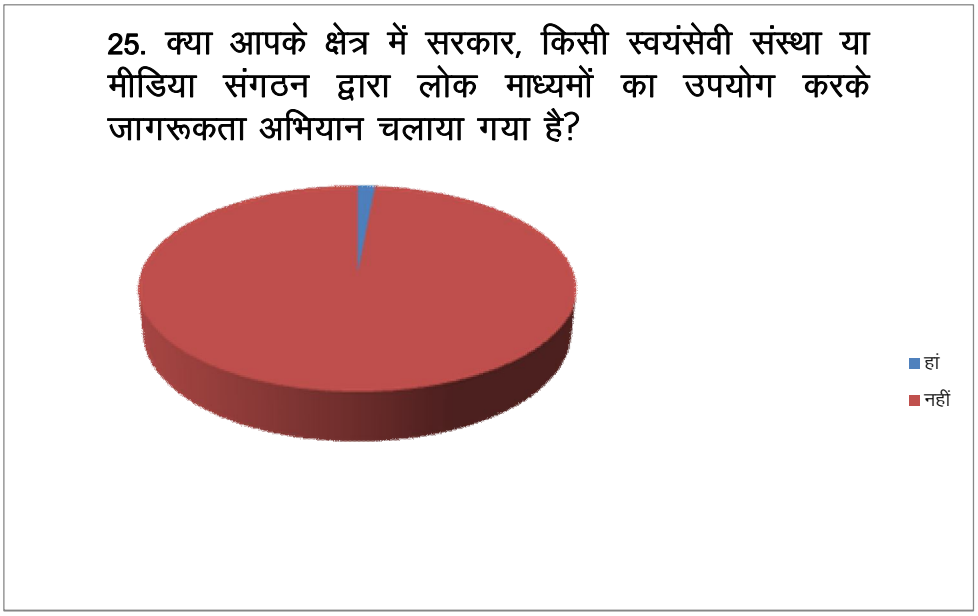

पाई–चार्ट संख्या: 23

इस प्रश्न पर कि क्या आपके क्षेत्र में सरकार, किसी स्वयं सेवी संस्था या मीडिया संगठन द्वारा लोक माध्यमों का उपयोग करके जागरूकता अभियान चलाया गया है, 1.50 प्रतिशत लोगों ने कहा हां जबकि 98.50 प्रतिशत ने कहा नहीं।

26. क्या लोक माध्यमों द्वारा आपने अपनी समस्याओं को सरकार, स्वयं सेवी संस्थाओं तथा मास मीडिया के समक्ष उठाया है?

विकल्प	लोगों की प्रतिक्रिया	प्रतिशत
हां	33	08.25
नहीं	367	91.75

सारणी संख्या:24

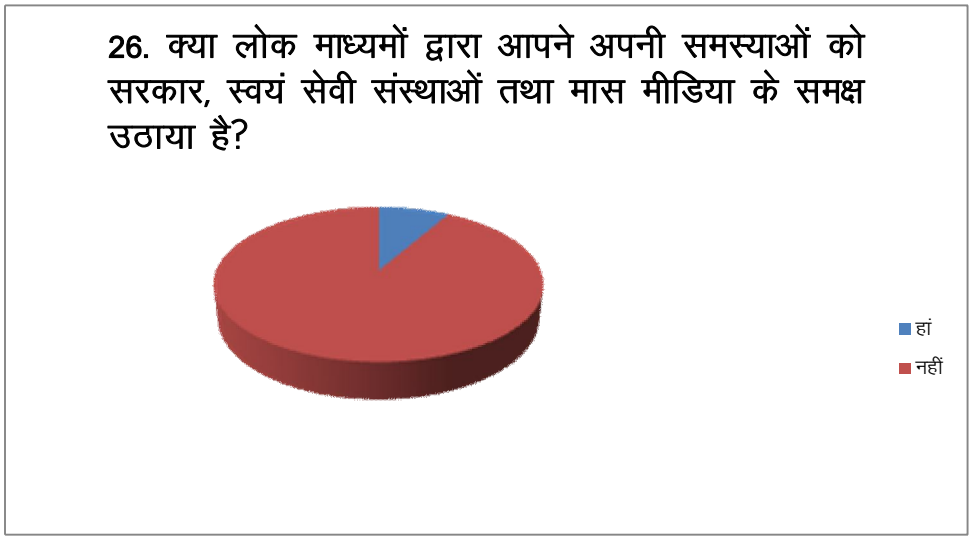

पाई–चार्ट संख्या: 24

इस प्रश्न पर कि क्या लोक माध्यमों द्वारा आपने अपनी समस्याओं को उठाया है, 8.25 प्रतिशत ने कहा हां जबकि 91.75 प्रतिशत ने कहा नहीं।

27. क्या संचार के अन्य माध्यमों की तुलना में लोक माध्यम आपके समुदाय में संचार के लिए ज्यादा उपयोगी माध्यम है?

विकल्प	लोगों की प्रतिक्रिया	प्रतिशत
हां	271	67.75
नहीं	129	32.25

सारणी संख्या:25

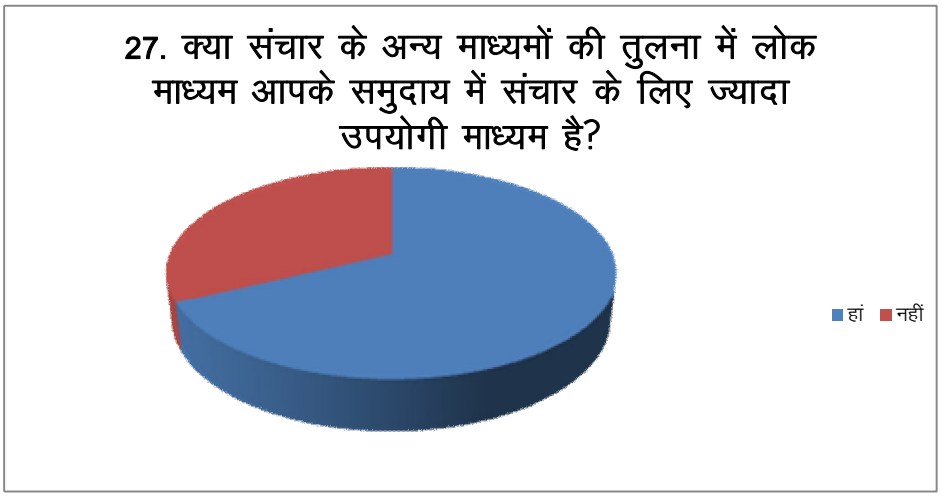

पाई–चार्ट संख्याः 25

67.75 प्रतिशत आदिवासी लोग मानते हैं कि संचार के अन्य माध्यमों की तुलना में लोक माध्यम आपके समुदाय में संचार के लिए ज्यादा उपयोगी माध्यम है, जबकि 32.25 प्रतिशत ने कहा नहीं।

4:3 मीडिया प्रोफेशनल्स से साक्षात्कार

श्री श्याम सिंह तोमर, स्थानीय संपादक 'दैनिक भास्कर', बिलासपुर

1. **देश के लिए आदिवासी किस तरह महत्वपूर्ण हैं?**

   देष का सामाजिक ताना–बाना विविधता से भरा है। इसमें जनजातियों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अगर आज सचमुच प्रकृति के करीब हैं तो वे आदिवासी ही हैं। जंगलों का संरक्षण और संवर्धन भी आदिवासी बखूबी कर रहे हैं।

2. **आदिवासी लोगों के बारे में आपकी क्या राय है?**

   निश्चित ही ये महान परंपराओं और प्रकृति के रहस्यों को जानने–समझने वाले लोग हैं। इनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है डिस्कवरी चैनल द्वारा भारत समेत दुनियाभर में इन पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्रीज।

3. **आदिवासी मुद्दों जैसे भूमिअधिग्रहण, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा इत्यादि के बारे में मीडिया की कवरेज पर आपकी राय क्या है?**

   इनसे जुड़े मुद्दों पर पहले के मुकाबले अब काफी कवरेज हो रहा है। पत्रकार, इनके बीच जाकर लिख रहे हैं। दैनिक भास्कर, बीबीसी, डिस्कवरी, हिस्ट्री आदि मीडिया के बड़े संस्थान इन्हें लगातार महत्व दे रहे हैं।

4. **सूचना क्रांति के इस युग में भी आदिवासी इलाकों तक सूचना की पहुंच बहुत कम क्यों है या नहीं के बराबर है?**

दरअसल, एक अरसे से आदिम क्षेत्र आधुनिक संचार माध्यमों से कटे रहे हैं। इसके दो कारण हैं, एक तो जनजातियों का आधुनिकता के प्रति कोई खास लगाव नहीं होता। वे अपनी जड़ों से जुड़कर परंपराओं के बीच खुश रहते हैं। दूसरा, जिस तरह के प्रयास सरकारों को करने चाहिए नहीं किए गए।

5. **क्या आपको लगता है कि पहले की अपेक्षा आदिवासी मुद्दों पर मीडिया की कवरेज बढ़ गई है?**

यकीनन, पहले के मुकाबले आदिवासी मुद्दों पर मीडिया में कवरेज बढ़ा है।

6. **ऐसे समय में जब मीडिया अपने पाठकों/श्रोताओं को उपभोक्ता मानती है ऐसे में आदिवासी उनके लिए क्या मायने रखते हैं?**

कथित तौर जिन्हें आपके प्रश्न में उपभोक्ता कहा गया है, वे पहले पाठक हैं। वे अच्छे और रोचक समाचार पढ़ना चाहते हैं। ऐसे में अमेरिका की खबर हो या फिर अबुझमाड़ की, अगर रोचक है, प्रस्तुतीकरण ठीक है तो जरूर पढ़ी जाती है।

7. **मीडिया खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बाजार आधारित हो रहा है ऐसे में आदिवासी क्षेत्रों में उन्हें बाजार नहीं दिखता। क्या यही वजह है मीडिया की उदासीनता की?**

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अभी संक्रमण काल चल रहा है, लेकिन सुधार लगातार हो रहे हैं। यह भी समझना होगा कि चैनल न्यूज के भूखे हैं, उन्हें ऐसे में सारी खबरें बाजार

से ही मिल जाएं, जरूरी नहीं। जंगल, जनजातियां, जानवर और नदियों तक आना ही पड़ता है।

8. **आदिवासी मुद्दों की मीडिया द्वारा कवरेज के संदर्भ में आगे और क्या किया जाना चाहिए? क्या सुझाव देंगे आप?**

अब दौर आंचलिक पत्रकारिता का है। ऐसे में जनजातियों और जंगल के मुद्दों पर कवरेज बढ़ रहा है। आगे और बढ़ना ही है।

9. **आदिवासी लोगों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए मीडिया की क्या भूमिका हो सकती है?**

देखिए, यह कहना भी गलत है कि आदिवासी मुख्य धारा में नहीं है। अगर वे अपनी जड़ों से जुड़कर खुश हैं तो क्यों उन पर हमें कोई वाद या फिर आधुनिकता को थोपना चाहिए। इसके बजाय यह कोशिश होनी चाहिए कि स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा और बुनियादी जरूरतें पूरी हो रही हैं कि नहीं। इसके लिए मीडिया लगातार मुद्दे उठाता है।

10. **क्या कारण है कि आदिवासी लोगों के लिए राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं का लाभ उन्हें समुचित रूप से नहीं मिल पाता?**

छत्तीसगढ़ जैसे जनजातीय बहुल क्षेत्र में अन्य राज्यों की अपेक्षा प्रयास बेहतर हैं लेकिन अभी भी बहुत बाकी है। दरअसल, इसमें लगता है कि सरकारों की सोच तो बेहतर होती है, लेकिन जिन्हें क्रियान्वयन का जिम्मा दिया गया है, वे अपना काम ठीक से नहीं करते।

11. क्या आपके संस्थान में कोई आदिवासी कर्मचारी कार्यरत है?

यकीनन, संस्थान के विभिन्न विभागों और अंचल में कई कर्मचारी जनजातियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

श्री प्रवीण शुक्ला, स्थानीय संपादक 'हरिभूमि', बिलासपुर

1. देश के लिए आदिवासी किस तरह महत्वपूर्ण हैं?

आदिवासी देश की मूल परंपरा के लोग हैं। उनकी संस्कृति, परंपराएं एवं उनके मूल स्वरुप को बरकरार रखना होगा। आदिकाल से भारत में उनकी संस्कृति और परंपराएं प्रसिद्ध हैं।

2. आदिवासी लोगों के बारे में आपकी क्या राय है?

आदिवासी समुदाय, ऐसा समुदाय है जो भारत की प्राचीन परंपराओं से जुड़ा है। भारत की आदि संस्कृति उसमें दिखती है। यह सहज एवं सरल कौम है।

3. आदिवासी मुद्दों जैसे भूमिअधिग्रहण, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा इत्यादि के बारे में मीडिया की कवरेज पर आपकी राय क्या है?

नये दौर में मीडिया की भूमिका बदली है। आमतौर पर मीडिया अपने पाठक समूह का कवर करता है। इसीलिए आदिवासी लगातार उपेक्षा के शिकार हैं। विजुअल मीडिया अपनी टीआरपी को ध्यान में रखकर कवरेज करता है। स्थानीय मीडिया में आदिवासी मुद्दों का कवरेज होता है लेकिन आदिवासियों को नहीं बल्कि योजनाओं को लक्षित करते हैं। कारर्पोरेट सेक्टर आदिवासी मुद्दों का मीडिया में आने से रोकने की कोशिश

करता है। कारर्पोरेट सेक्टर मीडिया को विज्ञापन के रुप में भारी भरकम रकम देता है। इसीलिए मीडिया पर उनका दबाव रहता है।

4. **सूचना क्रांति के इस युग में भी आदिवासी इलाकों तक सूचना की पहुंच बहुत कम क्यों है या नहीं के बराबर है?**

आदिवासी इलाकों में व्यय करने की क्षमता नहीं है। वे गरीब हैं। आदिवासी इलाकों में सरकारी माध्यम आज भी नहीं है।

5. **क्या आपको लगता है कि पहले की अपेक्षा आदिवासी मुद्दों पर मीडिया की कवरेज बढ़ गई है?**

कवरेज बढ़ी नहीं है। स्थानीय एवं क्षेत्रीय मीडिया में आज भी कवरेज होता है लेकिन राष्ट्रीय मीडिया आदिवासी मुद्दों का नजरअंदाज करता है। फील्ड रिपोर्टिंग का अभाव है।

6. **ऐसे समय में जब मीडिया अपने पाठकों/श्रोताओं को उपभोक्ता मानती है ऐसे में आदिवासी उनके लिए क्या मायने रखते हैं?**

वे उपभोक्ता नहीं हैं। इसीलिए वे उपेक्षित हैं। कार्पोरेट सेक्टर का दबाव इसका कारण है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

7. **मीडिया खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बाजार आधारित हो रहा है ऐसे में आदिवासी क्षेत्रों में उन्हें बाजार नहीं दिखता। क्या यही वजह है मीडिया की उदासीनता की?**

बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीआरपी और बिजनेस आधारित है। वे सामाजिक सरोकारों से दूर हैं।

8. आदिवासी मुद्दों की मीडिया द्वारा कवरेज के संदर्भ में आगे और क्या किया जाना चाहिए? क्या सुझाव देंगे आप?

निम्नलिखित सुझाव हैं:

i) राष्ट्रीय मीडिया को प्रसारण की तब तक अनुमति न दें जब तक वे आदिवासी क्षेत्रों में न जाएं

ii) निजी रेडियो चैनल के प्रसारण की तब तक अनुमति न दें जब तक वे आदिवासी क्षेत्रों को कवर न करें

iii) स्थानीय समाचार–पत्र आदिवासी हितों पर कवरेज बढ़ाना चाहिए।

iv) कार्पोरेट सेक्टर को सामाजिक उत्तरदायित्वों को निभाना चाहिए।

v) आदिवासी क्षेत्रों की मीडिया को विज्ञापन के माध्यम से प्रोत्साहित करना चाहिए।

vi) पत्रकारों को आदिवासी क्षेत्रों में कार्य करना चाहिए।

9. आदिवासी लोगों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए मीडिया की क्या भूमिका हो सकती है?

मीडिया को तटस्थ होकर कार्य करना होगा। आर्थिक हितों को छोड़कर सामाजिक हितों के लिए कार्य करना होगा। सरकार और मीडिया दोनों को मिलकर आदिवासी हितों के लिए कार्य करना चाहिए। शिविर लगाकर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार इत्यादि के प्रति जागरूकता फैलानी होगी। योजनाओं को सही तरीके से लागू करना होगा।

10. क्या कारण है कि आदिवासी लोगों के लिए राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं का लाभ उन्हें समुचित रूप से नहीं मिल पाता?

सरकार योजनाएं तो बनाती है लेकिन उसका लाभ लक्षित समूह तक नहीं पहुंच पाता। इसका एक बड़ा कारण है कि सरकार निगरानी नहीं करती।

11. क्या आपके संस्थान में कोई आदिवासी कर्मचारी कार्यरत है?

संपादकीय विभाग एवं कम्प्यूटर सेक्शन में आदिवासी कार्यरत हैं।

श्री निशांत शर्मा, स्थानीय संपादक 'नवभारत', बिलासपुर

1. देश के लिए आदिवासी किस तरह महत्वपूर्ण हैं?

देश में जिस तरह सभी महत्वपूर्ण हैं उसी तरह आदिवासी भी महत्वपूर्ण हैं। बल्कि अधिक ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आदिवासी लोगों की अपनी संस्कृति और रीति–रिवाज अलग तरह के हैं।

2. आदिवासी लोगों के बारे में आपकी क्या राय है?

ये शहरों के संपर्क में आ रहे हैं तो खतरा है कि वे अपनी संस्कृति से दूर न हो जाएं। इनकी संस्कृति का संरक्षण हर तरह करना चाहिए।

3. आदिवासी मुद्दों जैसे भूमिअधिग्रहण, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा इत्यादि के बारे में मीडिया की कवरेज पर आपकी राय क्या है?

मीडिया हमेशा कवरेज देता है। थोड़ी कमी जरूर आई है लेकिन कवरेज मिल रहा है। प्रिंट मीडिया केवल प्रकाशित कर सकता है। असली जिम्मेदारी तो सरकार की है। यह गारंटी है कि मीडिया में आदिवासी उपेक्षित नहीं हैं।

4. **सूचना क्रांति के इस युग में भी आदिवासी इलाकों तक सूचना की पहुंच बहुत कम क्यों है या नहीं के बराबर है?**

   सूचना के लिए जरूरी है कि आदिवासी लोग शिक्षित हों। वहां आवागमन के लिए सड़कें हों। आर्थिक स्थिति सुधारना अधिक महत्वपूर्ण है।

5. **क्या आपको लगता है कि पहले की अपेक्षा आदिवासी मुद्दों पर मीडिया की कवरेज बढ़ गई है?**

   मीडिया की कवरेज बढ़ी है। लेकिन उनकी समस्याएं नहीं सुलझ रही हैं। अभी भी वे उपेक्षित हैं। समस्याओं से भरा जीवन जी रहे हैं।

6. **ऐसे समय में जब मीडिया अपने पाठकों/श्रोताओं को उपभोक्ता मानती है ऐसे में आदिवासी उनके लिए क्या मायने रखते हैं?**

   मीडिया आदिवासियों को उपभोक्ता नहीं मानती। अपने पाठकों के बराबर मानती है।

7. **मीडिया खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बाजार आधारित हो रहा है ऐसे में आदिवासी क्षेत्रों में उन्हें बाजार नहीं दिखता। क्या यही वजह है मीडिया की उदासीनता की?**

   इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पहुंच आदिवासी इलाकों तक नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शहरों तक ही सीमित है।

8. **आदिवासी मुद्दों की मीडिया द्वारा कवरेज के संदर्भ में आगे और क्या किया जाना चाहिए? क्या सुझाव देंगे आप?**

मीडिया को आदिवासी मुद्दों पर मुहीम बनाना चाहिए। आदिवासी मुद्दों को प्रकाशित करना चाहिए और समय–समय पर उनका फॉलोअप करना चाहिए। ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि सरकार उनके लिए कार्य करे और उनकी समस्याएं सुने।

9. **आदिवासी लोगों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए मीडिया की क्या भूमिका हो सकती है?**

वे मुख्य धारा में ही हैं। वे राजनीति में हैं, वे मतदाता हैं। ये अलग बात है कि उन्हें योजनाओं का सही लाभ नहीं मिल पा रहा है।

10. **क्या कारण है कि आदिवासी लोगों के लिए राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं का लाभ उन्हें समुचित रूप से नहीं मिल पाता?**

इसके लिए सरकारी तंत्र की बेईमानी और भ्रष्टाचार जिम्मेदार है। सरकार की मंशा ठीक है लेकिन योजनाओं के कियान्वयन के जिम्मेदार लोग बेईमानी करते हैं।

11. **क्या आपके संस्थान में कोई आदिवासी कर्मचारी कार्यरत है?**

ठीक से कह नहीं सकते। क्योंकि प्रेस में इतनी अधिक संख्या में लोग कार्य कर रहे है कि कितने लोग आदिवासी हैं।

डॉ. सुनील गुप्ता, स्थानीय संपादक 'नई दुनिया', बिलासपुर

1. **देश के लिए आदिवासी किस तरह महत्वपूर्ण हैं?**

संरक्षित जाति है। संविधान में इनके विकास के लिए प्रावधान किये गये हैं।

2. **आदिवासी लोगों के बारे में आपकी क्या राय है?**

ऐसा समुदाय है जिसे अपने अधिकारों का पता नहीं है। सुविधाओं की जानकारी नहीं है। ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि उन्हें उनक अधिकारों एवं सुविधाओं के बारे में जागरुक किया जा सके।

3. **आदिवासी मुद्दों जैसे भूमिअधिग्रहण, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा इत्यादि के बारे में मीडिया की कवरेज पर आपकी राय क्या है?**

मीडिया इनके हित की बात करता है। इनके खिलाफ हो रहे अन्याय को प्रकाशित करता है। संसद व विधानसभा में भी इनके मुद्दे उठते हैं।

4. **सूचना क्रांति के इस युग में भी आदिवासी इलाकों तक सूचना की पहुंच बहुत कम क्यों है या नहीं के बराबर है?**

आदिवासियों के लिए विशेष फंड है फिर भी ऐसा हो रहा है। वहां विशेष प्रोजेक्ट के तहत सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। सुविधाएं देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह भी देखना होगा कि उन तक पहुंच रही हैं या नहीं। निगरानी मायने रखती है।

5. क्या आपको लगता है कि पहले की अपेक्षा आदिवासी मुद्दों पर मीडिया की कवरेज बढ़ गई है?

बढ़ी है। निश्चित रुप से बढ़ी है।

6. ऐसे समय में जब मीडिया अपने पाठकों/श्रोताओं को उपभोक्ता मानती है ऐसे में आदिवासी उनके लिए क्या मायने रखते हैं?

वे पाठक हैं। उपभोक्ता हैं। लेकिन उनकी आर्थिक क्षमता कम होने का कारण उनकी व्यय करने की कम क्षमता है।

7. मीडिया खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बाजार आधारित हो रहा है ऐसे में आदिवासी क्षेत्रों में उन्हें बाजार नहीं दिखता। क्या यही वजह है मीडिया की उदासीनता की?

ये व्यावसायिकता का दौर है। जहां आय का क्षेत्र है, वहां वे जाते हैं। आदिवासी क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कम मात्रा में है। ये बात भी सच है कि आदिवासी लोगों का जो थोड़ा बहुत विकास हुआ है, वह मीडिया की ही वहज से है।

8. **आदिवासी मुद्दों की मीडिया द्वारा कवरेज के संदर्भ में आगे और क्या किया जाना चाहिए? क्या सुझाव देंगे आप?**

आज चटपटी खबरों का जमाना है। मिर्च–मसाला का जमाना है। सनसनी घटनाओं में ज्यादा रीडरशिप है।

9. आदिवासी लोगों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए मीडिया की क्या भूमिका हो सकती है?

सरकार को प्रयास करना चाहिए। उनकी शिक्षा का बेहतर प्रबंध करना चाहिए। एनजीओ और सामाजिक संगठनों को भी इस ओर प्रयास करने चाहिए।

10. **क्या कारण है कि आदिवासी लोगों के लिए राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं का लाभ उन्हें समुचित रूप से नहीं मिल पाता?**

जागरूकता की कमी है। वे अपने हक के लिए नहीं लड़ते। चौतरफा सक्रियता से समस्याएं सुलझेंगी। वे स्वयं जिम्मेदार लोगों से जाकर पूछें कि उनके लिए क्या–क्या योजनाएं/सुविधाएं हैं।

11. **क्या आपके संस्थान में कोई आदिवासी कर्मचारी कार्यरत है?**

नहीं हैं। वे इतने आगे नहीं आ पा रहे हैं।

<u>श्री राजेश लाहोटी, स्थानीय संपादक 'पत्रिका', बिलासपुर</u>

1. **देश के लिए आदिवासी किस तरह महत्वपूर्ण हैं?**

देश में आदिवासी लोगों का महत्व उतना ही है जितना आम नागरिक का है।

2. **आदिवासी लोगों के बारे में आपकी क्या राय है?**

विकास के नाम पर इनको यूज किया जा रहा है। इनके आधार बनाकर राजनीतिक रोटियां सेंकी जा रही है।

3. **आदिवासी मुद्दों जैसे भूमिअधिग्रहण, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा इत्यादि के बारे में मीडिया की कवरेज पर आपकी राय क्या है?**

आदिवासी मुद्दों पर मीडिया की कवरेज पहले की अपेक्षा बढ़ी है और उसका एकमात्र कारण है कि पत्रकार केवल फैलोशिप प्राप्त करने के लिए आदिवासी मुद्दों को कवर करते हैं। बाकी मीडिया में कोई रुचि नहीं दिखती।

4. **सूचना क्रांति के इस युग में भी आदिवासी इलाकों तक सूचना की पहुंच बहुत कम क्यों है या नहीं के बराबर है?**

   सूचना क्रांति के इस युग में भी आदिवासी इलाकों तक सूचना की पहुंच है। इसके एकमात्र जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं। आदिवासी नेता ही आदिवासियों को छल रहे हैं। उन्हें पनपने नहीं दे रहे हैं।

5. **क्या आपको लगता है कि पहले की अपेक्षा आदिवासी मुद्दों पर मीडिया की कवरेज बढ़ गई है?**

   निश्चित तौर पर आदिवासी मुद्दों पर मीडिया की कवरेज बढ़ी है।

6. **ऐसे समय में जब मीडिया अपने पाठकों/श्रोताओं को उपभोक्ता मानती है ऐसे में आदिवासी उनके लिए क्या मायने रखते हैं?**

   मेरी नजर में आदिवासी भी पाठक/दर्शक की ही तरह हैं।

7. **मीडिया खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बाजार आधारित हो रहा है ऐसे में आदिवासी क्षेत्रों में उन्हें बाजार नहीं दिखता। क्या यही वजह है मीडिया की उदासीनता की?**

   इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उदासीन नहीं है। भरपूर कवरेज करती है।

8. **आदिवासी मुद्दों की मीडिया द्वारा कवरेज के संदर्भ में आगे और क्या किया जाना चाहिए? क्या सुझाव देंगे आप?**

   सबसे पहले आदिवासी इलाकों में शैक्षणिक जनजागरुकता की तरफ ध्यान देना होगा और ये सरकार की जिम्मेदारी है, मीडिया की नहीं।

9. **आदिवासी लोगों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए मीडिया की क्या भूमिका हो सकती है?**

   मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण है।

10. **क्या कारण है कि आदिवासी लोगों के लिए राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं का लाभ उन्हें समुचित रूप से नहीं मिल पाता?**

    आदिवासी नेता ही आदिवासियों को साधन सम्पन्न नहीं होने देते। वे अपना वर्चस्व बनाए रखते हैं।

11. **क्या आपके संस्थान में कोई आदिवासी कर्मचारी कार्यरत है?**

    हर वर्ग के कर्मचारी इस संस्थान में कार्यरत हैं। जाति देखकर नियुक्ति नहीं की जाती।

श्री अशोक शर्मा, संपादक देशबंधु, बिलासपुर

1. **देश के लिए आदिवासी किस तरह महत्वपूर्ण हैं?**

   देष में आदिवासी लोगों का सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व है। वे प्रकृति के रक्षा से लेकर अर्थव्यवस्था तक को प्रभावित करते हैं। उन्हें प्रकृति पुत्र भी कहा जाता है।

2. **आदिवासी लोगों के बारे में आपकी क्या राय है?**

   जिस तरह से आदिवासी लोगों का विकास होना चाहिए नहीं हुआ। आदिवासी विकास की नीति सही नहीं है। आदिवासी लोगों की अपनी जीवन शैली है। उनकी जीवन शैली को प्रभावित किये बिना ही विकास की योजनाएं बनाई जानी चाहिए। आदिवासी इलाकों में अव्यवस्थित विकास हुआ है।

3. **आदिवासी मुद्दों जैसे भूमिअधिग्रहण, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा इत्यादि के बारे में मीडिया की कवरेज पर आपकी राय क्या है?**

   आदिवासी हितों के संरक्षण में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। मीडिया ने सभी पहलुओं पर बारीकी से काम किया है। कुछ वर्ष पहले देशबन्धु की 'मायाराम सुरजन फाउण्डेशन' और यूनिसेफ ने एक साथ मिलकर बच्चों के लिए पत्रकारित प्रशिक्षण चलाया था। इसका उद्देश्य बच्चों को पत्रकारिता के प्रति रूचि पैदा करना था। पत्रकारिता प्रशिक्षण के अन्तर्गत 'स्वराज' नामक बाल पत्रिका का भी प्रकाशन किया जाता था जिसमें ग्रामीण इलाकों के बच्चे और आदिवासी बच्चे भी प्रतिभागी करते थे।

4. **सूचना क्रांति के इस युग में भी आदिवासी इलाकों तक सूचना की पहुंच बहुत कम क्यों है या नहीं के बराबर है?**

आदिवासी इलाकों में पहले की अपेक्षा मीडिया की पहुंच बढ़ी है। आज आदिवासी लोगों के पास भी मोबाइल फोन हैं और वे इसके माध्यम से इंटरनेट से वे सोशल मीडिया से भी जुड़ रहे है। प्रिंट मीडिया की पहुंच के लिए सड़कों का होना आवश्यक है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए सेटेलाइट का होना। इनकी कमी के कारण मीडिया की पहुंच कम है।

5. **क्या आपको लगता है कि पहले की अपेक्षा आदिवासी मुद्दों पर मीडिया की कवरेज बढ़ गई है?**

   आदिवासी लोगों की आज जो थोड़ी बहुत अच्छी स्थिति है वह मीडिया के ही कारण है। प्रिंट मीडिया ने हमेशा ही उनके मुद्दों को उठाया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने अपने सिमटे दायरे के कारण अपेक्षाकृत कम कवरेज दिया है।

6. **ऐसे समय में जब मीडिया अपने पाठकों/श्रोताओं को उपभोक्ता मानती है ऐसे में आदिवासी उनके लिए क्या मायने रखते हैं?**

   जनजातिय सभ्यता और संस्कृति के प्रति लोगों में हमेशा से जिज्ञासा है। वे इनके बारे में अधिक से अधिक जानना चाहते हैं। मीडिया ने समय–समय पर आदिवासी मुद्दों को उठाया है। उनकी कला और संस्कृति को मीडिया ने पर्याप्त कवरेज दी है। आज विश्वपटल पर बस्तर और सरगुजा की जो पहचान है वह मीडिया की ही वजह से है।

7. **मीडिया खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बाजार आधारित हो रहा है ऐसे में आदिवासी क्षेत्रों में उन्हें बाजार नहीं दिखता। क्या यही वजह है मीडिया की उदासीनता की?**

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कवरेज बहुत व्यापक नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में राजनीतिक खबरें अधिक प्रस्तुत की जाती हैं। सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों की कवरेज कम है।

8. आदिवासी मुद्दों की मीडिया द्वारा कवरेज के संदर्भ में आगे और क्या किया जाना चाहिए? क्या सुझाव देंगे आप?

मीडिया अपने स्तर पर आदिवासी मुद्दों की कवरेज करता है। अब जरूरत इस बात की भी है कि आदिवासी लोगों को स्वयं भी मीडिया तक पहुंचने का प्रयास करना होगा।

9. आदिवासी लोगों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए मीडिया की क्या भूमिका हो सकती है?

आदिवासी लोगों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज आदिवासी लोगों में जो जागरूकता आई है उसमें मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है।

10. क्या कारण है कि आदिवासी लोगों के लिए राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं का लाभ उन्हें समुचित रूप से नहीं मिल पाता?

भारतीय संविधान में सभी को समानता का अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुसार आदिवासी जनप्रतिनिधि आदिवासी ही होगा। यदि आदिवासी लोगों के लिए राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं का लाभ उन्हें समुचित रूप से नहीं मिल पा रहा है तो इसमें जनप्रतिनिधियों की विफलता है। वे

शोषक के रुप में सामने आ रहे हैं। आदिवासी लोगों का शोषण स्वयं आदिवासी ही कर रहे हैं। शिक्षा से शोषण रुकेगा। लोगों को अपने अधिकारों और हक के प्रति जागरूक होना होगा। इसमें मीडिया हमेशा मददगार रहा है।

11. क्या आपके संस्थान में कोई आदिवासी कर्मचारी कार्यरत है?

देशबन्धु समाचार–पत्र के कई संस्करणों में अनेक पत्रकार कार्यरत हैं जो आदिवासी हैं।

श्री नथमल शर्मा , संपादक 'इवनिंग टाइम्स' (हिन्दी सांध्य दैनिक), बिलासपुर

1. **देश के लिए आदिवासी किस तरह महत्वपूर्ण हैं?**

देश के प्रत्येक नागरिक की तरह महत्वपूर्ण हैं आदिवासी। वे खास हैं क्योंकि वे संस्कृति के संवाहक हैं। इसके माध्यम से समाज व दुनिया को दिशा दे रहे हैं।

2. **आदिवासी लोगों के बारे में आपकी क्या राय है?**

आदिवासी समाज को संगठन, सौहार्द, सामंजस्य और प्रकृति से लगाव की दिशा देते हैं। वे प्रकृति को रचते हैं और प्रकृति उन्हें।

3. **आदिवासी मुद्दों जैसे भूमिअधिग्रहण, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा इत्यादि के बारे में मीडिया की कवरेज पर आपकी राय क्या है?**

कवरेज अफसोस जनक है। दयनीय स्थिति है। आदिवासी मुद्दे प्राथमिकता में नहीं हैं। नव पूंजीकरण ने मनुष्य और मनुष्यता को हासिए पर ला दिए हैं। ये मुद्दे मीडिया की चिंता में नहीं हैं। पूंजी घरानों को तकलीफ होती है।

4. **सूचना क्रांति के इस युग में भी आदिवासी इलाकों तक सूचना की पहुंच बहुत कम क्यों है या नहीं के बराबर है?**

   सूचना क्रांति नकली सूचना क्रांति है। सूचनाओं को अपने हितों के लिए प्रसारित की जाती है या रुकवा दी जाती है। एशिया, मध्य एशिया में अभी भी दुर्गम इलाके हैं, जिन्हें कारण विशेष से दुर्गम रखा गया है। उनमें खनिज, जंगल इत्यादि हैं।

5. **क्या आपको लगता है कि पहले की अपेक्षा आदिवासी मुद्दों पर मीडिया की कवरेज बढ़ गई है?**

   कवरेज नहीं बढ़ी है। मीडिया बड़े व्यवसाय का हिस्सा है। व्यवसायिक हितों को ध्यान में रखकर करवेज करते हैं। लेकिन बहुत सारा मीडिया गंभीर चिंतन करता है।

6. **ऐसे समय में जब मीडिया अपने पाठकों/श्रोताओं को उपभोक्ता मानती है ऐसे में आदिवासी उनके लिए क्या मायने रखते हैं?**

   मैं इससे सहमत हूं। भारत के प्रत्येक नागरिक को मिलने वाली सभी संवैधानिक सुविधाएं आदिवासियों का भी प्राप्त हैं। लेकिन वे जागरूक नहीं हैं। संसाधनों का बंटवारा असंतुलित है। उनके साथ अन्याय हो रहा है।

7. **मीडिया खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बाजार आधारित हो रहा है ऐसे में आदिवासी क्षेत्रों में उन्हें बाजार नहीं दिखता। क्या यही वजह है मीडिया की उदासीनता की?**

   बिल्कुल ठीक है। आदिवासी इलाकों में बाजार नहीं है लेकिन आदिवासी बाजार का हिस्सा है। बाजार ने मीडिया को अभी इस नजरिए से उपयोग करने की नहीं सोची है। लेकिन संपूर्ण मीडिया में उदासीनता नहीं है। मीडिया में सेमिनार, चिंतन आदि होते हैं।

एक तबका आदिवासियों पर काम कर रहा है। शोधार्थी शोध कर रहे हैं और चिंतक चिंतन कर रहे हैं।

8. **आदिवासी मुद्दों की मीडिया द्वारा कवरेज के संदर्भ में आगे और क्या किया जाना चाहिए? क्या सुझाव देंगे आप?**

समाज में चर्चा होनी चाहिए और उस चर्चा को गंभीरता से मीडिया में लाना चाहिए। मीडिया को खुद पहल करके आदिवासी मुद्दों को कवर करना चाहिए, जैसा कि दो दशक पहले तक होता था। आज पत्रकारों में बदलाव के लिए जज्बा नहीं है। आदिवासी मुद्दों को मीडिया में लाने के लिए सामाजिक संस्थाओं और एनजीओ को भी आगे आना होगा।

9. **आदिवासी लोगों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए मीडिया की क्या भूमिका हो सकती है?**

दिशाहीन दौड़ विकास नहीं है। आदिवासियों से सीखें और सिखाएं । हम उनकी संस्कृति को समझते हुए गंभीरता से उन्हें देश–दुनिया का ज्ञान पहुचाएं। आदिवासियों के पास भी ज्ञान का भंडार है। इसका भी उपयोग होना चाहिए। मीडिया जनमत तैयार करता है।

10. **क्या कारण है कि आदिवासी लोगों के लिए राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं का लाभ उन्हें समुचित रूप से नहीं मिल पाता?**

आदिवासी सरकार की प्राथमिकता में नहीं है। योजनाओं को संचालित करने वालों में प्रतिबद्धता नही है। भ्रष्टाचार गंभीर मुद्दा है।

11. क्या आपके संस्थान में कोई आदिवासी कर्मचारी कार्यरत है?

हां हैं। संपादकीय विभाग और कम्प्यूटर पर आदिवासी कर्मचारी कार्यरत हैं।

श्री ई. वी. मुरली, स्थानीय संपादक 'द हितवाद'(अंग्रेजी दैनिक), बिलासपुर

1. देश के लिए आदिवासी किस तरह महत्वपूर्ण हैं?

देष के लिए सभी जीव–जन्तु प्राणी का महत्व होता है। संस्कृति का वाहक होते हैं आदिवासी। उनकी संस्कृति के बचाने की आवश्यकता है। उनको उनकी जड़ो से बेदखल किया जा रहा है। उनका मूल घर नष्ट हो रहा है। उनके साथ अन्याय हो रहा है।

2. आदिवासी लोगों के बारे में आपकी क्या राय है?

आदिवासी अपनी संस्कृति के माध्यम से समाज को आइना दिखाने का काम करते हैं। आदिवासी लोगों को उनके मूल स्वरुप में रखना बड़ी चुनौति है। उनकी संस्कृति, रहन–सहन, पहनावा इत्यादि को बचाते हुए उनके शिक्षा–दीक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं से जोड़ना होगा।

3. आदिवासी मुद्दों जैसे भूमिअधिग्रहण, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा इत्यादि के बारे में मीडिया की कवरेज पर आपकी राय क्या है?

आदिवासी मुद्दों पर मीडिया का हमेशा सकारात्मक रवैया रहा है। आज सबसे अधिक शोषित आदिवासी है। मीडिया समय–समय पर उनकी समस्याओं को लोगों के सामने

लाता है। कई अच्छे पत्रकार और मीडिया समूह हैं जो कि इस ओर गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं। सरकार आदिवासी लोगों के लिए योजना तो बनाती है लेकिन उनका समुचित क्रियान्वयन नहीं हो पाता। सही क्रियान्वयन की आवश्यकता है।

4. **सूचना क्रांति के इस युग में भी आदिवासी इलाकों तक सूचना की पहुंच बहुत कम क्यों है या नहीं के बराबर है?**

इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है आदिवासी बहुल क्षेत्र का विकास न होना। तकनीकी विकास या तकनीकी तरक्की तब होगी जब अधोसंरचना का विकास होगा। नये युग की नई तकनीकी आदिवासी क्षेत्रों तक उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

5. **क्या आपको लगता है कि पहले की अपेक्षा आदिवासी मुद्दों पर मीडिया की कवरेज बढ़ गई है?**

मैं पहले और अब आदिवासी मुद्दों पर मीडिया की कवरेज में मैं कोई फर्क महसूस नहीं करता। पहले मीडिया आदिवासी मुद्दों को गंभीरता और संवेदनशीलता से महत्व देती थी और सरकार भी त्वरित कार्यवाही करती थी। अब उस संवेदनशीलता का अभाव दिखता है। अब मीडिया सनसनीखेज खबरों को महत्व देने लगा है।

6. **ऐसे समय में जब मीडिया अपने पाठकों/श्रोताओं को उपभोक्ता मानती है ऐसे में आदिवासी उनके लिए क्या मायने रखते हैं?**

आज समाचार–पत्र उन्हीं खबरों को प्रकाशित करते हैं जिससे उनकी प्रसार संख्या बढ़े और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उन्हीं खबरों को दिखाता है जिससे उनकी टीआरपी बढ़ती

है। यह आज के समय की विडंबना है। फिर भी बहुत से समाचार–पत्र और पत्रकार आदिवासी मुद्दों को उठाते हैं। लेख और कॉलम भी लिखे जा रहे हैं।

7. **मीडिया खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बाजार आधारित हो रहा है ऐसे में आदिवासी क्षेत्रों में उन्हें बाजार नहीं दिखता। क्या यही वजह है मीडिया की उदासीनता की?**

मीडिया की उदासीनता की वजह यह नहीं है। मीडिया हर जगह बाजार नहीं खोजता। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में सड़क नहीं है, ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक चैनल वाले वहां नहीं पहुंच पाते।

8. **आदिवासी मुद्दों की मीडिया द्वारा कवरेज के संदर्भ में आगे और क्या किया जाना चाहिए? क्या सुझाव देंगे आप?**

आदिवासी मुद्दों पर अखबार या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में स्पेशलाइजेशन नहीं है। जब तक स्पेशलाइजेशन नहीं होगा तब तक आदिवासी मुद्दों को गंभीरता से नहीं उठाया जा सकेगा। आदिवासियों के खान–पान, संस्कृति, भाषा, जीवन–शैली इत्यादि से परिचित पत्रकारों की कमी है। कुछ गैर सरकारी संगठन इस ओर कार्य कर रहे हैं लेकिन वह काफी नहीं।

9. **आदिवासी लोगों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए मीडिया की क्या भूमिका हो सकती है?**

मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। सबसे पहले आम लोगों को यह अहसास कराने की जरूरत है कि आदिवासी किसी दूसरे ग्रह से आया हुआ व्यक्ति नहीं है।

बल्कि वह यहां का मूल निवासी है। यहां की हवा, पानी, जंगल, जमीन पर उसका बराबर का हक है। इससे आदिवासी लोगों के प्रति लोगों में आदर भाव बढ़ेगा।

आदिवासी लोगों में जागरूकता पैदा करनी होगी। वे हर मामले में निपुण हैं और समकालीन हैं।

10. **क्या कारण है कि आदिवासी लोगों के लिए राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं का लाभ उन्हें समुचित रूप से नहीं मिल पाता?**

सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन निष्ठापूर्वक नहीं हो पाता। गलत क्रियान्वयन होता है। योजनाओं का समुचित प्रचार–प्रसार नहीं हो पाता। सरकार में भी इच्छाशक्ति की कमी है। आदिवासी एमएलए व एमपी को भी इस ओर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। सामुदायिक रेडियो के माध्यम से योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा सकता है।

श्री संतोष सोनी , संपादक 'सेन्ट्रल कॉनिकल'(अंग्रेजी दैनिक), बिलासपुर

1. **देश के लिए आदिवासी किस तरह महत्वपूर्ण हैं?**

आदिवासी देश के प्रत्येक नागरिक की तरह महत्वपूर्ण हैं ।

2. **आदिवासी लोगों के बारे में आपकी क्या राय है?**

आदिवासी ऐसी प्रजाति है जो अविकसित है। सरकार की योजनाओं का सही कियान्वयन नहीं हो पाया है। आदिवासियों को आधुनिक समाज की मुख्यधारा में लाने की जरूरत है।

3. **आदिवासी मुद्दों जैसे भूमि अधिग्रहण, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा इत्यादि के बारे में मीडिया की कवरेज पर आपकी राय क्या है?**

मीडिया शहरी क्षेत्रों में चमक–दमक को कवर करता है। मीडिया को सनसनीखेज खबरों में ज्यादा रूचि है। मीडिया का ध्यान आदिवासियों की समस्याओं, उनके दैनिक जीवन से जुड़ी परेशानियों की ओर नहीं जाता। आदिवासियों का जीवन स्तर उठाने के लिए सरकार द्वारा जहां आरक्षण, शिक्षा की व्यवस्था है वहीं इससे ज्यादा आवश्यकता आदिवासियों को शिक्षा इत्यादि के महत्व के प्रति चेतना फैलाने की आवश्यकता है।

4. **सूचना क्रांति के इस युग में भी आदिवासी इलाकों तक सूचना की पहुंच बहुत कम क्यों है या नहीं के बराबर है?**

आदिवासी इलाकों में सूचना क्रांति का फैलाव उनकी आवश्कता के अनुसार नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं कि उन्हें अशिक्षित और पिछड़ा समझकर यह भेदभाव किया जा रहा है।

5. **क्या आपको लगता है कि पहले की अपेक्षा आदिवासी मुद्दों पर मीडिया की कवरेज बढ़ गई है?**

प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अन्तर्गत आदिवासियों को नेतृत्व करने वाले नेताओं के माध्यम से आदिवासियों से जुड़े मुद्दे पहले से ज्यादा उठाये जाने लगे हैं।

6. **ऐसे समय में जब मीडिया अपने पाठकों/श्रोताओं को उपभोक्ता मानती है ऐसे में आदिवासी उनके लिए क्या मायने रखते हैं?**

मीडिया का ध्यान सनसनीखेज खबरों की ओर है। ऐसे में आदिवासियों पर कवरेज पिछड़कर रह जाती है। आदिवासी मुद्दे ज्यादा मायने नहीं रखते।

7. **मीडिया खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बाजार आधारित हो रहा है ऐसे में आदिवासी क्षेत्रों में उन्हें बाजार नहीं दिखता। क्या यही वजह है मीडिया की उदासीनता की?**

शायद कुछ हद तक यही वजह है।

8. **आदिवासी मुद्दों की मीडिया द्वारा कवरेज के संदर्भ में आगे और क्या किया जाना चाहिए? क्या सुझाव देंगे आप?**

दूरदर्शन जैसे शासकीय माध्यमों द्वारा आदिवासियों से जुड़ी बातों जैसे उनकी संस्कृति, जीवनशैली, उनकी समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान केन्द्रीय किया जाना चाहिए। प्राइवेट माध्यम मनोरंजन को ज्यादा तरजीह दते हैं।

9. **आदिवासी लोगों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए मीडिया की क्या भूमिका हो सकती है?**

मीडिया अहम भूमिका निभा सकती है। आदिवासियों में सचेतना पैदा कर सकता है। मुख्यधारा में लाने के लिए उन्हें प्रेरित कर सकता है। मुख्यधारा में जुड़ने के लिए आदिवासी लोगों में स्वयं की चेतना होनी चाहिए। इसमें मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

10. **क्या कारण है कि आदिवासी लोगों के लिए राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं का लाभ उन्हें समुचित रूप से नहीं मिल पाता?**

योजनाओं का लाभ तो उन्हें मिल रहा है लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हैं। उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने की जरूरत है ताकि वे अपना हक खुद मांग सकें। मीडिया, समाज और सरकार को मिलकर आदिवासी मुद्दों पर काम करना चाहिए।

<u>श्री ललित सुरजन , प्रधान संपादक 'देशबंधु', रायपुर</u>

1. **देश के लिए आदिवासी किस तरह महत्वपूर्ण हैं?**

आदिवासी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है इस देश के बुद्धवासी है। इसका अर्थ ये भी हुआ कि हमारी सभ्यता के स्वरूप के बुनियाद में आदिवासी समाज है। उसी ने परंपराएं स्थापित की हैं।

2. **आदिवासी लोगों के बारे में आपकी क्या राय है?**

आदिवासी प्राकृतिक संपदा के संरक्षक हैं। जल, जंगल, जमीन, वन्य जीवन, वन्य प्राणी के संरक्षक हैं। हमारे पारंपरिक ज्ञान भंडार के संरक्षक हैं। औपचारिक षिक्षा से जो लोग पढ़ लिख गये हैं वे आदिवासियों को हेय दृष्टि से देखते हैं। वे भूल जाते हैं कि आदिवासी के पास व्यावहारिक ज्ञान है। उनके द्वारा खोजी गईं जड़ी–बूटियों से महंगी

दवाइयां बनाई जाती हैं। ये ज्ञान भंडार शोभा की वस्तु नहीं है। यह ज्ञान मनुष्य की रक्षा के लिए काम आ रहा है। ये अलग बात है कि इसका व्यावसायिकरण हो गया है।

आदिवासी खेती, शिल्प, कारीगरी, भवन शिल्प जो कौशल है, उसका भी व्यावसायिकरण कर दिया गया है। उनका अपमान, तिरस्कार, उपेक्षा करके हम अपनी आत्महत्या कर रहे हैं। हमको उनसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। बदलते समय के साथ वे कदम मिलाकर नहीं चल पाए। औद्योगिकरण के कारण हाशिए पर आ गये हैं। जनतंत्र में उनका सम्मान करना चाहिए एवं उन्हें आगे बढ़ने का अवसर देना चाहिए।

3. **आदिवासी मुद्दों जैसे भूमिअधिग्रहण, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा इत्यादि के बारे में मीडिया की कवरेज पर आपकी राय क्या है?**

मीडिया सिर्फ घटनाओं और दुर्घटनाओं की कवरेज में रूचि लेता है। बुनियादी मुद्दों में दिलचस्पी नहीं है। इसका कारण है कि मीडिया अपार पूंजी का व्यवसाय बन गया है। आदिवासी या वंचित समुदाय की समस्याओं के कवरेज से उसे कोई आर्थिक लाभ नहीं मिलता।

4. **सूचना क्रांति के इस युग में भी आदिवासी इलाकों तक सूचना की पहुंच बहुत कम क्यों है या नहीं के बराबर है?**

कम नहीं है। बढ़ी है। अखबार भी पहुंचे हैं। शिक्षा का भी प्रसार हो रहा है। दूरदर्शन भी पहुंचा है। सामुदायिक रेडियो की स्थापना होनी चाहिए।

5. क्या आपको लगता है कि पहले की अपेक्षा आदिवासी मुद्दों पर मीडिया की कवरेज बढ़ गई है?

कवरेज बढ़ी है। हत्या, नक्सली हिंसा, जनांदोलन इत्यादि पर कवरेज बढ़ी है लेकिन इसका वस्तुगत एवं कार्यकारण विश्लेषण नहीं होता।

6. **ऐसे समय में जब मीडिया अपने पाठकों/श्रोताओं को उपभोक्ता मानती है ऐसे में आदिवासी उनके लिए क्या मायने रखते हैं?**

वे उपभोक्ता नहीं है, इसलिए उपेक्षित हैं। आदिवासियों की प्रस्तुति बहुत कम है। उनका सहानुभूतिपूर्ण चित्रण नहीं हुआ है। वे उपहास के पात्र बनकर सामने आए हैं।

7. **मीडिया खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बाजार आधारित हो रहा है ऐसे में आदिवासी क्षेत्रों में उन्हें बाजार नहीं दिखता। क्या यही वजह है मीडिया की उदासीनता की?**

मैं सहमत हूं।

8. **आदिवासी मुद्दों की मीडिया द्वारा कवरेज के संदर्भ में आगे और क्या किया जाना चाहिए? क्या सुझाव देंगे आप?**

छोटे अखबारों को बढ़ावा देना होगा। सामुदायिक रेडियो की स्थापना होनी चाहिए। सरकार द्वारा ठोस प्रयास किये जाना चाहिए।

9. **आदिवासी लोगों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए मीडिया की क्या भूमिका हो सकती है?**

आदिवासी अपनी मुख्य धारा में हैं। एक वातावरण बनाना होगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का पालन होना चाहिए। पेसा (PESA) कानून पर ईमानदारी से अमल होना चाहिए। ऐसा माहौल बनाना चाहिएकि आदिवासी खुद अपने निर्णय ले सकें।

मुख्य समाज की अवधारणा विचित्र है। वन संपदा और खनिज संपदा हम लेना चाहते हैं। जिस दिन पेसा (PESA) एवं त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू होगी, उस समय परिस्थितियां बदल जाएंगी।

10. क्या कारण है कि आदिवासी लोगों के लिए राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं का लाभ उन्हें समुचित रूप से नहीं मिल पाता?

स्रकार आदिवासियों की जीवन पद्धति एवं आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाएं बनाए।

11. क्या आपके संस्थान में कोई आदिवासी कर्मचारी कार्यरत है?

संपादकीय विभाग में एससी–एसटी के लिए सीटें आरक्षित हैं।

श्री रमेश नैयर जी, वरिष्ठ पत्रकार एवं अध्यक्ष, राज्य हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, रायपुर

1. देश के लिए आदिवासी किस तरह महत्वपूर्ण हैं?

इस देश का प्रत्येक निवासी कभी न कभी आदिवासी था। चूंकि शताब्दियों से जब कोई वन विभाग नहीं होता था। राजे, रजवाड़े और मालगुजार हुआ करते थे। तब आदिवासी ही वनों के संरक्षण और संवर्धन का काम करते थे। पिछली डेढ़–दो शताब्दियों का इतिहास साक्षी है कि आदिवासियों ने बड़े स्वाभिमान और वीरता के साथ अपनी संस्कृति और स्वतंत्रता को बचाए रखने के लिए संघर्ष किया। छत्तीसगढ़ का उदाहरण दूं तो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से भी पहले आदिवासियों ने ब्रिटिश राज्य और उसके एजेंटों के विरुद्ध विद्रोह किया था। उसके लिए अनेक बलिदान भी दिए थे।

2. आदिवासी लोगों के बारे में आपकी क्या राय है?

1957–58 से मैं बस्तर और छत्तीसगढ़ के अन्य आदिवासी क्षेत्रों में जाता रहा हूं। आदिवासियों की निश्छलता और मस्ती हमेशा प्रभावित करती रही है। आदिवासी में

गरीब और अमीर के बीत तब कोई अन्तर नहीं दिखाई देता था। सबका खाना–पीना और वेश–भूषा भी एक जैसी होती थी। आदिवासियों के 'घोटूल' उनकी शिक्षा–दीक्षा के अत्यंत महत्वपूर्ण केन्द्र होते थे। इसलिए 'घोटूल' को वनवासियों का सबसे प्रभावशाली विश्वविद्यालय माना जाता था।

3. आदिवासी मुद्दों जैसे भूमिअधिग्रहण, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा इत्यादि के बारे में मीडिया की कवरेज पर आपकी राय क्या है?

चार–पांच दशकों पहले तक मीडिया आदिवासी को महत्व देता था। उनकी समस्याओं को भी उभारता था। लेकिन जैसे–जैसे मीडिया एक मिशन से व्यवसाय और उद्योग में बदलता गया, वैसे–वैसे मीडिया से गांव, गरीब और आदिवासी हाशिए पर चला गया। आज भी आदिवासी की चर्चा नक्सलवाद, सुरक्षा बलों से उनकी मुठभेड़ और आदिवासी से जुड़ी बड़ी दुर्घटनाओं को लेकर ही होती है। मीडिया में आदिवासी जन–जीवन, संस्कृति और उनके सरोकार को लगभग उपेक्षित कर दिया गया है।

4. सूचना क्रांति के इस युग में भी आदिवासी इलाकों तक सूचना की पहुंच बहुत कम क्यों है या नहीं के बराबर है?

चूंकि अधिकांश आदिवासी बहुत इलाके चरम बामपंथी हिंसा से ग्रस्त हैं इसलिए वहां पर उन चरमपंथियों का ही सूचनातंत्र सक्रिय है। आदिवासी और मीडिया से जुड़ा एक कटु सत्य ये है कि यदि मीडिया आदिवासी के शासन–प्रशासन, राजनीति और व्यापारियों के शोषण के प्रति देश को सजग करता रहता। आदिवासियों की समस्याओं को नीति निर्माताओं के सामने प्रमुखता से रखता होता और सरकारें उनका नोटिस लेते

हुए आदिवासी के शोषण तथा उत्पीड़न को रोकने के लिए कारगर कदम उठाती रहती तो नक्सलवाद या चरमवामपंथियों की उनके बीच पहुंचने और उनका विश्वास जीतने की स्थितियों ही न बन पातीं। आज भी मीडिया जितना ध्यान नगरों–महानगरों की ओर रहता है, उतना आदिवासियों की तरफ नहीं है।

आदिवासियों तक शेष विश्व की जानकारी दो कारणों से नहीं पहुंच पाती। पहला है चरमपंथियों द्वारा उन तक मीडिया की पहुंच को रोक देना। उन्हें अपनी विचारधारा में ढ़ालने के लिए शेष समाज की गतिविधियों से पूरी तरह अलग रखना है। दूसरा कारण है उनके प्रति स्वयं मीडिया का उपेक्षा भाव।

5. क्या आपको लगता है कि पहले की अपेक्षा आदिवासी मुद्दों पर मीडिया की कवरेज बढ़ गई है?

कतई नहीं। नकारात्मक बातों की कवरेज बढ़ी है। इस बीच आदिवासियों की उपेक्षा और उनके शोषण को अपनी राजनीति का मुद्दा बनाने वाले राजनेताओं अथवा एनजीओ संचालकों के बयान अवश्य मीडिया में स्थान पाते हैं। इस तरह कहा जा सकता है कि मीडिया में आदिवासी कवरेज इस रूप में बढ़ा है जिससे उनकी सही एवं सच्ची तस्वीर सामने थोड़ी बहुत आती है और बहुत–सी नहीं आ पाती है।

6. ऐसे समय में जब मीडिया अपने पाठकों/श्रोताओं को उपभोक्ता मानती है ऐसे में आदिवासी उनके लिए क्या मायने रखते हैं?

अब मीडिया के केन्द्र में या उसकी प्राथमिकताओं में धनोपार्जन शामिल हो गया है। इसका सबसे बड़ा स्रोत विज्ञापन हैं। विज्ञापन को उपभोक्ता चाहिए। उपभोक्ता शहरों

में हैं। आदिवासी क्षेत्रों में नहीं के बराबर हैं। स्वाभाविक है आदिवासी मीडिया के लिए खास मायने नहीं रखते।

7. **मीडिया खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बाजार आधारित हो रहा है ऐसे में आदिवासी क्षेत्रों में उन्हें बाजार नहीं दिखता। क्या यही वजह है मीडिया की उदासीनता की?**

मैं इससे सहमत हूं। इसका मुख्य कारण है–बाजार पर केन्द्रीत मीडिया विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। वह आदिवासियों से जुड़ी केवल उन कौतुकपूर्ण घटनाओं को स्थान देता है, जिनको जानना नगर समाज को रूचिकर लगता हो। इसलिए आदिवासी कौतुक का विषय तो है, लेकिन कल्याण का मुद्दा नहीं।

8. **आदिवासी मुद्दों की मीडिया द्वारा कवरेज के संदर्भ में आगे और क्या किया जाना चाहिए? क्या सुझाव देंगे आप?**

इसमें पहल संवेदनशील नागरिकों, नागरिक संगठनों, जन प्रतिनिधियों और सरकारी माध्यमों को करनी होगी। बाजार पर निर्भर मीडिया से बहुत अपेक्षा नहीं ही जा सकती। अधिक से अधिक आदिवासी क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच बनानी चाहिए। उनके कार्यक्रमों को रोचक भी बनाना चाहिए। उसमें आदिवासी संस्कृति एवं सरोकारों को इस प्रकार महत्व देना चाहिए कि वह आदिवासियों को अपने हमदर्द, सखा और दिशा–निर्देश करने वाले अनुभव करें।

9. **आदिवासी लोगों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए मीडिया की क्या भूमिका हो सकती है?**

विश्व की घटनाओं से परिचय कराना चाहिए। शिक्षा के प्रति अनुराग जागना चाहिए।

10. **क्या कारण है कि आदिवासी लोगों के लिए राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं का लाभ उन्हें समुचित रूप से नहीं मिल पाता?**

पर्याप्त जानकारी न होने अथवा न दिए जाने के कारण सरकारों द्वारा आदिवासियों के उत्थान के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं का बहुदा उन्हें पता ही नहीं चल पाता। जानकारी और जागरूकता का अभाव है।

श्रीमती रश्मि जी, संयोजिका, बैगा महापंचायत छत्तीसगढ़

(बैगा महापंचायत छत्तीसगढ़ सन् 1991 में अस्तित्व में आई। इस महापंचायत में आदिवासी मुद्दों को निपटाया जाता है। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, मुंगेली, कवर्धा और राजनांदगांव में बैगा आदिवासी निवास करते हैं। यह महापंचायत बैगा आदिवासियों के अधिकारों के संरक्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह पूरा जनआधारित है। इसे किसी तरह का फंड नहीं प्राप्त होता। एक गांव में दो महिला एवं दो पुरूष मुखिया होते हैं। महिलाओं की लीडरशिप अधिक है। आदिवासियों के अधिकारों और हकों के संरक्षण के लिए रैली, धरना, पदयात्रा आदि करते हैं। जमीन विस्थापन को लेकर एक बड़ा आंदोलन फरवरी 2007 में किया गया। वन अधिनियम 2006 के बाद 'भू अधिकार पत्र' दिलवाने और वन्यजीव सेन्चुरी में 15 गांवों के बसाने में इस महापंचायत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।)

1. **देश के लिए आदिवासी किस तरह महत्वपूर्ण हैं?**

   देश के लिए आदिवासी बहुत महत्वपूर्ण हैं। आदिवासी संस्कृति से देश की पहचान है। ये उनके जीने की कला है। आदिवासी लोगों में संग्रह की प्रवत्ति नहीं है। वे प्रकृति के साथ अहम रिश्ता निभाते हैं। प्रकृति का संरक्षण एवं संवर्धन करते हैं। देश के विकास में आदिवासी लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है। जहां–जहां खनिज संपदा है वहां आदिवासी हैं।

2. **आदिवासी लोगों के बारे में आपकी क्या राय है?**

आदिवासियों के लिए जंगल उनका अस्तित्व है। जंगलों को बचाने वाले आदिवासी हैं। जहां–जहां आदिवासी नहीं हैं वहां जंगल नहीं बचा है। जिस तरह देश की सुरक्षा में सैनिकों का योगदान है उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण योगदान आदिवासियों का है। आदिवासी संस्कृति महात्मा गांधी जी के पांच सिद्धान्तों पर आधारित है– संग्रह न करना, संरक्षण एवं संवर्धन करना, अनावश्यक चीजों का त्याग करना इत्यादि पर आधारित है। उसे जितनी आवश्यकता है उतना ही प्रकृति से लेता है।

3. **आदिवासी मुद्दों जैसे भूमिअधिग्रहण, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा इत्यादि के बारे में मीडिया की कवरेज पर आपकी राय क्या है?**

मीडिया के साथ बड़ी द्वन्द्ध है। वे अपने स्वार्थ के लिए आदिवासी मुद्दे छापते हैं। गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा पर जितनी उनकी जानकारी है छापते है लेकिन भूमि अधिग्रहण और विस्थापन सरल नहीं है। जितनी सहजता और सरलता से वे आदिवासी जीवन को आंकते हैं उतना है नहीं। विस्थापन दो तरह का होता है–प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। भौतिक विस्थापन प्रत्यक्ष विस्थापन होता है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार केवल भौतिक विस्थापन हो ही विस्थापन मानती है। जबकि विस्थापन से उनकी संस्कृति टूट जाती है, समुदाय खत्म हो जाता है। उनके सारे अधिकार, जीवन मूल्य और रोजगार नष्ट हो जाता है। मीडिया इन मुद्दों को नहीं उठाता।

4. **सूचना क्रांति के इस युग में भी आदिवासी इलाकों तक सूचना की पहुंच बहुत कम क्यों है या नहीं के बराबर है?**

आदिवासी लोगों में जागरूकता नहीं है। इसलिए रूचि नहीं है। उन्हें लगता है कि ये उनके लिए नहीं है। वे इतने बुरी तरह से दबाए, कुचले गये हैं कि इस तरह की चीजों के लिए सोच नहीं पा रहे हैं। इसके लिए उन्हें जागरूकता, आत्मबल और सशक्तिकरण की आवश्यकता है।

5. **क्या आपको लगता है कि पहले की अपेक्षा आदिवासी मुद्दों पर मीडिया की कवरेज बढ़ गई है?**

थोड़ा कवरेज बढ़ा है। लेकिन दूसरा पहलू भी है। एक तरफ उनके मुद्दों को उजागर किया जाता है, वहीं दूसरी ओर मुख्य मुद्दे मीडिया में नहीं आ पाते। मीडिया अपने स्वार्थ के कारण भी आदिवासी मुद्दों को प्रकाशित या प्रसारित करता है। मीडिया फॉलोअप नहीं करता। अगर सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में स्कूल बनवाया, पंचायत भवन या अस्पताल बनवाया तो इस खबर को प्रकाशित कर दिया जाता है। लेकिन मीडिया यह जानने की कोशिश नहीं करता कि क्या वास्तव में स्कूल में पढ़ाई हो रही है, अस्पताल में इलाज हो रहा है?

6. **ऐसे समय में जब मीडिया अपने पाठकों/श्रोताओं को उपभोक्ता मानती है ऐसे में आदिवासी उनके लिए क्या मायने रखते हैं?**

कुछ मायने नहीं रखते।

7. **मीडिया खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बाजार आधारित हो रहा है ऐसे में आदिवासी क्षेत्रों में उन्हें बाजार नहीं दिखता। क्या यही वजह है मीडिया की उदासीनता की?**

बिल्कुल यही कारण है। उन्हें इन इलाकों में चटपटी खबर नहीं मिलती।

8. **आदिवासी मुद्दों की मीडिया द्वारा कवरेज के संदर्भ में आगे और क्या किया जाना चाहिए? क्या सुझाव देंगे आप?**

मीडिया आदिवासी क्षेत्रों में जाए। आदिवासी समस्याओं का अध्ययन करे, उन्हें महसूस करे और जनता के सामने लाए।

9. **आदिवासी लोगों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए मीडिया की क्या भूमिका हो सकती है?**

मुख्य धारा को आदिवासी गांवों तक ले जाने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। क्या सिर्फ आदिवासियों को उजाड़ कर ही उन्हें मुख्य धारा में लाया जा सकता है। सरकार जिन–जिन चीजों को मुख्यधारा के ढ़ांचे पर देखती है उन्हें आदिवासियों तक पहुंचाये। आखिर विकास के लिए कितने विनाश की आवश्यकता है? इसमें मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। मीडिया के माध्यम से सरकार से चर्चा शुरू की जा सकती है।

10. **क्या कारण है कि आदिवासी लोगों के लिए राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं का लाभ उन्हें समुचित रूप से नहीं मिल पाता?**

भ्रष्टाचार। मीडिया की उदासीनता। आदिवासियों की अशिक्षा। जानकारी का अभाव।

श्री प्रवीण शुक्ला,

संचालक, आदिवासी कल्याण सोसाइटी (पूवी क्षेत्र–छत्तीसगढ़, झारखण्ड और उड़ीसा) एवं राष्ट्रीय संयोजक, फोरम फॉर फास्ट जस्टिस, मुंबई

1. **देश के लिए आदिवासी किस तरह महत्वपूर्ण हैं?**

सिर्फ आदिवासी ही नहीं सभी लोग महत्वपूर्ण हैं। सबका अपना–अपना योगदान है। ऐतिहासिक संदर्भ में आदिवासी देष के मूल निवासी हैं। सदियों से यहां रहते हैं।

2. **आदिवासी लोगों के बारे में आपकी क्या राय है?**

आदिवासी स्वभाव से सरल हैं और जल्दी ही दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं। वे थोड़े में ही संतोष करते हैं। उनमें पीढ़ियों के लिए धन संग्रह की आदत नहीं हैं। दारू की लत आदिवासी समाज को अपने गिरफ्त में ले लिया है। आदिवासी समाज की नकारात्मक प्रवृत्ति है।

3. **आदिवासी मुद्दों जैसे भूमिअधिग्रहण, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा इत्यादि के बारे में मीडिया की कवरेज पर आपकी राय क्या है?**

आदिवासियों के लिए जमीन उनकी पहचान है। बिना जमीन का आदिवासी 'जल बिन मछली' के बराबर है। आदिवासियों की जमीन उन्हीं के हाथों में सुरक्षित रहे इसके लिए कानून है। लेकिन छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की जमीन गैर–आदिवासियों के पास बड़े पैमाने पर चली गयी है। कई प्रकार के षड़यंत्र भी हुए हैं। मगर अधिकतर मामले मीडिया की नजरों से दूर रहे। जिसके कारण आदिवासियों को अपनी जमीन से बेदखल होने के कई मामले सामने नहीं आ पा रहे हैं। जिससे आदिवासी समाज को नुकसान होता है। इसके कई उदाहरण मिल जाएंगे।

आदिवासी के गरीबी के कई कारण हैं, प्रमुखतः उन्हें जंगल में प्रताड़ित करना, उन्हें उनके अधिकारों से वंचित करना, आर्थिक शोषण करना आदि कारणों से आदिवासी गरीबी के शिकार हुए हैं। मीडिया की नजर इस पर कभी–कभार ही आती हैं। व्यापारीकरण के दौर में इनके मुद्दों को नहीं उठाया जाता।

4. सूचना क्रांति के इस युग में भी आदिवासी इलाकों तक सूचना की पहुंच बहुत कम क्यों है या नहीं के बराबर है?

ज्यादातर आदिवासी जनसंख्या जंगलों, देहातों में रहती है, जहां सूचना क्रांति की पहुंच नहीं के बराबर है। जो आदिवासी बच्चे शहरों में आकर पढ़ते हैं उन्हें कम्प्यूटर आदि से शिक्षित होने का लाभ मिलता है। मोबाइल सूचना का मुख्य स्रोत है। लेकिन आदिवासी इसका अधिकतर उपयोग एफएम रेडियो सुनने में करते हैं।

5. क्या आपको लगता है कि पहले की अपेक्षा आदिवासी मुद्दों पर मीडिया की कवरेज बढ़ गई है?

नक्सल संबंधी घटनाओं पर कवरेज बढ़ी है। मीडिया उसे प्रमुखता देती है। दूसरे मामलों को अनदेखा करती है।

6. ऐसे समय में जब मीडिया अपने पाठकों/श्रोताओं को उपभोक्ता मानती है ऐसे में आदिवासी उनके लिए क्या मायने रखते हैं?

कोई मायने नहीं रखते। क्योंकि आदिवासी आर्थिक रूप से पिछड़े हैं।

7. मीडिया खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बाजार आधारित हो रहा है ऐसे में आदिवासी क्षेत्रों में उन्हें बाजार नहीं दिखता। क्या यही वजह है मीडिया की उदासीनता की?

बिल्कुल यही कारण है। मैं आपसे सहमत हूं।

8. **आदिवासी मुद्दों की मीडिया द्वारा कवरेज के संदर्भ में आगे और क्या किया जाना चाहिए? क्या सुझाव देंगे आप?**

छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जहां आदिवासी जनसंख्या एक तिहाई है, वहां मीडिया को प्रमुखता से ध्यान देना चाहिए। जल, जंगल और जमीन की लड़ाई आदिवासी लड़ते आ रहे हैं। कई बार उन पर झूठे मुकद्मे चलाए जाते हैं। ऐसे मामलों को मीडिया को हाईलाइट करना चाहिए। सौकड़ो निर्दोष आदिवासियों का आतंकी/ नक्सली कहकर जेलों में बंद करके रखा गया है। न्याय से वंचित किया गया है। विचाराधीन कैदी की तरह रखा गया है, ऐसे मामले भी मीडिया को उठाने चाहिए। वन अधिकार अधिनियम–2006 विशेष कानून बना है। इसके अनुसार जंगल के अंदर लकड़ी छोड़कर सभी चीजों जैसे तेंदूपत्ता, बांस, नदी, नाले, झरने, मछली आदि का अधिकारी आदिवासी है। फारेस्ट ड्राइव रूल्स 2008 एवं संशोधन 2012 के अनुसार आदिवासी

जंगल का मालिक है। लेकिन छत्तीसगढ़ में एक भी आदिवासी को इसका लाभ नहीं मिला है। उपर से झूठे मुकदमों में फंसाया गया है। इसके हजारों उदाहरण हैं। मीडिया ने इनकी कवरेज करना मुनासिब नहीं समझा।

9. आदिवासी लोगों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए मीडिया की क्या भूमिका हो सकती है?

यदि मीडिया सही मायने में उन्हें मुख्य धारा में लाना चाहता है तो आदिवासियों के सामाजिक, आर्थिक स्थिति को प्रमुखता से उठाएं और सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करे। आदिवासी मामलों पर मीडिया को अपना झुकाव बढ़ाना चाहिए। आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण पर खबर, लेख प्रकाशित करना चाहिए। आदिवासी गांवों में मीडिया को संगोष्ठी, कार्यशाला का आयोजन करना चाहिए।

10. क्या कारण है कि आदिवासी लोगों के लिए राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं का लाभ उन्हें समुचित रूप से नहीं मिल पाता?

मुख्य कारण भ्रष्टाचार है। गरीबी दूर करने की राशि से एजेंसी के लोगों की गरीबी दूर होती है। इसी सब स्थितियों के कारण आदिवासियों का सरकार से भरोसा उठता जा रहा है। सरकार को वस्तुस्थिति से अपनी आंख मूंदने के बजाए ठोस उपाय करने होंगे। मीडिया को भी सच्चाई सामने लाना चाहिए।

श्री सतीश जायसवाल, वरिष्ठ पत्रकार एवं पूर्व संपादक 'नवभारत'

आदिवासियों के प्रवक्ता बाहरी लोग रहे हैं। आदिवासियों के प्रति हमारा दृष्टिकोण एवं अध्ययन समकालीन होना चाहिए। रहन–सहन में बदलाव आए हैं। स्थितियां गतिशील होती हैं। आदिवासियों को समकालीन समाज से अलग नहीं देखता हूं। उनकी कला, सभ्यता, संस्कृति के अपने तरीके हैं। विश्व संस्थाओं से पोषित कार्यक्रमों का केन्द्रीय लक्ष्य ग्रामीण हैं या आदिवासी हैं। ये आदिवासियों को अलग रखकर दिखाना चाहते हैं। आदिवासियों की आत्मनिर्भरता की जगह परनिर्भरता बढ़ी है। यही बड़ा कारण है कि वे मुख्य धारा में नहीं आ पा रहे हैं।

लगभग 150 साल पहले क्रिश्चियन मिशनरी ने आदिवासी की शिक्षा, स्वास्थय और भोजन पर कार्य करना शुरू किया। आज जितने भी आदिवासी नौकरियों में या मुख्यधारा में देखे जाते हैं ये उन्हीं की देन है।

आदिवासी मुद्दों पर मीडिया से जिस गंभीरता की मांग होती है, वह नहीं है। विशेषज्ञता का क्षेत्र नहीं माना जाता। अन्य विशेषज्ञताओं के साथ इसमें भी विशेषज्ञता की मांग होती है। मीडिया को सोचना होगा कि आदिवासियों को प्रदर्शन की वस्तु की तरह पेश किया जाए या उनके जरिए उनकी बातें सामने लाई जाए।

अविभाजित मध्य प्रदेश में बस्तर और सरगुजा आदिवासी क्षेत्र थे। बस्तर हमेशा सुखियों में रहा है। बस्तर का 'घोटुल' मीडिया का प्रिय विषय रहा है। आदिवासी कला सामग्री जब मजबूत बाजार बना तो मीडिया का विषय बदलकर आदिवासी कला सामग्री हो गया। बस्तर का घड़वा शिल्प एवं काष्ट शिल्प चर्चा का विषय बना। आदिवासियों के पोषक/संरक्षकों ने उन्हें उनकी उपयोगिता एवं क्षमता पहचानने नहीं दिया। बाहरी एजेंसी भी यही कार्य करती है

राय

सरकार पैतृक रोजगार के संरक्षण की बात नहीं करती। औद्योगिक कारखानों में उनकी भागीदारी होनी चाहिए। विस्थापन के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने के भूमि विस्थापन को ही विस्थापन माना। रोजगार–धंधों से विस्थापन को विस्थापन समझा ही नहीं गया।

मीडिया आदिवासियों से सीधे संपर्क में रहे। उनकी समस्याओं को अपनी आखों से देखे। उन्हें अजायबघर की वस्तु न मानकर समकालीन समाज में देखे।

श्री अजय श्रीवास्तव, छत्तीसगढ़ संयोजक 'स्पीकमैके'

1. **देश के लिए आदिवासी किस तरह महत्वपूर्ण हैं?**

   आदिवासी मूलतः प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीवन यापन करते है। इसलिए पर्यावरण की दृष्टि से किसी भी देश के लिए आदिवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

2. **आदिवासी लोगों के बारे में आपकी क्या राय है?**

   आदिवासी स्वभाव के सरल और सीधे लोग होते हैं। शिक्षा की कमी के कारण बाहरी दुनिया से उनका संपर्क कम होता है। मूलतः वे साहसी और मेहनती होते हैं।

3. **आदिवासी मुद्दों जैसे भूमिअधिग्रहण, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा इत्यादि के बारे में मीडिया की कवरेज पर आपकी राय क्या है?**

   विभिन्न मुद्दों पर मीडिया कवरेज तो करता है, लेकिन उसके परिणाम को निष्कर्ष तक पहुंचाने की भूमिका में चूक जाता है।

4. **सूचना क्रांति के इस युग में भी आदिवासी इलाकों तक सूचना की पहुंच बहुत कम क्यों है या नहीं के बराबर है?**

   सरकार का मुख्य विकास का केन्द्र बड़े शहर होते हैं। दूर आदिवासी गावों में सूचना क्रांति के आधुनिक उपकरण नहीं पहुंच पाते क्योंकि सरकार अपनी योजनाओं का सही तरह से क्रियान्वयन नहीं कर पाती।

5. **क्या आपको लगता है कि पहले की अपेक्षा आदिवासी मुद्दों पर मीडिया की कवरेज बढ़ गई है?**

जनसंख्या के अनुपात से आदिवासी मुद्दों पर मीडिया की कवरेज नहीं के बराबर है। बहुत कम प्रतिशत में कवरेज बढ़ी है।

6. **ऐसे समय में जब मीडिया अपने पाठकों/श्रोताओं को उपभोक्ता मानती है ऐसे में आदिवासी उनके लिए क्या मायने रखते हैं?**

आदिवासियों को मीडिया अपने श्रोताओं/उपभोक्ताओं की श्रेणी में नहीं रखता है। इसलिए उन मुद्दों पर कवरेज भी कम होती है।

7. **मीडिया खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बाजार आधारित हो रहा है ऐसे में आदिवासी क्षेत्रों में उन्हें बाजार नहीं दिखता। क्या यही वजह है मीडिया की उदासीनता की?**

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पूर्णतः व्यावसायिक दृष्टिकोण रखता है। इसलिए आदिवासी क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की उदासीनता नजर आती है।

8. **आदिवासी मुद्दों की मीडिया द्वारा कवरेज के संदर्भ में आगे और क्या किया जाना चाहिए? क्या सुझाव देंगे आप?**

आदिवासी मुद्दों एवं सरकार की आदिवासियों के लिए बनी योजनाओं को मीडिया के माध्यम से आदिवासियों तक पहुंचाया जाना चाहिए।

9. आदिवासी लोगों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए मीडिया की क्या भूमिका हो सकती है?

मीडिया के माध्यम से आदिवासियों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए आदिवासी क्षेत्रों से आदिवासी नेतृत्व एवं उनकी उपलब्धि व समस्याओं को प्रमुखता से स्थान दिया जाना चाहिए।

10. क्या कारण है कि आदिवासी लोगों के लिए राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं का लाभ उन्हें समुचित रूप से नहीं मिल पाता?

केन्द्र व राज्य सरकार की बहुत–सी योजनाएं फाइलों में खत्म हो जाती हैं। इसलिए उन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता।

11. क्या आपके संस्थान में कोई आदिवासी कर्मचारी कार्यरत है?

दो लोग कार्यरत हैं।

12. परंपरागत माध्यम आदिवासी क्षेत्रों में जागरूकता फैलाने में कितने कारगर हैं?

लोककला, लोक गायन, लोकगीत आदि के माध्यम से बहुत सारी योजनाओं एवं जानकारी प्रभावी रुप से आदिवासियों तक पहुंचाई जा सकती है।

13. 'स्पीकमैके' संस्था का उद्देश्य क्या है?

स्कूलों एवं कालेजों में भारतीय सांस्कृतिक धरोहर के प्रति जागरूकता और सजगता पैदा करना। शास्त्रीय गीत/संगीत, लोकगीत, लोकनृत्य, चलचित्र, थियेटर, हस्तकला, कठपुतली आदि के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक धरोहर से युवाओं को रू–ब–रू कराने का कार्य कर रहा है।

अध्याय—पंचम

निष्कर्ष

निष्कर्ष

5:1 शोध का परिणामः

उपकल्पना का परीक्षणः

उपकल्पना 1: निर्धारित आदिवासी क्षेत्र में विकास की स्थिति अच्छी नहीं है। न सिर्फ आर्थिक विकास बल्कि सामाजिक व सांस्कृतिक विकास की भी कमी है।

उपकल्पना सत्य साबित हुई।

शोध में यह बात सामने आई कि निर्धारित क्षेत्र में विकास की स्थिति अच्छी नहीं है। न सिर्फ आर्थिक विकास बल्कि सामाजिक व सांस्कृतिक विकास की भी कमी है। प्रश्न संख्या 13 में जब आदिवासियों से यह पूछा गया कि आप अपने उत्पाद जैसे सब्जी, फल, अनाज इत्यादि कहां बेचते हैं तो 67.25 लोगों ने कहा कि स्थानीय बाजार में। इससे यह प्रतीत होता है कि औने–पौने दामों में उनके उत्पादों को खरीदा जाता है। प्रश्न संख्या 14 में जब यह जानने की कोशिश की गई कि आपको आपके उत्पाद का बाजार मूल्य कैसे पता चलता है, इस प्रश्न के उत्तर में 42 प्रतिशत ने कहा कि बिचौलिए से, 30 प्रतिशत लोगों ने कहा गांव के किसी व्यक्ति से जबकि 28 प्रतिशत ने कहा स्थानीय बाजार से। इसका मतलब ये है कि उन्हें उनके उत्पाद का सही मूल्य पता ही नहीं चल पाता।

प्रश्न संख्या 16 में इस प्रश्न पर कि आपके गांव में कोई गैर सरकारी संगठन या स्वयं सहायता समूह विकास के लिए कार्य कर रहा है?, 74.25 प्रतिशत ने कहा नहीं जबकि 25.75

प्रतिशत ने कहा हां। जिन लोगों ने कहा हां उनमें अधिकतर लोग आंगनवाणी कार्यकर्ताओं को ही स्वयं सेवी मानते हैं। आदिवासियों के सामाजिक रूप से पिछड़ेपन का एक कारण यह भी है कि आदिवासी क्षेत्रों में स्वयं सेवी संगठन या स्वयं सहायता समूह की संख्या कम है। प्रश्न संख्या 23 में 74 प्रतिशत आदिवासियों ने माना कि उनके विकास सम्बन्धी मुद्दों को सरकार तथा आम जनता तक पहुंचाने में सहयोग नहीं कर रहा है जबकि 26 प्रतिशत ने माना कि कर रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आदिवासी क्षेत्रों में मीडिया की कवरेज काफी कम है। मीडिया उनके सामाजिक मुद्दों को नहीं उठाता तथा सामाजिक समस्याओं के निराकरण में भी भूमिका नहीं निभाता। प्रश्न संख्या 21 में इस प्रश्न पर कि सामाजिक समस्याएं जैसे टोनही प्रथा, बाल विवाह इत्यादि के निराकरण में मीडिया अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है?, 90 प्रतिशत लोगों ने कहा नहीं जबकि मात्र 10 प्रतिशत लोगों ने कहा हां। उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर के आधार पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि निर्धारित आदिवासी क्षेत्र में विकास की स्थिति अच्छी नहीं है। न सिर्फ आर्थिक विकास बल्कि सामाजिक व सांस्कृतिक विकास की भी कमी है।

उपकल्पना 2: निर्धारित आदिवासी क्षेत्रों में मीडिया की कवरेज बहुत कम है। मीडिया में आदिवासी क्षेत्रों का कम कवरेज होने के कारण मीडिया आदिवासी क्षेत्रों के विकास में पर्याप्त भूमिका नहीं निभा पा रहा है।

उपकल्पना सत्य साबित हुई।

प्रश्न संख्या 1 में इस प्रश्न पर कि आपको सूचनाएं कैसे प्राप्त होती हैं? 18.75 प्रतिशत आदिवासी लोगों ने बताया कि समाचार–पत्रों व पत्रिकाओं के माध्यम से, 15.75 प्रतिशत ने बताया रेडियो के माध्यम से, 12.25 प्रतिशत ने बताया टेलीविजन के माध्यम से जबकि सबसे अधिक 53.25 प्रतिशत ने बताया कि अन्य माध्यमों से जिसमें परंपरागत संचार के माध्यम, सरपंच, ओपिनियन लीडर आदि शामिल हैं। इसमें अर्थ ये हुआ कि समाचार–पत्र, पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविजन के बजाय परंपरागत संचार के माध्यमों, सरपंच व ओपिनियन लीडर के माध्यम से सबसे अधिक लोगों को सूचनाएं प्राप्त होती हैं। प्रश्न संख्या 2 में 32 प्रतिशत आदिवासी लोगों ने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं की जानकारी मीडिया द्वारा प्राप्त होती है, 5.25 प्रतिशत को एनजीओ द्वारा, 2 प्रतिशत लोगों को सरकारी अधिकारी द्वारा जबकि सबसे अधिक 60 प्रतिशत लोगों को किसी अन्य माध्यमों से जानकारी प्राप्त होती है जिसमें नुक्कड़ नाटक, कठपुतली, सरपंच, ओपिनियन लीडर आदि शामिल हैं। प्रश्न संख्या 3 में इस प्रश्न कि क्या आपने कभी शासन–प्रशासन की किसी तरह की शिकायत मीडिया के समक्ष प्रस्तुत किया है, मात्र 5 प्रतिशत लोगों ने कहा हां जबकि 95 प्रतिशत लोगों ने कहा नहीं। प्रश्न संख्या 4 में 96.75 प्रतिशत लोगों ने कहा कि उन्हें मीडिया द्वारा किसी तरह की मदद नहीं मिली है जो उनके विकास में सहायक हो, जबकि मात्र 3.25 प्रतिशत ने कहा कि मदद मिली है। प्रश्न संख्या 5 में इस सवाल पर कि क्या आपको लगता है कि आपकी समस्याओं को सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने में मीडिया सहायक है, 26.50 प्रतिशत ने कहा हां जबकि 73.50 प्रतिशत ने कहा नहीं।

प्रश्न संख्या 17 में 91.75 प्रतिशत लोगों ने कहा कि उनके सामाजिक मुद्दे जैसे भूमि अधिग्रहण, जंगल, जमीन, पानी इत्यादि को मीडिया द्वारा कवरेज नहीं मिल पाता है। जबकि मात्र 8.25 प्रतिशत ने कहा कि मीडिया द्वारा कवरेज मिलता है। यानि अधिकतर लोग ये मानते हैं कि उनके सामाजिक मुद्दों को मीडिया द्वारा कवरेज नहीं दी जाती है। प्रश्न संख्या 21 में 90 प्रतिशत लोगों ने कहा कि उनकी सामाजिक समस्याएं जैसे टोनही प्रथा, बाल विवाह इत्यादि के निराकरण में मीडिया अपनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा है। जबकि 10 प्रतिशत लोगों माना कि निभा रहा है। प्रश्न संख्या 24 में इस प्रश्न पर कि क्या आपकी स्थिति के बदलाव में मीडिया की सकारात्मक भूमिका है? 79 प्रतिशत आदिवासियों ने कहा कि नहीं जबकि 21 प्रतिशत ने कहा हां।

प्रश्न संख्या 26 में इस प्रश्न पर कि क्या लोक माध्यमों द्वारा आपने अपनी समस्याओं को सरकार, स्वयंसेवी संस्था तथा मास मीडिया के साथ उठाया है, 91.75 प्रतिशत लोगों ने कहा कि नहीं उठाया है जबकि मात्र 8.25 प्रतिशत ने कहा कि उठाया है। उक्त प्रश्नरें के परिणामों के आधार पर कहा जा सकता है कि आदिवासी इलाकों में मीडिया की कवरेज की कम है। ऐसे में इन क्षेत्रों में मीडिया की भूमिका भी कम है। इन क्षेत्रों के विकास में मीडिया की भूमिका अपर्याप्त है।

उपकल्पना 3: आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए मीडिया द्वारा कोई अभियान या एजेंडा बनाकर रिपोर्टिंग करने का अभाव दिखता है क्योंकि रूटीन रिपोर्टिंग से हटकर मीडिया को कुछ निर्धारित दिशा में प्रयास करने होंगे ताकि आदिवासी क्षेत्रों का विकास हो।

उपकल्पना सत्य साबित हुई।

प्रश्न संख्या 8 में इस सवाल कि आपके गांव में पत्रकार कितने समयांतराल पर आते हैं, 10 प्रतिशत लोगों कहा कभी–कभी, 25.50 प्रतिशत ने कहा महीने में एक बार जबकि 64. 50 प्रतिशत ने कहा कि कभी नहीं। प्रश्न संख्या 18 में मात्र 01 प्रतिशत लोगों ने कहा कि वे सामुदायिक रेडियो के बारे में जानते हैं जबकि 99 प्रतिशत लोगों ने कहा नहीं। प्रश्न संख्या 20 में इस प्रश्न पर कि क्या आप समाचार–पत्र, रेडियो, टेलीविजन जैसे जनसंचार के माध्यमों की अन्तर्वस्तु से परिचित हैं, मात्र 2.25 प्रतिशत ने कहा हां जबकि 97.75 प्रतिशत आदिवासी लोगों ने कहा नहीं। प्रश्न संख्या 26 में इस प्रश्न पर कि क्या लोक माध्यमों द्वारा आपने अपनी समस्याओं को सरकार, स्वयंसेवी संस्था तथा मास मीडिया के साथ उठाया है, 91.75 प्रतिशत लोगों ने कहा कि नहीं उठाया है जबकि मात्र 8.25 प्रतिशत ने कहा कि उठाया है। प्रश्न संख्या 25 में पूछे गये इस प्रश्न पर कि क्या आपके क्षेत्र में सरकार, किसी स्वयंसेवी संस्था या मीडिया संगठन द्वारा लोक माध्यमों का उपयोग करके जागरूकता अभियान चलाया गया है, मात्र 01.50 प्रतिशत लोगों ने कहा हां जबकि 98.50 प्रतिशत ने कहा नहीं। उपरोक्त प्रश्नों के परिणामों के आधार पर कहा जा सकता है कि आदिवासी विकास में मीडिया का योगदान सिर्फ रिपोर्टिंग तक ही सीमित है। मीडिया द्वारा कोई अभियान या एजेंडा बनाकर रिपोर्टिंग का

अभाव दिखता है। इन क्षेत्रों की खबरें तब चर्चा में आती हैं जब कुछ गड़बड़ी होती है या नकारात्मक होता है।

5:2 शोध का परिणामः

सर्वेक्षण में प्राप्त ऑकड़ों के विश्लेषण के आधार पर हम कह सकते हैं कि आदिवासी लोगों तक सूचना प्रदान करने में मुख्यधारा की मीडिया की अपेक्षा परंपरागत माध्यम अधिक कारगर हैं। अधिकतर आदिवासियों को सूचनाएं परंपरागत माध्यमों, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली, सरपंच, ओपिनियन लीडर के माध्यम से प्राप्त होती हैं। सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी इन्हीं माध्यमों से मिलती है। बहुत ही कम लोगों ने कभी शासन–प्रशासन की किसी तरह की शिकायत मीडिया के समक्ष प्रस्तुत किया है। अधिकतर लोगों का कहना है कि उन्हें मीडिया द्वारा कभी किसी तरह की ऐसी मदद नहीं मिली है जो उनके विकास के लिए सहायक हो। अधिकतर लोगों को नहीं लगता है कि उनकी समस्याओं को सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने में मीडिया सहायक है। ऐसे लोग भी बहुत कम हैं जिन्होंने मीडिया में सहभागिता की है। जिन लोगों ने सहभागिता की है, उन्होंने परंपरागत माध्यम जिनमें लोकगीत, लोकगाथा, लोककथा, नुक्कड़नाटक, कठपुतली नृत्य आदि में सहभागिता की है या किसी घटना या दुर्घटना होने पर टेलीविजन पर दिखाये गये हैं।

अधिकतर गांवों में पत्रकार आते ही नहीं। कुछ जगहों पर महीने में एक बार और कहीं कभी–कभी आते हैं। इससे स्पष्ट है कि इन आदिवासी इलाकों में मीडिया की कवरेज नहीं के बराबर है। अधिकतर गांवों में सरकारी अधिकारी जैसे कलेक्टर, एस.डी.एम., डीपीओ, खण्ड विकास अधिकारी आदि भी नहीं आते हैं। कुछ गावों में महीने में एक बार आते हैं और कुछ गावों में कभी–कभार आते हैं। बहुत कम संख्या में आदिवासी लोग सरकार द्वारा आयोजित लोकगीत, लोकगाथा, लोककथा, लोकनृत्य इत्यादि सांस्कृतिक कार्यक्रम में सहभागिता करते

हैं। वहीं दूसरी ओर गांव में व्यक्तिगत रूप से आयोजित लोकगीत, लोकगाथा, लोककथा, लोकनृत्य इत्यादि कार्यक्रमों आदिवासी लोग बढ़–चढ़कर भागीदारी करते हैं। अधिकतर लोगों ने बताया कि उन्हें किसी सरकारी योजना जैसे–मनरेगा, इंदिरा आवास योजना, वृद्धा पेंषन योजना इत्यादि का लाभ मिला है। अधिकतर लोग अपने उत्पाद जैसे सब्जी, फल, अनाज इत्यादि स्थानीय बाजार में बेचते हैं। कुछ लोग बिचौलिए को और कुछ सरपंच, ओपिनियन लीडर द्वारा सुझाए गये किसी व्यक्ति को। आदिवासी लोगों को उनके उत्पाद का बाजार मूल्य स्थानीय बाजार से, बिचौलिए से या गांव के किसी व्यक्ति से पता चलता है।

अधिकतर लोगों ने बताया कि उनके गांव में विकास के लिए कोई गैर सरकारी संगठन या स्वयं सहायता समूह कार्य नहीं करता। मात्र एक प्रतिशत लोग सामुदायिक रेडियो के बारे में जानते हैं। उनमें से भी बहुत कम लोग सामुदायिक रेडियो से जुड़कर कार्य करना चाहते हैं। इन इलाकों के अधिकतर लोग समाचार–पत्र, रेडियो, टेलीविजन जैसे जनसंचार के माध्यमों की अन्तर्वस्तु से परिचित नहीं हैं। अधिकतर लोगों का मानना है कि उनके सामाजिक मुद्दे जैसे भूमि अधिग्रहण, जंगल, जमीन, पानी इत्यादि को मीडिया में पर्याप्त कवरेज नहीं मिल पाता है। साथ ही यह भी मानना है कि उनकी सामाजिक समस्याएं जैसे टोनही प्रथा, बाल विवाह इत्यादि के निराकरण में मीडिया अपनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा है। इस प्रश्न पर कि आपको सरकार से किस तरह के विकास की अपेक्षा है, आदिवासी लोगों ने बताया कि वे सरकार से समग्र विकास की अपेक्षा रखते हैं। ऐसा विकास जिसमें उन्हें मूलभूत सुविधाओं के साथ शिक्षा, रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जाएं। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाए जाने के लिए वे विषेष योजनाओं के संचालन की मांग करते हैं। बहुत कम

लोग ये मानते हैं कि उनकी स्थिति के बदलाव में मीडिया की सकारात्मक भूमिका है। अधिकतर लोग ये मानते हैं कि मीडिया सकारात्मक भूमिका नहीं निभा रहा है। अधिकतर लोगों का मानना है कि मीडिया उनके विकास सम्बन्धी मुद्दों को सरकार तथा आम जनता तक पहुंचाने में सहयोग नहीं कर रहा है। अधिकतर लोगों का कहना है कि लोक माध्यमों द्वारा उनकी समस्याओं को सही तरीके से नहीं उठाया जाता। जबकि अधिकतर लोगों का मानना है कि अन्य माध्यमों की तुलना में लोक माध्यम उनके समुदाय में संचार के लिए ज्यादा उपयोगी माध्यम है। वहीं अधिकतर लोगों को यह भी दुख है कि उनके क्षेत्र में लोक माध्यमों द्वारा किसी तरह का जागरूकता अभियान नहीं चलाया गया।

5:3 साक्षात्कार से प्राप्त ऑकड़ों का विश्लेषणः

बिलासपुर तथा रायपुर से प्रकाशित होने वाले विभिन्न समाचार–पत्रों के संपादकों, छत्तीसगढ़ में मीडिया के दिग्गजों, स्वयं सेवकों आदि से साक्षात्कार किया गया। प्राप्त ऑकड़ों का विश्लेषण निम्नानुसार है–

सभी साक्षात्कारदाताओं ने माना कि आदिवासी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आदिवासी प्रकृति के करीब हैं और वनों का संरक्षण और संवर्धन बखूबी कर रहे हैं। आदिकाल से भारत में उनकी संस्कृति और परंपराएं प्रसिद्ध हैं। कुछ इन्हें संरक्षित जाति मानते हैं। कुछ मानते है कि आदिवासी प्रत्येक नागरिक की तरह महत्वपूर्ण हैं वहीं कुछ लोग आम लोगों से अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। उनका तर्क है कि आदिवासी लोगों की अपनी संस्कृति और रीति–रिवाज अलग तरह के हैं।

आदिवासी लोगों के बारे में सबकी राय लगभग समान है। कुछ ने कहा कि आदिवासी महान परंपराओं और प्रकृति के रहस्यों को जानने–समझने वाले लोग हैं। इनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक अन्य मीडिया विशेषज्ञ ने कहा कि आदिवासी समुदाय ऐसा समुदाय है जो भारत की प्राचीन परंपराओं से जुड़ा है। भारत की आदि संस्कृति उसमें दिखती है। एक संपादक का मानना है कि आदिवासी समाज को अपने अधिकारों का पता नहीं है। सुविधाओं की जानकारी नहीं है। उनका सुझाव है कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि उन्हें उनके अधिकारों एवं सुविधाओं के बारे में जागरूक किया जा सके। एक अन्य संपादक कहते हैं कि विकास के नाम पर आदिवासियों का इस्तेमाल किया जा रहा

है। इनको आधार बनाकर राजनीतिक रोटियों सेंकी जा रही हैं। एक संपादक ने कहा कि आदिवासी, समाज को संगठन, सौहार्द, सामंजस्य और प्रकृति से लगाव की दिशा देते हैं। वे प्रकृति को रचते हैं और प्रकृति उन्हें। एक अन्य संपादक कहते हैं कि आदिवासियों को आधुनिक समाज की मुख्यधारा में लाने की जरूरत है।

इस प्रश्न पर कि आदिवासी मुद्दों जैसे भूमिअधिग्रहण, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा इत्यादि के बारे में मीडिया की कवरेज पर आपकी क्या राय है, अधिकतर लोगों का मानना है कि मीडिया शहरी क्षेत्रों में चमक–दमक को कवर करता है। मीडिया को सनसनीखेज खबरों में रूचि होती है। एक संपादक कहते हैं कि नये दौर में मीडिया की भूमिका बदली है। आमतौर पर मीडिया अपने पाठक समूह को कवर करता है। इसीलिए आदिवासी उपेक्षा के शिकार हैं। एक अन्य संपादक ने बताया कि मीडिया की कवरेज अफसोस जनक है। यह दयनीय स्थिति है कि आदिवासी मुद्दे प्राथमिकता में नहीं हैं। नव पूंजीवाद ने मनुष्य और मनुष्यता को हाशिए पर ला दिया है। वहीं दूसरी ओर कई संपादक इसके विपरीत हैं। उनका मानना है कि आदिवासी मुद्दों पर मीडिया की कवरेज में थोड़ी कमी जरूर आई है लेकिन कवरेज मिल रहा है। उनका कहना है कि प्रिंट मीडिया केवल प्रकाशित कर सकता है, असली जिम्मेदारी तो सरकार की है। एक अन्य संपादक कहते हैं कि मीडिया आदिवासी के हित की बात करता है। इनके खिलाफ हो रहे अन्याय को प्रकाशित करता है। संसद व विधानसभा में भी इनके मुद्दे उठते हैं। एक संपादक कहते हैं कि आदिवासी मुद्दों पर पहले के मुकाबले अब काफी कवरेज हो रहा है। पत्रकार, इनके बीच जाकर लिख रहे हैं। समाचार–पत्रों सहित बीबीसी, डिस्कवरी, हिस्ट्री आदि मीडिया संस्थान इन्हें लगातार महत्व दे रहे हैं।

इस प्रश्न पर कि सूचना क्रांति के इस युग में भी आदिवासी इलाकों तक सूचना की पहुंच बहुत कम है या नहीं के बराबर है, कुछ संपादकों ने आदिवासी की सीमाओं का उल्लेख किया कि वे अशिक्षित हैं, जागरूकता की कमी है, उनमें व्यय करने की क्षमता की कमी है तो कुछ ने इसे सरकार की गलत नीतियों का परिणाम बताया। एक मीडिया के दिग्गज ने कहा कि चूंकि अधिकांश आदिवासी बहुल इलाके चरम बामपंथी हिंसा से ग्रस्त हैं इसलिए वहां पर उन चरमपंथियों का ही सूचनातंत्र सक्रिय है। एक एनजीओ के संचालक कहते हैं कि ज्यादातर आदिवासी जनसंख्या जंगलों, देहातों में रहती है, जहां सूचना क्रांति की पहुंच नहीं के बराबर है। जो आदिवासी बच्चे शहरों में आकर पढ़ते हैं, उन्हें कम्प्यूटर आदि से शिक्षित होने का लाभ मिलता है। एक संपादक कहते हैं कि लंबे अरसे से आदिम क्षेत्र आधुनिक संचार माध्यमों से कटे रहे हैं। इसके दो कारण हैं, एक तो जनजातियों का आधुनिकता के प्रति कोई खास लगाव नहीं होता, वे अपनी जड़ों से जुड़कर परंपराओं के बीच खुश रहते हैं। दूसरा, जिस तरह के प्रयास सरकारों को करने चाहिए नहीं किए गए। एक अन्य संपादक का कहना है कि सूचना के लिए जरूरी है कि आदिवासी लोग शिक्षित हों। वहां आवागमन के लिए सड़कें हों। आर्थिक स्थिति सुधारना अधिक महत्वपूर्ण है।

क्या आपको लगता है कि पहले की अपेक्षा आदिवासी मुद्दों पर मीडिया की कवरेज बढ़ गई है? इस प्रश्न के उत्तर में अधिकतर संपादकों का कहना है कि पहले की अपेक्षा कवरेज बढ़ी है, लेकिन उनकी समस्याएं सुलझ नहीं रही है। जबकि कुछ लोग मानते हैं कि कवरेज बढ़ी नहीं है। स्थानीय एवं क्षेत्रीय मीडिया में आज भी कवरेज होता है लेकिन राष्ट्रीय मीडिया आदिवासी मुद्दों को नजरअंदाज करता है। फील्ड रिपोर्टिंग का अभाव है। एक

संपादक ने बताया कि आदिवासी लोगों की आज जो थोड़ी बहुत अच्छी स्थिति है वह मीडिया के ही कारण है। प्रिंट मीडिया ने हमेशा ही उनके मुद्दों को उठाया है। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने अपने सिमटे दायरे के कारण अपेक्षाकृत कम कवरेज दिया है। एक अन्य संपादक का मानना है कि कवरेज नहीं बढ़ी है। मीडिया बड़े व्यवसाय का हिस्सा है। व्यावसायिक हितों को ध्यान में रखकर कवरेज करते हैं। अंग्रेजी समाचार–पत्र के एक संपादक का कहना है कि वे पहले और अब आदिवासी मुद्दों पर मीडिया की कवरेज में कोई फर्क महसूस नहीं करते। पहले मीडिया आदिवासी मुद्दों को गंभीरता और संवेदनशीलता से महत्व देती थी और सरकार भी त्वरित कार्यवाही करती थी। अब उस संवेदनशीलता का अभाव दिखता है। अब मीडिया सनसनीखेज खबरों को अधिक महत्व देने लगा है।

इस प्रश्न पर कि ऐसे समय में जब मीडिया अपने पाठकों/श्रोताओं को उपभोक्ता मानती है, ऐसे में आदिवासी उनके लिए क्या मायने रखते हैं? अधिकतर संपादकों का मानना है कि आदिवासी उपभोक्ता नहीं हैं, इसलिए उपेक्षित हैं। कार्पोरेट जगत का दबाव इसका कारण है। अब मीडिया के केन्द्र में या उसकी प्राथमिकताओं में धनोपार्जन शामिल हो गया है। इसका सबसे बड़ा स्रोत विज्ञापन हैं। विज्ञापन को उपभोक्ता चाहिए। उपभोक्ता शहरों में हैं। आदिवासी इलाकों में नहीं के बराबर है। ऐसे में स्वाभाविक है कि आदिवासी मीडिया के लिए खास मायने नहीं रखते।

मीडिया खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बाजार आधारित हो रहा है ऐसे में आदिवासी क्षेत्रों में उन्हें बाजार नहीं दिखता। क्या यही वजह है मीडिया की उदासीनता की? इस प्रश्न के उत्तर में अधिकतर संपादकों ने कहा कि यह कथन बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया

टीआरपी और बिजनेस आधारित है। वे सामाजिक सरोकारों से दूर हैं। एक संपादक ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पहुंच आदिवासी इलाकों तक नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शहरों तक ही सीमित है। एक अन्य संपादक ने कहा कि ये व्यावसायिकता का दौर है। जहां आय का क्षेत्र है, वे वहां जाते हैं। एक संपादक ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अभी संक्रमण काल चल रहा है, लेकिन सुधार लगातार हो रहे हैं। यह भी समझना होगा कि चैनल न्यूज के भूखे हैं, ऐसे में उन्हें सारी खबरें बाजार से ही मिल जाएं जरूरी नहीं।

इस प्रश्न पर कि आदिवासी मुद्दों की मीडिया द्वारा कवरेज के संदर्भ में आगे और क्या किया जाना चाहिए? क्या सुझाव देंगे आप?, संपादकों ने बहुत ही सार्थक और वास्तविक सुझाव दिए। एक संपादक ने कहा कि राष्ट्रीय मीडिया को प्रसारण की तब तक अनुमति न दें जब तक वे आदिवासी क्षेत्रों में न जाएं। निजी रेडियो चैनल के प्रसारण की तब तक अनुमति न दी जाए जब तक वे आदिवासी क्षेत्रों को कवर न करें। स्थानीय समाचार–पत्रों को आदिवासी हितों पर कवरेज बढ़ाना चाहिए। कार्पोरेट सेक्टर को सामाजिक उत्तरदायित्वों को निभाना चाहिए। एक अन्य संपादक ने सुझाव दिया कि मीडिया को आदिवासी मुद्दों पर मुहीम चलाना चाहिए। आदिवासी मुद्दों को प्रकाशित करना चाहिए और समय–समय पर उनका फॉलोअप करना चाहिए। ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि सरकार उनके लिए कार्य करे और उनकी समस्याएं सुने।

आदिवासी लोगों को विकास की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए मीडिया की क्या भूमिका हो सकती है? इस प्रश्न के उत्तर में संपादकों ने मीडिया की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। जबकि एक संपादक ने कहा कि आदिवासी मुख्यधारा में ही हैं। वे राजनीति में हैं, वे

मतदाता हैं। ये अलग बात है कि उन्हें योजनाओं का सही लाभ नहीं मिल पा रहा है। एक अन्य संपादक ने कहा कि आदिवासी अपनी जड़ों से जुड़कर खुश हैं तो क्यों उन पर कोई वाद या फिर आधुनिकता को थोपना चाहिए। इसके बजाय यह कोशिश करनी चाहिए कि स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा और बुनायादी सुविधाएं उन तक पहुंचायी जाएं। इसके लिए मीडिया लगातार मुद्दे उठाता है। एक संपादक ने कहा कि मीडिया को तटस्थ होकर कार्य करना चाहिए। आर्थिक हितों को छोड़कर सामाजिक हितों के लिए कार्य करना होगा। सरकार और मीडिया दोनों को मिलकर कार्य करना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि शिविर लगाकर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि के प्रति जागरूकता फैलानी होगी। एक संपादक ने बताया कि दिशाहीन दौड़ विकास नहीं है। आदिवासियों से सीखें और सिखाएं। हम उनकी संस्कृति को समझते हुए गंभीरता से उन्हें देश–दुनिया का ज्ञान पहुंचाएं। आदिवासियों के पास भी ज्ञान का भंडार है। इसका भी उपयोग होना चाहिए। एक अंग्रेजी अखबार के संपादक ने कहा कि सबसे पहले आम लोगों को यह अहसास कराने की जरूरत है कि आदिवासी किसी दूसरे ग्रह से आया हुआ व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह यहां का मूल निवासी है। यहां की हवा, पानी, जंगल, जमीन पर उसका बराबर का हक है।

इस प्रश्न पर कि क्या कारण है कि आदिवासी लोगों के लिए राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं का लाभ उन्हें समुचित रूप से नहीं मिल पाता?, लगभग सभी संपादकों ने योजनाओं का समुचित प्रचार–प्रसार की कमी, संचालन में कमी, भ्रष्टाचार, सरकार की इच्छाशक्ति में कमी आदि को रेखांकित किया है। एक संपादक ने कहा कि योजनाओं का लाभ तो उन्हें मिल रहा है लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि वे अपने

अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हैं। उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने की जरूरत है ताकि वे अपना हक खुद मांग सकें। मीडिया, समाज और सरकार को मिलकर आदिवासी मुद्दों पर काम करना चाहिए। एक संपादक ने सुझाव दिया कि सरकार आदिवासियों की जीवन पद्धति एवं आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाएं बनाए।

अंतिम प्रश्न पर कि क्या आपके संस्थान में कोई आदिवासी कर्मचारी कार्यरत हैं?, कुछ संपादकों ने कहा हां। कुछ लोगों ने कहा कि उनके संस्थान में एससी–एसटी के लिए सीटें आरक्षित हैं। जबकि कुछ संपादकों ने कहा कि जाति देखकर नौकरी नहीं देते।

अध्याय—षष्ठम्

आँकड़ों की विवेचना

ऑकड़ों की विवेचना

प्रस्तुत शोध ग्रंथ 'आदिवासी विकास में मीडिया की भूमिका (बिलासपुर जिले के संदर्भ में) ' में आदिवासी विकास और उसमें मीडिया की भूमिका का अध्ययन किया गया है। निर्धारित क्षेत्र में विकास की स्थिति तथा उसमें मीडिया के योगदान का अध्ययन किया गया है। आदिवासी विकास में मीडिया का योगदान कितना कारगर है, का अध्ययन किया गया और आदिवासी विकास में मीडिया की भूमिका का परीक्षण करने की कोशिश की गई है।

आदिवासी विकास में मीडिया की सक्रिय भूमिका होनी चाहिए जिसके बल पर समूल विकास की अवधारणा विकसित होती है। मीडिया लोगों को अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करती है। अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से लोगों की जीवनशैली में निश्चित तौर पर बदलाव देखा गया है। मगर उनकी जीवनशैली में बदलाव लाना ही काफी नहीं है। हांलाकि जीवन शैली में बदलाव विकास का प्रारंभिक बिंदू है। फिर भी उनमें विकास के निर्धारित मानव सूचकांक में बदलाव लाना भी चुनौतिपूर्ण है, क्योंकि आदिवासियों की अपनी मान्यताएं एवं परंपराएं उनमें रची बसी हैं। इसलिए उनकी मान्यताओं में सुधार करना एवं उनमें सकारात्मक सूचनाओं का प्रचार–प्रसार करना बेहद जरूरी है। ऐसे में मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।

सूचना क्रांति के इस दौर में मीडिया की पहुंच गांव–कस्बों तक हो गई है। इस दौर में केवल सूचना, शिक्षा और मनोरंजन परोसना काफी नहीं है, बल्कि इससे आगे वास्तविक योजनाओं एवं उनके उद्देश्यों के क्रियान्वयन तथा संचालन की खबरों को भी प्रसारित करना मीडिया का कर्तव्य है। मीडिया का कार्य मात्र सूचनाओं के प्रचार–प्रसार तक ही सीमित नहीं

है। वास्तविक मीडिया का कर्तव्य यहीं से प्रारंभ होता है कि वह संचालित योजनाओं एवं परियोजनाओं की देखरेख कर उसका वास्तविक मूल्यांकन करे। साथ ही साथ लोगों को योजनाओं एवं परियोजनाओं में भागीदारी करने के लिए प्रेरित भी करे। विकास का सहभागिता सिद्धान्त भी यही कहता है।

प्रस्तुत शोध द्वारा प्राप्त ऑकड़े यह कहते हैं कि निर्धारित क्षेत्र में विकास के मापदंडों के आधार पर आदिवासियों की स्थिति बहुत पिछड़ी हुई है। सूचना क्रांति के दौर में वे संचार माध्यमों से अछूते हैं। साक्षरता का प्रतिशत पहले से बढ़ा जरूर है लेकिन शिक्षा का प्रतिशत अभी भी बहुत कम है। गरीबी और अशिक्षा की वजह से वे संचार माध्यमों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। समाचार–पत्र एवं पत्रिकाएं पढ़ने में बहुत सक्षम नहीं हैं और टेलीविजन, रेडियो आदि खरीदने का सामर्थ्य भी उनके पास नहीं है। जिसके कारण वे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इसी प्रकार जर्नल ऑफ सोशल साइंस, वाल्यूम 19, अंक 6, जनवरी 2014, पृष्ठ संख्या 26–29 पर प्रकाशित शोध पत्र 'ए सोसियो–इकोनोमिक मिजरेबल कंडीशन ऑफ द ट्राइबल्स इन छत्तीसगढ़ (ए केस स्टडी ऑफ धरवार, सारगुजा जिला, छ.ग.) ' में डॉ. एस. किस्पोट्टा ने अपने शोध में पाया कि अधिकतर आदिवासी अशिक्षित और गरीब हैं। अधिकतर लोग गरीबी की स्थिति में जी रहे हैं और छोटे व कच्चे घरों में रह रहे हैं। आय के सीमित स्रोत हैं। ये अधिकतर जंगलों और खेती पर निर्भर हैं। मजदूरी का कार्य करते हैं। विस्थापित हैं। स्थिति तब और बदतर हो जाती है जब बरसात का मौसम आता है। ऐसे में यातायात बाधित हो जाता है और काम भी नहीं मिलता। उन्होंने अपने शोध पत्र में सुझाव

दिया है कि आदिवासी इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध करानी चाहिए।

प्रस्तुत शोध द्वारा प्राप्त ऑकड़े बताते हैं कि निर्धारित शोध क्षेत्र में जो मीडिया उपलब्ध हैं उनमें उत्तरदाता सबसे अधिक लोकमाध्यमों जैसे लोकगीत, लोकगाथा, चर्चा, स्थानीय नेताओं आदि से जुड़े हुए हैं, जिनके माध्यम से उन तक थोड़ी बहुत सूचनाएं एवं योजनाएं पहुंचती हैं। सरकार द्वारा जब लोकगीत, लोकगाथा, लोकनृत्य, नाटक आदि का आयोजन किया जाता है तो स्थानीय लोगों की भागीदारी नहीं के बराबर होती है जबकि वही आदिवासी अपने पारिवारिक तथा अपने पास–पड़ोस में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़–चढ़कर हिस्सा लेते हैं। मीडिया की सीमित पहुंच तथा सरकारी प्रतिनिधियों की उदासीनता ने आदिवासियों में इस तरह की नीरसता तथा दूरी उत्पन्न की है हालांकि 20 अप्रैल, 2011 को नई दुनिया में 'आदिवासी लोकनृत्य को देंगे बढ़ावा' शीर्षक से प्रकाशित खबर में बताया गया है कि आदिवासी लोकनृत्य को बढ़ावा देने के लिए प्रदेष खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने पहल की है। इसके लिए पहले जिला स्तरीय प्रतियोगिता रखी जाएगी। इसमें कलाकार अलग–अलग विधा में प्रस्तुति देंगे। प्रथम आने वाले दल का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया जायेगा। प्रतियोगिता में कर्मा व गेड़ी सहित 10 नृत्य विधाओं को शामिल किया गया है। किन्तु इसके अलावा भी सरकार को और अधिक प्रयास करने होंगे ताकि लोक संचार माध्यमों के द्वारा सरकारी योजनाएं तथा सूचनाएं आदिवासियों तक पहुंच सकें और समाज में असमानता खत्म हो सके। दिनांक 17.10.2011 को नवभारत अखबार में 'विलुप्त होने के कगार पर खड़ी असुर जनजाति' शीर्षक से खबर प्रकाशित है। अखबार लिखता है कि देश

का इतिहास जितना प्राचीन है, उतने ही प्राचीन आदिवासी भी हैं। इनकी जीवनशैली–इनकी संस्कृति जितनी अनूठी है, उतने ही अनूठे हैं ये लोग। आधुनिकता के इस छिछले धरातल में कुछ ठोस बचा है तो वह है इन जनजातियों की निश्च्छलता और अनछुई संस्कृति, जो सही मायने में सबसे बड़ी धरोहर है। अखबार आगे लिखता है कि पत्थरों को गलाकर लोहा बनाने वाले आदिवासी 'असुर' विलुप्त होने की कगार पर हैं। असुर जनजातियों साथ एक बड़ा संकट ये भी है कि जंगल के इलाकों में रहने के कारण आमतौर पर सरकार द्वारा संचालित योजनायें इन तक नहीं पहुंच पाती।

दैनिक जागरण अखबार में दिनांक 11.09.2011 को पुस्तक समीक्षा प्रकाशित है–'आदिवासी समाज की विडंबना उजागर करती कृति' । राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली से प्रकाशित मारिया वार्गास योसा की पुस्तक 'किस्सागो' की समीक्षा है। योसा स्पैनिश के अत्यंत चर्चित लेखकों में से हैं, जिनके उपन्यासों में जादू और यथार्थ एक साथ आते हैं। यह उपन्यास पेरू के एक आदिवासी समूह के इर्द–गिर्द घूमता है। एक तरफ आधुनिक समाज का विकास है तो दूसरी तरफ दुष्टात्माओं और झांड–फूंक का मायाजाल है। यह उपन्यास विकास की अंधी दौड़ में मनुष्य और प्रकृति को रौंदते जाने के आधुनिक उपक्रमों के बीच यह सवाल बड़ी शिद्दत से उठाता है कि जो समाज और समूह पहले से ही मिटने के कगार पर हैं, क्या इस आधुनिक समाज का यह फर्ज नहीं बनता कि किसी तरह उनका अस्तित्व बचाए रखने की कोशिश की जाए? वाकई आधुनिक समाज के लिए यह यक्ष प्रश्न है। प्रस्तुत शोध द्वारा प्राप्त ऑकड़े भी इसी ओर इशारा करते हैं कि आदिवासी समाज में व्याप्त कुप्रथाओं को खत्म

करने के लिए मीडिया, सरकार तथा समाज सेवी संस्थाओं द्वारा कोई महत्वपूर्ण प्रयास नहीं किया जा रहा है।

शोध से प्राप्त परिणामों के अनुसार मीडिया के उत्तरोत्तर विकास के बावजूद आज भी आदिवासी क्षेत्रों में अनाज, सब्जी आदि उत्पादों का बाजार मूल्य बिचौलियों (मध्यस्थ) के माध्यम से पहुंचता है। ये बिचौलिये अपने मुनाफे के आधार पर आदिवासियों से बाजार मूल्य से कम मूल्य पर सामान खरीदते हैं और शहरों व नगरों में अच्छे दामों पर बेचते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि आदिवासी लागत के बराबर या कभी–कभी इससे भी कम मूल्य पाते हैं और अपने स्थानीय बाजार तक ही सीमित रह जाते हैं। दिनांक 24 जुलाई, 2012 को पत्रिका अखबार में 'आदिवासियों का कल्याण' शीर्षक से एक टिप्पणी प्रकाशित है। पत्र लिखता है कि वन अधिकार कानून 13 दिसंबर, 2005 से पूर्व वन भूमि पर काबिज अनुसूचित जनजाति के सभी समुदायों को वनों में रहने और आजीवकोपार्जन का हक देता है। लेकिन हकीकत ये है कि प्रदेश के हर जिले में आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है। लाखों वनवासियों के जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन रहे जंगली उत्पादों जैसे–बांस, महुआ, तेंदुपत्ता आदि पर आज सरकारी नियंत्रण है। संविधान की पांचवी अनुसूची आदिवासियों के हक की वकालत करती है। इसका भी प्रदेश में उल्लंघन हो रहा है। ऐसी ही एक खबर बिलासपुर से दिनांक 31.03.2015 को नई दुनिया में 'आदिवासी विभाग के फर्जीवाड़ा की होगी जांच' शीर्षक से प्रकाशित है। खबर के अनुसार आदिवासी विभाग द्वारा मद बदलकर 13 लाख रूपये निकालने के मामले की जांच होगी। कलेक्टर ने इसके लिए एडीएम को जांच अधिकारी बनाया है। यह आदिम जाति कल्याण विभाग में भ्रष्टाचार की खबर है।

प्राप्त ऑकड़े बताते हैं कि आदिवासी क्षेत्रों में मनरेगा, वृद्धा पेंशन योजना, इंदिरा आवास योजना जैसी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है लेकिन फिर भी सामाजिक व आर्थिक विकास नगण्य है। शिक्षा, रोजगार तथा व्यवसाय से जुड़ी ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जो आदिवासियों तक नहीं पहुंच रही हैं और न ही उनकी रोजमर्रा की समस्याओं को मीडिया में स्थान मिल रहा है। परिणाम स्वरूप आदिवासियों की समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। आज भी आदिवासियों में टोनही प्रथा, बाल विवाह जैसे अनेक प्रथायें हैं जो उनके सामाजिक व आर्थिक विकास में बाधक हैं। मीडिया का इन समस्याओं को उठाना चाहिए ताकि आदिवासी समाज में जागरूकता आ सके। सरकारों को इन समस्याओं को संज्ञान में लेना चाहिए। नई दुनिया में 31.03.2015 को एक और खबर प्रकाशित है जिसका शीर्षक है–'विस्थापन के नाम पर अचानकमार के बैगाओं के साथ धोखा'। खबर के मुताबिक बैगा आदिवासियों के विस्थापन की सच्चाई बयां करती यह कहानी सिर्फ यहीं की नहीं है। गरीब आदिवासियों के विस्थापन में सरकारी तंत्र की यही बदनीयती कमोबेश पूरी प्रदेश में दिखती है। अपनी जड़ों से उखाड़े जाने का दर्द झेल रहे आदिवासियों की व्यथा तब गहरी हो जाती है जब उन्हें प्रशासन और सरकार की उपेक्षा व वादाखिलाफी का सामना करना पड़ता है। लहलहाती फसल, नलों से स्वच्छ पानी की मोटी धार और बिजली की रोशनी से जगमगाता गांव। अचानकमार टाइगर रिजर्व के कोर जोन को छोड़ने के लिए वन विभाग ने न जाने ऐसे कई प्रलोभन दिए थे। वन अफसरों द्वारा दिखाए गये इस सपने से इन परिवारों को लगा कि अब जीवन संवर जाएगा, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल विपरीत है। पांच सालों में इनके

खेतों न फसल लहलहाई और न ही उनकी प्यास बुझी है। यह खबर विस्थापन के बाद आदिवासियों के हालात को बयां करती है।

सामुदायिक रेडियो के नाम पर बिलासपुर जिले में डॉ. सी.वी. रमन विश्वविद्यालय में 'रमन रेडियो' संचालित होता है जो विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों को प्रसारित करता है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में ना तो कोई सामुदायिक रेडियो है और ना ही वहां के लोग सामुदायिक रेडियो के विषय में जानते हैं। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. हरीश कुमार अपने शोध–पत्र 'फोक मीडिया और रूरल डवलपमेंट' में लिखते हैं कि भारत की कुल जनसंख्या की 80 प्रतिशत जनसंख्या जो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, उसके संचार का सबसे महत्वपूर्ण साधन परंपरागत माध्यम हैं। ग्रामीण भारत में सामाजिक बदलाव लाने में परंपरागत माध्यम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी प्रकार प्रस्तुत शोध द्वारा प्राप्त परिणामों के अनुसार लोक माध्यमों के उपयोग से सरकारी योजनाओं और लाभों को आदिवासियों तक पहुंचाया जाये तो वह अधिक प्रभावी ढ़ंग से सम्प्रेषित होगा। उत्तरदाता आदिवासी भी इस बात को मानते हैं कि समाचार–पत्र, पत्रिकाएं, टेलीविजन, रेडियो आदि संचार माध्यमों की अपनी कुछ सीमाएं हैं किन्तु लोकमाध्यम आदिवासियों की जीवनशैली की उपज है। सामुदायिक रेडियो सरकारी योजनाओं और सूचनाओं को उन्हीं के लोक माध्यमों का उपयोग कर यदि उन तक पहुचाये तो भी विकास को गति मिलेगी। अतः लोकमाध्यमों द्वारा यदि विकास के कार्यक्रम आदिवासियों तक पहुंचाये जायें तो यह अधिक कारगर सिद्ध होगा।

अध्याय–सप्तम्

सुझाव

सुझाव

1. मीडिया को आदिवासी मुद्दों पर मुहीम चलाना चाहिए। आदिवासी मुद्दों को विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा उठाना चाहिए और समय–समय पर उनका फॉलोअप करना चाहिए। ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि सरकार उनके लिए कार्य करे और उनकी समस्याएं सुने।
2. स्थानीय टीवी चैनल, सामुदायिक रेडियो तथा छोटे अखबारों को बढ़ावा देना होगा। ताकि ये संचार माध्यम आदिवासियों की समस्याओं को आवाज दे सकें तथा सरकारी योजनाएं एवं कार्यक्रम उन्हीं की भाषा में उन्हीं के संचार के तरीकों से उन तक पहुंच सकें।
3. मीडिया अपने स्तर पर आदिवासी मुद्दों की कवरेज करता है। अब जरूरत इस बात की भी है कि आदिवासी लोगों को स्वयं भी मीडिया तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए स्थानीय लोगों को विभिन्न मीडिया संगठनों से जोड़ना चाहिए।
4. मीडिया को खुद पहल करके आदिवासी मुद्दों को कवर करना चाहिए, जैसा कि दो दशक पहले तक होता था। आज पत्रकारों में बदलाव के लिए या तो जज्बे की कमी है या वे विवश हैं। आदिवासी मुद्दों को मीडिया में लाने के लिए सामाजिक संस्थाओं और एनजीओ को भी आगे आना होगा।
5. निजी रेडियो चैनल के प्रसारण की तब तक अनुमति न दें जब तक वे आदिवासी क्षेत्रों को कवर न करें।

6. आदिवासी क्षेत्रों में साक्षरता बहुत कम है जिसके कारण समाचार–पत्रों तक उनकी पहुंच नहीं है। अतः साक्षरता बढ़ाने के लिए सरकार तथा स्वयं सेवी संगठनों को आगे आना चाहिए।
7. आदिवासी क्षेत्रों की मीडिया को विज्ञापन के माध्यम से प्रात्साहित करनाा चाहिए।
8. पत्रकारों को मीडिया की ग्लैमरस दुनिया से दूर आदिवासी क्षेत्रों में कार्य करना चाहिए।
9. राष्ट्रीय मीडिया को प्रसारण की तब तक अनुमति न दें जब तक वे आदिवासी क्षेत्रों में न जाएं।
10. कार्पोरेट सेक्टर को अपने सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने चाहिए। विद्यालय खोलने का प्रयत्न करने चाहिए तथा आर्थिक बदलाव के लिए स्थानीय आदिवासियों को प्रशिक्षण देने का प्रयास करना चाहिए।
11. जब तक स्पेशलाइजेशन नहीं होगा तब तक आदिवासी मुद्दों को गंभीरता से नहीं उठाया जा सकेगा। आदिवासियों के खान–पान, संस्कृति, भाषा, जीवन–शैली इत्यादि से परिचित पत्रकारों की कमी है। इस कमी को दूर करना होगा।
12. सरकार द्वारा आदिवासी विकास हेतु ठोस प्रयास किये जाने चाहिए।
13. अधिक से अधिक आदिवासी क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच बनानी चाहिए। उनके कार्यक्रमों को रोचक भी बनाना होगा।
14. उसमें आदिवासी संस्कृति एवं सरोकारों को इस प्रकार महत्व देना चाहिए कि आदिवासियों को अपने हमदर्द, सखा और दिशा–निर्देश करने वाले जैसा अनुभव करें।

15. आदिवासियों में किसी भी प्रकार की सूचना पहुंचाने के लिए सबसे कारगर माध्यम उनके स्वयं के लोक माध्यम हैं। इन्हें बढ़ावा देना चाहिए।
16. आदिवासियों के लोक माध्यमों जैसे लोकगीत, लोकगाथा, लोकनृत्य, लोककथाएं, लोकनाट्य आदि द्वारा उन्हीं की भाषा में योजनाओं को उन तक सम्प्रेषित करने से उनमें जागरूकता भी बढ़ेगी और वे देश के अन्य हिस्सों से जुड़ाव भी महसूस करेंगे।
17. टेलीविजन तथा रेडियो द्वारा भी आदिवासियों की स्थानीय भाषा में कार्यक्रमों तथा विज्ञापनों का प्रसारण होना चाहिए।

अध्याय–अष्टम्

शोध का क्षेत्र एवं उपयोगिता

शोध का क्षेत्र एवं उपयोगिता

8:1 शोध का क्षेत्रः (Scope)

प्रस्तुत शोध 'आदिवासी विकास में मीडिया की भूमिका (बिलासपुर जिले के संदर्भ में)' , एक मीडिया शोध है। यह मीडिया शोध का वह प्रकार है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में मीडिया की भूमिका का पता लगाया जाता है। इस शोध में आदिवासी विकास और उसमें मीडिया की भूमिका का अध्ययन किया गया। निर्धारित क्षेत्र में विकास की स्थिति तथा उसमें मीडिया के योगदान का अध्ययन किया गया। आदिवास विकास में मीडिया का योगदान कितना कारगर है, इसका अध्ययन किया गया और आदिवासी विकास में मीडिया की भूमिका का परीक्षण किया गया। इस शोध के परिणाम निश्चिततौर पर आने वाले अध्ययनकर्ताओं के लिए फायदेमंद होंगे। ना सिर्फ मीडिया शोध के लिए, बल्कि मानवशास्त्र एवं आदिम जाति अध्ययन (Anthropological Research) में भी यह शोध लाभकारी सिद्ध होगा। ऐसा मेरा विश्वास है।

8:2 शोध की उपयोगिताः

प्रस्तुत शोध 'आदिवासी विकास में मीडिया की भूमिका (बिलासपुर जिले के संदर्भ में)', एक उपयोगी मीडिया शोध है। शोध की उपयोगिता बिन्दुवार निम्नलिखित है–

1. इस शोध के माध्यम से आदिवासी लोगों के बारे में आम लोगों की भ्रांतियां दूर होंगी।
2. इस शोध के माध्यम से आदिवासी विकास को एक नई दिशा मिलेगी।
3. इस शोध के माध्यम से आदिवासी लोगों पर अध्ययन और शोध का बढ़ावा मिलेगा।
4. इस शोध के माध्यम से आदिवासी समस्याओं को भी उठाने की कोशिश की गई है। यदि हम जिम्मेदार लोगों तक इन समस्याओं को पहुंचाने में सफल रहते हैं तो यह मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी।
5. इस शोध के माध्यम से मीडिया शोध को एक नई दिशा मिलेगी।
6. इस शोध के माध्यम से अन्तर–विषयक शोध को बढ़ावा मिलेगा।
7. आने वाले शोधकर्ताओं के लिए यह शोध संदर्भ के रूप में उपयोगी होगा।
8. मानवशास्त्रिय अध्ययन में भी यह शोध उपयोगी सिद्ध होगा।
9. आदिवासी विकास में मीडिया भागीदारी की महत्ता को स्थापित करता है जो कि मीडिया की आदिवासी विकास में सहभागिता को बढ़ाएगा।
10. प्रस्तुत शोध सरकार तथा स्वयंसेवी संस्थाओं का ध्यान इस ओर आकर्षित करता है कि किसी भी योजना या सूचना के प्रसारण के लिए लोकमाध्यमों का उपयोग आदिवासियों में उस योजना या सूचना के प्रति रूचि एवं जागरूकता बढ़ायेगा।

11. प्रस्तुत शोध संचार के लोक माध्यमों के वर्तमान महत्व की ओर इशारा करता है क्योंकि आदिवासी क्षेत्रों में लोगों को शिक्षित करने, बिजली की व्यवस्था करने तथा रेडियो की उत्तम व्यवस्था करने में समय लगेगा। अतः लोक माध्यम ही ऐसे माध्यम हैं जो बिना किसी अतिरिक्त खर्चे एवं व्यवस्था के आदिवासी क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाने, सरकारी नीतियों से अवगत कराने, अन्य योजनाएं उन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। प्रस्तुत शोध सरका, स्वयंसेवी संस्थाओं, कार्पोरेट सेक्टर तथा मीडिया जगत का ध्यान इस ओर आकर्षित करता है।

संदर्भ सूची

संदर्भ सूची:

पुस्तकें:

1. श्रीवास्तव,डॉ. ए.आर.एन., 2007, जनजातीय भारत, मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, पृष्ठ 1–3
2. वही पृष्ठ 152–153
3. वही पृष्ठ 179
4. वही पृष्ठ 184, 196
5. वही पृष्ठ 200–204
6. वही पृष्ठ 220
7. हसनैन, नदीम, 2006, भारत की जनजातियां, नई दिल्ली, जवाहर पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, पृष्ठ 03–04
8. वही पृष्ठ 10–12
9. वही पृष्ठ 14, 16
10. वही पृष्ठ 18–20
11. वही पृष्ठ 24
12. वही पृष्ठ 27–28
13. परमार, श्याम, 1975, ट्रेडिशनल फोक मीडिया इन इंडिया, नई दिल्ली, गेका बुक
14. माहेश्वरी, मुकेश, छत्तीसगढ़ एक परिचय, नई दिल्ली, टाटा मैकग्रा हिल एजुकेशन प्रा. लि., पृष्ठ 1.3–1.6
15. वही पृष्ठ 1.29–1.34
16. वही पृष्ठ 1.83–1.86
17. वही पृष्ठ 1.99–1.105
18. अरिहन्त पब्लिकेशन्स (इ) प्रा. लि., छत्तीसगढ़ विस्तृत अध्ययन, मेरठ, पृष्ठ 193–198
19. छत्तीसगढ़ एक परिचय, मुकेश माहेश्वरी, 2011, टाटा मैकग्रा, हिल एजुकेशन प्रा. लि. नई दिल्ली, पृष्ठ सं. 1.59, आईएसबीएन:9780070705296

20. छत्तीसगढ़ विस्तृत अध्ययन, वीरेन्द्र सिंह, 2008,अरिहन्त पब्लिकेशन्स (इ) प्रा.लि., मेरठ, पृष्ठ–16, आईएसबीएनः 8183480500

शोध–पत्रः

1. किस्पोट्टा, एस., *'ए सोसियो–इकोनोमिक मिजरेबल कंडीशन ऑफ द ट्राइबल्स इन छत्तीसगढ़ (ए केस स्टडी ऑफ धरवार, सारगुजा जिला, छ.ग.)'*, जर्नल ऑफ सोशल साइंस, वाल्यूम 19, अंक 6, जनवरी 2014, पृष्ठ संख्या 26–29
2. कुमार, प्रो. हरीश, 2006, 'फोक मीडिया और रूरल डवलपमेंट', इंडियन मीडिया स्टडीज जर्नल, वाल्यूम 1, नम्बर 1, जुलाई–दिसम्बर, पृष्ठ संख्या 93–98

समाचार–पत्रः

1. 'नई दुनिया' में 'आदिवासी लोकनृत्य को देंगे बढ़ावा' शीर्षक से प्रकाशित समाचार
2. 'नवभारत' अखबार में दिनांक 17.10.2011 को 'विलुप्त होने के कगार पर खड़ी असुर जनजाति' शीर्षक से प्रकाशित खबर
3. 'दैनिक जागरण' अखबार में दिनांक 11.09.2011 को प्रकाशित पुस्तक समीक्षा शीर्षक 'आदिवासी समाज की विडंबना उजागर करती कृति'
4. 'पत्रिका' अखबार में 'आदिवासियों का कल्याण' शीर्षक से दिनांक 24 जुलाई, 2012 को प्रकाशित एक टिप्पणी
5. 'नई दुनिया' अखबार में 'आदिवासी विभाग के फर्जीवाड़ा की होगी जांच' शीर्षक से दिनांक 31.03.2015 को प्रकाशित समाचार
6. 'नई दुनिया' अखबार में 31.03.2015 को प्रकाशित खबर शीर्षक है–'विस्थापन के नाम पर अचानकमार के बैगाओं के साथ धोखा'
7. 'योजना' पत्रिका जनवरी–2014 अंक
8. आदिवासी सत्ता (हिन्दी मासिक), दुर्ग (छ.ग.)
9. *उप–संचालक जनसंपर्क, बिलासपुर*
10. *संचालनालय, भौतिक तथा खनिजकर्म, छत्तीसगढ़, रायपुर*

वेबसाइटः

1- www.tribal.nic.in
2- www.dprcg.gov.in
3- www.raviwar.com
4- www.cggovt.gov.in
5- http://tribal.nic.in/index.aspx
6- http://tribal.nic.in/Content/scheduledtribes.aspx
7- http://tribal.nic.in/WriteReadData/userfiles/file/Statistics/StatisticalProfileofSTs2013.pdf
8- http://tribal.nic.in/WriteReadData/userfiles/file/Statistics/Tribal%20Profile.pdf
9- http://tribal.nic.in/Content/ApproachtoTribalDevelopmentScheduledTribes.aspx
10 http://tribal.nic.in/Content/list%20of%20Scheduled%20Tribes%20in%20India.aspx
11 http://cjtdp.cg.gov.in/
12 http://www.indianholiday.com/tourist-attraction/bastar/tribal-culture-in-bastar/
13 http://www.indianetzone.com/50/tribes_chhattisgarh.htm
14 http://iosrjournals.org/iosr-jhss/papers/Vol19-issue6/Version-1/D019612629.pdf

15 http://chhattisgarh.ngosindia.com/
16 http://highcourt.cg.gov.in/artical/tribalandruralcommunity.pdf
17 http://tribal.nic.in/WriteReadData/CMS/Documents/201212270552205351562File1495.pdf
18 http://nrega.nic.in/Planning_Commision.pdf
19 http://www.cgsird.gov.in/research2.pdf
20 http://mmpindia.in/Fifth_Schedule.htm
21 http://cgtourism.choice.gov.in/node/136
22 http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/3932/6/06_chapter%201.pdf
23 http://cgtourism.choice.gov.in/node/40
24 https://en.wikipedia.org/wiki/Adivasi

परिशिष्ट

प्रकाशित शोध–पत्रों की सूचीः

Research Paper:

1. *'Soochna ka Adhikar Aur Media'*; published in the *Jigyasa* (ISSN 0974-7648), Vol. III, No.4, December 2010. Pp. 287-292 (Co-author: G.Bagchi)
2. *'Westenisation of Indian Culture: A study of Chhattisgarh';* published in the *Shodh Sanchayan* (ISSN 0975-1254), Vol. 2, Issue 1&2 (Joint Issue), 15July, 2011, New Delhi, Bilingual. Pp. 29-32. (Co-author: G. Bagchi & P.K. Rath)
3. *'Samudayik radio se samudayik vikash: Chhattisgarh rajya ke sandarbh mein'*; published in *The Journalist* (ISSN 2231-2943), Year-1, Vol. 4, No.4, January-March, 2012, Allahabad (U.P.). Pp. 75-78 (Co-author: Dr. Rachana Gangwar)
4. *'Gramin vikash hetu gramin media ki awashyakta'*; published in *The Journalist* (ISSN 2231-2943), Year-2, Vol. 2, No. 6, July-September, 2012, Allahabad (U.P.). Pp. 80-83 (Co-author: Dr. Rachana Gangwar)
5. *'Chhattisgarh ke paramparagat madhyam awam gramin vikas mein yogdan'*; published in *Samagam* (ISSN 2231-0479), Year-12, Vol. 8, September- 2012, Bhopal (M.P.). Pp. 28-32 (Co-author: Dr. Rachana Gangwar)
6. *'Significance of Content Analysis in Media Research'*; published in the *Jigyasa* (ISSN 0974-7648), Vol. V, No.1, March-2012. Pp. 85-91 (Co-author: Dr. P.K.Rath)
7. *'Mc Bride commission aur suchna ka saman prawah'*; published in the *Vaichariki (A multidisciplinary International Referred Researdh Journal)* (ISSN 2229-8907), Vol. II, Issue 4, December, 2012. Pp. 97-99 (Co-author: Dr. Rachana Gangwar)
8. *'Mass media ke cultivation siddhant ki wartaman prasangikta'*; published in *The Journalist* (ISSN 2231-2943), Year-2, Vol. 4, No. 8, January-March, 2013, Allahabad (U.P.). Pp. 18-20 (Co-author: Dr. Rachana Gangwar)
9. *'Rashtra ke vikas mein Aanchlik/Pradeshik bhashaoon ka yoogdan (Chhattisgarhi bhasha ka ek adhyayan) '*; published in *The Journalist* (ISSN 2231-2943), Year-3, Vol. 2, No. 10, July-September, 2013, Allahabad (U.P.). Pp. 28-35 (Co-author: Dr. P.K. Rath & Rajesh Roshan Diwakar)

10. *'Television dharawahikon ka mahilaoon ki jiwan shaili par prabhav(Bilaspur zile ke sandarbh mein)'*; published in *Shodh Prerak* (ISSN 2231-413X), Vol. III, Issue 4, October, 2013.pp. 01-06 (Co-author: Dr.P.K.Rath & Pushpa Vishwakarma)
11. *'Radio prasharan ke samajik uttardayitwa '*; published in *Samagam* (ISSN 2231-0479), March- 2014, Bhopal (M.P.). Pp. 30-33 (Co-author: Dr. Rachana Gangwar)
12. *'Aadivasi vikas aur Media'*; published in *Sodha Pravadha* (ISSN 2231-4113), Vol. IV, Issue 2, April- 2014, Varanasi (U.P.). Pp. 168-170 (Co-author: Dr. Rachana Gangwar)

Chapter in Book:

1. *'Hindi Patrakarita ki chunautiyaan'*, 2014, published in edited book titled *'Hindi Patrakarita: Sambhawnayein awam Chunautiyaan'* (ISBN: 9789382662266) Editor-Dr. Govind Pandey, Hemadri Prakashan, Delhi. Pp. 53-58. (Co-Author: Dr. Rachana Gangwar)

Full Paper in Seminar Proceeding:

1. *'Aadivasi vikas aur media: Chhattisgarh ke sandarbh mein'*, published in seminar proceeding titled 'Green Communication and sustainable development: Prospects and Challenges'. Editor Dr. Mahendra Kumar Padhy, April 2015, Shroff Publishers & Distibutors Pvt. Ltd., New Delhi. Pp. 157-159

आदिवासी विकास में मीडिया की भूमिका (बिलासपुर जिले के संदर्भ में)

अनुसूची

नामः **पताः**

लिंगः **शिक्षाः**

व्यवसायः

1. आपको सूचनाएं कैसे प्राप्त होती हैं?

   क)समाचार–पत्रों व पत्रिकाओं के माध्यम से

   ख)रेडियो के माध्यम से

   ग) टेलीविजन के माध्यम से

   घ)अन्य माध्यमों से

2. सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं की जानकारी आपको कैसे प्राप्त होती है?

   क)समाचार–पत्रों व पत्रिकाओं के माध्यम से

   ख)रेडियो के माध्यम से

   ग) टेलीविजन के माध्यम से

   घ)अन्य माध्यमों से

3. क्या आपने कभी शासन–प्रशासन की किसी तरह की शिकायत मीडिया के समक्ष प्रस्तुत किया है?

   क) हां ख) नहीं

4. क्या कभी आपको मीडिया द्वारा किसी तरह की मदद मिली है, जो आपके लिए विकास के लिए सहायक हो?

   क)हां ख)नहीं

5. क्या आपको लगता है कि आपकी समस्याओं को सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने में मीडिया सहायक है?

   क)हां ख)नहीं

6. क्या आपने कभी मीडिया में सहभागिता की है?

   क)हां ख)नहीं

7. यदि हां तो किस प्रकार?

   क) संपादक के नाम पत्र

   ख) रेडियो के किसी कार्यक्रम में सहभागिता

   ग)टीवी के किसी कार्यक्रम में सहभागिता

   घ)अन्य

8. आपके गांव में पत्रकार आते हैं?

   क) महीने में एक बार

   ख) 15 दिन में एक बार

   ग) कभी–कभी

   घ) कभी नहीं

9. आपके गांव में सरकारी अधिकारी (जैसेः कलेक्टर, एस.डी.एम., तहसीलदार, जिला विकास अधिकारी इत्यादि) आते हैं–

   क) महीने में एक बार

   ख) 15 दिन में एक बार

   ग) कभी–कभी

   घ) कभी नहीं

10. क्या आप सरकार द्वारा आयोजित लोकगीत, लोकगाथा, लोककथा, लोकनृत्य इत्यादि सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सहभागिता करते हैं?

    क)हां ख)नहीं

11. क्या आप गांव में व्यक्तिगत रुप से आयोजित लोकगीत, लोकगाथा, लोककथा, लोकनृत्य इत्यादि कार्यक्रमों में भागीदारी करते हैं?

    क)हां ख)नहीं

12. आपको कभी किसी सरकारी योजना जैसे मनरेगा, इंदिरा आवास योजना, वृद्धा पेंषन योजना इत्यादि का लाभ मिला है?

क)हां ख)नहीं

13. आप अपने उत्पाद जैसे सब्जी, फल, अनाज इत्यादि कहां बेचते हैं?

क)मंडी में ख) स्थानीय बाजार में

ग) बिचौलिए (मध्यस्थ) को घ) अन्य

14. आपको आपके उत्पाद का बाजार मूल्य कैसे पता चलता है ?

क)मंडी में ख) स्थानीय बाजार में

ग) बिचौलिए (मध्यस्थ) से घ) गांव के किसी व्यक्ति से

15. मनरेगा क्या है? इसका लाभ आपको मिल रहा है कि नहीं?

.....

.....

16. आपके गांव में कोई गैर सरकारी संगठन या स्वयं सहायता समूह विकास के लिए कार्य कर रहा है?

क)हां ख)नहीं

17. आपके सामाजिक मुद्दे जैसे भूमि अधिग्रहण, जंगल, जमीन, पानी इत्यादि को मीडिया में पर्याप्त कवरेज मिल पाता है?

क)हां ख)नहीं

18. क्या आप सामुदायिक रेडियो के बारे में जानते हैं?

क)हां ख)नहीं

19. यदि हां तो क्या आप सामुदायिक रेडियो से जुड़ कर कार्य करना चाहेंगे?

क)हां ख)नहीं

20. क्या आप समाचार–पत्र, रेडियो, टेलीविजन जैसे जनसंचार के माध्यमों की अन्तर्वस्तु से परिचित हैं?

क)हां ख)नहीं

21. सामाजिक समस्याएं जैसे टोनही प्रथा, बाल विवाह इत्यादि के निराकरण में मीडिया अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है?

क)हां ख)नहीं

22. आपको सरकार से किस तरह के विकास की आस है?

.....

.....

23. क्या मीडिया आपके विकास सम्बन्धी मुद्दों को सरकार तथा आम जनता तक पहुंचाने में सहयोग कर रहा है?

क)हां ख)नहीं

24. क्या आपकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के बदलाव में मीडिया की कोई भूमिका है?

क)हां ख)नहीं

25. क्या आपके क्षेत्र में सरकार, किसी स्वयंसेवी संस्था या मीडिया संगठन द्वारा लोक माध्यमों का उपयोग करके जागरूकता अभियान चलाया गया है?

क)हां ख)नहीं

26. क्या लोक माध्यमों द्वारा आपने अपनी समस्याओं को सरकार, स्वयं सेवी संस्थाओं तथा मास मीडिया के समक्ष उठाया है?

क)हां ख)नहीं

27. क्या संचार के अन्य माध्यमों की तुलना में लोक माध्यम आपके समुदाय में संचार के लिए ज्यादा उपयोगी माध्यम है?

क)हां ख)नहीं

विषय– आदिवासी विकास में मीडिया की भूमिका (बिलासपुर जिले के संदर्भ में)

समाचार–पत्र के संपादकों से साक्षात्कार हेतु प्रश्नावली

संपादक का नामः

संस्थान का नामः

1. देश के लिए आदिवासी किस तरह महत्वपूर्ण हैं?
2. आदिवासी लोगों के बारे में आपकी क्या राय है?
3. आदिवासी मुद्दों जैसे भूमिअधिग्रहण, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा इत्यादि के बारे में मीडिया की कवरेज पर आपकी राय क्या है?
4. सूचना क्रांति के इस युग में भी आदिवासी इलाकों तक सूचना की पहुंच बहुत कम क्यों है या नहीं के बराबर है?
5. क्या आपको लगता है कि पहले की अपेक्षा आदिवासी मुद्दों पर मीडिया की कवरेज बढ़ गई है?
6. ऐसे समय में जब मीडिया अपने पाठकों/श्रोताओं को उपभोक्ता मानती है ऐसे में आदिवासी उनके लिए क्या मायने रखते हैं?
7. मीडिया खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बाजार आधारित हो रहा है ऐसे में आदिवासी क्षेत्रों में उन्हें बाजार नहीं दिखता। क्या यही वजह है मीडिया की उदासीनता की?
8. आदिवासी मुद्दों की मीडिया द्वारा कवरेज के संदर्भ में आगे और क्या किया जाना चाहिए? क्या सुझाव देंगे आप?
9. आदिवासी लोगों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए मीडिया की क्या भूमिका हो सकती है?
10. क्या कारण है कि आदिवासी लोगों के लिए राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं का लाभ उन्हें समुचित रूप से नहीं मिल पाता?
11. क्या आपके संस्थान में कोई आदिवासी कर्मचारी कार्यरत है?

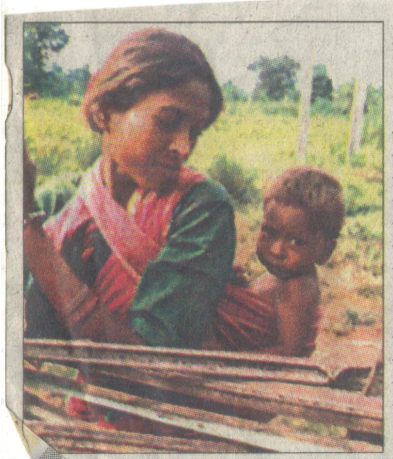

विलुप्त होने के कगार पर खड़ी असुर जनजाति

जशपुरनगर. देश का इतिहास जितना प्राचीन है, उतने ही प्राचीन आदिवासी भी है. इनकी जीवन शैली- इनकी संस्कृति जितनी अनूठी है उतने ही अनूठे ये लोग. आधुनिकता के इस छिछले धरातल में कुछ ठोस बचा है तो वह है इन जन जातियों की निश्छलता और अनछुई संस्कृति, जो सही मायने में हमारी सबसे बड़ी धरोहर हैं. लेकिन मानव जीवन पर आर्थिकता, आधुनिकता और स्वार्थ के संक्रमण ने इन्हें पेज थ्री में स्थान नहीं दिया क्योंकि उलटे पन्ने पर छपने वाले शासन- प्रशासन के सिपहसालारों ने इन्हें अपनी रोजी -रोटी, जनप्रतिनिधियों ने इन्हें अपना- वोट बैंक और आम लोगों ने इन्हें शोषण और शोध का विषय बनाना ज्यादा उचित समझा. यही वजह है की सरगुजा और जशपुर के कुछ छेलों में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते असुर जनजाति अब विलुप्त होने के कगार पर है. जिनपर जशपुर जिले के प्रवास पर आ रहे छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष देवलाल दुग्गा और उनकी टीम की नजर पड़े तो शायद इनके संरक्षण और विकास का मार्ग प्रशस्त हो.

कौन है असुर- असुर जनजाति पूरे छत्तीसगढ़ में जशपुर और सरगुजा जिले में ही निवास करती है. लुप्त होने के कगार पर खड़े असुर -जशपुर जिले के मनोरा विकासखंड अंतर्गत जामपाठ, हाडीकोना और दौना पाठ में निवासरत हैं पूर्व में असुर वनों पर पूरी तरह आश्रित थे और पत्थरों को गलाकर लोहा बनाते थे. पत्थरों को गलाकर लोहा बनाने वाली ये विशेष पिछड़ी जनजाति अब विलुप्ति के कगार पर है. नई तकनीक के आ जाने के कारण इनके परंपरागत व्यवसाय पर ग्रहण लग चुका है और किसी और काम में कुशलता नहीं होने से इनके सामने रोजगार का संकट आ खड़ा हुआ है.

लुप्त होते असुर- हालत ये है कि राज्य के जशपुर जिले में बसने वाली असुर जाति की जनसंख्या केवल दो सौ पच्चासी रह गई है.आश्चर्यजनक है कि असुर जनजाति के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है. अविभाजित मध्यप्रदेश में दूसरी जनजातियों के लिये करोड़ों रुपये की योजनायें चलायी गई लेकिन असुर जनजाति इन सारी योजनाओं से दूर ही रखी गई. छत्तीसगढ़ राज्य में 5 विशेष पिछड़ी जनजातियों अबूझमाड़िया, कमार, पहाड़ी कोरबा, बिरहोर एवं बैगा के विकास के लिये विशेष अभिकरण का गठन किया गया है. असुर जनजाति को तो इस अभिकरण में शामिल ही नहीं किया गया है, लेकिन इस अभिकरण में शामिल बिरहोर जनजाति तमाम सरकारी दावों के बाद भी खत्म होती जा रही है. छत्तीसगढ़ में आज इनकी संख्या केवल 401 रह गई है. पहाड़ी कोरवा जनजाति की संख्या भी पिछले कुछ सालों में घटते-घटते 10,825 रह गई है.

विस्थापन का दंश- असुर और बिरहोर जनजातियों के साथ एक बड़ा संकट ये भी है कि जंगल के इलाकों में रहने के कारण आम तौर पर सरकार संचालित योजनायें इन तक नहीं पहुंच पाती.

आदिवासियों का कल्याण

प्रसंगवश

आदिवासियों और अन्य परंपरागत वनवासियों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय से मुक्ति दिलाने के लिए संसद ने दिसंबर 2006 में वन अधिकार कानून पास किया था। एक जनवरी 2008 को नोटिफाई करके इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। इसी कानून के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ सरकार ने 2006 में जनजाति सलाहकार परिषद का भी गठन किया। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा आदिवासियों के लिए निश्चित रूप से यह एक बेहतर तोहफा था। लेकिन, आज भी आदिवासी अपने हक से वंचित हैं। परिषद के गठन के छह साल बाद इसकी वैधानिकता को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती इस बात का संकेत है कि आदिवासियों के हितों के प्रति सरकार की नीयत साफ नहीं है। वन अधिकार कानून 13 दिसंबर, 2005 से पूर्व वन भूमि पर काबिज अनुसूचित जनजाति के सभी समुदायों को वनों में रहने और आजीविकोपार्जन का हक देता है। लेकिन हकीकत यह है कि प्रदेश के हर जिले में आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है। लाखों वनवासियों के जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन रहे जंगली उत्पादों-जैसे बांस, महुआ, तेंदूपत्ता आदि पर आज सरकारी नियंत्रण है। संविधान की पांचवी अनुसूची आदिवासियों के हक की वकालत करती है। इसका भी प्रदेश में घोर उल्लंघन हो रहा है। सही अर्थों में इसे कहीं भी लागू नहीं किया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता बीके मनीष को इसीलिए जनजाति सलाहकर परिषद के बहाने पांचवी अनुसूची को सही तरीके से लागू करवाने के लिए हाईकोर्ट में गुहार लगानी पड़ी है। माना जा रहा है पांचवी अनुसूची के क्रियान्यवन को लेकर यह देश का पहला मुकदमा है। राज्य सरकार आदिवासियों के हितैषी होने का दंभ भर रही है। लेकिन, सच्चाई यह है कि आदिवासियों को अपने हितों की लड़ाई लड़ने के लिए कोर्ट-कचहरी के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। सही मायने में अगर राज्य सरकार आदिवासियों का कल्याण करना चाहती है तो न केवल सरकार को आदिवासी हितों में बने कानूनों का पालन करना चाहिए, बल्कि वनवासियों के लिए बनी संवैधानिक संस्थाओं में भी लोकतंत्र बहाल करना होगा। आदिवासियों की बदहाली को दूर करने के लिए यही समय का तकाजा है। लिहाजा, सरकार को इसे समझना चाहिए।

खेल विभाग की पहल जिला स्तर पर होगी प्रतियोगिता, विजेता दल जाएगा रायपुर

नई दुनिया, 20/08/11

आदिवासी लोकनृत्य को देंगे बढ़ावा

■ अलग-अलग विधाओं पर देंगे प्रस्तुति

बिलासपुर। आदिवासी लोकनृत्य व गीत को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने पहल की है। इसके लिए पहले जिला स्तरीय प्रतियोगिता रखी जा रही है। इसमें कलाकार अलग-अलग विधा में प्रस्तुति देंगे। प्रथम आने वाले दल का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा। प्रतियोगिता रायपुर में सितंबर के प्रथम सप्ताह में होगी।

प्रदेश खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने जिला स्तरीय आदिवासी लोकनृत्य व लोकगीत प्रतियोगिता कराने का आदेश यहां भी खेल विभाग को दिया है। जिला खेल अधिकारी ए एक्का ने बताया कि प्रतियोगिता अलग-अलग विधाओं पर होगी, जिसमें कर्मा व गेड़ी को मिलाकर 10 विधाएं शामिल है। एक विधा में एक ब्लॉक से एक दल ही हिस्सा ले सकता है। इसके अलावा विजेता दल को दो हजार रुपए, उपविजेता को पंद्रह सौ रुपए व तृतीय को एक हजार रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही विजेता का चयन किया जाएगा, जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जिले का

प्रतिनिधित्व करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश मुख्यालय से आदेश शुक्रवार को ही आया है। इसलिए जिला स्तरीय प्रतियोगिता की तिथि तय नहीं हुई है। एक-दो दिनों के भीतर तिथि कर दी जाएगी। इसके साथ पंजीयन भी प्रारंभ कर दिया जाएगा।

प्रस्तुति के लिए 15 मिनट का समय

लोकनृत्य व लोकगीत की प्रस्तुति देने आने वाले दल का समय निर्धारित रहेगा। इसके तहत उन्हें सिर्फ 15 मिनट का समय दिया जाएगा। इसी समय में उन्हें अपनी उत्कृष्ट प्रस्तुति देनी होगी। लोकनृत्य दल में 20 सदस्य व लोकगीत में 10 सदस्य होना अनिवार्य है। इससे कम या अधिक होने पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा प्रतिभागियों की आयु 15 से 35 वर्ष के बीच होना अनिवार्य है।

दिया जाएगा यात्रा भत्ता

जिला स्तरीय आयोजन कराने के लिए प्रदेश खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने 35 हजार रुपए का बजट भी दिया है। इस बजट में पुरस्कार के अलावा प्रतिभागियों को यात्रा भत्ता भी दिया जाएगा। प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा।

विस्थापन के नाम पर अचानकमार के बैगाओं से धोखा!

ढलान खेतों के कारण पांच साल में कभी नहीं लहलहाई फसल ■ पानी व बिजली तक को तरस रहे बैगा परिवार

शिव सोनी/ मनोज शर्मा >> बिलासपुर

बैगा आदिवासियों के विस्थापन की सच्चाई बयां करती यह कहानी सिर्फ यहीं की नहीं है। गरीब आदिवासियों के विस्थापन में सरकारी तंत्र की यही बदनीयती कमोबेश पूरे प्रदेश में दिखती है। अपनी जड़ों से उखाड़े जाने का दर्द झेल आदिवासियों की व्यथा तब और गहरी हो जाती है जब उन्हें प्रशासन और सरकार की उपेक्षा व वादाखिलाफी का सामना करना पड़ता है।

लहलहाती फसल, नलों से स्वच्छ पानी की मोटी धार और बिजली की रोशनी से जगमगाता गांव। अचानकमार टाइगर रिजर्व (एटीआर) के कोर जोन को छोड़ने के लिए वन विभाग ने न जाने ऐसे कई प्रलोभन बैगा आदिवासियों को दिए थे। वन अफसरों द्वारा दिखाए गए इस सपने से इन परिवारों को लगा कि अब जीवन संवर जाएगा, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल विपरीत है। पांच सालों में इनके खेतों में न फसल लहलहाई है और न ही उनकी प्यास बुझी है। विस्थापन के पांच साल बाद बैगा >> शेष पेज 5 पर

>> अफसरों ने थमा दिए बूढ़े बैल- पेज 17

ढलान खेत पर चिंतित बैठे ग्राम बहाउड़ के बैगा आदिवासी। -फोटो :भूपेंद्र नारायण नवरंग

विस्थापित

गांव	परिवार
बहाउड़	66
सांभरधसान	17
बाकल	30
बोकराकछार	38

हैंडपंप के पानी से निकलता है झाग

न्यू बहाउड़ गांव में सात हैंडपंप हैं, लेकिन चालू हालत में केवल तीन ही हैं। इनका भी पानी पीने लायक नहीं है। यह कहना है पउला बैगा का। उसने बताया कि इस पानी से चाहे सब्जी बनाए या फिर चावल, झाग जैसा निकलता है और थोड़ी देर बाद पानी लाल हो जाता है। इसे पीने से कुछ परिवार के सदस्य बीमार भी हो चुके हैं।

“ तय प्रावधान के अनुसार विस्थापित परिवारों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी। यदि उन्हें किसी तरह की दिक्कत है तो इसे देखने का काम मुंगेली वनमंडल का है। विस्थापन के बाद चारों गांव इसी वनमंडल के अंतर्गत आते हैं। माथेश्वरन वी

डिप्टी डायरेक्टर,
अचानकमार
टाइगर रिजर्व

“ विस्थापन मेरे कार्यकाल का नहीं है। हालांकि इस प्रक्रिया के तहत पहले गांव बसने वाली जगह दिखाई जाती है। इसमें खेत भी शामिल हैं। इसके बाद यदि खेतों में परेशानी आ रही है तो वे पंचायत को प्रस्ताव बनाकर दे सकते हैं। मनरेगा के तहत खेती की फिर से लेवलिंग करा दी जाएगी। राजस्व ग्राम होने के कारण जिला प्रशासन समय-समय पर इनकी सुध लेता है।

-विजया विनोद कुर्रे
डीएफओ, मुंगेली वनमंडल

बेस्ट सेलर .

आदिवासी समाज की विडंबना उजागर करती कृति

किस्सांगो

लेखक : मारिया वार्गास योसा

प्रकाशक : राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली

मूल्य: 350 रुपए

2010 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित लैटिन अमेरिकी साहित्यकार मारिया वार्गास योसा के चर्चित उपन्यास एल आब्लादोर का हिंदी अनुवाद है किस्सागो। योसा स्पैनिश के अत्यंत चर्चित लेखकों में से हैं, जिनके उपन्यासों में जादू और यथार्थ एक साथ आते हैं। पूरी दुनिया में उनके करोड़ों पाठक और प्रशंसक हैं। यह उपन्यास पेरू के एक आदिवासी समूह के इर्द-गिर्द घूमता है। एक तरफ आधुनिक समाज का विकास है, तो दूसरी तरफ दुष्टात्माओं और झाड़-फूंक का मायाजाल है। लेखक स्वयं एक किरदार के रूप में उपन्यास के भीतर मौजूद हैं और आदिवासी समाज के किस्सागो किरदार को खोजने और समझने की चाह में यह खुद अपनी खोज की यात्रा में निकल पड़ते हैं। यह उपन्यास विकास की अंधी दौड़ में मनुष्य और प्रकृति को रौंदते जाने के आधुनिक उपक्रमों के बीच यह सवाल बड़ी शिद्दत से उठाता है कि जो समाज और समूह पहले से ही मिटने के कगार पर हैं, क्या इस आधुनिक समाज का यह फर्ज नहीं बनता कि किसी तरह उनका अस्तित्व बचाए रखने की कोशिश की जाए? यह यथार्थ और मिथकों को एक साथ साधने की लैटिन अमेरिकी परंपरा का प्रतिनिधि उपन्यास है। हमारे देश में जहां आदवासी समूहों की बहुतायत भी है, इस उपन्यास को हिंदी में पढ़ना सुंदर अनुभव है। शंपा शाह का अनुवाद उत्कृष्ट है।

बुक फैक्ट .

मारियो वार्गास योसा और गाब्रीयल गार्सीया मारकेज दो महान लेखक बहुत अच्छे मित्र भी हुआ करते थे। एक बार किसी बात पर विवाद हुआ और योसा ने मारकेस के चेहरे पर घूंसा मार दिर पच्चीस से ज्या बरस हुए, दो बातचीत भी

दैनिक जागरण, 11/09/2011

संज्ञान

कलेक्टर ने एडीएम को दिया जांच का आदेश, मद बदलकर 13 लाख निकालने का मामला

आदिवासी विभाग के फर्जीवाड़ा की होगी जांच

बिलासपुर (निप्र)। आदिवासी विभाग द्वारा मद बदलकर 13 लाख रुपए निकालने के मामले की जांच होगी। कलेक्टर ने इसके लिए एडीएम को जांच अधिकारी बनाया है। उन्हें जांच कर जल्द रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं।

'नईदुनिया' ने अपने 28 मार्च के अंक में 'साजिश पकड़ी गई तो दूसरे नाम से निकलवा लिए 13 लाख' शीर्षक से खबर प्रमुखता के साथ प्रकाशित की थी। इसमें आदिवासी विभाग द्वारा किस तरह से मद परिवर्तन कर जिला कोषालय से 13 लाख रुपए निकलवाए गए, इसका खुलासा किया गया था। खबर प्रकाशित होने के बाद आदिवासी विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। इधर, कलेक्टर सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच का आदेश दिया है। उन्होंने मामले में अतिरिक्त कलेक्टर एनके टेकाम को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। यहां बताना लाजिमी है कि आदिम जाति कल्याण विभाग की सहायक आयुक्त श्रीमती गायत्री नेताम ने मरम्मत मद की राशि निकालने के लिए ट्रेजरी में साधारण व्हाउचर पेश किया था। इसके साथ में हाल ही पैदा हुए फर्म के लेटर पेश का बिल संलग्न किया था, जिस पर ट्रेजरी अधिकारी आरबी वर्मा ने आपत्ति की तो सहायक आयुक्त ने मरम्मत मद का नाम बदलकर लघु निर्माण और भवन नवीनीकरण कर दिया। इसके बाद उन्होंने 13 लाख रुपए के दो बिल ट्रेजरी में पेश कर दिए, जिसे आपत्ति लगाने वाले ट्रेजरी अधिकारी ने आंख मूंदकर पास कर दिया। इससे दोनों के बीच लेनदेन की आशंका जताई जा रही है।

नईदुनिया खबर का असर

साजिश पकड़ी गई तो दूसरे नाम से निकलवा लिए 13 लाख

किसी भी विभाग द्वारा मद बदलना गंभीर लापरवाही है। आदिवासी विभाग द्वारा मरम्मत मद की राशि लघु निर्माण के नाम पर निकालने की जानकारी मिली है। इस मामले में एडीएम को जांच कर रिपोर्ट पेश करने कहा गया है।

सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर

बैक डेट का लिया सहारा

सहायक आयुक्त ने विभाग के एक कर्मचारी के रिश्तेदारों को गुपचुप तरीके से काम दे दिया और अधीक्षकों पर दबाव डालकर मरम्मत का काम भी करा लिया। उन्हें भरोसा था कि उनके द्वारा भेजे गए बिल पर आपत्ति नहीं होगी, लेकिन ट्रेजरी अधिकारी ने बिल पर आपत्ति कर दी। अलबत्ता, उन्होंने बैक डेट पर प्राक्कलन तैयार कराकर वर्कआर्डर भी जारी करा दिया। इसी के आधार पर बिल भी पास करा लिया गया है।

छत्तीसगढ़

आंकड़े एक नजर में

विवरण		2001 (अंतिम)	2011 (अनन्तिम)
1 **प्रशासनिक इकाई**			
(i) राजस्व संभाग		3	4
(ii) जिलों की संख्या		16	18
(iii) तहसीलों की संख्या		97	149
(iv) विकासखंड की संख्या		146	146
(v) नगरों की संख्या		97	182
(अ) सांविधिक नगर		75	168
(ब) जनगणना नगर		22	14
(v) कुल ग्रामों की संख्या		20,308	20,126
2 **क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)**		1,35,191	1,35,191
3 **कुल जनसंख्या**	व्यक्ति	2,08,33,803	2,55,40,196
	पुरूष	1,04,74,218	1,28,27,915
	स्त्री	1,03,59,585	1,27,12,281
4 **दशकीय जनसंख्या वृद्धि**			
(i) कुल वृद्धि		32,18,875	47,06,393
(ii) प्रतिशत		18.27	22.59
5 **जनसंख्या घनत्व**		154	189
6 **स्त्री-पुरूष अनुपात**		989	991
7 **0-6 आयु समूह जनसंख्या**			
(i) कुल जनसंख्या	व्यक्ति	35,54,916	35,84,023
	पुरूष	18,00,413	18,24,987
	स्त्री	17,54,503	17,59,041
(ii) प्रतिशत	व्यक्ति	17.06	14.03
	पुरूष	17.19	14.23
	स्त्री	16.94	13.84
(iii) स्त्री-पुरूष अनुपात		975	964
8 **साक्षर जनसंख्या**			
(i) कुल साक्षर	व्यक्ति	1,11,73,149	1,55,98,314
	पुरूष	67,11,395	89,62,121
	स्त्री	44,61,754	66,36,193
(ii) प्रतिशत	व्यक्ति	64.66	71.04
	पुरूष	77.38	81.45
	स्त्री	51.85	60.59

टीप : 'अन्य' की जनसंख्या को 'पुरूष' की जनसंख्या में शामिल किया गया है ।

स्त्री-पुरूष अनुपात : प्रति 1000 पुरूषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या ।

साक्षरता दर : 7 वर्ष और उससे अधिक आयु की जनसंख्या में साक्षरों का प्रतिशत है

DISTRICTWISE PRIMARY CENSUS ABSTRACT BY RESIDENCE - AT A GLANCE, 2011

CHHATTISGARH

Particulars		CHHATTISGARH			Koriya			Surguja			Jashpur			Raigarh			Korba			Janjgir - Champa		
		Persons	Male	Female	Persons	Male	Female	Persons	Male	Female	Persons	Male	Female	Persons	Male	Female	Persons	Male	Female	Persons	Male	Female
Population	Total	25545198	12832895	12712303	658917	334737	324180	2359886	1193129	1166757	851669	424747	426922	1493984	750278	743706	1206640	612915	593725	1619707	815717	803990
	Rural	19607961	9797426	9810535	453618	228338	225280	2116965	1067908	1049057	775677	386307	389370	1247682	623817	623865	760350	381424	378926	1394646	701401	693245
	Urban	5937237	3035469	2901768	205299	106399	98900	242921	125221	117700	75992	38440	37552	246302	126461	119841	446290	231491	214799	225061	114316	110745
Absolute Increase	Total	4711395			72590			387792			108509			228455			194817			302276		
Decadal Growth rate	Total	22.61			12.38			19.66			14.60			18.05			19.25			22.94		
Sex Ratio	Total	991			968			978			1005			991			969			986		
Child Population (0-6 age group)	Total	3661689	1859935	1801754	95784	48666	47118	380445	193952	186493	122266	61744	60522	195069	100204	94865	172016	87487	84529	224218	114957	109261
	Rural	2924941	1479586	1445355	72914	36699	36215	350022	177966	172056	112599	56808	55791	164083	83971	80112	115442	58275	57167	195052	99788	95264
	Urban	736748	380349	356399	22870	11967	10903	30423	15986	14437	9667	4936	4731	30986	16233	14753	56574	29212	27362	29166	15169	13997
Proportion of child population (0-6 age group)	Total	14.33	14.49	14.17	14.54	14.54	14.53	16.12	16.26	15.98	14.36	14.54	14.18	13.06	13.36	12.76	14.26	14.27	14.24	13.84	14.09	13.59
	Rural	14.92	15.10	14.73	16.07	16.07	16.08	16.53	16.66	16.40	14.52	14.71	14.33	13.15	13.46	12.84	15.18	15.28	15.09	13.99	14.23	13.74
	Urban	12.41	12.53	12.28	11.14	11.25	11.02	12.52	12.77	12.27	12.72	12.84	12.60	12.58	12.84	12.31	12.68	12.62	12.74	12.96	13.27	12.64
Child Sex- ratio	Total	969			968			962			980			947			966			950		
Scheduled Castes population	Total	3274269	1641738	1632531	54776	27682	27094	115652	58281	57371	48844	24317	24527	224942	112111	112831	124679	63446	61233	397908	199633	198275
	Rural	2511949	1258559	1253390	31238	15675	15563	103230	51880	51350	42138	21034	21104	188059	93642	94417	67843	34246	33597	357632	179467	178165
	Urban	762320	383179	379141	23538	12007	11531	12422	6401	6021	6706	3283	3423	36883	18469	18414	56836	29200	27636	40276	20166	20110
Percentage to total population	Total	12.82	12.79	12.84	8.31	8.27	8.36	4.90	4.88	4.92	5.74	5.73	5.75	15.06	14.94	15.17	10.33	10.35	10.31	24.57	24.47	24.66
	Rural	12.81	12.85	12.78	6.89	6.86	6.91	4.88	4.86	4.89	5.43	5.44	5.42	15.07	15.01	15.13	8.92	8.98	8.87	25.64	25.59	25.70
	Urban	12.84	12.62	13.07	11.47	11.28	11.66	5.11	5.11	5.12	8.82	8.54	9.12	14.97	14.60	15.37	12.74	12.61	12.87	17.90	17.64	18.16
Absolute Increase	Total	855547			6571			20815			12444			45198			23719			101709		
Decadal Growth rate	Total	35.37			13.63			21.95			34.19			25.15			23.49			34.34		
Scheduled Tribes Population	Total	7822902	3873191	3949711	304280	152659	151621	1300628	652799	647829	530378	262731	267647	505609	250473	255136	493559	246323	247236	187196	93186	94010
	Rural	7231082	3577134	3653948	274059	137286	136773	1248135	626923	621212	501130	248560	252570	475594	235465	240129	434129	216320	217809	174887	87008	87879
	Urban	591820	296057	295763	30221	15373	14848	52493	25876	26617	29248	14171	15077	30015	15008	15007	59430	30003	29427	12309	6178	6131
Percentage to total population	Total	30.62	30.18	31.07	46.18	45.61	46.77	55.11	54.71	55.52	62.28	61.86	62.69	33.84	33.38	34.31	40.90	40.19	41.64	11.56	11.42	11.69
	Rural	36.88	36.51	37.25	60.42	60.12	60.71	58.96	58.71	59.22	64.61	64.34	64.87	38.12	37.75	38.49	57.10	56.71	57.48	12.54	12.40	12.68
	Urban	9.97	9.75	10.19	14.72	14.45	15.01	21.61	20.66	22.61	38.49	36.87	40.15	12.19	11.87	12.52	13.32	12.96	13.70	5.47	5.40	5.54
Absolute Increase	Total	1206306			44240			223959			60425			57906			73670			34127		
Decadal Growth rate	Total	18.23			17.01			20.80			12.86			12.93			17.55			22.30		
Literates	Total	15379922	8807893	6572029	397823	229923	167900	1187941	694686	493255	495415	280656	214759	951639	542756	408883	748759	433391	315368	1019634	593679	425955
	Rural	11008956	6403012	4605944	249156	145851	103305	1008398	596287	412111	439818	250617	189201	768151	441331	326820	422750	249864	172886	859400	503744	355656
	Urban	4370966	2404881	1966085	148667	84072	64595	179543	98399	81144	55597	30039	25558	183488	101425	82063	326009	183527	142482	160234	89935	70299
Literacy Rate	Total	70.28	80.27	60.24	70.64	80.37	60.60	60.01	69.53	50.32	67.92	77.32	58.61	73.26	83.49	63.02	72.37	82.48	61.93	73.07	84.72	61.31
	Rural	65.99	76.98	55.06	65.45	76.11	54.64	57.07	67.00	46.99	66.33	76.06	56.72	70.89	81.75	60.10	65.55	77.32	53.73	71.64	83.73	59.48
	Urban	84.05	90.58	77.24	81.49	89.03	73.41	84.49	90.08	78.58	83.83	89.66	77.87	85.22	92.01	78.09	83.65	90.73	76.02	81.80	90.71	72.66
Total Workers	Total	12180225	7133866	5046359	307071	185483	121588	1155807	649888	505919	487360	263645	223715	690167	429211	260956	521186	333329	187857	846466	478278	368188
	Rural	10063114	5522258	4540856	245974	134666	111308	1079652	589384	490268	460143	243798	216345	604942	360866	244076	374649	213847	160802	753143	414553	338590
	Urban	2117111	1611608	505503	61097	50817	10280	76155	60504	15651	27217	19847	7370	85225	68345	16880	146537	119482	27055	93323	63725	29598
Work Participation Rate (WPR)	Total	47.68	55.59	39.70	46.60	55.41	37.51	48.98	54.47	43.36	57.22	62.07	52.40	46.20	57.21	35.09	43.19	54.38	31.64	52.26	58.63	45.80
	Rural	51.32	56.36	46.29	54.22	58.98	49.41	51.00	55.19	46.73	59.32	63.11	55.56	48.49	57.85	39.12	49.27	56.07	42.44	54.00	59.10	48.84
	Urban	35.66	53.09	17.42	29.76	47.76	10.39	31.35	48.32	13.30	35.82	51.63	19.63	34.60	54.04	14.09	32.83	51.61	12.60	41.47	55.74	26.73

Particulars		Dhamtari			Uttar Bastar Kanker			Bastar			Narayanpur			Dakshin Bastar Dantewada			Bijapur		
		Persons	Male	Female	Persons	Male	Female	Persons	Male	Female	Persons	Male	Female	Persons	Male	Female	Persons	Male	Female
Population	Total	799781	397897	401884	748941	373338	375603	1413199	698487	714712	139820	70104	69716	533638	264142	269496	255230	128663	126567
	Rural	650586	323420	327166	672180	335149	337031	1219705	600652	619053	117714	58653	59061	437405	213930	223475	225630	113344	112286
	Urban	149195	74477	74718	76761	38189	38572	193494	97835	95659	22106	11451	10655	96233	50212	46021	29600	15319	14281
Absolute Increase	Total	93190			98007			215132			22483			57519			20593		
Decadal Growth rate	Total	13.19			15.06			17.96			19.16			12.08			8.78		
Sex Ratio	Total	1010			1006			1023			994			1020			984		
Child Population (0-6 age group)	Total	101909	51652	50257	100099	50598	49501	216713	108662	108051	23358	11744	11614	79637	39718	39919	42495	21488	21007
	Rural	84459	42786	41673	91441	46191	45250	194321	97079	97242	20823	10432	10391	67372	33524	33848	38329	19317	19012
	Urban	17450	8866	8584	8658	4407	4251	22392	11583	10809	2535	1312	1223	12265	6194	6071	4166	2171	1995
Proportion of child population (0-6 age group)	Total	12.74	12.98	12.51	13.37	13.55	13.18	15.33	15.56	15.12	16.71	16.75	16.66	14.92	15.04	14.81	16.65	16.70	16.60
	Rural	12.98	13.23	12.74	13.60	13.78	13.43	15.93	16.16	15.71	17.69	17.79	17.59	15.40	15.67	15.15	16.99	17.04	16.93
	Urban	11.70	11.90	11.49	11.28	11.54	11.02	11.57	11.84	11.30	11.47	11.46	11.48	12.75	12.34	13.19	14.07	14.17	13.97
Child Sex- ratio	Total	973			978			994			989			1005			978		
Scheduled Castes population	Total	58581	28887	29694	31543	15582	15961	37963	18815	19148	4979	2518	2461	12996	6648	6348	10122	5145	4977
	Rural	45455	22495	22960	26043	12899	13144	25881	12839	13042	3803	1918	1885	4239	2226	2013	7567	3807	3760
	Urban	13126	6392	6734	5500	2683	2817	12082	5976	6106	1176	600	576	8757	4422	4335	2555	1338	1217
Percentage to total population	Total	7.32	7.26	7.39	4.21	4.17	4.25	2.69	2.69	2.68	3.56	3.59	3.53	2.44	2.52	2.36	3.97	4.00	3.93
	Rural	6.99	6.96	7.02	3.87	3.85	3.90	2.12	2.14	2.11	3.23	3.27	3.19	0.97	1.04	0.90	3.35	3.36	3.35
	Urban	8.80	8.58	9.01	7.17	7.03	7.30	6.24	6.11	6.38	5.32	5.24	5.41	9.10	8.81	9.42	8.63	8.73	8.52
Absolute Increase	Total	9187			3880			3137			1044			-1403			450		
Decadal Growth rate	Total	18.60			14.03			9.01			26.53			-9.74			4.65		
Scheduled Tribes Population	Total	207633	102058	105575	414770	203934	210836	931780	456841	474939	108161	53518	54643	410255	199731	210524	204189	101519	102670
	Rural	190463	93682	96781	395978	194974	201004	880221	431157	449064	97372	47933	49439	375708	181872	193836	188527	93764	94763
	Urban	17170	8376	8794	18792	8960	9832	51559	25684	25875	10789	5585	5204	34547	17859	16688	15662	7755	7907
Percentage to total population	Total	25.96	25.65	26.27	55.38	54.62	56.13	65.93	65.40	66.45	77.36	76.34	78.38	76.88	75.62	78.12	80.00	78.90	81.12
	Rural	29.28	28.97	29.58	58.91	58.18	59.64	72.17	71.78	72.54	82.72	81.72	83.71	85.89	85.01	86.74	83.56	82.73	84.39
	Urban	11.51	11.25	11.77	24.48	23.46	25.49	26.65	26.25	27.05	48.81	48.77	48.84	35.90	35.57	36.26	52.91	50.62	55.37
Absolute Increase	Total	22118			49739			148008			17002			43582			14374		
Decadal Growth rate	Total	11.92			13.63			18.88			18.65			11.89			7.57		
Literates	Total	546833	303924	242909	456042	258298	197744	650863	382335	268528	56621	33449	23172	191237	116529	74708	86919	54076	32843
	Rural	435825	244050	191775	396859	227063	169796	511057	305898	205159	40467	24246	16221	125381	78765	46616	68046	43132	24914
	Urban	111008	59874	51134	59183	31235	27948	139806	76437	63369	16154	9203	6951	65856	37764	28092	18873	10944	7929
Literacy Rate	Total	78.36	87.78	69.08	70.29	80.03	60.64	54.40	64.82	44.26	48.62	57.31	39.88	42.12	51.92	32.54	40.86	50.46	31.11
	Rural	76.98	86.96	67.17	68.34	78.58	58.19	49.84	60.75	39.32	41.77	50.28	33.33	33.88	43.66	24.58	36.33	45.87	26.71
	Urban	84.26	91.26	77.32	86.90	92.46	81.43	81.71	88.62	74.68	82.54	90.77	73.70	78.43	85.79	70.32	74.20	83.24	64.54
Total Workers	Total	402895	226382	176513	389359	217513	171846	726531	404364	322167	71089	38186	32903	286595	153294	133301	134525	71591	62934
	Rural	342553	185441	157112	359746	196586	163160	651790	350639	301151	62630	32271	30359	251128	126503	124625	123268	63597	59671
	Urban	60342	40941	19401	29613	20927	8686	74741	53725	21016	8459	5915	2544	35467	26791	8676	11257	7994	3263
Work Participation Rate (WPR)	Total	50.38	56.89	43.92	51.99	58.26	45.75	51.41	57.89	45.08	50.84	54.47	47.20	53.71	58.03	49.46	52.71	55.64	49.72
	Rural	52.65	57.34	48.02	53.52	58.66	48.41	53.44	58.38	48.65	53.21	55.02	51.40	57.41	59.13	55.77	54.63	56.11	53.14
	Urban	40.45	54.97	25.97	38.58	54.80	22.52	38.63	54.91	21.97	38.27	51.65	23.88	36.86	53.36	18.85	38.03	52.18	22.85

FIFTH SCHEDULE

[Article 244(1)]

Provisions as to the Administration and Control of Scheduled Areas and Scheduled Tribes

PART A

GENERAL

1. **Interpretation**.—In this Schedule, unless the context otherwise requires, the expression "State" does not include the States of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram.

2. Executive power of a State in Scheduled Areas.—Subject to the provisions of this Schedule, the executive power of a State extends to the Scheduled Areas therein.

3. Report by the Governor to the President regarding the administration of Scheduled Areas.—The Governor of each State having Scheduled Areas therein shall annually, or whenever so required by the President, make a report to the President regarding the administration of the Scheduled Areas in that State and the executive power of the Union shall extend to the giving of directions to the State as to the administration of the said areas.

PART B

ADMINISTRATION AND CONTROL OF SCHEDULED AREAS AND SCHEDULED TRIBES

4. Tribes Advisory Council.—(1) There shall be established in each State having Scheduled Areas therein and, if the President so directs, also in any State having Scheduled Tribes but not Scheduled Areas therein, a Tribes Advisory Council consisting of not more than twenty members of whom, as nearly as may be, three-fourths shall be the representatives of the Scheduled Tribes in the Legislative Assembly of the State:

Provided that if the number of representatives of the Scheduled Tribes in the Legislative Assembly of the State is less than the number of seats in the Tribes Advisory Council to be filled by such representatives, the remaining seats shall be filled by other members of those tribes.

(2) It shall be the duty of the Tribes Advisory Council to advise on such matters pertaining to the welfare and advancement of the Scheduled Tribes in the State as may be referred to them by the Governor.

(3) The Governor may make rules prescribing or regulating, as the case may be,—

(*a*) the number of members of the Council, the mode of their appointment and the appointment of the Chairman of the Council and of the officers and servants thereof;

(*b*) the conduct of its meetings and its procedure in general; and

(*c*) all other incidental matters.

5. Law applicable to Scheduled Areas.—(1) Notwithstanding anything in this Constitution, the Governor may by public notification direct that any particular Act of Parliament or of the Legislature of the State shall not apply to a Scheduled Area or any part thereof in the State or shall apply to a Scheduled Area or any part thereof in the State subject to such exceptions and modifications as he may specify in the notification and any direction given under this sub-paragraph may be given so as to have retrospective effect.

(2) The Governor may make regulations for the peace and good government of any area in a State which is for the time being a Scheduled Area.

In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such regulations may—

(*a*) prohibit or restrict the transfer of land by or among members of the Scheduled Tribes in such area;

(*b*) regulate the allotment of land to members of the Scheduled Tribes in such area;

(*c*) regulate the carrying on of business as money-lender by persons who lend money to members of the Scheduled Tribes in such area.

(3) In making any such regulation as is referred to in sub-paragraph (2) of this paragraph, the Governor may repeal or amend any Act of Parliament or of the Legislature of the State or any existing law which is for the time being applicable to the area in question.

(4) All regulations made under this paragraph shall be submitted forthwith to the President and, until assented to by him, shall have no effect.

(5) No regulation shall be made under this paragraph unless the Governor making the regulation has, in the case where there is a Tribes Advisory Council for the State, consulted such Council.

PART C

SCHEDULED AREAS

6. Scheduled Areas.—(1) In this Constitution, the expression "Scheduled Areas" means such areas as the President may by order[1] declare to be Scheduled Areas.

(2) The President may at any time by order[2]—

(*a*) direct that the whole or any specified part of a Scheduled Area shall cease to be a Scheduled Area or a part of such an area;

(*aa*) increase the area of any Scheduled Area in a State after consultation with the Governor of that State;

(*b*) alter, but only by way of rectification of boundaries, any Scheduled Area;

(*c*) on any alteration of the boundaries of a State or on the admission into the Union or the establishment of a new State, declare any territory not previously included in any State to be, or to form part of, a Scheduled Area;

(*d*) rescind, in relation to any State or States, any order or orders made under this paragraph, and in consultation with the Governor of the State concerned, make fresh orders redefining the areas which are to be Scheduled Areas;

and any such order may contain such incidental and consequential provisions as appear to the President to be necessary and proper, but save as aforesaid, the order made under sub-paragraph (1) of this paragraph shall not be varied by any subsequent order.

---

1. *See* the Scheduled Areas (Part A States) Order, 1950 (C.O. 9), the Scheduled Areas (Part B States) Order, 1950 (C.O.26), the Scheduled Areas (Himachal Pradesh) Order, 1975 (C.O. 102) and the Scheduled Areas (States of Bihar, Gujarat, Madhya Pradesh and Orissa) Order, 1977 (C.O. 109).
2. *See* the Madras Scheduled Areas (Cessor) Order, 1950 (C.O. 30) and the Andhra Scheduled Areas (Cessor) Order, 1955 (C.O. 50).

PART D

AMENDMENT OF THE SCHEDULE

7. Amendment of the Schedule.—(1) Parliament may from time to time by law amend by way of addition, variation or repeal any of the provisions of this Schedule and, when the Schedule is so amended, any reference to this Schedule in this Constitution shall be construed as a reference to such Schedule as so amended.

(2) No such law as is mentioned in sub-paragraph (1) of this paragraph shall be deemed to be an amendment of this Constitution for the purposes of article 368.

Particulars		Bilaspur			Kabeerdham			Rajnandgaon			Durg			Raipur			Mahasamund		
		Persons	Male	Female	Persons	Male	Female	Persons	Male	Female	Persons	Male	Female	Persons	Male	Female	Persons	Male	Female
Population	Total	2663629	1351574	1312055	822526	412058	410468	1537133	762855	774278	3343872	1682101	1661771	4063872	2048186	2015686	1032754	511967	520787
	Rural	1983759	1002520	981239	735131	367941	367190	1264621	626212	638409	2059107	1026152	1032955	2580583	1288567	1292016	912602	451691	460911
	Urban	679870	349054	330816	87395	44117	43278	272512	136643	135869	1284765	655949	628816	1483289	759619	723670	120152	60276	59876
Absolute Increase	Total	665274			237974			253909			533436			1046942			172497		
Decadal Growth rate	Total	33.29			40.71			19.79			18.98			34.70			20.05		
Sex Ratio	Total	971			996			1015			988			984			1017		
Child Population (0-6 age group)	Total	407835	207995	199840	141904	71571	70333	209575	105508	104067	430536	219341	211195	583382	296441	286941	134448	68207	66241
	Rural	322460	163504	158956	128957	64914	64043	177564	89103	88461	282829	143385	139444	387005	195416	191589	119269	60428	58841
	Urban	85375	44491	40884	12947	6657	6290	32011	16405	15606	147707	75956	71751	196377	101025	95352	15179	7779	7400
Proportion of child population (0-6 age group)	Total	15.31	15.39	15.23	17.25	17.37	17.13	13.63	13.83	13.44	12.88	13.04	12.71	14.36	14.47	14.24	13.02	13.32	12.72
	Rural	16.25	16.31	16.20	17.54	17.64	17.44	14.04	14.23	13.86	13.74	13.97	13.50	15.00	15.17	14.83	13.07	13.38	12.77
	Urban	12.56	12.75	12.36	14.81	15.09	14.53	11.75	12.01	11.49	11.50	11.58	11.41	13.24	13.30	13.18	12.63	12.91	12.36
Child Sex- ratio	Total	961			983			986			963			968			971		
Scheduled Castes population	Total	552992	281221	271771	119798	60154	59644	156623	76979	79644	458040	229067	228973	724250	362284	361966	139581	68968	70613
	Rural	456247	231864	224383	104474	52490	51984	118079	58112	59967	284513	141912	142601	524846	262367	262479	120662	59686	60976
	Urban	96745	49357	47388	15324	7664	7660	38544	18867	19677	173527	87155	86372	199404	99917	99487	18919	9282	9637
Percentage to total population	Total	20.76	20.81	20.71	14.56	14.60	14.53	10.19	10.09	10.29	13.70	13.62	13.78	17.82	17.69	17.96	13.52	13.47	13.56
	Rural	23.00	23.13	22.87	14.21	14.27	14.16	9.34	9.28	9.39	13.82	13.83	13.81	20.34	20.36	20.32	13.22	13.21	13.23
	Urban	14.23	14.14	14.32	17.53	17.37	17.70	14.14	13.81	14.48	13.51	13.29	13.74	13.44	13.15	13.75	15.75	15.40	16.09
Absolute Increase	Total	183904			45447			29199			98529			236527			35190		
Decadal Growth rate	Total	49.83			61.12			22.91			27.41			48.50			33.71		
Scheduled Tribes Population	Total	498469	248172	250297	167043	82597	84446	405194	198032	207162	397416	196008	201408	476446	235271	241175	279896	137339	142557
	Rural	453120	225348	227772	159983	79123	80860	385785	188600	197185	317955	155925	162030	407912	200597	207315	270124	132597	137527
	Urban	45349	22824	22525	7060	3474	3586	19409	9432	9977	79461	40083	39378	68534	34674	33860	9772	4742	5030
Percentage to total population	Total	18.71	18.36	19.08	20.31	20.04	20.57	26.36	25.96	26.76	11.88	11.65	12.12	11.72	11.49	11.96	27.10	26.83	27.37
	Rural	22.84	22.48	23.21	21.76	21.50	22.02	30.51	30.12	30.89	15.44	15.20	15.69	15.81	15.57	16.05	29.60	29.36	29.84
	Urban	6.67	6.54	6.81	8.08	7.87	8.29	7.12	6.90	7.34	6.18	6.11	6.26	4.62	4.56	4.68	8.13	7.87	8.40
Absolute Increase	Total	101365			45086			63506			48615			111173			47411		
Decadal Growth rate	Total	25.53			36.97			18.59			13.94			30.44			20.39		
Literates	Total	1596560	932474	664086	414167	248503	165664	1008379	561355	447024	2303378	1284612	1018766	2629749	1493158	1136591	637963	364089	273874
	Rural	1095487	656265	439222	357301	216986	140315	802926	451224	351702	1330153	752220	577933	1545714	898298	647416	552067	317171	234896
	Urban	501073	276209	224864	56866	31517	25349	205453	110131	95322	973225	532392	440833	1084035	594860	489175	85896	46918	38978
Literacy Rate	Total	70.78	81.54	59.71	60.85	72.98	48.71	75.96	85.40	66.70	79.06	87.82	70.23	75.56	85.24	65.75	71.02	82.05	60.25
	Rural	65.94	78.22	53.41	58.94	71.61	46.29	73.86	84.01	63.95	74.88	85.21	64.68	70.47	82.18	58.83	69.59	81.06	58.42
	Urban	84.29	90.69	77.56	76.38	84.14	68.53	85.43	91.59	79.26	85.59	91.79	79.13	84.24	90.32	77.85	81.83	89.37	74.28
Total Workers	Total	1203197	715467	487730	404156	217073	187083	800092	436611	363481	1496805	921729	575076	1757664	1099964	657700	499260	291858	207402
	Rural	963709	533034	430675	372200	194421	177779	695998	362686	333312	1050508	573976	476532	1215693	686881	528812	455388	259109	196279
	Urban	239488	182433	57055	31956	22652	9304	104094	73925	30169	446297	347753	98544	541971	413083	128888	43872	32749	11123
Work Participation Rate (WPR)	Total	45.17	52.94	37.17	49.14	52.68	45.58	52.05	57.23	46.94	44.76	54.80	34.61	43.25	53.70	32.63	48.34	57.01	39.82
	Rural	48.58	53.17	43.89	50.63	52.84	48.42	55.04	57.92	52.21	51.02	55.93	46.13	47.11	53.31	40.93	49.90	57.36	42.59
	Urban	35.23	52.26	17.25	36.57	51.35	21.50	38.20	54.10	22.20	34.74	53.02	15.67	36.54	54.38	17.81	36.51	54.33	18.58